



**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन  
मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**



**लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा**  
Dedicated to Truth in Public Interest

**संघ सरकार (आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय)  
2020 की संख्या 3  
(अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ)**

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन**

**मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**

**संघ सरकार (आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय)  
2020 की संख्या 3  
(अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ)**

**लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर प्रस्तुति की तारीख.....**

## विषय-सूची

अध्याय/ पैराग्राफ	विषय	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	v
	कार्यकारी सार	vii
<b>अध्याय I</b>	<b>परिचय</b>	
1.1	इस प्रतिवेदन के बारे में	1
1.2	लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार	1
1.3	लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन	2
1.4	बजट और व्यय	3
1.5	उपयोग प्रमाणपत्र	6
1.6	केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) द्वारा लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब	7
1.7	संसद के दोनों सदनों के समक्ष सीएबी के लेखापरीक्षित लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब	8
1.8	लेखापरीक्षा प्रमाणन के परिणाम	8
1.9	लम्बित एटीएन की स्थिति	9
1.10	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालयों/विभागों का प्रत्युत्तर	10
<b>अध्याय II</b>	<b>रसायन और उर्वरक मंत्रालय</b>	
	<b>राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान</b>	
2.1	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाइपर) की स्थिति की समीक्षा	11
<b>अध्याय III</b>	<b>कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय</b>	
3.1	कार्यालय स्थान के निष्प्रयोजन के कारण ₹5.04 करोड़ का परिहार्य व्यय	25
<b>अध्याय IV</b>	<b>आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय</b>	
	<b>राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड</b>	
4.1	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की कार्य पद्धति	28

अध्याय/ पैराग्राफ	विषय	पृष्ठ संख्या
	<b>केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग</b>	
4.2	लोकसभा सचिवालय (एलएसएस), आर.के.पुरम, नई दिल्ली के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों के निर्माण से संबंधित कार्य को लागू करने में कमियाँ	44
4.3	संविदाकर्ता को ₹1.36 करोड़ का अधिक भुगतान	53
	<b>मुद्रण निदेशालय</b>	
4.4	विद्युत शुल्क का परिहार्य भुगतान - ₹1.88 करोड़	56
4.5	₹94.74 करोड़ के मुद्रण शुल्क की बकाया राशि की गैर-वसूली	59
4.6	जल शुल्क के भुगतान पर परिहार्य व्यय	63
4.7	फर्जी एलटीसी दावों की प्रतिपूर्ति	66
	<b>दिल्ली विकास प्राधिकरण</b>	
4.8	विद्युत और अनुरक्षण सेवाओं के कारण फ्लैट मालिकों से ₹94.00 लाख की कम वसूली	71
4.9	पट्टेदार को ₹62.32 लाख का अनुचित लाभ	72
4.10	लेखापरीक्षा के परामर्श पर वसूली	75
4.11	लेखापरीक्षा के परामर्श पर सुधार/परिशोधन	76
	<b>आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय</b>	
4.12	लेखापरीक्षा के परामर्श पर ₹4.49 करोड़ की वसूली	79
<b>अध्याय V</b>	<b>विद्युत मंत्रालय</b>	
5.1	उर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा मानक और लेबलिंग योजना का कार्यान्वयन	82
<b>अध्याय VI</b>	<b>सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय</b>	
6.1	निरीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्रों की स्थापना के लिए योजना	98
<b>अध्याय VII</b>	<b>पोत परिवहन मंत्रालय</b>	
	<b>चेन्नई पत्तन न्यास</b>	
7.1	चेन्नई पत्तन न्यास में पोर्ट ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम (पीओएमएस) का कार्यान्वयन	109

अध्याय/ पैराग्राफ	विषय	पृष्ठ संख्या
	<b>विशाखापत्तनम पत्तन न्यास</b>	
7.2	रियायतग्राहियों से कम निष्पादन के कारण परिनिर्धारित नुकसान की वसूली ना होना	120
7.3	रियायत करारों में दंडात्मक खंड सम्मिलित न करने के कारण राजस्व का नुकसान	123
	<b>भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय</b>	
7.4	योजना प्रबंधन परामर्श शुल्क पर परिहार्य व्यय	126
	<b>पारादीप पत्तन न्यास</b>	
7.5	अपर्याप्त प्रतिभूतिकरण के परिणामस्वरूप ₹6.25 करोड़ की परिहार्य हानि	128
	<b>वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन न्यास</b>	
7.6	बोलाई पुल टग को किराए पर लेने के कारण परिहार्य व्यय	131
<b>अध्याय VIII</b>	<b>पर्यटन मंत्रालय</b>	
8.1	लेखापरीक्षा के परामर्श पर वसूली	134
	<b>भारतीय पर्यटन कार्यालय, पेरिस</b>	
8.2	वैट-वापसी के लिए दावा नहीं करना	135
	<b>परिशिष्ट - I से XIII</b>	139
	<b>अनुलग्नक - I से XII</b>	174

## प्राक्कथन

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।
2. इस प्रतिवेदन में संघ सरकार के आर्थिक एवं सेवा मंत्रालयों/विभागों, उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा परिणाम शामिल हैं। निकाय या प्राधिकरण, जो भारत के समेकित कोष से अनुदान/ऋण द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं, की नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 14(1) के प्रावधानों के तहत सीएडंएजी द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है।
3. इस प्रतिवेदन में वे उदाहरण वर्णित हैं जो 2017-18 की अवधि हेतु लेखापरीक्षा जाँच के दौरान पाए गए थे, साथ ही जो पिछले वर्षों में पाए गए किन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित नहीं किए जा सके थे। 2017-18 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित किया गया है।
4. लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

## कार्यकारी सार

### I. प्रस्तावना

1. इस प्रतिवेदन में, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकारियों द्वारा मंत्रालयों/विभागों और उनके केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के खातों और अभिलेखों की नमूना जांच के परिणामस्वरूप पाये गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं।
2. प्रतिवेदन में सात मंत्रालयों से संबंधित 24 पृथक-पृथक अभ्युक्तियां सम्मिलित हैं। मसौदा अभ्युक्तियों पर संबंधित मंत्रालयों को छः सप्ताह की अवधि के अंदर प्रत्येक मामले में अपने जवाब/टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। आठ अभ्युक्तियों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे जबकि इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा था जैसा कि नीचे पैरा 3 में दर्शाया गया है।
3. इस प्रतिवेदन में शामिल पैराग्राफ भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों और उनके केन्द्रीय स्वायत्त निकायों से संबंधित हैं:-

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग	पैराग्राफ की संख्या	पैराग्राफ की संख्या जिसके संबंध में मंत्रालय/विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था
1.	रसायन एवं उर्वरक	1	0
2.	कॉर्पोरेट कार्य	1	0
3.	आवासन और शहरी कार्य	12	7
4.	विद्युत	1	0
5.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	1	0
6.	पोत परिवहन	6	1
7.	पर्यटन	2	0
	<b>कुल</b>	<b>24</b>	<b>8</b>

## II. प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण पैराग्राफ की मुख्य विशेषताएं/आकर्षण निम्नलिखित हैं:-

मार्च 2019 तक छः नए नाइपरस में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) का गठन नहीं किया गया था और संचालन समिति बीओजी के कार्यों का निर्वहन कर रही थी। नाइपर मोहाली में बीओजी का गठन दो साल की देरी से किया गया था। एक समर्पित शासी निकाय, स्थायी शैक्षणिक कर्मचारियों और पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं के अभाव में, संस्थान देश में महत्वपूर्ण तरीके से फार्मास्यूटिकल शिक्षा को आगे बढ़ाने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं।

इससे शोध पत्र प्रकाशित करने, पेटेंट प्रदान करने और विद्यार्थियों के प्लेसमेंट के रूप में प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। संस्थानों को बड़े पैमाने पर मंत्रालय से अनुदान द्वारा वित्तपोषित किया गया था और खर्च का बहुत कम हिस्सा उनके स्वयं के राजस्व के माध्यम से पूरा किया जाता था।

(पैरा 2.1)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) की स्थापना (28 मार्च 1985) को एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 (अधिनियम) के तहत की गई थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) एक समन्वित योजना क्षेत्र है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटीडी) और हरियाणा, उत्तर प्रदेश (यूपी) और राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों के कई जिले शामिल हैं। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि क्षेत्रीय योजना (आरपी) 2021 को अधिसूचित करने में साढ़े तीन साल से अधिक की देरी हुई और आरपी 2021 की पहली समीक्षा डेढ़ साल की देरी के बाद शुरू की गई। एनसीआर घटक क्षेत्रों के लिए उप-क्षेत्रीय योजनाओं के निर्माण में देरी हुई, कार्यात्मक योजनाएं नहीं बनाई गईं और एनसीआर में प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र (एनसीजेड) के निरूपण में देरी हुई। यह देखा गया कि बोर्ड भागीदार राज्यों द्वारा प्रस्तुत मास्टर प्लान की मंजूरी नहीं दे रहा था और एनसीआर में भाग लेने वाले संबंधित राज्य द्वारा उस राज्य में संबंधित कानूनों के तहत भूमि उपयोग में परिवर्तन किया जा रहा था और बोर्ड द्वारा नहीं। वहाँ विभिन्न स्तरों पर आरपी के कार्यान्वयन के लिए समन्वय और निगरानी अपर्याप्त थी।

(पैरा 4.1)

ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंसी (बीईई) का स्टार रेटिंग लेबल उपस्करों और उपकरणों (उत्पादों) के मॉडल की उर्जा दक्षता के लिए एक विश्वसनीय सरकार समर्थित प्रतीक है जो उपभोक्ताओं को पैसे और पर्यावरण को बचाने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बीईई ने इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया था क्योंकि 2012 से 2018 के दौरान पंजीकृत मॉडलों का नगण्य जाँच परीक्षण (0.16 प्रतिशत) किया गया था। पहले जाँच परीक्षण में 63 प्रतिशत मॉडल विफल रहे और मॉडल और उपकरणों का नाम ऊर्जा संरक्षण एक्ट में प्रावधान न होने के कारण प्रकाशित नहीं किया गया था। वर्ष 2013-14 और 2017-18 में विफल रहे मॉडलों में दिसंबर 2018 तक ₹2,238 करोड़ के अनुमानित बाजार मूल्य पर 4,16,503 रूम एयर कंडीशनरों (रूम एसी) और 3,93,678 फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटरों (एफएफआर) का विपणन परमिटधारियों द्वारा किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बीईई ने तीन उपकरणों (रूम एसी कैसेट सहित फ्लोर स्टैंडिंग, डीसीआर और एफएफआर) के संबंध में 23,624.96 एमयू (61.50 प्रतिशत के बराबर) अतिरिक्त ऊर्जा बचत की गणना की जिसका कि पांच वर्षों अर्थात् 2012 से 2017 की कुल उर्जा बचत में लगभग 55 प्रतिशत का योगदान था। स्टार लेबल सत्यापन भी नहीं किये गए और बाजार में गैर-अनुपालन करने वाले मॉडल्स नहीं बेचे जाने को सुनिश्चित करने वाली क्यूआर कोड तकनीक भी बीईई द्वारा कार्यान्वित नहीं की गई।

#### (पैरा 5.1)

विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) ने विशाखापत्तनम बंदरगाह पर कार्गो बर्थ के विकास के लिए तीन निजी दलों (रियायतग्राहियों) के साथ रियायत करार किया (जून 2010 से अगस्त 2010)। मॉडल रियायत करार के अनुसार, यदि परियोजना के निष्पादन मानकों, जैसे सकल बर्थ आउटपुट, टर्न अराउंड समय आदि को पूरा नहीं किया गया तो परिनिर्धारित नुकसान लिया जाना था। वीपीटी ने निष्पादन मानकों पर महीने-वार सूचना एकत्रित नहीं की तथा रियायतग्राहियों से कम निष्पादन हेतु कोई परिनिर्धारित नुकसान नहीं लिया। लेखापरीक्षा ने सकल बर्थ आउटपुट के संदर्भ में निष्पादन का मूल्यांकन किया तथा 2013-14 से 2017-18 तक तीनों रियायतग्राहियों से ₹21.67 करोड़ के परिनिर्धारित नुकसान की गणना की। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने (जून 2018) पर वीपीटी ने निष्पादन मानकों का मूल्यांकन शुरू किया

(नवंबर/दिसंबर 2018/फरवरी 2019) तथा ₹25.30 करोड़ की राशि के परिनिर्धारित नुकसान की वसूली के लिए रियायतग्राहियों को माँग सूचना पत्र जारी किया।

(पैरा 7.2)

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आईएमयू), विशाखापत्तनम ने योजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) के आधार पर विशाखापत्तनम में ₹54.21 करोड़ की लागत वाले अपने नए परिसर के निर्माण की मंजूरी एनबीसीसी को प्रदान की। ₹27.06 करोड़ के जमा/अग्रिम करने के बाद, कार्य की धीमी प्रगति के कारण आईएमयू द्वारा परियोजना को समाप्त कर दिया गया था। एनबीसीसी के साथ निपटान के हिस्से के रूप में व्यय ₹5.95 करोड़ घटाया गया तथा शेष ₹21.11 करोड़ एनबीसीसी द्वारा वापस किए गए कटौती की गई राशि में ठेका राशि ₹54.21 करोड़ के सात प्रतिशत की दर से पीएमसी के ₹4.12 करोड़ तथा उस पर सेवा कर शामिल थे। तथापि, करार के अनुसार, वास्तविक कार्य की लागत पर पीएमसी शुल्क लगाया जाना था। वास्तविक किए गए कार्य की लागत के आधार पर पीएमसी शुल्क केवल ₹0.15 करोड़ था। इस प्रकार, ₹3.97 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(पैरा 7.4)

नौ राज्यों में प्रत्येक में निरीक्षण और प्रमाणन (आईएडंसी) केन्द्र स्थापित करने के लिए एक योजना (11वीं पंचवर्षीय योजना/अगस्त 2009) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा पायलट आधार पर इन-सर्विस परिवहन वाहनों की सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपकरण आपूर्तिकर्ता का चयन करने में देरी, खराब योजना और अप्रभावी निगरानी के कारण अगस्त 2009 से अभी तक (सितंबर 2019) योजनाबद्ध आईएडंसी केन्द्रों की विलम्बित पूर्णता/गैर-संचालन का कारण बनी। नतीजतन योजना को लागू करने का उद्देश्य यानि एक प्रभावी वाहन निरीक्षण प्रणाली का कार्यान्वयन, सड़क की स्थिति में सुधार और बाकी राज्यों में इस तरह के आदर्श आईएडंसी केन्द्रों को प्रतिरूपित करने को अभी तक पूरी तरह से साकार नहीं किया जा सका।

(पैरा 6.1)

भारत सरकार प्रेस, मिंटो रोड के कर्मचारियों ने दस्तावेजों की जालसाजी तथा तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके एलटीसी दावों में उनके द्वारा भुगतान की गई राशि से उच्चतर राशि का दावा किया जिसके कारण 87 कर्मचारियों के ₹56.98 लाख की गैर-हकदार राशि की प्रतिपूर्ति का मामला लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात् 87 मामलों में से 64 कर्मचारियों से ₹55.59 लाख (₹13.19 लाख दंडात्मक ब्याज सहित) की राशि की वसूली की गई। आगे, लेखापरीक्षा के परामर्श पर पाँच भारत सरकार प्रेसों में कार्य करने वाले 143 कर्मचारियों के एलटीसी के दावों को पुनः सत्यापित करने के पश्चात् विभाग द्वारा ₹1.01 करोड़ की वसूली की गई।

(पैरा 4.7)

## अध्याय I: परिचय

### 1.1 इस प्रतिवेदन के बारे में

अनुपालन लेखापरीक्षा का तात्पर्य है लेखापरीक्षित इकाईयों के व्ययों, प्राप्तियों तथा परिसंपत्तियों एवं देयताओं से संबंधित लेन-देन की जाँच करना यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या भारतीय संविधान के प्रावधानों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, आदेशों, अनुदेशों का अनुपालन हो रहा है तथा इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति के संबंध में उनकी विधिसंगतता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य, दूरदर्शिता तथा प्रभावशीलता का भी निर्धारण करना है।

लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) की ओर से, उनके द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की जाती है। ये मानक उन मानदंडों को निर्दिष्ट करते हैं जो लेखापरीक्षकों से लेखापरीक्षा के दौरान अनुसरण किए जाने हेतु अपेक्षित हैं तथा जिनमें लेखापरीक्षित इकाईयों के वित्तीय प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली में विद्यमान कमजोरियों के साथ-साथ अनुपालन न किए जाने वाले तथा दुरुपयोगों के अलग-अलग मामलों को सूचित करना होता है। लेखापरीक्षा परिणामों/अभ्युक्तियों से यह अपेक्षित है कि वे कार्यकारिणी को सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु तथा ऐसी नीतियों एवं प्रक्रियाओं को निर्मित करने में समर्थ बनाएंगे जिनसे संगठनों के वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा और इस तरह बेहतर शासन में योगदान देंगे।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा की योजना एवं सीमा विस्तार का वर्णन करने के अतिरिक्त आर्थिक एवं सेवा मंत्रालयों/विभागों (जैसा कि परिशिष्ट-I में सूचीबद्ध) के व्यय का तथा उनके वित्तीय प्रबंधन का एक संक्षिप्त विश्लेषण उपलब्ध कराता है। आर्थिक एवं सेवा मंत्रालयों/विभागों तथा उनके स्वायत्त निकायों<sup>1</sup> की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न परिणामों/अभ्युक्तियों को अध्याय II से VIII में प्रस्तुत किया गया है।

### 1.2 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार

सीएंडएजी द्वारा लेखापरीक्षा करने एवं संसद को प्रतिवेदित करने का अधिकार क्रमशः भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 व 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (अधिनियम) से प्राप्त किया जाता है।

<sup>1</sup> 31.3.2018 को, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत 62 सीएबी थे।

सीएंडएजी भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 13<sup>2</sup> व धारा 17<sup>3</sup> के अंतर्गत करता है।

संसद अथवा उसके द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत स्थापित किए गए निकायों तथा जिसमें सीएंडएजी द्वारा लेखापरीक्षा के विशिष्ट प्रावधान हैं, उनकी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत सांविधिक रूप से की जाती है। अन्य संगठनों (निगमों या सोसाइटियों) की लेखापरीक्षा, लोक हित में अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत सीएंडएजी को दी गई है। इसके अतिरिक्त निकायों/प्राधिकरणों जिन्हें भारत की संचित निधि से पर्याप्त रूप से अनुदान/ऋण से वित्तपोषित किया जाता है, की लेखापरीक्षा सीएंडएजी द्वारा अधिनियम के खंड 14(1) के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है।

### 1.3 लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन

अनुपालन लेखापरीक्षा, सीएंडएजी द्वारा लागू लेखापरीक्षा मानकों में उल्लेखित सिद्धांतों एवं चलन के अनुसार निष्पादित की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया का प्रारंभ किए गए व्यय, गतिविधियों की गहनता/जटिलता, प्रदत्त वित्तीय शक्तियों के स्तर, आंतरिक नियंत्रण के आकलन तथा हिस्सेदारों के सरोकारों के आधार पर संपूर्ण मंत्रालय/विभाग तथा उसकी प्रत्येक इकाई के जोखिम के आकलन के साथ होता है। इस कार्य में पिछले लेखापरीक्षा परिणामों पर भी विचार किया जाता है। इस जोखिम आकलन के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति एवं विस्तार निर्धारित किया जाता है। इसके बाद इस प्रकार के जोखिम आकलन के आधार पर एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है। चयनित/नियोजित इकाइयों की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरांत, इकाई प्रमुख को लेखापरीक्षा परिणामों से युक्त निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए जाते हैं। इकाइयों को निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के एक माह के अंदर लेखापरीक्षा परिणामों के उत्तर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है। जब उत्तर प्राप्त होते हैं तो या तो लेखापरीक्षा परिणामों का निपटान कर दिया जाता है अथवा अनुपालन के लिए आगे की कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उत्पन्न महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को पृथक रूप से ड्राफ्ट पैरों के रूप में प्रशासकीय मंत्रालयों/विभागों के प्रमुखों को उनकी टिप्पणी के लिए जारी किया जाता है तथा लेखापरीक्षा

---

<sup>2</sup> (i) भारत की समेकित निधि से सभी प्रकार का व्यय (ii) आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे से संबंधित सभी लेन-देन (iii) सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ और हानि खाते, तुलन पत्रों और अन्य सहायक लेखों, की लेखापरीक्षा।

<sup>3</sup> संघ या किसी राज्य के किसी भी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडार और स्टॉक के खातों की लेखापरीक्षा और रिपोर्ट।

प्रतिवेदनों, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत, राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, में शामिल करने हेतु उन पर कार्रवाई की जाती है।

#### 1.4 बजट एवं व्यय

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2017-18 और पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान बजट और व्यय की तुलनात्मक स्थिति 16 आर्थिक एवं सेवा मंत्रालयों (विभागवार जहाँ भी लागू हो) तथा वित्त मंत्रालय के तीन विभागों के संबंध में तालिका 1.1 में नीचे दी गई है:-

तालिका 1.1: आर्थिक एवं सेवा मंत्रालयों/विभागों के बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित बजट	बजट प्रावधान के सापेक्ष अव्ययित बजट का प्रतिशत	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित बजट	बजट प्रावधान के सापेक्ष अव्ययित बजट का प्रतिशत
	<b>2017-18</b>				<b>2016-17</b>			
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच)	1,22,898.47	1,17,152.83	5,745.64	4.68%	1,41,590.14	94,752.09	46,838.05	33.08%
वित्त मंत्रालय								
वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस)	1,07,742.08	1,06,768.31	973.77	0.09%	37,341.94	31,068.88	6,273.06	16.80%
आर्थिक कार्य विभाग (डीईए)	15,690.42	9,490.22	6,200.20	39.52%	28,447.59	15,092.16	13,355.43	46.95%
निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम)	44.00	32.19	11.81	26.84%	40.00	14.11	25.89	64.73%

2020 की प्रतिवेदन सं. 3

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय								
उर्वरक विभाग (डीओएफ)	94,797.23	89,788.57	5,008.66	5.28%	74,139.40	70,130.19	4,009.21	5.41%
रसायन एवं पेट्रो- रसायन विभाग	658.28	612.11	46.17	7.01%	202.45	166.77	35.68	17.62%
औषध विभाग	266.11	252.41	13.70	5.15%	311.42	307.57	3.85	1.24%
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	36,860.59	33,192.11	3,668.48	9.95%	31,691.78	30,231.29	1,460.49	4.61%
शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी)	38,037.78	31404.55	6,633.23	17.44%	35,531.57	32,297.61	3,233.96	9.10%
विद्युत मंत्रालय (एमओपी)	17,966.44	15,017.90	2,948.54	16.41%	17,391.01	11,768.35	5,622.66	32.33%
आवासन और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (एमओएचयूपीए)	9,256.01	9,201.91	54.10	0.58%	5,411.05	5,220.99	190.06	3.51%
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई)	6,482.01	6,222.18	259.83	4.01%	5,168.71	3,650.07	1,518.64	29.38%
वस्त्र मंत्रालय	6,272.82	5,940.18	332.64	5.30%	6,784.28	6,227.50	556.78	8.21%
नागर विमानन मंत्रालय	2,789.29	2,664.12	125.17	4.49%	3,521.46	3,405.79	115.67	3.28%
पोत परिवहन मंत्रालय	2,116.76	1,862.53	254.23	12.01%	1,955.20	1,734.92	220.28	11.27%
पर्यटन मंत्रालय	1,840.80	1,766.09	74.71	4.06%	1,670.94	1,638.60	32.34	1.94%
कोयला मंत्रालय (एमओसी)	1,445.11	1,411.19	33.92	2.35%	1,656.36	1,338.04	318.32	19.22%
खान मंत्रालय	1,460.49	1,349.00	111.49	7.63%	1,213.51	1,075.97	137.54	11.33%
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए)	588.85	526.42	62.43	10.60%	419.94	397.27	22.67	5.40%
इस्पात मंत्रालय	44.14	43.20	0.94	2.13%	748.15	437.80	310.35	41.48%

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय								
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी)	6,134.48	4,053.64	2,080.84	33.92%	3,037.72	1,995.15	1,042.57	34.32%
भारी उद्योग विभाग (डीएचआई)	2,600.03	1,104.62	1,495.41	57.52%	8,376.44	8,350.41	26.03	0.31%
लोक उद्यम विभाग (डीपीई)	19.38	18.69	0.69	3.56%	20.42	17.09	3.33	16.31%
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय								
वाणिज्य विभाग (डीओसी)	5,664.01	5,586.45	77.56	1.37%	4,571.50	4,512.33	59.17	1.29%
<b>कुल</b>	<b>4,81,675.58</b>	<b>4,45,461.42</b>	<b>36,214.16</b>	<b>7.52%</b>	<b>4,11,242.98</b>	<b>3,25,830.95</b>	<b>85,412.03</b>	<b>20.77%</b>

स्रोत:- संबंधित वर्षों के विनियोग खाते

\*वर्ष 2017-18 के दौरान आवासन और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय को आवासन और शहरी कार्यों का मंत्रालय बनाकर विलय कर दिया गया था। हालांकि, तुलनात्मक उद्देश्य की पूर्ति हेतु इसे अलग से दर्शाया गया है।

भारत सरकार के उपरोक्त मंत्रालयों/विभागों का कुल व्यय, 2016-17 के दौरान ₹3,25,830.95 करोड़ की तुलना में 2017-18 के दौरान ₹4,45,461.42 करोड़ था जो कि ₹1,19,630.47 करोड़ (36.71 प्रतिशत) अधिक था। 2017-18 के दौरान इन मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए ₹4,45,461.42 करोड़ के कुल व्यय में से 26.30 प्रतिशत व्यय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया था जिसके बाद वित्तीय सेवाएं विभाग तथा उर्वरक विभाग (क्रमशः 23.97 प्रतिशत तथा 20.16 प्रतिशत) आते हैं।

2016-17 की तुलना में 2017-18 के दौरान उपरोक्त मंत्रालयों/विभागों के वास्तविक व्यय में अंतर (वृद्धि/कमी) था। पिछले साल की तुलना में वास्तविक व्यय में न्यूनतम से अधिकतम सीमा तक की वृद्धि तथा कमी 5.47 प्रतिशत<sup>4</sup> तथा 2.76 प्रतिशत<sup>5</sup> से 267.04 प्रतिशत<sup>6</sup> तथा 90.13 प्रतिशत<sup>7</sup> तक क्रमशः देखी गई।

पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 2017-18 के दौरान महत्वपूर्ण रूप से वास्तविक व्यय में वृद्धि वाले मंत्रालय/विभाग रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग,

<sup>4</sup> कोयला मंत्रालय:  $\{(\text{₹}1411.19 \text{ करोड़} - \text{₹}1338.08 \text{ करोड़}) / \text{₹}1338.08 \text{ करोड़}\} * 100$

<sup>5</sup> शहरी विकास मंत्रालय:  $\{(\text{₹}32297.61 \text{ करोड़} - \text{₹}31404.55 \text{ करोड़}) / \text{₹}32297.61 \text{ करोड़}\} * 100$

<sup>6</sup> रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग:  $\{(\text{₹}612.11 \text{ करोड़} - \text{₹}166.77 \text{ करोड़}) / \text{₹}166.77 \text{ करोड़}\} * 100$

<sup>7</sup> इस्पात मंत्रालय:  $\{(\text{₹}437.80 \text{ करोड़} - \text{₹}43.20 \text{ करोड़}) / \text{₹}437.80 \text{ करोड़}\} * 100$

डीआईपीएएम, डीआईपीपी, एचयूपीए तथा एमएसएमई थे। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 2017-18 के दौरान इस्पात मंत्रालय, डीएचआई तथा डीईए के व्यय में उल्लेखनीय कमी देखी गई।

2017-18 के ₹4,81,675.58 करोड़ के कुल बजट प्रावधान पर मंत्रालयों/ विभागों का समग्र अप्रयोज्य बजट, 2016-17 के 20.77 प्रतिशत अप्रयोज्य बजट के सापेक्ष, ₹36,214.16 करोड़ था जो कि कुल अनुदान/विनियोजन का 7.52 प्रतिशत था।

### 1.5 उपयोग प्रमाणपत्र

सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार, सांविधिक निकायों/संगठनों को दिए गए अनुदानों के उपयोग प्रमाणपत्रों (यूसी) को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 12 माह के अंदर संबंधित निकायों/संगठनों द्वारा प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। परिशिष्ट-II में 15 मंत्रालयों/विभागों द्वारा मार्च 2017 तक निर्गत अनुदान के संदर्भ में ₹21,342.11 करोड़ के कुल 7,509 बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों, की स्थिति (मार्च 2018 को) का मंत्रालय/विभाग-वार विवरण दिया गया है, जो उस वित्तीय वर्ष के 12 माह के बाद से बकाया थे जिसमें अनुदान निर्गत किये गए थे। इन ₹21,342.11 करोड़ के 7,509 उपयोग प्रमाणपत्रों के संबंध में, कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है कि राशि वास्तव में उस प्रयोजन के लिए खर्च की गई थी जिसके लिए इसे विधानमंडल द्वारा अनुमोदित/अधिकृत किया गया था। उपयोग प्रमाणपत्रों की उच्च बकाया का होना, निधि के दुष्प्रयोजन और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा है। बकाया उपयोग प्रमाणपत्र की आयु-वार स्थिति नीचे तालिका 1.2 में दी गई है:

तालिका 1.2: बकाया उपयोग प्रमाणपत्र।

(₹ करोड़ में)

वर्ष संख्या में विलम्ब का अंतराल	31 मार्च 2018 को बकाया उपयोग प्रमाणपत्र	
	संख्या	राशि
0-1	2,162	13,722.79
1-5	3,554	7,267.67
5 से अधिक	1,793	351.65
	<b>7,509</b>	<b>21,342.11</b>

तालिका 1.3 में दिए गए, ₹21,342.11 करोड़ की राशि के 7,509 बकाया उपयोग प्रमाणपत्र मुख्य रूप से सात मंत्रालयों/ विभागों से संबंधित हैं। ये कुल बकाया यूसी का 97.71 प्रतिशत है, जो मूल्य में कुल बकाया राशि का 99.60 प्रतिशत है। मार्च 2018 को

सात मंत्रालयों/विभागों से संबंधित बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों, जो महत्वपूर्ण मौद्रिक मूल्य के हैं, की स्थिति नीचे तालिका 1.3 में दी गई है:

**तालिका 1.3: 31 मार्च 2018 को बकाया उपयोग प्रमाणपत्र।**

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग	मार्च 2017 तक	
		संख्या	राशि
1.	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	1,352	17,656.50
2.	वस्त्र मंत्रालय	5,533	2,882.71
3.	पर्यटन मंत्रालय	47	302.05
4.	पोत परिवहन मंत्रालय	32	141.72
5.	वाणिज्य विभाग	28	124.20
6.	भारी उद्योग विभाग	22	75.10
7.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	323	74.23
	<b>कुल</b>	<b>7,337</b>	<b>21,256.51</b>

### 1.6 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) द्वारा लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब

संसद के पटल पर रखे जाने वाले दस्तावेजों की समिति ने अपने पहले प्रतिवेदन (1975-76) में यह अनुशंसा की थी कि प्रत्येक स्वायत्त निकाय (एबी) को लेखा वर्ष (वित्तीय वर्ष) समाप्त होने के तीन माह के अंदर अपने लेखों को अंतिम रूप देना/तैयार कर लेना चाहिए तथा लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। यह सामान्य वित्तीय नियमों, 2017 के नियम 237 में भी निर्दिष्ट है।

निम्न तालिका 1.4 सीएबी द्वारा 2016-17 के लेखे लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराने में विलंब प्रदर्शित करती है:

**तालिका 1.4: लेखा प्रस्तुत करने में विलंब**

विलंब अवधि	एक माह तक का विलंब	एक से तीन माह तक का विलंब	तीन से छः माह तक का विलंब	छः माह से ऊपर का विलंब
सीएबी की संख्या	15	7	6	5

**परिशिष्ट-III** में ऐसे सीएबी का विवरण दिया गया है जिनके लेखे दिसंबर 2017 को तीन माह से अधिक समय से बकाया थे।

### 1.7 संसद के दोनों सदनों के समक्ष सीएबी के लेखापरीक्षित लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब

समिति ने यह भी अनुशासित किया था कि एबी के लेखापरीक्षित लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के अन्दर अर्थात् अगले वित्तीय वर्ष के 31 दिसम्बर तक संसद के समक्ष रखे जायेंगे।

सितम्बर 2018 को लेखापरीक्षित लेखों को संसद के समक्ष रखे जाने की स्थिति को तालिका 1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: संसद में लेखापरीक्षित लेखों को रखे जाने की स्थिति

लेखा वर्ष	सीएबी की संख्या जिन के लेखापरीक्षित लेखों को जारी किया गया लेकिन संसद में प्रस्तुत नहीं किया गया	नियत तिथि के बाद प्रस्तुत किए गए लेखापरीक्षित लेखों की संख्या
2012-13	1	1
2013-14	2	4
2014-15	2	4
2015-16	2	5
2016-17	4	12

ऐसे सीएबी के विवरण जिनके लेखापरीक्षित लेखे संसद के समक्ष नहीं रखे गये या नियत तिथि के बाद रखे गये उनके विवरण क्रमशः परिशिष्ट-IV तथा परिशिष्ट-V में दिये गये हैं।

### 1.8 लेखापरीक्षा प्रमाणन के परिणाम

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित सीएबी के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रमाणित अन्तिम लेखों के साथ सलंगन किये जाते हैं जो कि संबंधित मंत्रालयों द्वारा संसद में प्रस्तुत किये जाते हैं।

सीएबी के वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखों पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ परिशिष्ट- VI में दी गई हैं। 2017-18 के लिए सीएबी के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाई गयी महत्वपूर्ण कमियाँ निम्नवत हैं :-

(क) 10 सीएबी की आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी। (परिशिष्ट-VII)

- (ख) 11 सीएबी की स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।  
(परिशिष्ट-VIII)
- (ग) पाँच सीएबी की वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।  
(परिशिष्ट-IX)
- (घ) चार सीएबी में अनुदानों का लेखांकन वसूली/नकद आधार पर हो रहा था जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखों के समान प्रारूप के अनुसार नहीं पाए गए।  
(परिशिष्ट-X)
- (ङ) 12 सीएबी ने उपदान एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के लिए लेखांकन बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर नहीं किया था। (परिशिष्ट-XI)
- (च) एक सीएबी यानी न्यू मेंगलोर पत्तन न्यास द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
- (छ) लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप पाँच सीएबी के लेखे संशोधित किये गए।  
(परिशिष्ट-XII)

### 1.9 लम्बित एटीएन की स्थिति

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने 17 अगस्त 1995 को संसद को प्रस्तुत अपने 105 वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक-सभा 1995-96) में अनुशंसा की थी कि 31 मार्च 1996 के उपरान्त, सदन के पटल पर प्रस्तुत किए गए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण से चार माह की अवधि के अन्दर, सीएंडएजी के प्रतिवेदन में शामिल सभी पैरों पर अनुवर्ती कार्रवाई टिप्पणियाँ (एटीएन), वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के माध्यम से समिति को प्रस्तुत की जानी चाहिए। तदुपरान्त, व्यय विभाग के अन्तर्गत एक अनुवीक्षण प्रकोष्ठ सृजित किया गया जिसे सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत रूप से जाँचे हुए एटीएन का समन्वयन व संग्रहण करने तथा उन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के संसद में प्रस्तुतीकरण की तिथि से निर्धारित चार माह के अन्दर पीएसी को भेजने का कार्य प्रदान किया गया।

मार्च 2017 को समाप्त हुई अवधि तक संघ सरकार (सिविल) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल पैराग्राफों पर एटीएन की स्थिति की समीक्षा ने दर्शाया कि छः पैरे थे जिन पर एटीएन को मंत्रालयों/विभागों द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करना था। बाद में इन एटीएन को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया, हालांकि किसी भी एटीएन का

30 नवंबर 2018 को निपटान नहीं किया गया था तथा वे संबंधित मंत्रालयों/विभागों से पत्राचार के विभिन्न चरणों में थे।

30 नवम्बर 2018 को बकाया एटीएन के वर्षवार विवरण परिशिष्ट-XIII में इंगित हैं।

#### 1.10 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालयों/विभागों का प्रत्युत्तर

वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने पीएसी की अनुशंसाओं पर जून 1960 में सभी मंत्रालयों को सीएंडएजी के प्रतिवेदन में शामिल किये जाने हेतु प्रस्तावित ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर अपने प्रत्युत्तर छः सप्ताह के अन्दर भेजने का निर्देश जारी किया। यह समयसीमा, सीएंडएजी द्वारा बनाये गये लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम 2007 के पैरा 207(1) में भी निर्दिष्ट है। ड्राफ्ट पैराग्राफ संबंधित मंत्रालयों/विभागों को लेखापरीक्षा परिणामों पर ध्यान आकर्षित करते हुए तथा छः सप्ताह में अपने प्रत्युत्तर भेजने के अनुरोध के साथ अग्रेषित किये जाते हैं। इस प्रतिवेदन में 24 लेखापरीक्षा पैराग्राफ हैं। संबंधित मंत्रालयों/विभागों के उत्तर 16 पैराग्राफों के संबंध में प्राप्त हुए हैं। प्राप्त प्रत्युत्तरों को यथोचित रूप से प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है (सितम्बर 2019)।

## अध्याय II: रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

### राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान

#### 2.1 राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाइपर) की स्थिति की समीक्षा

##### 2.1.1 भूमिका

भारत सरकार ने नाइपर अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान में गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु मोहाली में राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाइपर) की स्थापना की। संस्थान का उद्देश्य औषधीय शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री, डॉक्टरेट एवं पोस्ट डॉक्टरेट पाठ्यक्रम तथा औषधीय शिक्षा में अनुसंधान पर ध्यान देना था। संस्थान को औषधीय शिक्षा के विज्ञान और कला में अध्यापकों में नवपरिवर्तन लाना व उन्हें प्रशिक्षित करना था तथा औषधीय शिक्षा क्षेत्रों में नए ज्ञान के सृजन व विद्यमान जानकारी के प्रसार में सहायता करना था। इसे व्यवसाय, शिक्षा एवं औषधीय उद्योग के हितों को साधने हेतु औषधीय जनशक्ति के अनुसंधान व प्रशिक्षण कराने हेतु बहु-विषयी दृष्टिकोण भी विकसित करना ध्येय था।

नाइपर अधिनियम को तदुपरान्त 2007 में संशोधित किया गया तथा उसके अनुसार केंद्र सरकार ने छः नये नाइपरस हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, रायबरेली एवं हाजीपुर में स्थापित करने हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया (अगस्त 2007), जिन्होंने 2007-08 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था। नाइपरस औषध विभाग (डी ओ पी), रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (एम ओ सी एफ) के अन्तर्गत स्वायत्त निकायों के रूप में कार्य कर रहे हैं। 2007-08 से 2017-18 के दौरान सात नाइपरस में प्रत्येक को संस्वीकृत अनुदान और जारी धनराशि तथा किये गये व्यय का विवरण **अनुलग्नक-1** में दर्शाया गया है।

##### 2.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदण्ड, क्षेत्र एवं कार्यविधि

अधिनियम के तहत विहित सरकारी संरचना है कि नहीं और पर्याप्त ढांचागत सुविधाएँ, शिक्षक (संकाय) तथा तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्मचारी नाइपर के लिए उपलब्ध थे कि नहीं एवं अधिनियम के तहत परिकल्पित उद्देश्य प्राप्त हुआ कि नहीं, को पता करने के लिए अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। लेखापरीक्षा मानदण्ड, नाइपर अधिनियम तथा

सम्बन्धित सांविधिक एवं नियम पुस्तिकाओं, बोर्ड आफ गवर्नरस(बीओजी)/ स्टीयरिंग समिति की बैठकों के कार्यवृत्त, नाइपर तथा संबंधित राज्य सरकारों के बीच करार, प्रतिपालक संस्थान एवं संबंधित राज्य सरकारों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) तथा सातों नाइपरस एवं डीओपी/ एमओसीएफ के संगत अभिलेखों से प्राप्त किये गये थे। लेखापरीक्षा ने 2007-08 से 2017-18 की अवधि के अभिलेखों की जाँच की।

## 2.2 लेखापरीक्षा परिणाम

### 2.2.1 छः नये नाइपरस में बोर्ड आफ गवर्नरस (बीओजी) गठित नहीं करना

नाइपर अधिनियम के खण्ड 8(1) के अनुसार नाइपर के मामलों की सामान्य अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण बीओजी के पास होगा। इन संस्थानों की स्थापना के परिकल्पित उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने एवं कुशल संचालन एवं सुचारू शासन के लिए बीओजी की स्थापना जरूरी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि बोर्ड ऑफ गवर्नरस संस्था के लिए सबसे ऊँचा उत्तरदायी निकाय था, इस तथ्य के बावजूद, मंत्रालय द्वारा छः नये नाइपरस में बीओजी के गठन की प्रक्रिया संस्थानों की स्थापना से आठ वर्ष से ज्यादा विलंब के बाद अंततः जुलाई 2015 से शुरू हुई। बीओजी की अनुपस्थिति में सचिव (रसायन एवं औषधि) की अध्यक्षता में संचालन समिति<sup>1</sup>(एससी) ने सभी नए नाइपरस के लिए बीओजी के कार्यों का निर्वहन किया। बीओजी नाइपर, मोहाली का पुर्नगठन जून 2014 में होना था पर वास्तव में दो साल के विलम्ब के साथ जुलाई 2016 में यह पुनर्गठित की गयी।

मंत्रालय ने कहा (मार्च 2019) कि नाइपर अधिनियम, 1998 के अनुसार 9 मार्च 2019 को छः नए नाइपरस नामतः अहमदाबाद, हाजीपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता और रायबरेली में बीओजी का गठन किया जा चुका है। बीओजी के गठन में देरी के कारणों पर मंत्रालय का उत्तर मौन था। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रत्येक संस्थान में समर्पित बीओजी नहीं होने के कारण नए नाइपरस में स्थाई आधारभूत संरचना, प्राध्यापक कर्मचारी इत्यादि की कमी है जिसकी अनुगामी पैराग्राफ में चर्चा की गयी है।

---

<sup>1</sup> एमओसीएफ द्वारा स्टीयरिंग समिति का गठन, दिसम्बर 2007 में, जब तक प्रत्येक नाइपर के लिए बीओजी का गठन न हो जाये, सभी नाइपरस के काम काज पर नजर रखने एवं नीतिगत निर्णय लेने के लिए किया गया था।

## 2.2.2 आधारभूत संरचना सुविधाओं एवं जनशक्ति की पर्याप्तता

### 2.2.2.1 नियमित कैम्पस और परिसर का अभाव

एमओसीएफ द्वारा नवम्बर 2008 में छः नाइपरस के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किया गया, तदुपरान्त दिसम्बर 2010 तथा जनवरी 2011 में संशोधित किया गया और कुल लागत ₹2778.21 करोड़ प्रस्तावित की गई। व्यय वित्त समिति (इएफसी) ने भूमि की उपलब्धता के विषयाधीन, कुल ₹633.15 करोड़ की पूंजीगत लागत पर सरकारी वित्त पोषण के माध्यम से चरण-1 (चरण-1 में स्थायी आधारभूत संरचना सुविधाओं का निर्माण शामिल है) में छः नाइपरस की स्थापना का अनुमोदन (जनवरी 2011) दिया। प्रस्ताव, संघीय कैबिनेट द्वारा सितम्बर 2011 में अनुमोदित किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि स्थापना के दस वर्ष से ज्यादा बीतने के बाद भी छः नये नाइपरस में से कोई भी अपने नियमित कैम्पस या परिसर में संचालित नहीं हो रहा था। नाइपर अहमदाबाद अस्थाई भवन में कार्य कर रहा था जबकि दूसरे नए पाँच नाइपरस निर्दिष्ट मॅटर संस्थान<sup>2</sup> (नाइपर गुवाहाटी को छोड़कर जोकि अगस्त 2017 में निजी किराए के कैम्पस में स्थानांतरित हो गया था) से संचालित हो रहा था। मंत्रालय द्वारा संस्थानों के लिए स्थाई कैम्पस की व्यवस्था करने में देरी हुई जिसने विद्यार्थियों एवं शिक्षण स्टाफ के लिए उत्कृष्ट आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता को बुरी तरह प्रभावित किया। भूमि आवंटन एवं स्थाई कैम्पस के निर्माण की स्थिति को निम्न तालिका 2.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1: भूमि आवंटन एवं स्थायी परिसर के निर्माण की स्थिति

नाइपर का नाम	आबंटित भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)	भूमि आवंटन की तिथि	प्रारम्भिक लागत अनुमान (₹करोड़ में)	स्थिति
मोहाली	खुद का परिसर	खुद का परिसर	लागू नहीं	लागू नहीं

<sup>2</sup> नाइपर गुवाहाटी गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी (2 नवम्बर 2016 तक); नाइपर, हाजीपुर-राजेन्द्र मेमोरियल रिसर्च संस्थान मेडिकल साइंस, पटना; नाइपर, हैदराबाद-सीएसआईआर-भारतीय रसायन तकनीकी संस्थान, हैदराबाद; नाइपर कोलकाता-सीएसआईआर भारतीय रसायन जीवविज्ञान संस्थान, कोलकाता; और नाइपर, रायबरेली-सीएसआईआर केन्द्रीय ड्रग अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।

गुवाहाटी	89	मार्च 2008	159.69 (दिसम्बर 2014)	भूमि आवंटन के सात वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद मार्च 2018 तक भवन निर्माण मात्र 43.45 प्रतिशत ही पूरा हुआ है।
अहमदाबाद	60	अप्रैल 2009	198.87 (सितम्बर 2011)	₹198.87 करोड़ (2011) का प्रारम्भिक अनुमान बढ़ाकर (सितम्बर 2015) ₹497.40 करोड़ कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप लागत ₹298.53 करोड़ बढ़ गई जो अभी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होनी बाकी थी।
हैदराबाद	50	जनवरी 2014	499.24 (मई 2016)	भूमि की पट्टा अवधि दिसम्बर 2017 में समाप्त हो गयी परन्तु नाइपर हैदराबाद द्वारा उसको विस्तारित कराने हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया।
रायबरेली	48.57	मई 2013	अभी अन्तिम रूप नहीं	पीएमसी अभी तक तय नहीं हुई थी तथा निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ था।
कोलकाता	10	जनवरी 2018	अभी अन्तिम रूप नहीं	प्रारम्भ में पश्चिम बंगाल सरकार (जीओडब्ल्यू) ने बरूईपुर में 35 एकड़ भूमि नाइपर कोलकाता को आबंटित (जुलाई 2009) की थी, जो कि जुलाई 2017 में नाइपर द्वारा विकास लागत के भुगतान न करने के कारण तथा नाइपर द्वारा साझा क्षेत्र के लिए 10 एकड़ भूमि छोड़ने के अनिच्छुक होने के कारण, निरस्त कर दिया गया। पुनः जनवरी 2018 में, जीओडब्ल्यू ने 10 एकड़ भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया।
हाजीपुर		भूमि अभी तक आबंटित नहीं	लागू नहीं	संस्थान द्वारा प्रतिरूप योजना प्रस्तुत न करने के कारण राज्य सरकार ने भूमि आवंटन नहीं किया।

मंत्रालय ने कहा (मार्च 2018) कि वह, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ, भवन निर्माण के लिए पर्याप्त धन के निर्गम के लिए सतत प्रयासरत है। मंत्रालय ने आगे कहा (मार्च 2019) कि केवल नाइपरस अहमदाबाद व गुवाहाटी के नियमित परिसर के निर्माण हेतु प्रत्येक के लिए ₹103.88 करोड़ स्वीकृत किये गए हैं। नाइपर गुवाहाटी का

60 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है जबकि नाइपर अहमदाबाद परिसर का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ होगा।

मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि पिछले दस वर्षों से संस्थान किराए के परिसरों से संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा, शेष चार नाइपरस (हैदराबाद, हाजीपुर, कोलकाता और रायबरेली) हेतु नियमित परिसर के निर्माण का अनुमोदन अभी तक मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया है।

### 2.2.2.2 नियमित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारियों की भर्ती न होना

छः नये नाइपरस में किसी के पास भी, निदेशक को छोड़कर कोई स्थायी शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी नहीं था। संस्थानों के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक क्रियाकलाप पूर्णतः ठेके पर नियुक्त कर्मचारी/संकाय के माध्यम से चल रहे थे। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि निदेशक को छोड़ कर छः नये नाइपरस में कोई भी पद, एमओसीएफ द्वारा मार्च 2018 तक स्वीकृत नहीं किये गये थे। मानदंडों के अनुसार भर्ती, मंत्रालय द्वारा शैक्षणिक एवं प्रशासनिक नियमित पदों की स्वीकृति के बाद ही की जा सकती थी।

नियमित स्वीकृत पदों एवं स्थाई प्राध्यापक/संकाय के न होने के कारण प्राध्यापकों एवं उपलब्ध कर्मचारियों की गुणवत्ता और नाइपरस में संविदात्मक कर्मचारियों की नियुक्ति में पारदर्शिता को लेखापरीक्षा निश्चित नहीं कर सकता। अस्थाई नियुक्ति करने के समय पदों की संख्या एवं वर्ग को निर्धारित करने के आधार में एकरूपता नहीं थी। नाइपर, हैदराबाद ने संकाय-विद्यार्थी का अनुपात 1:12 अनुगमन किया जब कि अहमदाबाद ने 1:8 का (एआईसीटीई मानदंड) अनुगमन किया। कोलकाता गुवाहाटी, रायबरेली और हाजीपुर में शैक्षिक एवं अशैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति आवश्यकता के आधार पर की गई।

मंत्रालय ने कहा (मार्च 2018) कि नियमित शैक्षिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से नियुक्त किए जाते हैं। आगे यह कहा गया (मार्च 2019) कि व्यय विभाग ने फरवरी 2019 में छः नाइपरस में 156 पद संकाय कर्मचारियों और 150 पद गैर-संकाय कर्मचारियों का अनुमोदन किया। उनके नियुक्ति नियम पूरा होने के क्रम में है।

मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य से देखना जरूरी है कि यद्यपि गत दस वर्षों से नए नाइपरस कार्य कर रहे हैं, मंत्रालय कार्यविधित औपचारिकता पूरा करने में असफल रहा और इसलिए नए नाइपरस में स्थाई योग्य संकाय और कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे।

### 2.2.2.3 संविदात्मक कर्मचारियों की नियुक्ति एवं नियमितीकरण

नाइपर की संविधि के खण्ड 6 के अनुसार, नाइपर, मोहाली संविदा के आधार पर नियुक्ति कर रहा था। एमओसीएफ ने दिनांक 3 जुलाई 2014 को अधिसूचना जारी कर, यह निर्दिष्ट करने के लिए, खण्ड 6 में संशोधन किया कि, नाइपर नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए एक नीति अपनाती है तथा नाइपर, मोहाली के अनुमोदन से गठित एक उच्चस्तरीय समिति(एचएलसी) विद्यमान संविदा आधारित कर्मचारियों की अनुशंसा एवं नियमितीकरण कर सकती है।

दिसम्बर 2015 एवं फरवरी 2017 के बीच एचएलसी ने 151 संविदा-आधारित कर्मचारियों में से 140 के नियमितीकरण के लिए अनुशंसा की। 132 को बिना किसी शर्त के नियमितीकरण के लिए अनुशंसा की तथा शेष आठ के नियमितीकरण के लिए भी, न्यायालय के निर्णय एवं सीबीआई अन्वेषण के परिणाम के विषयाधीन, अनुशंसा की। शेष 11 कर्मचारियों के संदर्भ में, समिति ने उनकी आरम्भिक नियुक्ति में अनियमितता पाई, और अनुशंसित किया कि उन मामलों को बीओजी के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किए जाए।

नियमितीकरण से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच निम्नलिखित दर्शाती है:

- (i) नियमितीकरण के पूर्व, मंत्रालय के निर्देश के संदर्भ में सभी 140 मामलों की पुनः जाँच के लिए, बीओजी के स्पष्ट निर्देश के बावजूद, संस्थान ने आठ कर्मचारियों, जिनके विरुद्ध न्यायालय/ सीबीआई मामले लंबित थे, को नियमित (अप्रैल 2017) कर दिया।
- (ii) आगे उन 11 कर्मचारियों के मामलों में जिसमें एचएलसी ने अनियमितताएँ पायी थी, बीओजी ने, ग्यारह में से सात कर्मचारियों को, उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रलेखों के आधार पर नियमित करने हेतु मंत्रालय (मई/ जून 2017) को अनुशंसा की। हालाँकि इन सात कर्मचारियों के नियमितीकरण के आदेश को, इन कर्मचारियों द्वारा दायर मुकदमों (मई 2017) के निस्तारित होने तक, रोक लिया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बीओजी द्वारा मंत्रालय को नियमितीकरण के लिए अनुशंसित सात मामलों में से, एक मामले में, एक कर्मचारी एम कॉम उपाधि होने के बावजूद औषधि विभाग में सह-आचार्य था। जबकि आवश्यक अर्हता, विज्ञान/ औषधि या अभियांत्रिकी में एक स्नातक उपाधि थी, अन्य मामले में, बोर्ड ने, आईसीएमआर (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद) के दिशानिर्देशों के आधार पर वैज्ञानिक ग्रेड-1 तथा कनिष्ठ

तकनीकी सहायक के पदों के लिए आवश्यक अर्हता में शिथिलता प्रदान की थी, हालांकि आईसीएमआर नियम न तो संविधि/ अध्यादेश में अपनाया गया था और न ही नाइपर मोहाली की भर्ती नीति में शामिल किया गया था।

मंत्रालय ने कहा (मार्च 2018/मार्च 2019) कि यद्यपि नाइपर, मोहाली को भर्ती प्रक्रिया में नाइपर अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए उत्तरदायित्व तय करने के लिये निर्देश (अप्रैल 2016) दिया गया था, संबंधित अधिकारियों पर उत्तरदायित्व और जवाबदेही तय करना व्यावहारिक रूप से असंभव है क्योंकि वे या तो बहुत पहले ही संस्थान छोड़ चुके हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि मोहाली में कर्मचारियों की नियुक्ति एवं नियमितीकरण में चूक हुई एवं पारदर्शी नियुक्ति के अभाव में लेखापरीक्षा संस्थान के उपलब्ध शिक्षण स्टाफ एवं कर्मचारियों की गुणवत्ता पर आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका।

### 2.2.3 नाइपरस की शैक्षणिक उपलब्धि

सभी नाइपरस में 2007-08 से 2017-18 तक नामांकित विद्यार्थियों, परिकल्पित सीटों की संख्या, शामिल होने वाले विद्यार्थियों एवं वे जिन्होंने कोर्स पूरा किया, का विवरण निम्नलिखित तालिका 2.2 में है:

**तालिका 2.2: 2007-08 से 2017-18 तक नामांकित विद्यार्थियों का विवरण**

नाइपर का नाम	प्रारंभ में परिकल्पित (1)	शामिल विद्यार्थी (2)	शामिल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत (3)=(2)/(1)	पूरा किया गया कोर्स (4)	कोर्स पूरा करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत(5)=(4)/(2)
अहमदाबाद	779	596	77	563	94
गुवाहाटी	370	333	90	332	99
हाजीपुर	511	403	79	385	96
हैदराबाद	1080	1055	98	1025	97
कोलकाता	572	470	82	469	99
मोहाली	3036 <sup>#</sup>	2980	98	2785	93
रायबरेली	392	352	90	343	97

<sup>#</sup>पीएचडी कोर्स के लिए शामिल विद्यार्थियों की संख्या से संबंधित आँकड़ों के अभाव में नामांकित वास्तविक विद्यार्थियों को ही परिकल्पित संख्या के रूप में लिया गया है। कोर्स पूरा करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कोर्स के लिए अनुकरण करने वाले विद्यार्थी शामिल थे।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 2007 से 2018 तक सभी नाइपरस में 77 प्रतिशत से 98 प्रतिशत सीटें भर गई थी और 90 प्रतिशत से ज्यादा विद्यार्थियों ने कोर्स पूरा किया।

### 2.2.3.1 विद्यार्थियों का स्थानन

नाइपरस की उपलब्धि का मानदंड कोर्स को पूरा करने के बाद विद्यार्थियों का स्थानन होगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि स्वतंत्र, पूरी तरह विकसित स्थाई कैम्पस, स्थाई प्रशिक्षण एवं स्थानन अधिकारी की अनुपलब्धता और संस्थानों के आस-पास औषधीय कम्पनियों की कमी ने नाइपरस में स्थानन को प्रभावित किया जोकि 2007-18 के दौरान कम रहा। नाइपर, हैदराबाद को छोड़कर जोकि विद्यार्थी के स्थानन में लगातार अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर रहा था और जहाँ विद्यार्थियों का स्थानन लगभग 80 प्रतिशत था, अन्य नाइपरस में स्थानन की प्रवृत्ति बेहद अनियमित थी जो कि वर्षवार 22 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक थी।

मंत्रालय ने कहा (मार्च 2018) कि आधारभूत व्यवस्थाएँ जैसे कि प्रयोगशाला, पुस्तकालय में सुधार और ज्यादा संविदात्मक/स्थाई शिक्षण स्टाफ एवं कर्मचारियों की नियुक्ति से स्थानन की संभावना बढ़ सकती है। आगे यह कहा गया (मार्च 2019) कि संचालन समिति ने संविदात्मक आधार पर नाइपरस को स्थानन अधिकारी की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया विकसित करने का निर्देश दिया है (जून 2018)। मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा अवलोकन का समर्थन करता है कि नाइपरस में आधारभूत व्यवस्थाओं की कमी और शिक्षण स्टाफ/कर्मचारियों की कमी के कारण विद्यार्थियों के स्थानन में कमी आई। इसके अलावा, नए नाइपरस के कामकाज के दस साल से अधिक समय बाद ही मंत्रालय द्वारा स्थानन अधिकारी की आवश्यकता पर विचार किया गया।

### 2.2.3.2 शोध पत्र और दर्ज पेटेंट

अनुमोदित पेटेंटों की संख्या के अलावा, प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या और इस तरह के शोध के प्रभाव नाइपरस की शैक्षणिक उपलब्धियों के मापदंड हैं। नाइपरस ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पत्रिकाओं जैसे यूरोपियन जर्नल ऑफ फार्मास्युटिक्स एंड बायोफार्मास्युटिक्स, जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, ट्रैक ट्रेंड्स इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, इंडियन जर्नल ऑफ फार्मास्युटिकल साइंसेज, इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी आदि में शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। नीचे दी गई तालिका 2.3 2007-18 के दौरान नाइपरस में छात्रों इत्यादि द्वारा प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या का विवरण दर्शाती है

तालिका 2.3: 2007-08 से 2017-18 तक प्रति छात्र प्रकाशित शोध पत्रों एवं दर्ज कराये गए पेटेंटों की संख्या का विवरण

नाइपर का नाम	प्रकाशित शोध पत्र	दर्ज हुए पेटेंट	पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या	प्रति छात्र प्रकाशित शोध पत्र की संख्या	प्रति छात्र दायर किये गए पेटेंट की संख्या
मोहाली	2279	179 (45 प्राप्त)	2785	0.81	0.06
हैदराबाद	300	14	1025	0.29	0.01
अहमदाबाद	189	3	563	0.33	0.005
गुवाहाटी	132	0	332	0.39	0
हाजीपुर	55	0	385	0.14	0
कोलकाता	54	0	469	0.11	0
रायबरेली	38	0	343	0.11	0

प्रकाशित किए गए शोध पत्रों की संख्या और दर्ज कराये गए पेटेंट में नाइपरस, मोहाली के अलावा अन्य नाइपरस का प्रदर्शन उत्साहवर्धक नहीं था। नाइपर मोहाली ने पूर्ण संख्या में अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए और प्रति छात्र प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या भी अधिक थी। इसने 179 पेटेंट के लिए आवेदन किया और 45 पेटेंट प्राप्त किए, जिनमें से सात का व्यवसायीकरण किया गया। नाइपरस मोहाली के अलावा केवल अन्य दो नाइपरस ने पेटेंट दायर किया। मंत्रालय ने नाइपरस द्वारा किए गए शोध के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए कोई मानदंड तय नहीं किया।

अनुसंधान के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए लेखापरीक्षा ने पत्रिकाओं के इम्पैक्ट फैक्टर<sup>3</sup> की समीक्षा की जिसमें नाइपर मोहाली के शोध पत्र प्रकाशित किए गए थे (यह सभी नाइपरस द्वारा प्रकाशित कुल शोध पत्रों का लगभग 75 प्रतिशत था)। प्रबंधन ने पत्रिकाओं का इम्पैक्ट फैक्टर प्रदान किया जिसमें नाइपर मोहाली<sup>4</sup> के 1958 पत्र प्रकाशित किये गए (फरवरी 2019 तक प्रकाशित 2495 पत्रों में से) 190 पेपर

<sup>3</sup> किसी दिए गए वर्ष में इम्पैक्ट फैक्टर पूर्ववर्ती 2 वर्षों के दौरान उस पत्रिका में प्रकाशित प्रति पेपर के प्राप्त उद्धरणों की औसत संख्या है।

<sup>4</sup> स्रोत: स्कोपस जो वैज्ञानिक पत्रिकाओं, किताबों और सम्मेलन की कार्यवाही का एक सार उद्धरण डेटाबेस है, जिसे एलसेवियर द्वारा बनाए रखा गया है, और पबमेड डेटाबेस जिसमें समकक्ष समीक्षित बायोमेडिकल साहित्य के सार शामिल हैं और यह यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में स्थित नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलोजी इनफार्मेशन के द्वारा बनाए रखा गया है।

(10 प्रतिशत) पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए जिसके इम्पैक्ट फैक्टर 5 से अधिक थे, 1591 पेपर (81 प्रतिशत) 1 से 5 के बीच इम्पैक्ट फैक्टर वाली पत्रिकाओं में एवं 177 पत्र (9 प्रतिशत) 1 से कम इम्पैक्ट फैक्टर वाली पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए।

मंत्रालय ने कहा कि (मार्च 2018/मार्च2019) एक बार आधारभूत संरचना जैसे कि प्रयोगशाला/उपकरण/नियमित कर्मचारी आ जाएँ, जिसे कि धनराशि की कमी के कारण विकसित नहीं किया जा सका, पेटेंट/शोध पत्रों की संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी होगी। आगे यह कहा गया (अप्रैल 2019) कि अध्यक्ष के रूप में सचिव के साथ एक अंतर विभागीय समिति (आईडीसी) का गठन जनवरी 2019 में किया गया, जो समय-समय पर, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के तहत विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा किये गए शोध कार्यों की सहयोगपूर्ण, समक्रमिक एवं सहक्रिय तरीके से समीक्षा और समन्वय करता है, ताकि अनुसंधान के संचालन में धनराशि का अनुकूलतम उपयोग हो और प्रयासों और संसाधनों के दोहराव से बचा जा सके।

मंत्रालय का उत्तर आगे इस तथ्य को स्थापित करता है कि नए नाइपरस की स्थापना के दस साल के बाद भी मंत्रालय की आवश्यक आधारभूत संरचना स्थापित करने में असमर्थता के कारण नाइपरस के तय लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी।

## 2.2.4 वित्तीय प्रबंधन

### 2.2.4.1 आंतरिक स्रोतों से पर्याप्त निधि का उत्पन्न न किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2005 के नियम 208 (III) तथा जीएफआर, 2017 के नियम 229 (IV) के प्रावधानों के अनुसार, नये अथवा पहले से ही विद्यमान सभी स्वायत्त संगठनों को आंतरिक संसाधनों के अधिकतम जनन हेतु और अंततः आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एमओसीएफ ने निर्देश दिया कि (जुलाई 2017) सरकार संस्थानों को अनिश्चित काल के लिए निधि देना जारी नहीं रख सकती तथा उन्हें अपने स्वयं के संसाधन उत्पन्न करने होंगे। इसके बाद से, वेतन पर व्यय के केवल एक हिस्से की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा शेष संकाय द्वारा स्वयं परामर्श, परियोजनाओं आदि द्वारा अर्जित करने की आवश्यकता होगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थाएँ मुख्य रूप से एमओसीएफ के द्वारा दिये गए अनुदान से वित्तपोषित थी तथा व्यय का केवल एक छोटा सा हिस्सा उनके स्वयं के राजस्व से पूरा किया गया था, जिसे तालिका 2.4 में देखा जा सकता है:-

**तालिका 2.4: 2007-08 से 2017-18 के दौरान नाइपरस में स्वयं के राजस्व से किए गए कुल व्यय का प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण**

नाइपर का नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
मोहाली	लागू नहीं	24	24	27	24	24	18	18	16	14	16
अहमदाबाद	6	6	7	16	18	20	18	20	11	7	6
हैदराबाद	5	1	4	9	9	6	7	13	8	10	15
हाजीपुर	4	6	9	7	30	14	6	7	2	7	7
गुवाहाटी	लागू नहीं	8	8	23	17	4	9	11	1	3	1
रायबरेली	लागू नहीं	2	3	6	9	10	13	10	8	11	8

इस प्रकार संस्थाएँ जीएफआर और मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार आंतरिक स्रोतों से पर्याप्त निधि का उत्पादन करने में विफल रही। यह भी पाया गया कि उपलब्ध और आंतरिक उत्पन्न राजस्व से अधिक वास्तविक व्यय के कारण, नाइपर मोहाली आवश्यक निधि का स्थानांतरण इसकी पेंशन निधि में नहीं कर सका।

मंत्रालय ने कहा (मार्च 2018) कि वेतन एवं कार्यालय व्यय के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि के लिए प्रस्ताव व्यय विभाग को भेजा गया था जिसमें नाइपर मोहाली के लिए माँगे गये धन का आवंटन नहीं किया गया। संस्थाओं को निधि हेतु आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए गए प्रयासों एवं प्रस्तावित रोड मैप के बारे में मंत्रालय का उत्तर मौन है।

#### 2.2.4.2 वार्षिक लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सदन के पटल पर रखे गये पत्रों पर समिति ने अपने पहले प्रतिवेदन (पाँचवी लोकसभा) 1975-76 में अनुशंसित किया कि प्रत्येक स्वायत्तशासी निकाय को लेखा वर्ष समाप्त होने के तीन माह के अन्दर अर्थात् 30 जून तक अपने लेखे पूर्ण कर लेने चाहिए तथा लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराने चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थानों का लेखा प्रस्तुत करने में काफी देरी हुई जैसा कि तालिका 2.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.5: लेखा प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

नाइपर का नाम	वर्षों की संख्या जिसमें लेखे विलम्ब से प्रस्तुत किये गये	लेखा प्रस्तुतीकरण में विलम्ब
हैदराबाद	10 (2007-08 से 2016-17)	10 माह से 79 माह
हाजीपुर	10 (2007-08 से 2016-17)	6 माह से 68 माह
कोलकाता	10 (2007-08 से 2016-17)	1 माह से 41 माह
रायबरेली	9 (2008-09 से 2016-17)	1 माह से 44 माह
अहमदाबाद	6 (2011-12 से 2016-17)	9 दिन से 30 माह
गुवाहाटी	8 (2008-09 से 2011-12 और 2013-14 से 2016-17)	2 माह से 23 माह
मोहाली	3 (2014-15, 2015-16, 2016-17)	3 दिन से 16 माह

नाइपरस द्वारा खातों को समय पर जमा करने से संबंधित मुद्दे पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा फरवरी 2018 को चर्चा की गई जिसमें यह निर्देश दिया गया कि वार्षिक लेखों के विवरण के साथ वार्षिक रिपोर्ट समय पर संसद में रखी जाए।

मंत्रालय ने कहा कि (मार्च 2019) संचालन समिति ने नाइपरस को निर्देश दिया कि वार्षिक लेखे सदन के पटल पर रखने हेतु समय पर भेजें। छ: नाइपरस के बीओजी गठन किये गए तथा यह उम्मीद की जाती है कि नाइपरस के वार्षिक लेखे को समय पर रखा जाएगा। मंत्रालय का जवाब इस तथ्य को साबित करता है कि बीओजी के गठन नहीं होने के कारण संस्थानों के प्रबंधन में कमियाँ पैदा की और संस्थानों के लेखों को समय पर जमा करने में देरी एक ऐसा उदाहरण था।

#### 2.2.4.3 प्रशिक्षण कार्यकाल से पहले छोड़ने वाले विद्यार्थियों से छात्रवृत्ति वापस न लेने के कारण निष्फल व्यय

नाइपर अधिसूचना 2005 के अनुसार, एमएस, एमटेक, और पीएचडी कोर्स करने वाले विद्यार्थी छात्रवृत्ति हेतु योग्य हैं। हालांकि नाइपर द्वारा व्यक्तिगत बांड के रूप में कोई भी सुरक्षा उपाय नहीं किया गया जिससे कि यदि कोई विद्यार्थी कोर्स को छोड़कर जाता है या निष्कासित होता है तो छात्रवृत्ति पर खर्च राशि ऐसे विद्यार्थी से वसूली जा सके।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 2007-18 के दौरान नाइपर अहमदाबाद में एमएस फार्मा कोर्स करने वाले 550 विद्यार्थियों एवं पीएचडी कोर्स वाले 46 विद्यार्थियों में से क्रमशः 40 और 11 विद्यार्थियों ने कोर्स पूरा नहीं किया और बीच में ही छोड़कर चले गए। परिणामस्वरूप, इन विद्यार्थियों को दी गई ₹41.30 लाख की छात्रवृत्ति व्यर्थ हो गई। उसी तरह से नाइपर मोहाली, हैदराबाद और रायबरेली ने क्रमशः 2004-18, 2007-16 और 2012-18 के दौरान क्रमशः 41 विद्यार्थियों, 18 विद्यार्थियों एवं 7 विद्यार्थियों पर छात्रवृत्ति के लिए ₹33.30 लाख, ₹5.13 लाख और ₹2.63 लाख का व्यर्थ व्यय किया।

मंत्रालय ने कहा (मार्च 2018/मार्च 2019) कि वसूली की संभावना को भारतीय तकनीकी संस्थान के नियमों के आलोक में देखा जा रहा है। संचालन समिति ने फैसला किया (दिसम्बर 2017) कि यदि विद्यार्थी संस्थान छोड़ते हैं तो फीस लौटाई नहीं जाएगी और विद्यार्थियों को उनके द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति की पूरी राशि लौटानी होगी। साथ ही जमानत की राशि बढ़ाकर ₹10,000 से ₹25,000 कर दी गई। मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि इस प्रकार के सुरक्षा उपायों में कमी के कारण संस्थान छोड़ चुके विद्यार्थियों को दिए गए ₹41.30 लाख वसूल नहीं किए जा सके।

### 2.3 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2019 तक छः नए नाइपरस में बीओजी का गठन नहीं किया गया था और संचालन समिति बीओजी के कार्यों का निर्वहन कर रही थी। नाइपर, मोहाली में बीओजी को दो वर्ष की देरी से पुनर्गठित किया गया। समर्पित शासकीय संरचना, नियमित शैक्षिक कर्मचारी और पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं के अभाव में, संस्थान देश में औषधीय शिक्षा को एक महत्वपूर्ण तरीके से अग्रसर करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं, जो प्रकाशित शोध पत्रों एवं देय पेटेंट के खराब प्रदर्शन और छात्रों के खराब स्थानन में परिलक्षित हुआ है।

### 2.4 अनुशंसाएँ

- मंत्रालय और नाइपरस को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए कि नाइपरस के समुचित संचालन के लिए आवश्यक अवसंरचना जल्द से जल्द पूरी हो।
- मंत्रालय द्वारा संकाय के लिए भर्ती नियम जल्द से जल्द अधिसूचित किए जाने चाहिए।

- स्पष्ट रूप से उत्पादन लक्ष्य और प्रदर्शन मानकों को पूरा करने के लिए मंत्रालय तथा नाइपरस के बीच एमओयू किया जाना चाहिए।

मंत्रालय ने अनुशंसाओं को स्वीकार किया (जुलाई 2019) और आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया।

### अध्याय III: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

#### 3.1 कार्यालय स्थान के निष्प्रयोजन के कारण ₹5.04 करोड़ का परिहार्य व्यय

एनएफआरए और एनएफआरएए के परिचालित नहीं होने के कारण 22,875.91 वर्ग फुट माप के स्थान में से द्वितीय तल पर 7,203 वर्ग फुट माप के स्थान का उपयोग (सितंबर 2018) मंत्रालय द्वारा नहीं किया जा सका। मंत्रालय ने नवम्बर 2016 से सितंबर 2018 तक की अवधि के लिए संपूर्ण किराया योग्य स्थान के लिए कुल ₹16.04 करोड़ किराए का भुगतान किया। इसमें से ₹5.04 करोड़ 7,203 वर्ग फुट के अप्रयुक्त स्थान से संबंधित हैं। इस प्रकार, मंत्रालय द्वारा वास्तविक जरूरत को सुनिश्चित किये बिना पट्टे पर जगह लेने के परिणामस्वरूप ₹5.04 करोड़ धनराशि का परिहार्य भुगतान किया गया।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (मंत्रालय) ने कार्यालय आवास अपने कार्यालय/यूनिटों जिसमें कि कॉरपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम) योजना, निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए), राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए), राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अपीलीय प्राधिकरण (एनएफआरएए) और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के कार्यालय आवास के लिए 37,917 वर्ग फुट का स्थान किराये पर लेने के लिए खुली निविदा आमंत्रित (जून 2016) की।

तेरह फर्मों से सोलह निविदाएँ प्राप्त हुई थीं। निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन के बाद नौ निविदाओं का वित्तीय निविदा खोलने हेतु चयन किया गया। निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी) ने तकनीकी रूप से योग्य फर्मों के द्वारा प्रस्तुत परिसर को तीन वर्गों में विभाजित किया जैसे कि असुसज्जित (सात फर्म, एल-1 द्वारा ₹140 प्रति वर्ग फुट मासिक किराये का प्रस्ताव दिया गया), अर्धसुसज्जित (एक फर्म, तल की स्थिति के आधार पर, ₹175 प्रति वर्गफुट से ₹350 प्रति वर्ग फुट के बीच मासिक किराये का प्रस्ताव दिया गया) और सुसज्जित (एक फर्म, ₹340.96 प्रति वर्ग फुट की दर से मासिक किराये का प्रस्ताव दिया गया)। सीडीएम और आईईपीएफए (जल्द ही कार्य योग्य बनाने हेतु) के लिए तत्काल कार्यालय स्थान की जरूरत थी। टीईसी का मत (अगस्त 2016) था कि असुसज्जित परिसर की मरम्मत के लिए अधिक समय की जरूरत थी और इसलिए अर्धसुसज्जित परिसर के पक्ष में जाना उचित होगा जिसमें कि जल्द ही कार्यालयों को कार्यशील बनाया जा सकता था और जरूरत के अनुसार मरम्मत कार्य को भी एक साथ किया जा सकता था। आगे, मंत्रालय और संबंधित संगठनों दोनों की विशिष्ट जरूरत और

स्थानीय लाभों पर विचार करने के बाद टीईसी ने अर्धसुसज्जित परिसर के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की निविदा स्वीकार करने की सिफारिश की।

मंत्रालय ने अर्धसुसज्जित परिसर (22,875.91 वर्ग फुट) के लिए एलआईसी द्वारा प्रस्तावित जीवन विहार, पार्लियामेंट स्ट्रीट की निविदा स्वीकार (सितंबर 2016) की। मंत्रालय (अक्टूबर 2016) ने 22,875.91 वर्ग फुट क्षेत्रफल को ₹45.24 लाख लागू कर अतिरिक्त के साथ मासिक किराये के पट्टे पर लेने के लिए करार किया। आईबीबीआई को मयूर विहार में स्थान आबंटित किया गया और अन्य चार कार्यालयों को जीवन विहार भवन में स्थान आबंटित किया गया। कार्यालयों अर्थात् सीडीएम और आईईपीएफए ने उन्हें आबंटित स्थान का उपयोग किया। पट्टे पर करार के एक महीने बाद, मंत्रालय ने प्रस्तावित (नवम्बर 2016) किया कि एनएफआरए/एनएफआरएए के परिचालित नहीं होने के कारण 11,844.07 वर्ग फुट माप के स्थान का एलआईसी को अभ्यर्पण किया जा सकता है। एलआईसी इस प्रस्ताव के साथ असहमत (दिसम्बर 2016) था और उसने कहा कि स्थान का आंशिक अभ्यर्पण संभव नहीं था चूंकि संपूर्ण इकाई एक एकीकृत इकाई थी। इस प्रकार, मंत्रालय के पास बिना किसी वास्तविक जरूरत के संपूर्ण स्थान को रखने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। फिर भी, मार्च 2018 में एनएफआरए को अधिसूचित किया गया और सरकार ने एनएफआरएए के गठन को रद्द करने का निर्णय लिया और इसके सभी कार्यों को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण को हस्तांतरित कर दिया।

दस्तावेजों की जाँच के दौरान पाया गया कि एनएफआरए और एनएफआरएए के परिचालित नहीं होने के कारण 22,875.91 वर्ग फुट माप के स्थान में से द्वितीय तल पर 7,203 वर्ग फुट माप के स्थान का उपयोग मंत्रालय द्वारा नहीं किया जा सकता था। मंत्रालय ने नवम्बर 2016 से सितंबर 2018 तक की अवधि के लिए संपूर्ण किराया योग्य स्थान के लिए कुल ₹16.04 करोड़ किराए का भुगतान किया था। इसमें से ₹5.04 करोड़, 7,203 वर्ग फुट के अप्रयुक्त स्थान से संबंधित हैं। इस प्रकार, मंत्रालय द्वारा वास्तविक जरूरत को सुनिश्चित किये बिना पट्टे पर जगह लेने के परिणामस्वरूप ₹5.04 करोड़ धनराशि का परिहार्य भुगतान किया गया।

इस मामले को मंत्रालय को संदर्भित (सितंबर 2018) किया गया। इसके जवाब में मंत्रालय ने द्वितीय तल पर स्थित (7,203 वर्ग फुट) के स्थान का उपयोग नहीं होने के तथ्य को स्वीकार (सितंबर 2018) किया। मंत्रालय ने आगे कहा कि द्वितीय तल पर स्थित अप्रयुक्त कार्यालय योग्य स्थान का भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) को उनकी उचित मांग को पूरा करने हेतु आबंटित करने का निर्णय लिया

तथा आईबीबीआई का एक हिस्सा अब दूसरी मंजिल, जीवन विहार से कार्य कर रहा है। इसके अलावा, एनएफआरए का संचालन अक्टूबर, 2018 से किया जा रहा था। हालांकि, यह आठवीं मंजिल, एचटी बिल्डिंग, केजी मार्ग, नई दिल्ली-110003 से कार्य कर रहा है। वर्तमान में, नए कार्यालय में एनएफआरए द्वारा कब्जा किया गया स्थान 15,750 वर्ग फुट है और इसका मासिक किराया ₹340.58 प्रति वर्ग फुट (जीएसटी छोड़कर) है। इस स्थान के अलावा, एनएफआरए को 15,750 वर्ग फुट स्थान उपरोक्त कार्यालय परिसर के सातवें तल पर आबंटित किया गया है, जो नवीकरण के अधीन है।

इस प्रकार मंत्रालय द्वारा किराए योग्य स्थान को वास्तविक जरूरत के बिना पट्टे पर लेने के परिणामस्वरूप ₹5.04 करोड़ धनराशि का किराए के रूप में सितंबर 2018 तक परिहार्य भुगतान किया गया था।

## अध्याय IV: आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय

### राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

#### 4.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की कार्य पद्धति

##### 4.1.1 परिचय

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी/बोर्ड) की स्थापना (28 मार्च 1985) एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 (अधिनियम) के तहत की गई थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) एक समन्वित योजना क्षेत्र है जो राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली (एनसीटीडी) पर केंद्रित है, जिसमें संपूर्ण एनसीटी शामिल है और सीमावर्ती राज्यों हरियाणा के (13 जिले), उत्तर प्रदेश के (यूपी) (8 जिले) और राजस्थान के (2 जिले) संबद्ध हैं। 31 मार्च 2018 को एनसीआर के तहत क्षेत्र 55,084 वर्ग किमी था।

##### 4.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या बोर्ड के कार्य पद्धति एनसीआर के लिए समन्वित योजना सुनिश्चित करने में प्रभावी थी और क्या बोर्ड अपनी योजनाओं और नीतियों के कार्यान्वयन में, परियोजनाओं की निगरानी में और वित्तीय प्रबंधन में कुशल था।

##### 4.1.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा ने 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान बोर्ड के कार्यकलापों की समीक्षा की, और 2017-18 के लिए लेखापरीक्षा परिणामों को अद्यतन किया गया। प्रतिभागी राज्यों में स्थापित एनसीआर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग सेल (एनसीआरपीएमसी) को भी लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया था।

##### 4.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड एनसीआरपीबी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों; क्षेत्रीय योजना (आरपी), उप-क्षेत्रीय योजनाएं (एसआरपी), कार्यात्मक योजनाएं (एफपी) और अध्ययन प्रतिवेदनो; बोर्ड की विभिन्न बैठकों के एजेंडा एवं कार्यवृत्तों, शक्तियों के प्रत्यायोजन एवं वार्षिक प्रतिवेदनों से लिए गये हैं।

#### 4.1.5 संगठनात्मक ढाँचा

बोर्ड में एक अध्यक्ष, 15 सदस्य और एक पूर्णकालिक सदस्य सचिव सम्मिलित हैं। आवासीय और शहरी मामलों के केन्द्रीय मंत्री, बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बोर्ड को अपने कार्यों के निर्वहन में एक योजना समिति (पीसी) के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। पीसी में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य हैं। बोर्ड के सदस्य सचिव, पीसी के पदेन अध्यक्ष हैं।

#### 4.1.6 लेखापरीक्षा अवलोकन

##### 4.1.6.1 योजना प्रक्रिया और क्षेत्रीय योजना का कार्यान्वयन

जहाँ तक नियोजन का संबंध है, एनसीआरपीबी को एनसीआर के लिए क्षेत्रीय वहन के आधार पर आरपी के एक या अधिक घटकों जैसे कि पानी, परिवहन, बिजली आदि के लिए एक एफपी तैयार करना तथा राज्यों को एनसीआर के घटक क्षेत्रों के लिए एसआरपी तैयार करने में सहायता प्रदान करना आवश्यक था। एनसीआर प्रतिभागी राज्य, राज्य स्तर पर अपनी संबंधित संविधियों के तहत मास्टर प्लान तैयार करते हैं।

##### (क) क्षेत्रीय योजना और इसके संशोधन की तैयारी

एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 के अनुसार, "संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के प्रावधानों के अनुसरण में, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के सभी सदनों द्वारा इस आशय के प्रस्ताव पारित किए गए हैं जैसे कि इस तरह की योजना के कार्यान्वयन में समन्वय और निगरानी करना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि उपयोग और बुनियादी ढांचे के विकास के नियंत्रण के लिए सामंजस्यपूर्ण नीतियों को विकसित करना ताकि किसी भी अव्यवस्थित विकास से बचने के लिए संसद द्वारा उन राज्यों में विनियमित किया जाना चाहिए"। इसके अलावा अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, बोर्ड का मुख्य कार्य 20 वर्षों की अवधि के लिए आरपी तैयार करना है तथा अधिनियम की धारा 15(1) के अनुसार, बोर्ड को उसकी अधिसूचना की तारीख से प्रत्येक 5 वर्षों के बाद आरपी की समीक्षा करना आवश्यक है।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित उल्लेख किए:

- (i) बोर्ड ने अपने हॉरिजोन पीरीयड (2001 से 2021) के पूरा होने के साढ़े तीन साल से भी अधिक समय के अंतराल के बाद (17 सितंबर 2005) अपने आरपी 2021 को अधिसूचित किया।

- (ii) आरपी 2021 की पहली समीक्षा सितंबर 2010 में होनी थी, हालाँकि, इसे बोर्ड की 32वीं बैठक (मार्च 2012) में डेढ़ साल की देरी के बाद शुरू किया गया था।
- (iii) आरपी की समीक्षा एवं संशोधन प्रक्रिया के लिए मार्गदर्शन के लिए गठित (जून 2012) संचालन समिति ने (जून 2012 से जनवरी 2014) नियत मासिक बैठकों की जगह केवल चार बैठकें की। आगे, आरपी 2021 की समीक्षा एवं संशोधन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।
- (iv) बोर्ड की 33वीं बैठक (01.07.2013) में ड्राफ्ट संशोधित क्षेत्रीय योजना 2021 को एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 की धारा 12(1) के तहत जनता से आपत्ति और सुझाव आमंत्रित करने के लिए अनुमोदित किया गया था। 20.12.2013 तक डीआरआरपी 2021 पर, 63 आपत्तियाँ और सुझाव प्राप्त हुए थे। आरपी 2021 को संशोधित करते हुए, बोर्ड ने हरियाणा सरकार (जीओएच) के क्षेत्रीय भूमि उपयोग से संबंधित प्रस्तावों के अनुसार "वन क्षेत्रों में पर्यटन" को क्षेत्रीय मनोरंजन की गतिविधियों के तहत स्वीकार और समाविष्ट किया (जनवरी 2014)। यह उन आपत्तियों के बावजूद किया गया था कि प्रस्तावित प्रावधान आरपी-2021 के पहले के प्रावधान को कमजोर करने के बजाय मजबूत करना चाहिए क्योंकि दिल्ली से जुड़े सीमावर्ती इलाकों में विकास का महत्वपूर्ण प्रभाव है। बाद में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएण्डसीसी) ने इसे मसौदा संशोधित क्षेत्रीय योजना (डीआरआरपी) 2021 हरियाणा के एसआरपी में इसके समावेश पर आपत्ति (मार्च 2014) उठाई थी। इस संबंध में बोर्ड को अपना निर्णय वापस लेना (अप्रैल 2014) पड़ा था। यह हरियाणा सरकार को पूरे एनसीआर के लिए प्रतिकूल प्रभाव के साथ अनुचित लाभ दिये जाने का संकेत देता है।
- (v) प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र (एनसीजेड) के मानचित्रण और परिसीमन अध्ययन में देरी तथा एमओईएफ एवं सीसी द्वारा अध्याय 14 (पर्यावरण) और अध्याय 17 (क्षेत्रीय भूमि के उपयोग) पर उठाए गए बिंदुओं को संबोधित किये जाने के कारण आरआरपी 2021 की अधिसूचना लंबित (सितंबर 2018) थी।
- (vi) अधिनियम ने प्रत्येक पाँच वर्षों के बाद आरपी 2021 के तीन संशोधनों की अवधारणा की। हालाँकि, स्वयं आठ साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आरपी 2021 की पहली समीक्षा और संशोधन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। परिणामतः संशोधित नीति एवं प्रस्ताव, जो कि आरआरपी 2021 के द्वारा लिये जाने थे, को

प्रभावी और कार्यान्वित नहीं कराया जा सका। आरआरपी 2021 के मसौदे में शामिल किए गए महत्वपूर्ण संशोधन (i) 2011 की जनगणना के साथ संशोधित आंकड़े, (ii) जनसांख्यिकीय रूपरेखा और निपटान पैटर्न में संशोधन, (iii) सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकासी और सिंचाई के लिए प्रस्ताव एवं नीतियां (iv) क्षेत्रीय भूमि उपयोग से संबंधित मुद्दों, नीतियां और प्रस्तावों में संशोधन (v) 2007-2012 के दौरान आरपी 2021 के परिणामों में काउंटर चुंबक क्षेत्रों के विकास के लिए रणनीतियाँ, (vi) 2007-2012 के दौरान आरपी 2021 की उपलब्धियों को शामिल करना इत्यादि।

बोर्ड और मंत्रालय ने अपने उत्तर में (जनवरी/अप्रैल 2018) कहा कि:

- (i) प्रारंभ में यह मामला (नवंबर 2009) बोर्ड के समक्ष उसकी 31वीं बैठक में रखा गया था जिसके तहत 2008-09 में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) रिमोट सेंसिंग सेंटर के माध्यम से क्षेत्रीय भूमि उपयोग को अद्यतन करने के संबंध में कार्रवाई शुरू की गई थी। बाद में, इस मामले को फिर से बोर्ड की 32वीं बैठक में रखा गया, जिसमें आरपी 2021 की समीक्षा प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्णय लिया गया। उसके बाद, आरपी की समीक्षा और संशोधन के लिए एससी का गठन किया गया। चूंकि, बोर्ड की बैठक दिसंबर 2009 और फरवरी 2012 के बीच नहीं हो सकी इसलिए मामले को बोर्ड के समक्ष नहीं रखा जा सका।
- (ii) एमओइएफएण्डसीसी की टिप्पणियाँ बोर्ड द्वारा जांच की गईं और (फरवरी 2017) को एमओएचयू को अग्रेषित किया गया और बोर्ड की 37वीं बैठक (दिसंबर 2017) में चर्चा की गई थी।

हालांकि, तथ्य यह है कि:

- (i) पुनरीक्षण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बोर्ड द्वारा कोई तत्परता नहीं दिखाई गई, इसे केवल जुलाई 2012 में ही एससी के गठन के बाद संशोधित किया गया था, और पुनरीक्षण प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई थी।
- (ii) आरपी 2021 में संशोधन नहीं होने के कारण, संशोधित आरपी में किए गए संशोधनों और परिवर्तनों को प्रभावी नहीं बनाया जा सका। नतीजतन, आरआरपी 2021 में एनसीआर में नए जोड़े गए जिलों (हरियाणा में 4, राजस्थान में 1 और यूपी में 2) के लिए आरपी के नियमन को शामिल और अद्यतन नहीं किया गया है।

**(ख) क्रियात्मक योजनाओं का गैर निरूपण**

अधिनियम की धारा 7 (ए) और (सी) के अनुसार, एफपी की तैयारी और प्रतिपादन तथा प्रतिभागी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से एफपी और उसका प्रवर्तन और कार्यान्वयन, बोर्ड की भूमिका के दायरे में आता है। इसके अलावा, एसआरपी को बनाने में प्रतिभागी एनसीआर राज्यों की सहायता के लिए, बोर्ड ने मौजूदा स्थिति का आकलन करने, मुद्दों/ समस्या की पहचान करने और समग्र विकास के लिए रणनीति/ सिफारिशें/कार्य योजना बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के आधार पर एफपी तैयार किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- (i) जबकि आरपी 2021 को सितंबर 2005 में अधिसूचित किया गया था, इसके एफपी के निर्माण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। मार्च 2018 तक, एफपी की तैयारी के लिए आरपी में चिन्हित 12 घटकों में से केवल चार एफपी अर्थात् परिवहन (नवंबर 2009), भूमिगत जल पुनर्भरण (दिसंबर 2009), जल निकास (अप्रैल 2016) और आर्थिक विकास (जून 2016) को मंजूरी दी गई थी और इसके निर्माण में लगभग 4 से 11 साल लगे थे। आर्थिक विकास (2010) और इसकी मंजूरी (जून 2016) के लिए अध्ययन के संचालन में काफी अंतर था। इस प्रकार, एफपी के सभी आंकड़े 2004-05 से 2009-10 की अवधि से संबंधित थे और इसकी मंजूरी से पहले बोर्ड द्वारा अद्यतन नहीं किया गया था।
- (ii) दो एफपी (i) जलनिकास और (ii) आर्थिक विकास को यूपी (दिसंबर 2013) और राजस्थान (नवंबर 2015) के एसआरपी तैयार करने के बाद मंजूरी दी गई (अप्रैल/जून 2016) जिसके परिणामस्वरूप एसआरपी के गठन में, भाग लेने वाले राज्यों को परिकल्पित मार्गदर्शन की कमी हुई।
- (iii) इसके अतिरिक्त एफपी की तैयारी, अर्थात् सूक्ष्म और घरेलू उद्यम, स्वास्थ्य अवसंरचना और पर्यटन और विरासत अभी भी (सितंबर 2018) प्रगति पर थे और प्रतिभागी राज्यों द्वारा अपेक्षित आंकड़े प्रस्तुत नहीं करने के कारण उर्जा पर एफपी हटा दिया गया था। इसलिए, आरपी 2021 की तैयारी से 12 साल से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद, सभी पहचाने गए क्षेत्रों के लिए एफपी

तैयार नहीं किए गए थे तथा चार क्षेत्रों<sup>1</sup> में एफपी की शुरुआत नहीं की गई थी।

बोर्ड और मंत्रालय ने अपने जवाब में (दिसंबर 2017/जनवरी/अप्रैल 2018) कहा कि एफपी की तैयारी को एसआरपी की तैयारी से नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि एसआरपी उप-क्षेत्रीय स्तर पर समग्र दस्तावेज हैं, जिसके लिए आरपी मार्गदर्शक दस्तावेज है, जबकि, एफपी आरपी के ढांचे के अन्तर्गत तैयार किए गए अधिक सेक्टर विशिष्ट योजनाएं हैं। इसके अलावा, अधिनियम प्रदान करता है कि आरपी के परिचालन के बाद बोर्ड सहभागी राज्यों के उचित मार्गदर्शन के लिए आवश्यकतानुरूप कई एफपी तैयार कर सकता है। तदनुसार, बोर्ड ने विशिष्ट क्षेत्रों के लिए एफपी तैयार किए थे। आर्थिक विकास पर एफपी को अंतिम रूप देने में देरी के बारे में, बोर्ड ने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभागों/एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा भाग लेने वाली कार्यशाला के दौरान चर्चा के आधार पर एफपी को मंजूरी दी गई थी। बोर्ड का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:-

- (i) एनसीआरपीबी अधिनियम के अध्याय 3, खंड 7 (ए) के अनुसार, बोर्ड को क्षेत्रीय योजना और कार्यात्मक योजनाओं को तैयार करना था। आरपी 2021 के पैरा 17.4 में यह भी प्रावधान है कि योजनाएं जैसे उप-क्षेत्रीय योजना, मास्टर विकास योजना का निम्न श्रेणीकरण होना चाहिए। इसलिए, योजनाओं का पदानुक्रम, अर्थात् आरपी, एफपी, मास्टर/डेवलपमेंट प्लान, समग्र योजना की एक एकीकृत प्रणाली स्थापित करता है जो आरपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है। पुराने आंकड़ों के आधार पर एफपी की निरंतर प्रासंगिकता का मुद्दा संदिग्ध है।
- (ii) क्षेत्रीय स्तर पर एकीकृत क्षेत्रीय जल निकासी योजना और जिला स्तर पर जल निकासी का मास्टर प्लान क्षेत्र में वर्तमान/भविष्य के विकास और निपटान पैटर्न को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय और स्थानीय नालियों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय स्तर पर सभी संबंधित कार्यों को एक ही एजेंसी द्वारा समन्वित किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि जल निकासी मास्टर प्लान को जिलेवार और शहरवार तैयार नहीं किया गया था। इसके अलावा, तूफान के पानी की निकासी के लिए एकीकृत योजना का अभाव था, जो स्थानीय क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, बल्कि क्षेत्रीय प्रभाव था, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, यूपी. और एनसीटी-दिल्ली के उप-क्षेत्र शामिल थे।

<sup>1</sup> संचार, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन एवं ग्रामीण विकास

(iii) यद्यपि जल निकासी एनसीआर में मुख्य शहरी बुनियादी ढांचे के विकास का हिस्सा था, लेकिन इस क्षेत्र में कम जोर दिया गया था। एनसीआरपीबी द्वारा स्वीकृत और अनुमोदित 300 परियोजनाओं में से स्थापना (1985-86) के बाद से, केवल छः जल निकासी परियोजनाओं को ही एनसीआरपीबी द्वारा स्वीकृत और अनुमोदित किया गया, जो कि कुल वित्त पोषित परियोजनाओं का दो प्रतिशत है।

### (ग) उप-क्षेत्रीय योजनाओं का गठन

यह अधिनियम प्रदान करता है कि प्रत्येक प्रतिभागी राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश अपने उप क्षेत्र के लिए एसआरपी तैयार करेगा और प्रत्येक एसआरपी को अंतिम रूप देने से पहले भूमि का परिसीमन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक था। इसके अलावा, आरपी 2021 में निर्धारित किया गया है कि क्षेत्रीय स्तर पर, भूमि का उपयोग योजनाओं के निचले पदानुक्रम, अर्थात् एसआरपी और मास्टर / विकास योजनाओं में चयनित क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में निर्देशित और विनियमित किया जा सकता है। बोर्ड ने अपनी विशेष बैठक (अप्रैल 2014) में निर्णय लिया कि सटीक सीमांकन के लिए, एनसीजेड को राज्य के राजस्व रिकॉर्ड के सत्यापन के साथ-साथ विस्तृत भू-त्रिगुट के आधार पर प्रत्येक प्रतिभागी राज्य द्वारा वितरित किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- एनसीआर को अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश (यूपी) जिलों के एसआरपी को दिसम्बर 2013 में प्रकाशित किया गया था, अर्थात् आरपी 2021 की अधिसूचना की तारीख के 8 साल बाद। राजस्थान में, एनसीआर में एकमात्र जिले अर्थात् अलवर के लिए एसआरपी को सितम्बर 2005 में आरपी के अधिसूचना के 10 वर्ष बाद प्रकाशित किया गया था। एक अन्य जिले, जो जुलाई 2013 के दौरान राजस्थान में एनसीआर के अंतर्गत शामिल किया गया था अर्थात् भरतपुर का एसआरपी अभी भी लंबित था।
- दिल्ली के लिए, डीडीए (फरवरी 2007) द्वारा तैयार मास्टर प्लान को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के एसआरपी के रूप में माना गया था।
- हरियाणा उप क्षेत्र का एसआरपी (मई 2014) प्रकाशित किया गया था, लेकिन पर्यावरण से संबंधित विवादास्पद प्रावधानों (अध्याय 14), भूमि उपयोग (अध्याय 17) को शामिल करने और एनसीजेड के मानचित्रण और परिसीमन में देरी के कारण अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

- राजस्थान के मामले में, बोर्ड ने (जून 2015) इस आधार पर एसआरपी के मसौदे पर विचार किया कि एनसीजेड के परिसीमन में समय लग रहा था और एनसीजेड के विलम्बित होने पर एसआरपी में संशोधन किया जा सकता है। हालाँकि, राजस्थान सरकार (जीओआर) ने एसआरपी को इसके बावजूद भी अधिसूचित किया कि एनसीजेड ग्राउंड ड्रथिंग और परिसीमन के कार्य को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था।
- परियोजना मंजूरी और निगरानी समूह (पीएसएमजी) ने उन परियोजनाओं के संबंध में ₹1648.37 करोड़ (अनुलग्नक-II) की वित्तीय सहायता (इसमें से ₹1562.93 करोड़ हरियाणा सरकार को वितरित किये गये) को मंजूरी दे दी, जिसके लिए प्रतिभागी राज्यों द्वारा संवितरण के समय एसआरपी नहीं तैयार किया गया था। इस प्रकार, प्रतिभागी राज्यों के एसआरपी की अनुपस्थिति में, बोर्ड द्वारा ऋण की मंजूरी अधिनियम के अध्याय VI के खंड 22(1) के उल्लंघन में थी।

बोर्ड और मंत्रालय ने अपने जवाब (जनवरी/अप्रैल 2018) में उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि की और कहा कि राजस्थान के एसआरपी पर योजना समिति (पीसी) ने (जीओआर) के अनुरोध पर विचार किया। बोर्ड ने यह भी कहा कि अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, एनसीआर/प्रतिभागी राज्य एसआरपी की तैयारी और इसके बाद, बोर्ड द्वारा किए गए अवलोकनों पर उचित विचार करने के बाद अपने संबंधित एसआरपी को अंतिम रूप देने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा, जहां तक एसआरपी की अनुपस्थिति में वित्तीय सहायता की बात है, एनसीआरपीबी बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है जो क्षेत्रीय योजना के अनुरूप है।

लेखापरीक्षा की दृष्टि में, चूंकि एनसीआर एक समन्वित योजना क्षेत्र है, बोर्ड एसआरपी की समयबद्ध तैयारी सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। अधिनियम के अध्याय-III, खंड 7(बी) के अनुसार, बोर्ड को प्रतिभागी राज्यों द्वारा एसआरपी की समयबद्ध तैयारी के लिए व्यवस्था करना है। बोर्ड ने (मई 2006) प्रतिभागी राज्यों को एसआरपी तैयार करने के लिए अनुरोध करने में आठ महीने से अधिक समय लिया और प्रतिभागी राज्यों द्वारा एसआरपी तैयार करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 17(3)(एफ) के अनुसार, एक उप-क्षेत्रीय योजना पीने के पानी की आपूर्ति और जल निकासी तत्वों के लिए उप-क्षेत्रीय स्तर पर आरपी को विस्तृत करने के प्रस्तावों का संकेत दे सकती है। हालांकि, उत्तर प्रदेश और राजस्थान उप-क्षेत्र के एसआरपी में जल निकासी के संबंध में आरपी 2021

की नीतियों और प्रस्तावों को पूरा करने की योजनाएं विस्तृत नहीं थीं। इस प्रकार, निचले स्तर की योजनाओं ने आरपी 2021 की नीतियों और प्रस्तावों की व्याख्या नहीं की। इसके अलावा, अधिनियम यह कहता है कि एसआरपी के कार्यान्वयन के लिए भागीदार राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

#### (घ) मास्टर/विकास योजनाओं की स्वीकृति

क्षेत्रीय योजना 2021 निर्धारित करती है कि क्षेत्रीय स्तर पर, भूमि का उपयोग योजनाओं के निचले पदानुक्रम, यानी एसआरपी और मास्टर/विकास योजनाओं में चयनित क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में निर्देशित और विनियमित किया जा सकता है। आरपी 2021 के अनुसार, नियंत्रित/विकास/विनियमित क्षेत्रों में कोई भी विकास बोर्ड द्वारा अनुमोदित संबंधित क्षेत्रों के लिए मास्टर/विकास योजना के अलावा नहीं किया जा सकता है और राज्य सरकारों द्वारा उनके संबंधित अधिनियमों के तहत विधिवत अधिसूचित किया जाएगा। सभी शहरों के मास्टर/विकास योजनाएं आरपी 2021 के ढांचे के भीतर तैयार की जानी थी; आरपी 2021 के अनुसार, मास्टर/विकास योजनाओं की मंजूरी बोर्ड की जिम्मेदारी थी।

इस संबंध में, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने देखा (दिसंबर 1998) कि "अधिनियम एक केंद्रीय विधान है और बोर्ड की मौन अनुमति और करीबी जांच के अलावा भूमि उपयोग को बदला नहीं जा सकता है। एनसीआर द्वारा ग्रहण किए गए क्षेत्र के भीतर कृषि, वनों या हरितक्षेत्र के अनुरूप उपयोग के लिए आरक्षित भूमि की खरीद द्वारा उद्योग या शहरीकरण का विकास निषिद्ध है। जो भी विकास अनुमान्य है, इसे अधिनियम के तहत नामित और इसके तहत गठित किए गये प्राधिकरणों के द्वारा सख्ती से निगरानी की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि बोर्ड प्रतिभागी राज्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये मास्टर प्लान को मंजूरी नहीं दे रहा था। भूमि उपयोग में परिवर्तन एनसीआर प्रतिभागी राज्यों द्वारा राज्य में प्रासंगिक विधि के तहत किया जा रहा है, न कि बोर्ड द्वारा। बोर्ड द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की जांच से पता चलता है कि इसने हरियाणा के प्रतिभागी राज्य के द्वारा नुह एवं रेवाड़ी नगर के विकास/मास्टर प्लान के बनाये जाने के बगैर (i) नल्हर मेडिकल कॉलेज एवं नूह नगर (₹79.20 करोड़ की ऋण सहायता) एवं (ii) रेवाड़ी कोट कासिम रोड, को एन. एच.-8 तक चार लेन करने, शाहजहाँपुर रेवाड़ी सड़क को 6 किमी तक करने, रेवाड़ी नारनौल सड़क (एन एच 26), रेवाड़ी मोहिंदरगढ़ सड़क, रेवाड़ी दादरी सड़क (₹79.55 करोड़ की ऋण सहायता) को मंजूरी और धन प्रदान किया।

बोर्ड और मंत्रालय ने अपने जवाब (जनवरी/अप्रैल 2018) में कहा कि विभिन्न अदालती फैसलों के परिणामस्वरूप, मास्टर/विकास योजना के अनुमोदन के प्रावधान को आरपी 2021 में शामिल किया गया था और बोर्ड द्वारा अनुमोदित (अक्टूबर 2004) किया गया था। हालाँकि, इसमें दो भाग लेने वाले राज्यों द्वारा आपत्ति जताई गई थी। इसलिए, आम सहमति के बगैर, बोर्ड किसी भी मास्टर/विकास योजना को मंजूरी नहीं दे रहा है। उसके बाद, इस मामले को (जुलाई 2005) विधि और न्याय मंत्रालय को जांच के लिए भेजा गया और उनकी राय का अभी भी इंतजार है (सितंबर 2018)।

बोर्ड और मंत्रालय के जवाब मानने योग्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा में पाया गया है कि राजस्थान ने जांच और अनुमोदन के लिए बोर्ड को अपनी मास्टर योजना आम सहमति के बावजूद प्रस्तुत किया था। लेखापरीक्षा की राय में, आरपी और एसआरपी के साथ मास्टर/विकास योजना के एकीकरण और सामंजस्य को ध्यान में रखते हुए योजनाओं की पदानुक्रम बोर्ड द्वारा मास्टर प्लान को मंजूरी दी जा सकती है। बोर्ड का मुख्य कार्य भूमि को नियंत्रित करना है। एनसीआर में बुनियादी ढाँचे के नीतिगत विकास को निर्धारित करके उपयोग किया जाता है, जो काफी हद तक अप्रभावित रहा। बोर्ड ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट (2016-17) में कहा है कि तेजी से हो रहे शहरीकरण और विकास के मद्देनजर, क्षेत्र में अनियोजित विकास, अनाधिकृत निर्माण, गैर-कृषि उपयोगों के लिए अच्छी कृषि भूमि का रूपांतरण और अतिक्रमणों के खतरे का सामना करना पड़ रहा है।

### **(ड) अपर्याप्त समन्वय और आरपी के कार्यान्वयन की निगरानी**

बोर्ड की बैठकों, योजना समिति (पीसी), आदि के माध्यम से बोर्ड को विभिन्न स्तरों पर आरपी 2021 के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी सुनिश्चित करनी है। इसके अलावा, एनसीआरपीबी नियम 1985 के अनुसार, बोर्ड को प्रत्येक छः महीने में सामान्यतः कम से कम एक बार व्यापार के लेन-देन के लिए मिलना है। आरपी 2021 की प्रभावी निगरानी और नियमित कार्यान्वयन के लिए, राज्य स्तरीय संचालन समिति (एसएलएससी) को आरपी की नीतियों और प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करने के लिए; अधिनियम में परिकल्पित विभिन्न योजनाओं की तैयारी के समन्वय करने के लिए प्रत्येक तिमाही में मिलना है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पिछले छः वर्षों में, 31 मार्च 2018 को समाप्त, एनसीआरपीबी नियम 1985 में 12 साधारण बोर्ड बैठकों की जगह, केवल 4 बैठकें आयोजित की गईं। बोर्ड की 34वीं और 35वीं बैठक के बीच डेढ़ साल से अधिक का अंतर था। 2012-13 और 2014-15 के दौरान, बोर्ड की कोई बैठक आयोजित नहीं की

गई थी। इसके अलावा, हालांकि पीसी की बैठकों के संचालन के लिए कोई समय सीमा नहीं थी, लेकिन पिछले पांच वर्षों के दौरान पीसी की केवल सात बैठकें आयोजित की गईं।

इसके अलावा, एसएलएससी की बैठकें आयोजित करने में कोई नियमितता नहीं थी। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले छः वर्षों में, 96 बैठकों की जगह केवल 10 बैठकें (हरियाणा और जीएनसीटीडी प्रत्येक के लिए तीन, यूपी और राजस्थान प्रत्येक के लिए दो) की गई थी। यह नीतियों और प्रस्तावों को लागू करने में प्रतिभागी राज्यों की प्रतिबद्धता की कमी को इंगित करता है। आरपी 2021 और इसके बाद, प्रभावी कार्यान्वयन और आरपी 2021 की नियमित निगरानी के उद्देश्य का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया था।

प्रतिभागी राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना और निगरानी सेल (एनसीआरपीएमसी) के साथ समीक्षा बैठकों का आयोजन भी अनियमित था। समीक्षा बैठकें आयोजित करने की कोई समयसीमा नहीं थी। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले छः वर्षों में, केवल आठ बैठकें हुईं और सभी बैठकें अगस्त 2015 और नवंबर 2016 के बीच आयोजित की गईं।

बोर्ड और मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा (जनवरी/अप्रैल 2018) कि बोर्ड की बैठक आयोजित करने के संबंध में लेखापरीक्षा का अवलोकन तथ्यात्मक है। एसएलएससी राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति है और बैठकें राज्यों के मुख्य सचिवों द्वारा आयोजित की जाती हैं। बोर्ड नियमित रूप से एसएलएससी की बैठक आयोजित करने में नियमितता की कमी के बारे में भाग लेने वाले राज्यों के साथ नियमित रूप से अनुसरण करता है। पीसी की बैठक के लिए समयसीमा के संबंध में एनसीआरपीबी नियम मौन है। आवश्यकता पड़ने पर पीसी की बैठक बुलाई जाती थी।

बोर्ड और मंत्रालय का उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि बोर्ड की बैठकों का आयोजन एनसीआरपीबी नियमावली 1985 के अनुसार वैधानिक आवश्यकता है और नियत बैठकों की अनियमितता/आयोजन नहीं कराने से आरपी-2021 के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा, एसएलएससी की नियमित बैठक के अभाव में, आरपी 2021 में निहित नीतियों और प्रस्तावों के कार्यान्वयन के समन्वय और निगरानी सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

**(च) एनसीआर में प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र (एनसीजेड) के परिसीमन में देरी**

राजस्थान, हरियाणा और एनसीटीडी, वन क्षेत्रों, प्रमुख नदियों, अभयारण्यों, प्रमुख झीलों और जल निकायों की अरावली रिज के विस्तार जैसे पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में पहचाने जाने वाले प्रमुख प्राकृतिक सुविधाओं, को आरपी 2021 में एनसीजेड के रूप में सीमांकित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आरपी 2021 में एनसीजेड की सीमाएं अस्थायी थीं क्योंकि 1999 के उपग्रह इमेजरी के आधार पर ग्राउंड ट्रूथिंग या एनसीजेड के परिसीमन अध्ययन के बिना (जुलाई 2005) तैयार किया गया था। केवल जब (मार्च 2014) एमओईएफ और सीसी द्वारा वन और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की मैपिंग और परिसीमन के बारे में चिंता व्यक्त की गई तो, बोर्ड ने अपनी विशेष बैठक में (अप्रैल 2014), राज्य के राजस्व रिकॉर्ड के सत्यापन के साथ-साथ विस्तृत ग्राउंड ट्रूथिंग के आधार पर प्रत्येक प्रतिभागी राज्य द्वारा एनसीजेड के परिसीमन का निर्णय लिया। एनसीजेड के परिसीमन का कार्य तीन महीने के भीतर पूरा किया जाना था, यानी अक्टूबर 2014 तक, लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया है (सितंबर 2018)।

बोर्ड और मंत्रालय ने अपने उत्तर (जनवरी/अप्रैल 2018) में स्वीकार किया कि आरपी 2021 के अनुसार क्षेत्रीय भूमि का उपयोग राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) के माध्यम से 1999 के उपग्रह इमेजिंग के आधार पर तैयार किया गया था और सीमित ग्राउंड ट्रूथिंग का संचालन किया गया था। ड्राफ्ट के मौजूदा भूमि उपयोग मानचित्रों में आरपी 2021 को संशोधित किया गया था, जिसे एनसीजेड को अस्थायी रूप से चिह्नित किया गया था। क्षेत्रीय पैमाने की बाधाओं के कारण, एनसीजेड जैसी स्थानिक विशेषताओं की सटीक भूमि सीमा का सीमांकन आरपी 2021 में ठीक से नहीं किया जा सका। इसके अलावा, एनसीजेड के परिसीमन में देरी का मामला प्रतिभागी राज्यों के साथ खराब हो रहा है और बोर्ड के 37वीं बैठक (दिसंबर 2017) में राज्यों को तेजी लाने और समय पर परिसीमन को पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया है।

बोर्ड और मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया। तथ्य यह है कि एनसीजेड के परिसीमन में देरी के कारण हरियाणा के एसआरपी और आरआरपी 2021 का पूरा नहीं होने और पर्यावरणीय मुद्दों के लिए प्रतिकूल प्रभाव के रूप में लक्षित हुआ है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार 1999 में ग्रीन एरिया 4.26 प्रतिशत से घटकर 2012 में 3.30 प्रतिशत हो गया है, जो आरपी 2021 में 10 प्रतिशत के प्रस्तावित ग्रीन एरिया से काफी कम है। बोर्ड के

विश्लेषण (जून 2015) के अनुसार आरपी 2021 (सितंबर 2005 में अधिसूचित) में एनसीजेड के दृष्टिगत आंकड़ों में गिरावट आई है। एनसीटीडी के संबंध में गिरावट 15.43 प्रतिशत थी, जबकि उत्तरप्रदेश के मामले में यह 43.88 प्रतिशत, हरियाणा के मामले में 25.97 प्रतिशत और राजस्थान के मामले में 11.18 प्रतिशत थी। जाहिर है, एनसीआर में एनसीजेड में लगातार गिरावट देखी गई है। एनसीजेड के परिसीमन का काम तीन महीने के भीतर पूरा किया जाना था, यानी अक्टूबर 2014 तक; तथापि, चार साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, अभी तक इसे पूरा नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आरपी 2021 में शामिल किये गये क्षेत्रीय भूमि उपयोग पर एक अध्याय में ग्रीन बफर और एनसीजेड के लिए महत्ता बताने के बावजूद, एनसीआर में हरे क्षेत्र और एनसीजेड में कोई सुधार नहीं हुआ है। वास्तव में, समय के साथ स्थिति और खराब हो गई है। बोर्ड की प्रभावशीलता में कमी इस प्रकार स्व-स्पष्ट है।

### **(छ) वित्तीय प्रबंधन ने आरपी के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित नहीं किया**

आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय बोर्ड को योजना और गैर-योजना अनुदान प्रदान करता है। योजना अनुदान आरपी के कार्यान्वयन के लिए प्रदान किए जाते हैं जबकि गैर-योजना अनुदान वेतन और भत्ता और अन्य कार्यालयी व्यय के खर्च को पूरा करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। बोर्ड ने बॉन्ड्स के फ्लोटेशन और एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) और केएफडब्ल्यू<sup>2</sup> से ऋण के जरिए भी निधि जुटाई है। बोर्ड ने क्रमशः एडीबी और केएफडब्ल्यू से @ 1.67 प्रतिशत और 1.83 प्रतिशत की दर से धनराशि उधार ली। पूंजीगत परियोजनाओं के लिए प्रतिभागी राज्यों को 7 प्रतिशत से लेकर 8.5 प्रतिशत की दर से ऋण दिया जाता है। बोर्ड प्रतिभागी राज्य को दिए गए ऋण और सावधि जमा पर ब्याज अर्जित करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2012-13 से 2015-16 की अवधि के दौरान, फिक्स्ड डिपॉजिट प्राप्तियों (एफडीआर) में धन के निवेश में लगातार वृद्धि हुई और परिणामस्वरूप प्रतिभागी राज्यों को ऋण देने में गिरावट आई। परिणामस्वरूप, 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान, एफडीआर से अर्जित ब्याज ₹98.08 करोड़ से बढ़कर ₹220.54 करोड़ हो गया, जबकि ऋण के संवितरण से अर्जित ब्याज ₹231.23 करोड़ से गिरकर ₹158.45 करोड़ हो गया। हालांकि, 2016-17 के दौरान ऋण के संवितरण में तेज वृद्धि हुई, जिसके कारण एफडीआर में कम धनराशि का निवेश किया गया।

<sup>2</sup> जर्मन विकास बैंक केएफडब्ल्यू, जर्मन सरकार का विकास बैंक है।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड केएफडब्ल्यू से प्राप्त ₹746 करोड़ के ऋण की कुल राशि को पूरी तरह से प्रतिभागी राज्यों और उसके कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) को नहीं दे पाया। इसका कारण राज्यों की बैंकों की खरीद प्रक्रियाओं का पालन करने में असमर्थता, राज्यों द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा उपायों को अपनाने में समय का लगना था। नतीजतन, 2012 के बाद से, बोर्ड ने समझौते की शर्तों के अनुसार, केएफडब्ल्यू से अनिर्दिष्ट ऋण पर ₹6.01 करोड़ के प्रतिबद्धता शुल्क, अर्थात् अवितरित ऋण राशि पर 0.25 प्रतिशत का अप्रतिदाय शुल्क का भुगतान किया।

बोर्ड और मंत्रालय ने अपने उत्तर में (नवंबर 2017/जनवरी 2018) कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान प्रतिभागी राज्यों और केंद्र के चुनावों के लिए आचार संहिता के कारण ऋण संवितरण में कमी आई है। बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता की ब्याज दर की तुलना में बैंकों में निवेश के लिए प्रचलित दर एफडीआरअधिक थी। बोर्ड ने 2016-17 और 2017-18 में क्रमशः ₹1,654 करोड़ और ₹1550 करोड़ वितरित किए हैं और अधिशेष राशि घट कर ₹1,150 करोड़ रह गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों को दिए गए प्रतिबद्धता शुल्क के बारे में बोर्ड ने कहा कि यह ऋण समझौते का एक अभिन्न हिस्सा है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाता है, जिसमें आमतौर पर 3-4 साल की कार्यान्वयन अवधि होती है। एडीबी और केएफडब्ल्यू से ऋण प्रतिपूर्ति के आधार पर दावा किया जाता है। प्रतिबद्धता शुल्क एडीबी/केएफडब्ल्यू से अंतिम प्रतिपूर्ति तक भुगतान किया जाना है।

बोर्ड और मंत्रालय का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि सभी प्रतिभागी राज्यों में 4 साल तक लगातार आचार संहिता लागू नहीं रह सकती है और एक गैर-लाभकारी निकाय होने के नाते, बोर्ड का उद्देश्य ब्याज आय अर्जित करने के लिए सस्ते में ऋण जुटाने और उन्हें उच्च दर पर निवेश करने के बजाय विकास परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराना है। प्रतिबद्धता शुल्क के भुगतान के संबंध में, यह तथ्य बरकरार है कि बोर्ड ने पूर्ण ऋण सुविधा का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त ढांचागत परियोजनाओं की पहचान नहीं की थी।

#### **(ज) ऋण देने में अनियमितताएँ**

अधिनियम के अनुसार, बोर्ड को केंद्रीय और राज्य योजना, धन और राजस्व के अन्य स्रोतों के माध्यम से एनसीआर में चयनित विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण की व्यवस्था करना और उनकी देखरेख करना है। बोर्ड भूमि विकास, परिवहन, सीवरेज, जल निकासी, पानी, बिजली उत्पादन, संचारण और वितरण आदि से संबंधित परियोजनाओं के

लिए धन प्रदान करता है। लेखापरीक्षा के लिए 27 पूर्ण (82 में से) और 17 चल रही (51 में से) परियोजनाओं का चयन किया और इस संबंध में निम्नलिखित देखा गया:

- दो परियोजनाओं में, बोर्ड ने ऋण स्वीकृति पत्र के नियमों और शर्तों को पूरा किए बिना ऋण जारी किया। हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण (एचपीडीए) के आनंद विहार आवास योजना के मामले में, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण किया जाना था, जैसा कि निर्धारित किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप, बड़े नाले में अनुपचारित सीवरेज का निर्वहन किया गया, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के विरुद्ध था। हरियाणा के मेवात में "मेडिकल कॉलेज ऑफ़ टीचिंग हॉस्पिटल के निर्माण" के मामले में, पर्यावरणीय मंजूरी और भूमि के उपयोग के रूपांतरण आदि के लंबित होने के बावजूद बोर्ड ने (18 नवंबर 2010) ₹113.33 करोड़ के ऋण राशि की दो किस्तें जारी कीं। जो परियोजना मई 2011 तक पूरी होनी थी, वह मई 2015 में पूरी हुई।
- आईए के साथ भूमि की अनुपलब्धता के बावजूद दो परियोजनाओं में धनराशि जारी की गई। "अलवर जलापूर्ति उन्नयन परियोजना" और "नलहर मेडिकल कॉलेज और नूह शहर के लिए जल आपूर्ति योजना" के मामलों में, क्रमशः ₹43.72 करोड़ और ₹90.13 करोड़ का ऋण जारी करने से पहले बोर्ड ने पूर्व में अपेक्षित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की। जिन परियोजनाओं को क्रमशः नवंबर 2016 और अगस्त 2016 तक पूरा किया जाना था, उन्हें अभी तक (जून 2019) पूरा किया जाना बाकी है।
- दो परियोजनाओं में, बोर्ड के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए समझौते/प्रासंगिक खंडों की अनुपस्थिति थी। "रेवाड़ी में पाँच सड़कों का चार लेन का करने के माध्यम से सुधार" के मामले में, जो परियोजना नवंबर 2010 तक पूरी होनी थी, फरवरी 2016 में पूरी की गई हालांकि, कोई एलडी नहीं लगाया गया था क्योंकि ऋण समझौते में ऐसा कोई खंड नहीं था। सराय काले खां और आनंद विहार में "मल्टी मोडल ट्रांजिट सेंटर (एमएमटीसी) परियोजनाओं" के मामले में, बोर्ड ने जीएनसीटीडी के साथ कोई समझौता नहीं किया था और यह परियोजना असफल थी, जिसके कारण एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) को अवितरित ऋण पर प्रतिवद्धता शुल्क का भुगतान (₹69.96 लाख) किया गया जो जीएनसीटीडी से वसूल नहीं किया जा सका।

- एनसीटीडी में शाहदरा दक्षिण में कड़कड़ूमा इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र में बहु-मंजिला कार्यालय भवन के निर्माण के एक मामले में, बोर्ड ने परियोजना कार्यालय भवन का (₹76.24 करोड़) वित्त पोषण किया, जो आरपी 2021 के किसी भी घटक के तहत कवर नहीं किया गया था। बोर्ड ने सितंबर 2014 में ₹20 करोड़ जारी किए और परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तिथि सितंबर 2016 थी, लेकिन काम अक्टूबर 2017 के महीने में प्रदान किया गया था और अभी भी पूरा नहीं किया गया है (जून 2019)।

परियोजनाओं की देरी और अपूर्णता न केवल बोर्ड द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी के खराब तरीके को चिन्हित करती है बल्कि आम जनता को परिकल्पित लाभों से भी वंचित करती है। लेखापरीक्षा परिणाम का विवरण **अनुलग्नक-III** में है।

#### 4.1.7 निष्कर्ष

बोर्ड के उद्देश्यों में आरपी के कार्यान्वयन में समन्वय और निगरानी शामिल हैं; और क्षेत्र में भूमि के उपयोग और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सामंजस्यपूर्ण नीतियों का विकास करना ताकि क्षेत्र के किसी भी प्रकार के अव्यवस्थित विकास से बचा जा सके। लेखापरीक्षा ने देखा कि बोर्ड दोनों उद्देश्यों में से किसी एक को भी पूरा करने में असमर्थ था।

क्षेत्रीय विकास के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण बोर्ड द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि सभी प्रतिभागी राज्यों द्वारा एसआरपी को समय पर अंतिम रूप नहीं दिया गया था। उप क्षेत्रों में विभिन्न शहरों के मास्टर/विकास योजना के अनुमोदन को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

हालांकि बोर्ड ने आरपी 2021 में भूमि उपयोग नीति निर्धारित की है, लेकिन इसके पास इन नीतियों को लागू करने के लिए संबंधित शक्तियां नहीं हैं। कोर्ट के निर्देश के बावजूद बोर्ड भूमि-उपयोग के बदलाव को मंजूरी नहीं दे रहा था।

ऋण संवितरण प्रक्रिया बहुत सक्रिय नहीं थी क्योंकि अधिकांश धन एफडीआर के रूप में जमा किए गए थे। ऋणों को वितरित करते समय, बोर्ड आवश्यक शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित नहीं कर सका जैसा कि रिपोर्ट में सामने आया है। इस प्रकार, बोर्ड एनसीआर के सामंजस्यपूर्ण और संतुलित विकास को सुनिश्चित करने में प्रभावी भूमिका नहीं निभा सका।

#### 4.1.8 अनुशंसाएँ

- बोर्ड को प्रत्येक पांच वर्ष में, जैसा कि अनिवार्य है एक बार आरपी की समीक्षा करनी चाहिए। प्रभावी और एकीकृत योजना के लिए, पदानुक्रम में सभी योजनाएं एक निर्धारित समय सीमा में तैयार की जानी चाहिए और बोर्ड को योजनाओं को बेहतर एकीकरण के लिए मास्टर/विकास योजनाओं की समीक्षा, जांच और अनुमोदन करना चाहिए।
- आरपी के उल्लंघन की प्रभावी निगरानी के लिए, एक स्वतंत्र और विश्वसनीय तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए और बोर्ड द्वारा क्षेत्र की सभी विकास परियोजनाओं की निगरानी की जा सकती है।
- आरपी की नीतियों और प्रस्तावों के कार्यान्वयन के बेहतर समन्वय और निगरानी के लिए, बोर्ड की वैधानिक बैठकों और सभी सक्रिय गठित समितियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए और एनसीआरपीएमसी को अधिक प्रदर्शनोन्मुख बनाया जा सकता है।
- प्रत्येक प्रतिभागी राज्य द्वारा एनसीजेड का परिसीमन, राज्य के राजस्व रिकॉर्ड के सत्यापन के साथ-साथ विस्तृत ग्राउंड ड्रिंग के आधार पर समयबद्ध तरीके से चलाया जा सकता है।
- बोर्ड को उपलब्ध धनराशि का उपयोग प्रतिभागी राज्यों को ऋण देने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए न कि एफडीआर में निवेश के लिए।

#### केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

#### 4.2 लोकसभा सचिवालय (एलएसएस), आर. के. पुरम, नई दिल्ली के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों के निर्माण से संबंधित कार्य को लागू करने में कमियाँ

सीपीडब्ल्यूडी ने कार्य के निष्पादन में 29 महीने से अधिक की देरी होने के कारण जुर्माना वसूलने की कोई ठोस कार्रवाई करने के स्थान पर कार्य को विभिन्न समयों पर अतिरिक्त समय प्रदान किया। विलम्ब का एक बड़ा हिस्सा सीपीडब्ल्यूडी की अपनी खामियों के कारण भी था।

सेक्टर-दो, आर. के. पुरम, नई दिल्ली में लोकसभा सचिवालय (एलएसएस) के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए 7 अप्रैल 2008 को आधारशिला समारोह आयोजित किया गया। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने अक्टूबर 2009 में ₹76.39 करोड़ की राशि की परियोजना का प्रारंभिक अनुमान (पीई)

प्रस्तुत किया, जिसमें परियोजना पूर्ण होने की अवधि को 24 महीने बताया गया। पीई में प्रत्येक टाईप-II और III के 32 क्वार्टर, टाईप-IV के 72 क्वार्टर तथा सेवकों के क्वार्टरों आदि के साथ-साथ टाईप-V के 48 क्वार्टर के निर्माण के अनुमान को शामिल किया गया था।

एलएसएस द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति (एएण्डईएस) 18 मार्च 2010 को दी गई थी और मुख्य कार्य के लिए समग्र निविदा फरवरी 2011 में आमंत्रित की गई थी जिसमें सिविल के साथ-साथ विद्युत भाग शामिल हैं। बोली पूर्व सम्मेलन 3 मार्च 2011 को आयोजित किया गया था और वित्तीय बोलियां 4 मई 2011 को खोली गई थीं। जून 2011 में, मुख्य सिविल निर्माण कार्य का टेंडर मेसर्स विनर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को उनके द्वारा बताई गई ₹48.05 करोड़ की निविदा राशि (₹43.93 करोड़ की अनुमानित लागत से 9.38 प्रतिशत ऊपर) पर प्रदान किया गया। प्रारंभ और पूर्ण होने की निर्धारित तिथि क्रमशः 7 जुलाई 2011 और 06 नवंबर 2012 थी।

मुख्य निर्माण कार्य के अलावा, सिविल के तहत 31 करारों और विद्युत कार्यों से संबंधित 15 करारों को भी सीपीडब्ल्यूडी द्वारा उपरोक्त परियोजना के लिए किया गया। इनमें से सिविल के छः कार्यों और विद्युत के पांच कार्यों को लेखापरीक्षा द्वारा विस्तृत जांच के लिए चुना गया था।

अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

#### 4.2.1 सिविल निर्माण कार्य में लक्ष्य की प्राप्ति में देरी

मुख्य सिविल निर्माण कार्य 7 जुलाई, 2011 को शुरू किया गया था और दस चरणों में विभाजित किया गया जिसमें अंतिम लक्ष्य को कार्य की शुरुआत की निर्धारित तिथि अर्थात् 6 नवम्बर 2012 से 16 महीने के भीतर पूरा करने का प्रस्ताव दिया गया था।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि कार्य में काफी देरी थी और दिए गए लक्ष्यों में से केवल दो लक्ष्य कार्य शुरू होने से 6.5 महीने के भीतर ठेकेदार द्वारा समय पर प्राप्त किए गए और सीपीडब्ल्यूडी ने 15 मई 2012 को लक्ष्यों को फिर से पुनर्निर्धारित किया जिसमें दसवें लक्ष्य को 6 नवंबर 2012 से 6 मार्च 2013 किया गया। हालाँकि, मार्च 2013 का संशोधित लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया। सीपीडब्ल्यूडी जुर्माना लगाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई किए बगैर, ठेकेदार को समय बढ़ाने की अनुमति प्रदान करता रहा। अंतिम विस्तार 30 अप्रैल 2015 तक दिया गया। कार्य प्रारंभिक निर्धारित समापन तिथि से 29 महीने से अधिक की देरी से 24 अप्रैल 2015 को पूरा किया गया।

ठेकेदार को सीपीडब्ल्यूडी के पत्राचार के अनुसार, परियोजना के निष्पादन में 899 दिनों की कुल देरी थी। इन 899 दिनों में, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा 303 दिनों (33 प्रतिशत) की देरी को 'उचित' करार दिया गया, जो दर्शाता है कि यह देरी सीपीडब्ल्यूडी की ओर से थी। सीपीडब्ल्यूडी के अड़चन रजिस्टर में दर्ज किए गये विभिन्न विलंब जो कि सीपीडब्ल्यूडी के कारण थे जैसे कि 7 जुलाई 2011 से 22 फरवरी 2012 तक बेसमेंट ब्लॉक की संरचनात्मक एवं वास्तुचित्रों की उपलब्धता न होना, 15 जुलाई 2011 से 8 सितंबर 2011 तक टाईप-V क्वार्टरों के लिए पाईलों के उचित नक्शों की उपलब्धता न होना, 1 अक्टूबर 2011 से 4 नवम्बर 2011 तक टाईप V/III/II क्वार्टरों के लिए पाइलिंग कैप सुदृढ़ीकरण विवरण की अनुपलब्धता, 12 नवम्बर 2012 से 13 फरवरी 2013 तक बजट की अनुपलब्धता आदि।

मुख्य सिविल निर्माण कार्य के लिए किए गए करार के खंड 2 के अनुसार यदि ठेकेदार खंड 5 में वर्णित आवश्यक प्रगति को बनाए रखने में या अनुबंध पूरा होने की तारीख पर या उससे पहले या पूर्णता की विस्तारित तिथि पर या उससे पहले साइट को पूरा करने में असफल रहता है, तो ठेकेदार 1.50 प्रतिशत प्रति माह की दर से मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसकी सीमा कार्य के निविदा मूल्य के 10 प्रतिशत तक होगी। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा ठेकेदार पर ₹4.81 करोड़ का जुर्माना लगाया गया जिसे कि मध्यस्थ ने मुख्य रूप से इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया था कि खंड 2 का संचालन केवल तभी संभव है, जब खंड 5 के तहत बढ़ाई गई तिथि पर भी कार्य अधूरा रहे। अतःजब खंड 5 के तहत सीपीडब्ल्यूडी द्वारा दिए गए अतिरिक्त समय में कार्य पूर्ण किया गया था, तो खंड 2 के तहत कोई मुआवजा नहीं लगाया जा सकता और इसलिए, खंड 2 के तहत मुआवजा देना अवैध माना गया।

अभिलेखों की जाँच ने दर्शाया कि यह स्पष्ट होने के तुरन्त बाद कि ठेकेदार लक्ष्यों/परिशोधित लक्ष्योंको प्राप्त करने में असमर्थ था, करार के खंड 2 के अन्तर्गत जुर्माना लगाने के स्थान पर सीपीडब्ल्यूडी द्वारा जुर्माना करार के खंड 2 के अन्तर्गत कार्य समाप्त होने तथा भवन परिसर के उद्घाटन के उपरान्त लगाया गया। सीपीडब्ल्यूडी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और 30 अप्रैल 2015 तक विस्तार के लिए अनुमति प्रदान करते रहे।

उत्तर में (जून 2017) सीपीडब्ल्यूडी ने कहा कि कार्य 6 नवंबर 2012 तक पूरा होना था, लेकिन ठेकेदार की खराब कारीगरी, कुप्रबंधन, अपर्याप्त मशीनरी, श्रम सामग्री आदि के कारण काम की प्रगति को बनाए रखने में असफल रहा। सीपीडब्ल्यूडी ने आगे कहा कि सिविल कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि 6 नवम्बर 2012 के विपरीत कार्य

24 अप्रैल 2015 को पूरा हुआ। करार के खंड 2 के तहत ₹4.81 करोड़ के मुआवजे के साथ समय का विस्तार प्रदान किया गया था।

सीपीडब्ल्यूडी ने आगे कहा (नवंबर 2018) कि ग्राहक विभाग और साइट के हालात के कारण बाधाएँ थीं। उसने आगे कहा है कि नाले को ढकने के लिए डिजाइन और ड्राइंग कार्य में देरी का मुख्य कारण था।

सीपीडब्ल्यूडी ने यह भी बताया (जुलाई 2019) कि उसने ₹4.81 करोड़ की धनराशि के मुआवजे को लगाने की आवश्यक कार्यवाही की। उसने मध्यस्त के निर्णय को चुनौती देने के लिए कानूनी राय ली। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों ने राय दी कि मध्यस्थ का निर्णय चुनौती पूर्ण नहीं है अतः रोकی हुई धनराशि को वापस करना पड़ा।

सीपीडब्ल्यूडी के उत्तर को इस तथ्य के सापेक्ष में देखने की आवश्यकता है कि करार के खंड 2 के तहत जुर्माना परियोजना के उद्घाटन के बाद ही लगाया गया था जो कि माननीय मध्यस्थ द्वारा उनके निर्णय में अस्वीकृत कर दिया गया जैसा कि ऊपर वर्णित है। इसके अतिरिक्त मध्यस्थ का निर्णय चुनौती पूर्ण नहीं पाया गया। जहां तक नालों को ढकने के कारण होने वाली देरी की बात थी तो यह कार्य अप्रैल 2010<sup>3</sup> में इस परियोजना के शुरू होने से बहुत पहले ही पूरा हो गया था।

#### 4.2.2 संयुक्त निविदा मानदंडों का गैर-अनुपालन

सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियम पुस्तिका 2010 के पैरा 15.4 के अनुसार संयुक्त निविदा प्रणाली सभी प्रकार के निर्माण कार्य (लागत से स्वतंत्र) के लिए प्रयुक्त की जानी थी जिसमें सभी आंतरिक विद्युत स्थापना के घटक और कुछ अन्य आंतरिक कार्य शामिल होंगे। ₹10 करोड़ तक के लागत के कार्यों के लिए मामले के आधार और आंचलिक मुख्य प्रभारी के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) अभियंता की सिफारिशों पर संयुक्त निविदा की प्रणाली से हटा सकते हैं। संयुक्त निविदा की प्रणाली का पालन सभी प्रकार के भवन निर्माण कार्यों के लिए जाना है जिनकी लागत ₹10 करोड़ से अधिक है।

लेखापरीक्षा जांच ने दर्शाया कि सीपीडब्ल्यूडी ने 2011-12 से 2015-16 के दौरान ₹76.39 करोड़ की राशि के टाइप II से V क्वार्टर के लिए एए/ईएस को 18 सिविल कार्यों और 15 विद्युत कार्यों में विभाजित किया था। हालांकि इनमें से कई कार्यों को जैसे मॉड्यूलर किचन, स्टील कप बोर्ड्स, स्टेनलेस स्टील रेलिंग को ठीक करने तथा

<sup>3</sup> हालांकि इस परियोजना को जून, 2011 में दिया गया था, लेकिन इससे पहले भी कुछ पूर्वनिर्माण गतिविधियां चल रही थीं।

शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए रेत की फर्श टाईलें आदि को मुख्य कार्य के भीतर शामिल किया जा सकता था।

कार्यों का विभाजन दर्शाता है कि कार्य की पूरी योजना को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया गया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा को भी ऐसे कोई अभिलेख नहीं मिले, जिसमें कार्य विभाजन के लिए सक्षम अधिकारी (एडीजी) की मंजूरी ली गई हो। कार्य के बंटवारे से न केवल कार्य नियमावली के कोडल प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, बल्कि कार्य का निष्पादन भी देरी से हुआ होगा क्योंकि इन कार्यों की समय सीमा अतिव्याप्त थीं और किसी एक कार्य का आरंभ होना दूसरे संबंधित कार्य के पूरा होने पर निर्भर था।

उत्तर में (जून 2017 और नवंबर 2018) सीपीडब्ल्यूडी ने कहा कि विभाग ने उन कार्यों को कार्यान्वित किया जो करार के दायरे में नहीं थे और साइट की आवश्यकता और ग्राहक विभाग (एलएसएस) की आवश्यकता/अनुमोदन के अनुसार थे। कार्यों का कोई विभाजन नहीं किया गया था और सभी कार्यों को निविदाएँ आमंत्रित करके दिया गया और किसी भी ठेकेदार को कोई अनुचित लाभ नहीं दिया गया था।

सीपीडब्ल्यूडी ने यह भी बताया (जुलाई 2019) कि ठेकेदार कार्य की प्रगति को प्राप्त करने में समर्थ नहीं था। विभाग द्वारा अन्य एजेंसियों के माध्यम से प्रारंभिक ठेकेदार के जोखिम एवं खर्च पर कार्य को करवाने के लिए कदम उठाये गये। सीमादीवार का निर्माण नौकरों के आवास में माडुलर रसोई एवं अयप्पा मन्दिर के पीछे नाले के शेष हिस्से को ढकने का कार्य अलग-अलग एए एवं ईएस के माध्यम से किया गया।

सीपीडब्ल्यूडी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी स्वीकृतियां या तो सीपीडब्ल्यूडी द्वारा तैयार किए गए प्रारंभिक अनुमान के अनुसार ग्राहक विभाग (एलएसएस) द्वारा या सीपीडब्ल्यूडी द्वारा मंगाई गई आवश्यकता के आधार पर दी गई होंगी। सीपीडब्ल्यूडी ने सभी आवश्यक खंडों को शामिल नहीं किया और बार-बार निविदाएं मंगाईं। विद्युत कार्यों के संबंध में भी, विद्युत कार्य के लिए 15 करार एक समग्र निविदा में किए जा सकते थे। आगे मुख्य ठेकेदार के जोखिम एवं खर्च पर कार्यन्वयन का कम्पोसिट निविदा के अनुकरण न होने से कोई सम्बंध नहीं है। लेखापरीक्षा ने केवल 18 सिविल अनुबंधों में, जो कि एए एवं ईएस (₹76.39 करोड़) के अन्तर्गत किये गये, कम्पोसिट निविदा के अपालना के विषय को रेखांकित किया है। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा जवाब में बताये गये कार्य/अनुबन्ध 18 सिविल अनुबंधों से अलग थे।

#### 4.2.3 मुख्य अनुबंध में शामिल किए जाने के स्थान पर अतिरिक्त मदों के रूप में कार्य निष्पादन

सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियम पुस्तिका 2010 के पैरा 4.2.1(2) के अनुसार, सभी कार्यों को पूरा करने के लिए विस्तृत अनुमान व्यापक रूप से तैयार किया जाना चाहिए। हालांकि, अभिलेखों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि कई मदों, जिन्हें निर्माण के लिए मुख्य अनुबंध में शामिल किया जाना चाहिए था, को ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त मदों के रूप में निष्पादित किया गया, जिससे अभिकरण को बाजार दरों पर इन अतिरिक्त मदों के लिए प्रतिपूर्ति का दावा करने की अनुमति देकर अनुचित लाभ पहुँचाया गया। प्रमुख अतिरिक्त मदों का विवरण **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है।

विभिन्न अतिरिक्त मदों से संबंधित कार्य जैसे कि प्लास्टर की गई दीवार की सतह पर सफेद सीमेंट आधारित पुट्टी उपलब्ध कराना और लगाना, खिड़की के फ्रेमों में आवश्यक प्रतिरूप की एमएसग्रिल प्रदान करना और उसे लगाना, स्वीकृत स्टील प्राइमर के साथ पूर्ण प्राइमिंग कोट, आरसी सी की दीवारों, फर्शों और छतों के स्लैब आदि पर कोर कटिंग को पूरा करने के लिए बाजार दरों पर ठेकेदार को कुल ₹1.65 करोड़ का भुगतान किया गया।

सीपीडब्ल्यूडी ने उत्तर दिया (जून 2017 और नवम्बर 2018) कि अनुमति प्रदान किए गए अतिरिक्त मदों को आवश्यक रूप से साइट की आवश्यकता के अनुसार निष्पादित किया जाना था तथा इन्हें करार के खंड 12 के प्रावधानों के तहत निष्पादित किया गया था, जो अतिरिक्त मदों (नए मदों) के बाजार दरों पर निष्पादन से संबन्धित है। इन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था और अतिरिक्त मदों पर किया गया व्यय ए एवं ईएस के अन्तर्गत था।

सीपीडब्ल्यूडी ने यह भी बताया (जुलाई 2019) कि कार्य का आकलन सदैव एक मोटा-मोटा अनुमान है। वास्तविक कार्यस्थल की दशा अनुमान से भिन्न होती है अतः अतिरिक्त मदों की आवश्यकता उत्पन्न हुई।

सीपीडब्ल्यूडी के उत्तर को इस तथ्य के सापेक्ष में देखने की आवश्यकता है कि अनुलग्नक-IV में उल्लिखित कार्यों की प्रकृति से पता चलता है कि इन्हें मुख्य करार में बहुत अच्छी तरह से शामिल किया जा सकता था और इस प्रकार बाजार दर पर इन वस्तुओं के भुगतान से बचा जा सकता था।

#### 4.2.4 ठेकेदार द्वारा प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने के लिए जुर्माने का आरोपण नहीं किया जाना

करार के सिविल कार्यों के लिए सामान्य शर्तों के पैरा 16(v) के अनुसार, ठेकेदार को प्रत्येक माह के 5वें दिन प्रभारी अभियंता को पिछले माह के दौरान किए गए कार्यों के लिए बेसलाइन प्रोग्राम के साथ एमएस प्रोजेक्ट में प्रगति प्रतिवेदन देना था। उपरोक्त प्रोग्राम प्रस्तुत करने में देरी के मामले में ₹2,000 प्रतिदिन के आधार पर वसूली की जानी थी।

हालांकि, अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि कार्य शुरू होने से (जुलाई 2011) वास्तविक कार्य पूरा होने (अप्रैल 2015) तक, जुलाई 2011 के माह के अतिरिक्त ठेकेदार द्वारा एमएस परियोजना में कोई भी मासिक प्रगति प्रतिवेदन सीपीडब्ल्यूडी को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे जुलाई 2011 में प्रस्तुत किया गया था। 1118 दिनों<sup>4</sup> की देरी थी, जो ₹22,36,000 (₹2,000 प्रतिदिन) का जुर्माना आकर्षित करती है।

ठेकेदार द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत न करना सीपीडब्ल्यूडी की ओर से खराब निगरानी को दर्शाता है, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि परियोजना के पूरा होने में कुल 899 दिनों का विलम्ब था।

सीपीडब्ल्यूडी ने उत्तर में (जून 2017 और नवंबर 2018) कहा कि उपलब्ध अभिलेखों से प्रतीत होता है कि ठेकेदार द्वारा एमएस प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम चार्ट समय-समय पर प्रस्तुत किया गया था जैसा कि अनुबंध में प्रावधान था। कार्य को पूर्ण करने में देरी के कारण जुर्माना निविदा की राशि का अधिकतम 10 प्रतिशत जो कि ₹4.81 करोड़ होता है, करार के खण्ड 2 के तहत लगाया गया और अंतिम बिल से वसूल किया गया। अपने हाल के उत्तर में (जून 2019) सीपीडब्ल्यूडी ने बताया कि इस मण्डल में उपलब्ध रिकार्ड में इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं खोजी जा सकी और इस जानकारी को 'शून्य' समझा जाय।

सीपीडब्ल्यूडी के उत्तरों से स्पष्ट है कि यह दावा कि ठेकेदार ने रिपोर्ट को अनुबंध के अनुसार समय-समय पर उपलब्ध कराया था सत्य नहीं है एवं यह एक अतिरिक्त प्रमाण था कि सीपीडब्ल्यूडी ने इन दस्तावेजों की प्राप्ति की निगरानी नहीं की।

आगे उत्तर (जुलाई 2019) में सीपीडब्ल्यूडी ने बताया कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार जब भी प्रगति रिपोर्ट आवश्यक फॉर्मेट में पेश की जाती है, तब दण्ड नहीं लगाया जा सकता।

---

<sup>4</sup> सितम्बर 2011 से अप्रैल 2015 तक प्रत्येक महीने में 5 तारीख के बाद के दिनों की संख्या के अनुसार।

सीपीडब्ल्यूडी का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि उनके उत्तर के समर्थन में दिए गए दस्तावेज़ ने दर्शाया कि ये केवल कार्य पूरा करने के लिए अनुमानित समय अवधि का संकेत देते हैं और इसमें की गई प्रगति का कोई विवरण शामिल नहीं करते हैं। करार खंड के अनुरूप नहीं होने के अलावा, ठेकेदार द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन जमा न करना भी सीपीडब्ल्यूडी की ओर से उचित निगरानी की कमी को इंगित करता है। ₹4.81 करोड़ का जुर्माना लगाने के संबंध में यह पहले ही मध्यस्थ द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है जैसा कि पैरा 4.2.1 में पहले ही निर्दिष्ट किया गया है और सीपीडब्ल्यूडी के कानूनी विशेषज्ञों ने भी पाया कि मध्यस्थ का दण्ड न लगाने का निर्णय चुनौतीपूर्ण नहीं था। जैसा कि ठेकेदार द्वारा केवल जुलाई 2011 के लिए प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी शेष महीनों (अगस्त 2011 से अप्रैल 2015) के लिए प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर सीपीडब्ल्यूडी द्वारा दण्ड लगाया जाना चाहिए था।

#### 4.2.5 साइट निर्बाधन के बिना विद्युत मंडल द्वारा निविदाओं को प्रदान करना

“छिड़काव एवं डाउन-कॉमर प्रणाली उपलब्ध करने” कार्य के लिए निविदा मैसर्स साई फायर अप्लायंसेज प्रा लि को 11 मार्च, 2013 को ₹80.22 लाख की निविदा लागत पर प्रदान की गई थी। साइट आर्डर बुक के अनुसार, सीपीडब्ल्यूडी ने 18 मार्च, 2013 को इस स्थल को ठेकेदार को सौंप दिया था और ठेकेदार को कार्य पूरा करने के लिए छः माह की अवधि दी गई थी जिसकी समाप्ति की निर्धारित तिथि 17 सितंबर, 2013 थी। सीपीडब्ल्यूडी ने ठेकेदार को 27 जून, 2013 और 19 अक्टूबर, 2013 को साइट पर सामग्री की आपूर्ति करने का निर्देश दिया और इस सामग्री के लिए ठेकेदार को पहले और दूसरे रनिंग बिल के माध्यम से ₹12.03 लाख (8 जुलाई 2013) और ₹10.33 लाख (31 अगस्त 2013) का आंशिक भुगतान किया।

अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि स्थल पर कार्य 16 नवम्बर, 2013 को सात माह की देरी से शुरू हो सका और समाप्ति की निर्धारित तिथि (सितम्बर 2013) के 15 माह के पश्चात अर्थात् 16 दिसम्बर 2014 को पूरा किया जा सका। लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया कि कार्य समय पर आरंभ नहीं हो सका क्योंकि 459 दिनों (पांच अवधि में) की बाधा उत्पन्न हुई जिसके कारण स्थल पर कार्य करने में रुकावट आई। ये बाधाएं मुख्य रूप से सिविल कार्य के ठेकेदार के कार्य को समय पर पूरा नहीं कर पाने की वजह से हुईं।

इस प्रकार, बाधा मुक्त स्थल उपलब्ध नहीं होने के बाद भी, विद्युत कार्य के लिए सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निविदा आमंत्रित की गई एवं प्रदान की गई और ठेकेदार को सामग्री को उस स्थल तक लाने के लिए ₹22.36 लाख (₹12.03 लाख और ₹10.33 लाख) का

भुगतान किया गया, जो कि पूर्णतः उपलब्ध नहीं थी। वित्तीय रूप से अविवेकपूर्ण होने के अलावा, इसने सीपीडब्ल्यूडी के सिविल और विद्युत मण्डलों के मध्य समन्वय की कमी भी दर्शाई।

सीपीडब्ल्यूडी ने उत्तर दिया (जून 2017 और नवंबर 2018) कि ठेकेदार अग्रिशमन सामग्री को साइट पर लाया लेकिन साइट उपलब्ध न होने के कारण उपकरण को संस्थापित नहीं किया जा सका और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा ठेकेदार को सामग्रियों की अधिप्राप्ति व उसे संस्थापन हेतु साइट तक लाने के लिए भुगतान कर दिया गया। सीपीडब्ल्यूडी ने यह भी बताया (जुलाई 2019) कि कार्य के लिए निविदा बाधामुक्त कार्यस्थल के पूर्वानुमान के अनुसार आमंत्रित की गई थी।

सीपीडब्ल्यूडी ने यह स्वीकार किया कि सिविल ठेकेदार कार्य की प्रगति को बनाए रखने में विफल रहा। इस प्रकार, साइट की उपलब्धता के बिना बहुत पहले ही विद्युत मंडल द्वारा निविदाओं का ठेका दिया जाना सही नहीं था।

अतः यह पाया गया है कि कार्य जो कि योजनानुसार 16 माह में पूर्ण होना था पूर्ण होने में 45 माह से भी अधिक लगे। सीपीडब्ल्यूडी के दावों के बावजूद कि विलम्ब ठेकेदार पर आरोपित था यह ठेकेदार से कोई दण्ड नहीं वसूल सका। सीपीडब्ल्यूडी पर आरोपित कमियों में ड्राइंग को विलम्ब से उपलब्ध कराना, सीपीडब्ल्यूडी नियमावली के विभिन्न शर्तों की अनुपालना न करना, कार्य का अपूर्ण निरीक्षण करना, अन्य मण्डलों के कार्यों में समन्वय की कमी इत्यादि शामिल थे। अतः सीपीडब्ल्यूडी को कार्यन्वयन एवं निरीक्षण के तंत्र में सुधार करना चाहिये जिससे ठेकेदार के द्वारा विलम्ब/ढीलापन में दण्ड लगाने में समयानुसार कार्यवाही की जा सके और भविष्य में इस प्रकार के विलम्ब की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मध्य मार्ग सुधार किया जा सके।

#### 4.2.6 अनुशंसाएँ

- बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए साइट क्लीयरेंस प्राप्त करने के बाद निविदा मंगाई/दी जानी चाहिए।
- कम्पोजिट टेंडरिंग के बारे में सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के प्रावधानों को देरी और अतिव्यापी समयसीमा से बचने के लिए सावधानी से पालन किया जाना चाहिए।
- बाजार दरों पर अतिरिक्त भुगतान से बचने के लिए विस्तृत व्यापक अनुमान तैयार करने से संबंधित सीपीडब्ल्यूडी प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

- ठेकेदारों के काम की निगरानी लगातार की जानी चाहिए और जहाँ भी लागू हो, जुर्माना वसूलने की कार्रवाई समय से शुरू की जानी चाहिए।

मामला मंत्रालय को अक्टूबर 2018 में सूचित किया गया था, उत्तर प्रतीक्षित था। (सितम्बर 2019)

#### 4.3 संविदाकर्ता को ₹1.36 करोड़ का अधिक भुगतान

सीमेंट और स्टील पर वृद्धि परिकलित करने के लिए गलत कीमत सूचकांक अपनाने के कारण संविदाकर्ता को ₹1.36 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) निर्माण कार्य पुस्तिका के खंड 10 सीए में कार्य से सम्बन्धित विभिन्न सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि अथवा कमी आने के कारण संविदा की धनराशि को परिवर्तित करने का प्रावधान था। यह खंड महँगी सामग्रियों, जो कि कार्य का बड़ा हिस्सा बनाती हैं, की कीमतों में हुए परिवर्तन के कारण कार्य की लागत में समायोजन करने के लिए लागू होता है। निविदा आमंत्रित करने वाला प्राधिकारी सीमेंट, स्टील रीइंफोर्समेंटबार, संरचनात्मक स्टील आदि जैसी सामग्रियों को इस खंड के दायरे में लाने पर विचार कर सकता था।

महानिदेशक निर्माण कार्य (डीजीडब्ल्यू), सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन (ओएम) दिनांक 14 अक्टूबर 2008 के अनुसार सीमेंट, स्टील रीइंफोर्समेंट बार तथा संरचनात्मक स्टील की कीमतों में वृद्धि परिकलित करने के लिए आधार कीमत डीजीडब्ल्यू द्वारा जारी किया गया कीमत सूचकांक होगा जो कि अतिरिक्त समय, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए निविदाओं की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक वैध होगी। इसके अलावा, डीजीडब्ल्यू द्वारा जारी किए दिनांक 31 दिसम्बर 2008 के ओएम में निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) के अनुमोदन के समय खंड 10 सीए के अन्तर्गत सभी सामग्रियों की आधार कीमत के उल्लेख को अनिवार्य कर दिया गया।

सीपीडब्ल्यूडी ने देव नगर, नई दिल्ली में 'आन्तरिक जल आपूर्ति, स्वच्छता उपकरण संस्थापन तथा आन्तरिक विद्युत कार्य को सम्मिलित करते हुए '400 टाइप III मकानों का निर्माण' कार्य के लिए एक एनआईटी (नवम्बर 2008) अनुमोदित की। वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन के बाद, सक्षम प्राधिकारी द्वारा (जनवरी 2009) तीन फर्मों को सफल घोषित किया गया। फर्मों को संशोधित वित्तीय बोलियों को प्रस्तुत करने को कहा गया क्योंकि पहले की वित्तीय बोलियाँ, जो कि खोली नहीं गई थी, दिनांक 31 दिसम्बर 2008 को जारी किए गए ओएम से पूर्व प्राप्त हुई थी। संशोधित वित्तीय बोलियों को

जमा करने की अन्तिम तिथि 7 फरवरी 2009 थी। सबसे कम बोली लगाने वाले मैसर्स यूनैटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड से साइट का कब्जा लेने तथा कार्य प्रारम्भ करने का (अगस्त 2009) अनुरोध किया गया। वार्ता द्वारा परियोजना की लागत ₹72.20 करोड़ तय हुई। कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि 18 अगस्त 2011 थी। इस एनआईटी में लागत वृद्धि खंड 10 सीए के अन्तर्गत थी।

लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों की जाँच ने दर्शाया कि दिनांक 31 दिसम्बर 2008 का ओएम जारी होने के पश्चात् इस कार्य के लिए एक संशोधित एनआईटी (21 जनवरी 2009) जारी की गई। इस संशोधित एनआईटी में सीमेंट, स्टीलरीइंफोर्समेंट बार तथा संरचनात्मक स्टील के लिए वृद्धि खंड के दायरे में आने वाली वस्तुओं की आधार कीमतों का विशिष्ट रूप से वर्णन था।

लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों की जाँच ने दर्शाया कि जबकि संशोधित एनआईटी में वर्णित आधार कीमतें 12 जनवरी 2009 को डीजीडब्ल्यू द्वारा जारी की गई आधार कीमतों के अनुरूप थीं जो कि निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि तक लागू थीं जबकि वृद्धि परिकलित करते समय लिए गए कीमत सूचकांक वह थे जो कि 13 फरवरी 2009 को अर्थात् निविदाओं की प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद लागू हुए थे। इन आधार कीमतों के लिए डीजीडब्ल्यू द्वारा जारी किया गया कीमत सूचकांक, हालांकि एनआईटी में वर्णित नहीं था, उस लागत सूचकांक से अलग था जिस पर सीपीडब्ल्यूडी ने वृद्धि परिकलित की थी, को तालिका 4.1 में दर्शाया गया है।

**तालिका 4.1: निविदा को प्राप्त करने की अंतिम तिथि पर कीमत सूचकांक एवं सीपीडब्ल्यूडी द्वारा वृद्धि के लिए सुविचारित कीमत सूचकांक**

सामग्री	डीजीडब्ल्यू द्वारा जारी किया गया कीमत सूचकांक जो कि निविदाओं की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक लागू था	वृद्धि परिकलित करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी द्वारा लिया गया कीमत सूचकांक
सीमेंट	95.00	94.53
स्टीलरी इंफोर्समेंट बार	112.00	103.00
संरचनात्मक स्टील	105.00	104.00

कार्य 23 नवम्बर 2013 को समाप्त हुआ। वृद्धि विवरणियों (अगस्त 2009 से मई 2013) के आधार पर सीपीडब्ल्यूडी ने कार्य में लगने वाले सीमेंट और स्टील की

कीमतें बढ़ने के कारण वृद्धि के लिए संविदाकर्ता को ₹3.08 करोड़<sup>5</sup> का भुगतान किया। हालांकि, अक्टूबर 2014 में सीपीडब्ल्यूडी ने वृद्धि को ₹3.05 करोड़<sup>6</sup> तक परिशोधित किया और अंतिम बिल में ₹3.53 लाख (जनवरी 2015) समायोजित किए गए।

लेखापरीक्षा ने वृद्धि परिकलित की और पाया कि निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को लागू सूचकांक के अनुसार केवल ₹1.69 करोड़ ही संविदाकर्ता को देय थे। इस प्रकार, दिनांक 31 दिसम्बर 2008 के ओएम के उल्लंघन में ऐसे कीमत सूचकांक पर विचार करते हुए जो कि निविदा की प्राप्ति की अंतिम तिथि को लागू नहीं था, सीमेंट और स्टील की वृद्धि के गलत परिकलन के कारण संविदाकर्ता को ₹1.36 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा अवलोकनों को मानते हुए, सीपीडब्ल्यूडी ने कहा (सितम्बर 2017/ जुलाई 2018) कि संविदाकर्ता से उक्त धनराशि की वसूली करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे थे।

हालांकि, जुलाई 2018 में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को इस बारे में सूचित करने के बाद सीपीडब्ल्यूडी ने अपने पूर्व उत्तरों के विरोधाभास में कहा (नवम्बर 2018) कि फरवरी 2009 के सूचकांक सही लगाए गए हैं क्योंकि निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2009 थी और 13 फरवरी 2009 को जारी किए गए सामग्री के सूचकांक सम्पूर्ण फरवरी 2009 माह के लिए लागू थे अर्थात् 1 फरवरी 2009 से।

उपरोक्त उत्तर निम्न के कारण स्वीकार्य नहीं है:

- ऐसे कीमत सूचकांक को मानना जो कि निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के समय लागू नहीं था, दिनांक 31 दिसम्बर 2008 के ओएम का उल्लंघन है जिसके अनुसार वही कीमत सूचकांक माना जाएगा जो कि निविदाओं की प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तिथि को लागू होगा, 13 फरवरी 2009 को जारी किए गए सूचकांक को 7 फरवरी 2009 जो कि निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि थी, को लागू नहीं किया जा सकता।
- उत्तरवर्ती वर्षों में, सीपीडब्ल्यूडी ने सूचकांक को परिभाषित किया है जिसे डी जी, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा सीमेंट, स्टील रीइंफोर्समेंट बार, संरचनात्मक स्टील व पीओएल के लिए जारी किए गए कीमत सूचकांक के रूप में वृद्धि परिकलित करने के लिए आधार माना जाना चाहिए तथा जो अनुसूची 'एफ' में दर्शाई गई सम्बन्धित सामग्री की आधार कीमत के समय की होगी। चूँकि उस अनुसूची में आधार

<sup>5</sup> सीमेंट ₹79,65,072 + स्टील रीइंफोर्समेंट बार ₹2,03,52,463 + संरचनात्मक स्टील ₹25,10,542

<sup>6</sup> सीमेंट ₹78,33,677 + स्टील रीइंफोर्समेंट बार ₹2,07,64,745 + संरचनात्मक स्टील ₹18,76,019

कीमतें 12 जनवरी 2009 को जारी किए गए कीमत सूचकांक के समय की थीं, 13 फरवरी 2009 के कीमत सूचकांक को अपनाना सही नहीं था।

इस प्रकार सीपीडब्ल्यूडी द्वारा वृद्धि परिकल्पित करने के लिए गलत कीमत सूचकांक अपनाने के कारण संविदाकर्ता को ₹1.36 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

मामले को मंत्रालय को जुलाई 2018 में उद्घत किया गया उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2019)।

#### मुद्रण निदेशालय

#### 4.4 विद्युत शुल्क का परिहार्य भुगतान ₹1.88 करोड़

भारत सरकार के मुद्रणालयों (मिंटो रोड तथा मायापुरी) में यह पाया गया कि वर्ष 2007-08 से 2017-18 के दौरान विद्युत की अनुबंधित मांग के संबंध में वास्तविक खपत निर्धारित अनुबंधित मांग की तुलना में लगातार कम थी, जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त दो मुद्रणालयों को ₹1.88 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) (प्रदर्शन मानक-मीटरिंग और बिलिंग) विनियम, 2002 के अनुसार, लोड में कमी के लिए आवेदन को मूल अनुमोदन से दो साल बाद स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद, अप्रैल 2007 में संशोधित विनियमों में भी 100 किलो वाट (केडब्ल्यू) से अधिक भार वाले कनेक्शन के लोड में कमी के संबंध में भी समान प्रावधान थे। ये विनियम आपूर्ति अनुबंध में दी गई 'अनुबंधित मांग' को केवीए (किलो वोल्ट एम्पियर) में मांग के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसके लिए लाइसेंसधारी समय-समय पर शासन की शर्तों के अधीन आपूर्ति करने के लिए विशिष्ट प्रतिबद्धता करता है। मांग शुल्क का अर्थ केवीए में बिलिंग मांग के आधार पर बिलिंग चक्र या बिलिंग अवधि के लिए प्रभारित धनराशि है, जहाँ बिलिंग के लिए बिलिंग मांग का अर्थ निम्न में से उच्चतम है (i) अनुबंधित मांग (ii) बिलिंग चक्र के दौरान मीटर द्वारा अधिकतम मांग संकेतक (एमडीआई) या (iii) स्वीकृत भार जहाँ भी आपूर्ति करार में अनुबंधित मांग को प्रदत्त नहीं किया गया था। इस प्रकार ऐसे मामलों में जहाँ वास्तविक उपयोग की गई अनुबंधित मांग सहमत अनुबंधित मांग से कम थी, समझौते के अनुसार संपूर्ण अनुबंधित मांग के लिए भुगतान किया जाना था।

नई दिल्ली स्थित भारत सरकार के दो मुद्रणालयों (जीआईपी), जीआईपी, मिंटो रोड तथा जीआईपी, मायापुरी की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2007-08 से

2017-18 तक के दौरान विद्युत की वास्तविक खपत दोनों मुद्रणालयों में निर्धारित अनुबंधित मांग की तुलना में लगातार कम थी, जिसके परिणामस्वरूप जीआईपी को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार ₹1.88 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

#### 4.4.1 भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली-(जीआईपी, एमआर)

1000 केवीए (एचटी11 केवी) की अनुबंधित मांग की बिजली की आपूर्ति के लिए जीआईपी, एमआर द्वारा 28 सितंबर 1985 को मैसर्स दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाइ अंडरटेकिंग, दिल्ली नगर निगम (2004 से वितरण मैसर्स बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया) के साथ एक बिजली आपूर्ति समझौता किया गया था। जीआईपी, एमआर पर कनेक्शन, आपूर्ति प्रकार एचटी (11 केवी) के साथ गैर-घरेलू-एचटी (उच्च तनाव) की टैरिफ श्रेणी में मंजूर किया गया था।

अप्रैल 2007 से मार्च 2018 तक की अवधि के लिए जीआईपी, एमआर द्वारा उपलब्ध कराए गए बिजली बिलों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि जीआईपी, एमआर में बिजली की खपत केवल 132 केवीए से 396 केवीए के बीच थी। इसलिए, 1000 केवीए में से 604 केवीए से 868 केवीए के बीच अनुबंधित मांग अप्रयुक्त रही। लेखापरीक्षित अवधि के 132 महीनों में से 127 महीनों में बिजली का उपयोग 350 केवीए से कम था। इसलिए, संरक्षित आधार पर, जीआईपी, एमआर के लिए 350 केवीए की अनुबंधित मांग पर्याप्त थी। इस प्रकार, 650 केवीए की अनुबंधित मांग प्रत्येक महीने में अप्रयुक्त रही। हालाँकि, डीईआरसी के नियमों के अनुसार, पूरी अनुबंधित मांग के लिए परिहार्य शुल्क का भुगतान किया जाना था, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.16 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया गया।

इस मामले को जुलाई 2017 में और पुनः अगस्त 2018 में जीआईपी, एमआर के प्रबंधन को संदर्भित किया गया था। जवाब में, प्रबंधन ने कहा (जून 2018) कि उन्होंने सीपीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता (विद्युत) को (अगस्त 2017) लिखा तथा लोड के पुनर्मूल्यांकन हेतु अनुरोध किया।

नवम्बर 2018 में, प्रबंधन ने उत्तर दिया कि प्रचालक कर्मचारियों की कम संख्या और मशीनरी की निरंतर खराबी के कारण अनुबंधित मांग का उपयोग नहीं किया जा सका। उन्होंने आगे कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाने के बाद, अगस्त 2017 में कार्रवाई शुरू की गई थी और अक्टूबर 2018 में मैसर्स बीएसईएसयमुना पावर लिमिटेड को 250 केडब्ल्यू/केवीए तक लोड को कम करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अनुगामी उत्तर (जनवरी 2019) में प्रबंधन ने कहा कि स्वीकृत लोड नवम्बर 2018 के माह से 916 केडब्ल्यू से घटाकर 250 केडब्ल्यू कर दिया गया है।

#### 4.4.2 भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी, नई दिल्ली

भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी नई दिल्ली (जीआईपी, एमपी) ने भी मैसर्स बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड से 802 केवीए की अनुबंधित मांग ली थी। अप्रैल 2007 से मार्च 2018 की अवधि के लिए बिजली के बिलों की जांच से पता चला कि बिजली की वास्तविक खपत केवल 120 केवीए से 456 केवीए के बीच थी। बिजली की वास्तविक खपत 132 महीनों में से 120 महीनों में 400 केवीए से कम थी। इस प्रकार, लेखापरीक्षा विश्लेषण की अवधि अप्रैल 2007 से मार्च 2018 की अवधि के दौरान लगभग 50 प्रतिशत अनुबंधित मांग अप्रयुक्त रही। हालांकि, डीईआरसी के नियमों के अनुसार, पूरी अनुबंधित मांग के लिए परिहार्य शुल्क का भुगतान किया जाना था, जिसके परिणामस्वरूप ₹0.72 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

इस मुद्दे को सितंबर 2017, जून 2018 तथा अक्टूबर 2018 में जीआईपी,एमपी के संज्ञान में लाया गया था। जवाब में, प्रबंधन ने कहा (मार्च 2018) कि मुद्रण निदेशालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से अनुमोदन के बाद मैसर्स बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड को 400 केवीए की घटी हुई अनुबंधित मांग का अनुमोदन देने हेतु अनुरोध किया गया था (मार्च 2018)।

अक्टूबर 2018 में, प्रबंधन ने जवाब दिया कि अनुबंधित मांग 400 केवीए तक कम हो गई थी।

प्रबंधन के जवाबों ने इस तथ्य की पुष्टि की कि 10 से अधिक वर्षों के लिए दोनों जीआईपी में आवश्यकता से अधिक अनुबंधित मांग विद्यमान थी। इसके परिणामस्वरूप **अनुलग्नक-V** में दिए विवरण के अनुसार अप्रैल 2007 से मार्च 2018 तक की अवधि के दौरान ₹1.88 करोड़ (₹1.16 करोड़ + ₹0.72 करोड़) का परिहार्य आवर्ती व्यय हुआ। लेखापरीक्षा अवलोकन में उल्लिखित परिहार्य भुगतान के उदाहरण वे हैं जो दिल्ली में स्थित दो जीआईपी में देखे गए थे। इनके अलावा, मंत्रालय के पास दिल्ली में और भारत में अन्य शहरों में 10 अन्य जीआईपी हैं। मंत्रालय यह सुनिश्चित कर सकता है कि समान अनियमितताओं की संभावना को कम करने के लिए समान मामलों की घटनाओं की जांच और पुनः सत्यापन किया जाए।

अक्टूबर 2018 में मामले को मंत्रालय को भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2019)।

#### 4.5 ₹94.74 करोड़ के मुद्रण शुल्क की बकाया राशि की गैर वसूली

बकाए की वसूली के लिए प्रभावी अनुवीक्षण तंत्र की कमी के कारण, मुद्रण निदेशालय, उन मुद्रण प्रभारों की, जो 31 मार्च 2018 तक ₹94.74 करोड़ की राशि तक संग्रहित हो गए थे तथा 41 वर्षों की अवधि से बकाया थे, की वसूली नहीं कर सका।

मुद्रण निदेशालय (डीओपी), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (मंत्रालय) का एक संलग्न कार्यालय, भारत सरकार के सभी विभागों/मंत्रालयों के मुद्रण कार्यों के क्रियान्वयन सहित प्रकाशनों एवं प्रपत्रों के मुद्रण हेतु उत्तरदायी है। वर्तमान में डीओपी के प्रशासनिक नियंत्रण में, भारत सरकार के 12 मुद्रणालय हैं, जिनमें भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, मायापुरी नई दिल्ली (जीआईपी) भी शामिल है। मुद्रण कार्य करने के बाद डीओपी द्वारा अनुमोदित प्रोफार्मा लेखे पर आधारित लागत विधि के आधार पर मुद्रण लागत बिलों के द्वारा माँगकर्ताओं से मुद्रण की लागत वसूल की जाती है। जीआईपी विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जीएनसीटीडी) की राज्य सरकार, विभिन्न स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल है, की मुद्रण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

जीआईपी की लेखापरीक्षा नियमित रूप से की जाती है तथा मुद्रण प्रभारों की गैर-वसूली का विषय लेखापरीक्षा में अनेक बार उठाया जा चुका है। यह लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए की गयी थी कि जीआईपी देय राशि की गैर वसूली के मामलों की प्रभावी देखरेख कर रही थी या नहीं। जीआईपी के अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित ज्ञात हुआ:

##### 4.5.1 साल दर साल, बकाया मुद्रण प्रभारों में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति

मार्च 2018 तक, जीआईपी को विभिन्न संस्थाओं से ₹94.74 करोड़ के मुद्रण प्रभार की वसूली करनी थी। यह पाया गया कि बकाया धनराशि साल के अंत तक (2017-18 के अलावा) बढ़ती गयी जैसा कि तालिका 4.2 में दर्शाया गया है:-

तालिका 4.2: 2012-13 से 2017-18 की अवधि में बकाया मुद्रण प्रभार

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारंभिक शेष	बिल बनाए गए	घटा/जमा वर्ष के दौरान संशोधित बिल पिछले/वर्तमान वर्ष के लिए	वसूली योग्य कुल धनराशि	वसूली गई धनराशि	बकाया मुद्रण प्रभार
1.	2012-13	4,628.83	4,032.62	-11.82	8,649.63	2,905.30	5,744.33
2.	2013-14	5,744.33	3,914.42	-7.43	9,651.32	2,703.80	6,947.52
3.	2014-15	6,947.52	4,790.46	-53.31	11,684.67	2,699.15	8,985.52
4.	2015-16	8,985.52	3,469.27	4.51	12,459.31	3,048.32	9,410.99
5.	2016-17	9,410.99	2,106.71	0.25	11,517.95	1,863.33	9,654.62
6.	2017-18	9,654.62	2,756.86	-2.69	12,408.79	2,934.62	9,474.17

आगे, 31 मार्च 2018 को वर्षवार, बकाया मुद्रण प्रभार का विवरण **अनुलग्नक-VI** में दिया गया है। बकाया मुद्रण प्रभार के आयु-वार विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि ₹2.05 करोड़ तथा ₹2.70 करोड़ क्रमशः 1976-77 से 1989-90 तथा 1990-91 से 1999-2000 तक की अवधि से संबंधित थे तथा इस प्रकार 18 से 41 वर्षों से अधिक पुराने थे।

#### 4.5.2 जीआईपी वर्तमान के साथ पुराने मुद्रण प्रभारों की वसूली में असफल रही

2000-01 तक कुल बकाया मुद्रण प्रभार ₹5.35 करोड़ में से जीआईपी 2015-16 से 2016-17 तक कोई भी धनराशि वसूल करने में असफल रही। इसी प्रकार, अवधि 2001-02 से 2004-05 के लिए बकाया मुद्रण प्रभार ₹3.12 करोड़ में से ₹0.10 लाख की धनराशि अर्थात् 0.03 प्रतिशत की वसूली की जा सकी। आगे, 2005-06 से 2014-15 की अवधि से संबंधित मुद्रण प्रभारों की 2015-16 एवं 2016-17 में वसूली भी संतोषप्रद नहीं थी, क्योंकि ₹81.37 करोड़ की बकाया धनराशि में से मात्र ₹39.05 करोड़ ही 2015-16 से 2016-17 के दौरान वसूले गए। 2017-18 के दौरान भी जीआईपी, 1997-98 से संबंधित ₹3,714 के अतिरिक्त 2003-04 तक की बकाया राशियों की वसूली नहीं कर पाई। 2012-13 के लिए बकाया ₹1.66 करोड़ में से किसी भी राशि की वसूली नहीं की जा सकी तथा 2015-16 के लिए बकाया ₹28.49 करोड़ में से ₹0.19 करोड़ (0.69 प्रतिशत) की अल्प धनराशि की ही वसूली हो पाई।

इस प्रकार, जीआईपी न केवल, 11 वर्षों से 41 वर्ष पुराने, लंबे बकाया मुद्रण प्रभारों की वरन् तुलनात्मक रूप से हाल ही के 10 वर्षों से कम अवधि के मुद्रण प्रभारों की वसूली करने में भी असफल रही।

#### 4.5.3 बकाया देय की वसूली के लिए तय लक्ष्यों का प्राप्त न होना

यद्यपि मुद्रण प्रभारों की वसूली के लिए लक्ष्य निश्चित किए गए थे, उनकी तुलना में प्राप्त 2012-13 से सदैव नीचे ही रही जैसा कि तालिका 4.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.3: मुद्रण प्रभारों की वसूली के संदर्भ में लक्ष्य एवं प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	वर्ष	लक्ष्य	प्राप्ति	प्राप्ति प्रतिशत में
1.	2012-13	37.31	29.05	78
2.	2013-14	45.73	27.03	59
3.	2014-15	52.06	26.99	52
4.	2015-16	66.95	30.48	46
5.	2016-17	उपलब्ध नहीं करवाया गया	18.63	-
6.	2017-18	59.00	29.34	50

#### 4.5.4 जीएनसीटीडी से लंबे समय से ₹5.01 करोड़ के मुद्रण प्रभार का बकाया

31 मार्च 2018 तक वसूले जाने वाले मुद्रण प्रभारों का संस्था-वार विवरण अनुलग्नक-VII में दिखाया गया है। अनुलग्नक-VII के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ है कि 31 मार्च 2018 को जीएनसीटीडी से ₹5.01 करोड़ बकाया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹0.31 करोड़ के मुद्रण प्रभार 28 वर्षों से 41 वर्ष की अवधि से संबंधित थे जब कि ₹0.77 करोड़, 7 से 27 वर्ष की अवधि से संबंधित थे जैसा कि अनुलग्नक-VIII में दर्शाया गया है। यह इंगित करता है कि जीआईपी, बड़ी धनराशि की लंबे समय से वसूली, ऐसे विभाग/मंत्रालय से करने में असफल रही जो प्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग के अधीन नहीं थे।

#### 4.5.5 बकाया मुद्रण प्रभारों की वसूली के लिए प्रयासों में कमी

अप्रैल 2016 में, डीओपी ने सभी भारत सरकार मुद्रणालयों को कहा कि मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि माँगकर्ता विभागों/कार्यालयों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर, पुरानी बड़ी बकाया धनराशियों की वसूली करने हेतु कुछ अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए। अतः, जीआईपी के प्रमुख/प्रभारी अधिकारी को मुद्रणालय के वर्तमान कार्यबल में से दो कर्मचारियों को, जो माँगकर्ताओं के संस्थानों का भ्रमण कर एवं उनके द्वारा भुगतान करने में आने वाली समस्याओं/मुश्किलों का निराकरण कर, वसूली का काम तेजी से

करने का कार्य दक्षतापूर्वक कर सकें। आगे, डीओपी ने इच्छा जताई कि रिपोर्ट/प्रगति की सूचना, पाक्षिक आधार पर डीओपी को दी जाए।

तदानुसार, जीआईपी ने दो कर्मचारियों के एक दल तथा एक उप-दल का गठन विभिन्न मांगकर्ताओं से बकाया मुद्रण प्रभार की वसूली के लिए किया (जून 2016)। फिर भी, दलों के गठन के बावजूद, बकाया देय में बहुत अधिक कमी नहीं हुई। आगे, लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह प्रकट हुआ कि यद्यपि जीआईपी, पाक्षिक स्थिति/प्रगति अग्रसारित कर रही थी, डीओपी में इन प्रतिवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी, तथा इन्हें मात्र संचिकाबद्ध किया जा रहा था। आगे किसी कार्रवाई के बिना या उच्च प्राधिकारियों को सूचित किये जाने की अनुपस्थिति में इन प्रतिवेदनों ने किसी भी सार्थक उद्देश्य की पूर्ति नहीं की।

यह मामला, डीओपी को अगस्त 2018 में संदर्भित किया गया था। यह स्वीकार करते हुए कि पुराने अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण, मुद्रणालय 1976 से 2006 की अवधि के बिलों की प्रतिलिपि मंत्रालयों/विभागों को उपलब्ध कराने में अक्षम था, डीओपी ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2018) में कहा कि:-

- क) वर्ष 2006 तक, मुद्रणालय ने बिल बनाने की दोहरी पद्धति को अपनाया था अर्थात् 'अंतिम बिल' (सभी विभागों/मंत्रालयों के लिए उनके वर्तमान माँग वर्ष के लिए, मुद्रणालय से अनुमोदित उपलब्ध-दर के आधार पर) एवं अंतिम बिल (जब ऐसे कार्य किए गए थे उससे संबंधित लेखापरीक्षित 'प्रोफार्मा' लेखों के आधार पर, संबंधित वर्ष की अनुमोदित संशोधित "सामान्य घंटा दरों" पर आधारित)। आगे, यह भी कहा कि मंत्रालय/विभाग अपनी मुद्रण मांगों का दोहरा भुगतान करने के लिए अनिच्छुक थे इसलिए, अंतिम बिलों की वसूली मंत्रालयों/विभागों से नहीं की जा सकी। परिणामतः वृहत मुद्रण प्रभार एकत्रित हो गए।
- ख) एक वर्ष में बनाए गए बिलों की कुल धनराशि की वसूली मंत्रालय/विभाग से उनके पास पर्याप्त धन की उपलब्धता न होने के कारण नहीं की जा सकी जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष मुद्रण प्रभार एकत्रित होते गए।
- ग) मुद्रणालय द्वारा निरंतर उठाए गए कदमों के कारण, जीएनसीटीडी से बकाया मुद्रण धनराशि 31 मार्च 2017 को ₹5.32 करोड़ से घट कर 31 मार्च 2018 को ₹5.01 करोड़ रह गयी।

घ) मुद्रण प्रभारों की वसूली के लिए प्रयास अभी भी जारी थे तथा मुद्रणालयों ने विभागों /मंत्रालयों का आवंटन करते हुए कर्मचारियों के नए दल का गठन किया था। मुद्रण प्रभारों के बिलों को बनाना तथा इनकी प्राप्ति एक निरंतर प्रक्रिया थी तथा मुद्रणालय एवं डीओपी, बकाया मुद्रण प्रभारों की वसूली के लिए सभी प्रयास कर रहे थे।

डीओपी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि,

- क) बिल बनाने की दोहरी पद्धति 2006 के बाद बंदकर/ रोक दी गयी थी। इसके बावजूद, मुद्रणालय बाद के वर्षों के लिए मुद्रण प्रभारों की वसूली करने में असफल रहा तथा जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा प्रकट किया गया है कि वसूल की गई राशि सदैव ही बनाए गए बिलों की राशि से कम थी।
- ख) यह माँगकर्ता मंत्रालयों/विभागों की जिम्मेदारी थी कि वे अपनी मुद्रण आवश्यकताओं के लिए बजट प्रावधान करें। उनके पास धन की अनुपलब्धता डीओपी द्वारा मुद्रण प्रभारों की गैर वसूली के लिए वैध स्पष्टीकरण नहीं माना जा सकता।
- ग) जीएनसीटीडी से 2017-18 में ₹0.31 करोड़ की मामूली वसूली को बकाया देय राशि में महत्वपूर्ण प्राप्ति नहीं माना जा सकता।

इस प्रकार, मुद्रण प्रभारों की वसूली के लिए प्रभावी अनुवीक्षण तंत्र की कमी के कारण, डीओपी मार्च 2018 को ₹94.74 करोड़ के मुद्रण प्रभारों की वसूली नहीं कर सका जो 41 वर्ष तक की अवधि से लंबित थे।

अक्टूबर 2018 में मामले को मंत्रालय को भेजा गया उनका उत्तर अभी भी (सितम्बर 2019) प्रतीक्षित था।

#### **4.6 जल शुल्क के भुगतान पर परिहार्य व्यय**

अप्रैल 2012 से मार्च 2018 के दौरान क्वार्टरों में रहने वालों की ओर से जल शुल्क के भुगतान पर ₹1.65 करोड़ का परिहार्य व्यय तथा इसका भारत सरकार के मुद्रणालय, मायापुरी के 'कार्यालय व्यय' शीर्ष से किया गया अनियमित भुगतान।

मुद्रण निदेशालय(डीओपी),आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयू) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारत सरकार मुद्रणालय (जीआईपी) रिंग रोड, मायापुरी, नई दिल्ली के

पास 1972 से टाइप I से IV के 601 क्वार्टर तथा एक प्रबंधक बंगला था। जुलाई 2005 में, 182 क्वार्टर<sup>7</sup> अधिशेष घोषित कर दिए गए तथा आवंटन के लिए “जनरल पूल” श्रेणी के अंतर्गत संपदा निदेशालय (डीओई) को अभ्यर्पित कर दिए गए थे।

जीआईपी कॉलोनी में दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) का एक ही पानी का कनेक्शन था तथा जीआईपी के पंपहाउस/ ओवरहेड टैंक के माध्यम से सभी क्वार्टरों में पानी की आपूर्ति की जाती थी।

लेखापरीक्षा के दौरान, 2012-13 से 2017-18 की अवधि के अभिलेखों की जाँच की गई यद्यपि 1972 से जीआईपी डीजेबी को निरंतर जल शुल्क अदा कर रही है। इस संदर्भ में, लेखापरीक्षा ने निम्न बातों का अवलोकन किया:-

- ‘कार्यालय व्यय’ शीर्ष के अंतर्गत समस्त 601 क्वार्टरों का जल शुल्क जीआईपी द्वारा भुगतान किया गया। अप्रैल 2012 से मार्च 2018 के दौरान जीआईपी ने डीजेबी को ₹2.09 करोड़ जल शुल्क के रूप में भुगतान किया। इसमें से ₹0.63 करोड़<sup>8</sup> (लगभग) की राशि 182 क्वार्टरों के संबंध में भुगतान की गई थी जो 2005 में संपदा निदेशालय को अभ्यर्पित कर दिए गए थे तथा अभ्यर्पित किए गए क्वार्टरों के रहने वालों से कोई राशि वसूल नहीं की जा सकी।
- जीआईपी ने डीजेबी को किए गए वास्तविक भुगतान पर विचार किये बिना स्टॉफ क्वार्टरों के आवंटियों से वसूले जाने वाले शुल्क की दर तय की इसलिए, जीआईपी के कर्मचारियों को आवंटित 419 क्वार्टरों के लिए लगभग ₹1.46 करोड़<sup>9</sup> की राशि में से केवल ₹0.44 करोड़ की राशि ही अप्रैल 2012 से मार्च 2018 के दौरान वसूल की जा सकी। इस प्रकार कर्मचारियों से जल शुल्क की लगभग ₹1.02 करोड़ की राशि कम वसूली हो पाई।
- वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम (डीएफपीआर) (नियम 8) निर्धारित करता है कि ‘कार्यालय व्यय’ में कार्यालय को चलाने के लिए सभी आकस्मिक खर्च शामिल होंगे तथा सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2005 और 2017 के नियम 26(ii) में निहित है कि धन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाना

---

<sup>7</sup> (122 टाइप-I और 60 टाइप-II)

<sup>8</sup> प्रत्येक प्रकार के क्वार्टरों के लिए डीजेबी को किए गए वास्तविक भुगतान के विवरण की कमी के कारण, किए गए भुगतान की कुल राशि को 601 क्वार्टरों में समान रूप से विभाजित किया गया। (₹2.09 करोड़/601) \* 182 क्वार्टर = ₹0.63 करोड़

<sup>9</sup> (₹2.09 करोड़/601) \* 419 क्वार्टर = ₹1.46 करोड़

चाहिए जिसके लिए उसे प्रदान किया गया था। इन सभी को ध्यान में रखते हुए, 'कार्यालय व्यय' शीर्ष से स्टॉफ क्वार्टरों के लिए जल शुल्क के ₹2.09 करोड़ का भुगतान अनाधिकृत और डीएफपीआर और जीएफआर के प्रावधानों का उल्लंघन था।

मुद्रण निदेशालय (डीओपी) (अक्टूबर 2018) ने कहा कि थोक आपूर्ति के लिए समेकित जल शुल्क बिल को डीजेबी द्वारा जीआईपी के नाम से बनाया गया था और इसलिए 2005 में जुर्माना/वियोजन से बचने के लिए 182 अभ्यर्पित क्वार्टरों का भुगतान भी करना पड़ा। यह भी कहा गया कि डीओई और सीपीडब्ल्यूडी के साथ पत्राचार के बावजूद, 182 अभ्यर्पित क्वार्टरों के संबंध में जल शुल्क की वसूली नहीं करने के बारे में कोई भी सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं किया जा सका। इसी तरह, डीजेबी के साथ बार-बार मामला उठाने के बावजूद अलग से पानी के मीटर नहीं लगाए जा सके। डीओपी ने यह भी कहा कि जुलाई 2018 से जीआईपी के रहने वालों के संबंध में जल शुल्क की दरों को संशोधित किया गया था और वसूली में वृद्धि की गई थी। डीओपी ने आगे कहा कि मुख्यालय स्तर पर डीओई/सीपीडब्ल्यूडी के साथ मामले को उठाया जा रहा था तथा जीआईपी कॉलोनी के निवासी कल्याण संघ ने भी अब व्यक्तिगत मीटर लगवाने के मुद्दे को उठाया था।

डीओपी का उत्तर निम्नलिखित के प्रकाश में देखा जाना चाहिए:-

- (क) 2005 में क्वार्टरों के अभ्यर्पण के बावजूद, अभ्यर्पण के बाद से 13 वर्षों की अवधि के बाद भी आबंटियों से वसूली की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी। इस संबंध में, निवासी कल्याण संघ, यूनियन प्रतिनिधि और प्रबंधक जीआईपी की एक संयुक्त बैठक नवंबर, 2011 में सामान्य पूल आबंटियों या उनके संबंधित कार्यालयों से जल शुल्क की वसूली के लिए आयोजित की गई थी। इसके बावजूद, अभ्यर्पित क्वार्टरों के आबंटियों से कोई वसूली नहीं की गई।
- (ख) जीआईपीने डीजेबी को किए गए वास्तविक भुगतान पर विचार किये बिना अपने स्वयं के कर्मचारियों से जल शुल्क की वसूली की दर निर्धारित की। जुलाई 2018 में आबंटियों से जल शुल्क की वसूली की दर में संशोधन के बावजूद, डीजेबी को भुगतान की गई राशि और वसूल की गई राशि के बीच एक अंतर रहा। जुलाई 2018 से जनवरी 2019 की अवधि के दौरान, इस अंतर के कारण जीआईपी को ₹9.55 लाख का नुकसान उठाना पड़ा।

- (ग) जीआईपी ने कार्यालय प्रभारी के स्तर पर और केवल एक बार उप निदेशक के स्तर पर व्यक्तिगत पानी के मीटर लगाने का मुद्दा उठाया। केवल 2018 में डीओपी ने मामले को मुख्यालय स्तर पर उठाने का फैसला किया। इस प्रकार, हालांकि यह मामला डीजेबी, सीपीडब्ल्यूडी और डीओई के साथ पत्राचार के माध्यम से उठाया गया था, जीआईपी द्वारा इस मामले को डीओपी में डीओई/मंत्रालय के साथ उचित स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए थे।
- (घ) 'कार्यालय व्यय' शीर्ष से स्टाफ क्वार्टरों के लिए जल शुल्क का भुगतान डीएफपीआर और जीएफआर नियमों का उल्लंघन था, लेकिन जीआईपी ने उस व्यय को वहन करना जारी रखा जो अनियमित था।

इस प्रकार, अधिभोगियों से शुल्कों की वसूली अथवा व्यक्तिगत मीटरों के संस्थापन की व्यवस्था करने के लिए डीओपी द्वारा डीओई/मंत्रालय के साथ उचित उच्च स्तरों पर अपर्याप्त कार्रवाई और अनुवर्तन के कारण स्टाफ क्वार्टरों के अधिभोगियों की तरफ से जल शुल्क का भुगतान करने के परिणामस्वरूप जीआईपी को ₹1.65 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा। 'कार्यालय व्यय' शीर्ष से इस तरह का व्यय भी अनियमित था।

सितम्बर 2018 में मामले को मंत्रालय को भेजा गया; उनका उत्तर अभी भी (सितम्बर 2019) प्रतीक्षित था।

#### 4.7 फर्जी एलटीसी दावों की प्रतिपूर्ति

भारत सरकार प्रेस, मिंटो रोड के कर्मचारियों ने फर्जी टिकटों एवं तथ्यों का मिथ्या निरूपण कर दावे किए एवं उनको वास्तविक हवाई यात्राओं पर किए गए खर्च से अधिक की रकम का भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किए गए 87 कर्मचारियों को ₹56.98 लाख की गैर हकदार राशि की प्रतिपूर्ति हुई। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए 87 मामलों में से 64 कर्मचारियों से ₹55.59 लाख (जिसमें ₹13.19 लाख का दंडात्मक ब्याज शामिल है), की रकम वसूली गई। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा की सिफारिश पर, विभाग द्वारा एलटीसी दावों की पुनः जाँच के पश्चात भारत सरकार की पाँच प्रैसों के 143 अन्य कर्मचारियों से ₹1.01 करोड़ की वसूली की गई।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा (जून 2010 में) जारी एक कार्यालय जापन (ओएम) के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को गृह नगर अवकाश यात्रा रियायत का रूपांतरण करके जम्मू और कश्मीर जाने की अनुमति दी गई थी। इस ओएम ने गैर-

हकदार कर्मचारियों को भी दिल्ली/अमृतसर से किसी भी एयरलाइंस द्वारा जम्मू और कश्मीर में किसी भी स्थान पर हवाई यात्रा करने की अनुमति दी, पर इसके लिए उनकी हकदारी को एयर इंडिया के एलटीसी-80 किराए तक सीमित किया जाना था। इसके अतिरिक्त, दिनांक 16 सितंबर 2010 के ओएम ने सरकारी कर्मचारियों को जम्मू और कश्मीर यात्रा करने के लिए निजी एयरलाइंस की सेवाएं लेने की अनुमति प्रदान की, बशर्ते कि टिकट सीधा एयरलाइंस से या केवल अधिकृत एजेंटों जोकि मैसर्स बामर लॉरी एंड कंपनी, मैसर्स अशोक ट्रेवल्स एंड टूर लिमिटेड और इंडियन रेलवे क्रेडिटिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) है। इसके अलावा, 26 सितंबर 2014 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, गैर हकदार कर्मचारियों को भी एयर इंडिया द्वारा

- (i) चैन्नई/कोलकाता/भुवनेश्वर से पोर्ट ब्लेयर एवं
- (ii) कोलकाता/गुवाहाटी से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन (एनईआर) में किसी भी स्थान तक हवाई यात्रा करने की अनुमति दे दी गई।

2012-17 की अवधि में भारत सरकार प्रेस, मिंटो रोड, नई दिल्ली (मुद्रणालय) में किए गए 634 अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) दावों में से 190 की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि 87 मामलों में, कर्मचारियों ने फर्जी तरीकों से ₹56.98 लाख की गैर हकदारी रकम प्राप्त की जबकि इन मामलों में एलटीसी दावे निरस्त किए जाने चाहिए थे। लेखापरीक्षा में देखे गए मामलों के ब्यौरे निम्नांकित हैं:-

- सत्तासी (87) मामलों में से उनहतर (69) में, कर्मचारियों ने अपने एलटीसी बिल के साथ हवाई टिकट प्रस्तुत करते हुए, सरकार से भुगतान के लिए ₹50.03 लाख रकम के दावे किए। इन दावों के विरुद्ध, सरकार ने इन कर्मचारियों को ₹44.84 लाख की रकम का भुगतान किया। इन कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत की गई हवाई टिकटों को लेखापरीक्षा ने संबद्ध एयरलाइंस (एयर इंडिया, स्पाइस जेट, गो एयर एवं इंडिगो) से क्रॉसचेक किया। एयरलाइंस से प्राप्त ब्यौरों की जांच में पाया गया कि इन कर्मचारियों ने मूल टिकटों में वर्णित ₹24.44 लाख की मूल रकम को बदलकर ₹50.03 लाख की उच्चतर राशि में तब्दील कर दिया था। इसके अतिरिक्त, भुगतान के लिए इन हवाई टिकटों को प्रस्तुत करने में देखा गया कि जिन अनाधिकृत यात्रा प्रतिनिधियों से ये टिकट बुक कराए गए थे, उनके नाम मिटा दिया गए थे। ऐसे असत्यपूर्ण दावों के चलते ये कर्मचारी, सरकार से ₹44.84 लाख का भुगतान प्राप्त करने में सफल हुए।

- इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किए गए सत्तासी (87) मामलों में से पाँच (5) मामलों में, यद्यपि हवाई टिकट अधिकृत माध्यम से बुक कराए गए थे, परंतु यह पाया गया कि एयरलाइंस को अदा की गई ₹2.43 लाख की वास्तविक रकम को बदलकर ₹4.35 लाख कर दिया गया था एवं संबद्ध कर्मचारी ₹2.43 लाख की वास्तविक अदायगी के बजाए ₹4.12 लाख का भुगतान प्राप्त करने में सफल हुए।
- शेष 13 कर्मचारियों के संबंध में, कुल ₹8.23 लाख के हवाई टिकट अनाधिकृत यात्रा प्रतिनिधियों द्वारा बुक कराए गए किंतु भुगतान हेतु एलटीसी दावे प्रस्तुत करते समय, उन अनाधिकृत प्रतिनिधियों के नाम, टिकटों से हटा दिये गए थे फलस्वरूप, इन कर्मचारियों को ₹8.02 लाख की रकम का भुगतान किया गया।
- इस प्रकार, दस्तावेजों की जालसाजी और तथ्यों के गलत प्रस्तुतीकरण से, लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किए गए 87 कर्मचारियों को ₹56.98 लाख (₹44.84 लाख + ₹4.12 लाख + ₹8.02 लाख) की गैर-हकदार रकम का भुगतान किया गया।

यद्यपि, हवाई टिकटों में पर्याप्त संकेत थे कि ये टिकट जाली थे जैसे कि अदायगी के माध्यम की अनुपस्थिति, बुकिंग एजेंसी के नाम की अनुपस्थिति, टिकट पर दिखाए बेस फेयर के साथ सेवा कर राशि का मिलान नहीं होना, टिकटों पर हवाई फेयर के ब्यौरे का न होना, निजी एयरलाइंस की टिकटों पर “अंडर एलटीसी 80 फेयर” शब्दों का अंकित होना इत्यादि, लेकिन इन बिलों को पारित एवं अदा करने के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों ने बिना पर्याप्त सूझ-बूझ लगाए, इस रकम का भुगतान कर दिया।

इस मामले को 21 मई 2018 को प्रेस एवं मुद्रण निदेशालय (डीओपी) के संज्ञान में लाया गया जोकि भारत सरकार प्रेस, मिंटो रोड का नियंत्रक कार्यालय है। जवाब में, डीओपी ने 25 मई 2018 को मुद्रणालय को निर्देश दिया कि इन फर्जी एलटीसी दावेदारों के खिलाफ नियमों के अनुसार तुरंत कार्रवाई की जाए एवं संबद्ध कर्मचारियों की जून 2018 के वेतन में से लेखापरीक्षा द्वारा निर्दिष्ट की गई वसूली भी की जाए। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार प्रेस, मिंटो रोड ने जुलाई 2018 में सूचित किया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की प्राप्ति के पश्चात, एलटीसी दावों की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसने आगे यह भी बताया कि कुछ कर्मचारियों ने माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली से संपर्क किया है और जून 2018 में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं। भारत सरकार प्रेस ने लेखापरीक्षा से अनुरोध किया कि वह

एयरलाइनों से एकत्र किए गए सभी दस्तावेजों को उपलब्ध कराए ताकि उनकी ओर से आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके। तदनुसार, लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ भारत सरकार प्रेस को उपलब्ध करवा दी गयी (31 जुलाई 2018)।

अक्टूबर 2018 में, डीओपी ने सूचित किया कि 87 कर्मियों में 63 कर्मियों से कुल ₹56.98 लाख में से ₹38.11<sup>10</sup> लाख की रकम वसूली जा चुकी थी और ₹18.87 लाख (ब्याज रहित) की एक रकम अभी वसूली जानी थी। 24 सेवानिवृत्त कर्मचारियों से कोई राशि नहीं वसूली जा सकी। दो कर्मचारी जिनसे वसूली की गई थी और तीन सेवानिवृत्त वर्ग से थे, ने माननीय कैट (प्रधान पीठ), नई दिल्ली से संपर्क किया और उनके वेतन से किसी भी राशि की वसूली के विरुद्ध 29 जून 2018 को स्थगन आदेश प्राप्त किया। हालांकि, सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों से शेष राशि की वसूली के प्रयास किए गए थे। डीओपी ने यह भी कहा कि उसने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था जो 2012-17 के दौरान इस तरह के फर्जी दावों को पारित करने में शामिल थे और यथा समय, संगत नियमों के अन्तर्गत उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। डीओपी ने यह भी बताया कि उसने प्रबंधक, भारत सरकार प्रेस, मिंटो रोड, नई दिल्ली को जांच करने का निर्देश दिया और फर्जी दावेदारों के विरुद्ध सीसीएस (आचरण) नियमों और एलटीसी नियमों के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। डीओपी के निर्देशानुसार, प्रबंधक, जीआईपी, मिंटो रोड ने प्रतिपूर्ति की दिनांक से दंडात्मक ब्याज के साथ धोखाधड़ी करने वाले दावेदारों से पूरी राशि वसूलने का फैसला किया।

चूंकि, दस्तावेजों की नमूना जाँच के दौरान एलटीसी दावों का फर्जी भुगतान देखा गया था, इस तरह के अन्य मामलों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः समान अनियमितताओं की संभावना को कम करने की दृष्टि से, लेखापरीक्षा ने सुझाव दिया कि विभाग 2010-11 के दौरान और उसके आगे भुगतान किए गए सभी एलटीसी दावों की जाँच करे। इसके अतिरिक्त, दावों को पारित करने से पहले संबंधित एयरलाइनों द्वारा वसूले जाने वाले वास्तविक हवाई किराए के सत्यापन से संबंधित निर्देश भी एलटीसी/टीए दावों को पारित करने में शामिल अधिकारियों को जारी किए जा सकते हैं।

सितंबर 2019 में डीओपी ने सूचित किया कि ₹56.98 लाख (ब्याज रहित) के विरुद्ध ₹55.59 लाख (₹13.19 लाख के दंडात्मक ब्याज समेत) 87 में से 64 कर्मचारियों से वसूल कर लिए गए थे एवं ₹14.58 लाख (ब्याज रहित) 18 सेवानिवृत्त एवं उन पाँच

<sup>10</sup> जवाब के अनुसार मूलधन = ₹38.11 लाख + ब्याज ₹10.12 लाख मिलाकर कुल वसूली ₹48.23 लाख थी।

कर्मचारियों से अभी वसूल किए जाने थे जो माननीय कैट (प्रधान पीठ) नई दिल्ली में चले गए थे और जिन्होंने अपने वेतन में से किसी प्रकार की वसूली करने के विरुद्ध 29 जून 2018 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। डीओपी ने यह भी कहा कि लेखापरीक्षा के परामर्श अनुसार, उसने 2010-11 से आगे के सभी एलटीसी दावों को फिर से जाँच करने और एलटीसी नियमों एवं सीसीएस आचरण नियमों के तहत उचित कार्रवाई करने के बारे में सभी भारत सरकार प्रेस/भारत सरकार टैक्स्ट बुक प्रेस/इकाइयों को निर्देश जारी किए थे। पुनःजाँच के दौरान, विभाग ने 893 संदिग्ध मामले पाए जिसमें से 382 मामलों संबंध एयरलाइंस से सत्यापित कर लिए गए हैं। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए मामलों के अलावा, पाँच भारत सरकार प्रेसों<sup>11</sup> के 143 कर्मचारियों से ₹1.01 करोड़ की वसूली की गयी। इसके अतिरिक्त यह बताया गया कि तीन प्रेस<sup>12</sup> के 35 कर्मचारियों ने अपने वेतन से वसूली के विरुद्ध सीएटी से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। तदनुसार, इन कर्मचारियों से एवं उन कुछ कर्मचारियों जो सेवानिवृत्त हो गए थे या सेवा से निलंबित कर दिए गए थे, से कोई रकम वसूल नहीं की जा सकी यह भी बताया गया कि एलटीसी के गैर हकदार दावों की शेष राशि सेवाधीन कर्मचारियों से दिसंबर 2019 तक वसूल कर ली जाएगी और इन फर्जी दावेदारों से गैर हकदार एलटीसी दावों को वसूल करने के लिए सभी प्रेस/इकाइयों को निर्देश पहले ही (अगस्त 2019) दिए जा चुके थे।

इस तरह, ₹1.56 करोड़ (₹0.55 करोड़ + ₹1.01 करोड़) की रकम लेखापरीक्षा के परामर्श पर वसूल की जा चुकी थी एवं उपयुक्त ब्याज समेत ₹14.58 लाख (₹56.98 लाख में से) अभी वसूल की जानी बाकी थी।

यह मामला मंत्रालय को अक्टूबर 2018 में सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2019)।

---

<sup>11</sup> जीआईपी, मिंटो रोड, नई दिल्ली-20, जीआईपी फरीदाबाद-111, जीआईपी, रिंग रोड, नई दिल्ली-07, जीआईपी, निलोखेड़ी-01 और जीआईपी, राष्ट्रपति भवन-01.

<sup>12</sup> जीआईपी, मिंटो रोड, नई दिल्ली-13, फरीदाबाद-13, जीआईपी, रिंग रोड, नई दिल्ली-09

## दिल्ली विकास प्राधिकरण

### 4.8 विद्युत और अनुरक्षण सेवाओं के कारण फ्लैट मालिकों से ₹94.00 लाख की कम वसूली

जैसा कि निर्धारित किया गया था, प्रत्येक अधिवासी से ₹2.50 लाख की विद्युत और मैकेनिकल सेवाओं के संचालन और रखरखाव के लिए अनुरक्षण शुल्क लिया जाना था और 47 आबंटियों ने प्रत्येक ₹0.50 लाख जमा किए। जिस कारण केवल ₹94.00 लाख की कम वसूली हुई।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 1 सितंबर से 9 अक्टूबर 2014 तक हाउसिंग स्कीम 2014 (स्कीम) लॉन्च की और विभिन्न श्रेणियों जैसे कि जनता, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी के कुछ पुराने और कुछ नवनिर्मित फ्लैटों के आबंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए। योजना के आरंभ से पहले, डीडीए द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि एकमुश्त रखरखाव शुल्क जिसे सीड मनी भी कहा जाता है, को आबंटियों से विद्युत एवं मैकेनिकल (ईएंडएम) सेवाओं के संचालन और रखरखाव के उद्देश्य से एकत्र किया जाएगा। एकत्र किए गए एकमुश्त रखरखाव शुल्क को दीर्घावधि जमा राशि में निवेश किया जाएगा और जमा पर प्रोदभूत/ अर्जित ब्याज से वार्षिक रखरखाव व्यय पूरा किया जाएगा। अर्जित ब्याज से अधिक शेष व्यय यदि कोई हो तो इसे फ्लैट मालिकों द्वारा वहन किया जाना था। योजना की विवरणिका में दर्शाया गया कि अक्टूबर 2010 के बाद निर्मित नई आवासीय क्षेत्र/खंड के संबंध में, सामान्य क्षेत्रों के रखरखाव के लिए, एक रखरखाव कोष बनाया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, 30 वर्षों की अवधि के लिए, फ्लैटों की निपटान लागत में सिविल और विद्युत रखरखाव शुल्क जोड़े गए थे। लिफ्ट युक्त एमआईजी फ्लैटों के लिए, सीड मनी ₹2.50 लाख प्रति फ्लैट निर्धारित की गई थी।

अभिलेखों की जांच से पता चला है कि डीडीए ने सेक्टर ए-9, नरेला, दिल्ली में लिफ्ट युक्त 384 एमआईजी फ्लैटों को बिक्री पर लगाया। इन फ्लैटों में, प्रति फ्लैट ₹2.50 लाख का एकमुश्त रखरखाव शुल्क लगाया जाना था। 384 एमआईजी फ्लैट में से 53 आबंटियों ने फ्लैट स्वीकार किए।

लेखापरीक्षा में 50 डिमांड-कम-आबंटन पत्रों की जांच की और यह देखा गया कि फ्लैट की कुल लागत में विद्युत रखरखाव के लिए एकमुश्त रखरखाव शुल्क में केवल ₹0.50 लाख की राशि शामिल थी। इनमें से, 47 मामलों में डीडीए द्वारा डिमांड-कम-अलॉटमेंट लेटर में डिमांड की गई राशि का भुगतान आबंटियों द्वारा किया गया था। शेष तीन मामलों के संबंध में, आबंटियों द्वारा किए गए भुगतान के बारे में कोई दस्तावेजी

साक्ष्य अभिलेखों में नहीं मिला। इसके परिणामस्वरूप, 47 आबंटियों से ₹94.00 लाख की एकमुश्त रखरखाव शुल्क की कम मांग और कम प्राप्ति हुई।

डीडीए ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (नवंबर 2018) कि मांग पत्र में विद्युत शुल्क @₹0.50 लाख को अनजाने में शामिल करके जारी किए गए थे। फ्लैटों के हस्तान्तरण विलेख के निष्पादन के समय आबंटियों से ₹2.00 लाख की शेष विद्युत शुल्क की मांग की जाएगी। मंत्रालय ने डीडीए के जवाब का (जून 2019) समर्थन किया।

मंत्रालय/डीडीए हालाँकि यह सुनिश्चित करे कि इस योजना के अंतर्गत आने वाले सभी आबंटनों के साथ-साथ बाद के आबंटन की भी पूर्ण जांच की जाए जिससे इस तरह की अनियमितताओं की संभावना को रोका जा सके।

#### 4.9 पट्टेदार को ₹62.32 लाख का अनुचित लाभ

दुरुपयोग जुर्माना लगाने के लिए पॉलिसी के एक गलत अनुच्छेद का प्रयोग करने से ₹62.32 लाख रकम के देयता की वसूली नहीं हो पायी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) जन सेवाओं, सामुदायिक सुविधाओं, खुले स्थानों, पार्क, क्रीडा स्थल, रिहाइश हेतु, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपयोगों एवं ऐसे किसी उद्देश्य के लिए जो समय-समय पर विज्ञप्ति द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, के लिए जमीन आबंटित करता है। सभी पट्टे, पट्टा समझौते में शामिल नियम और शर्तों द्वारा नियमित किए जाते हैं। इन नियम और शर्तों का उल्लंघन जैसे कि अवैध निर्माण, उद्देश्य में बदलाव आदि करने पर दुरुपयोग दंड लगाया जाता है।

दुरुपयोग दंड लगाने के लिए अनुकूल नीतियाँ समय समय पर संशोधित की गयीं और निवर्तमान योजना मई 2016 में लाई गई थी जो इस विषय पर सभी पुरानी नीतियों के अधिक्रमण में थी।

नमूना जाँच में, लेखापरीक्षा ने देखा कि डीडीए आवासीय प्लॉट नं. 8, ब्लॉक सी-6, सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया, नई दिल्ली के मामले में दुरुपयोग दंड लगाते समय इस नीति के अनुच्छेदों का ठीक पालन नहीं किया गया। 727.42 वर्ग मीटर के इस प्लॉट को (जनवरी 1975) श्री सत्य मोहन सचदेव एवं अन्य (पट्टेदार) को पट्टे पर दिया गया था। यह इमारत नवंबर 1982 में बनाई गयी थी एवं अधिभोग प्रमाणपत्र फरवरी 1983 में जारी किया गया था।

डीडीए ने (जून 1986) पट्टेदार को नोटिस दिया कि उक्त जमीन एक अस्पताल<sup>13</sup> चलाने के उद्देश्य से इस्तेमाल की जा रही थी, जो कि पट्टे की शर्तों के विरुद्ध था और पट्टेदार को नोटिस प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर वास्तुस्थिति को रोक देने के लिए कहा गया। इस प्रकार के नोटिस पुनः सितंबर 1986, मार्च 1988, जून 1988, अक्टूबर 1988, नवंबर 1988 और फरवरी 1989 में भी दिए गए। पट्टेदार के पक्ष में रामलाल महाजन चैरिटेबल ट्रस्ट (ट्रस्ट) ने (मार्च 1989) डीडीए को जवाब दिया कि डीडीए के नोटिस का जवाब उनके द्वारा पहले ही अक्टूबर 1988 में दिया जा चुका था। अपने जवाब में, उन्होंने कहा कि जनवरी 1984 में, उक्त परिसर में नर्सिंग होम स्थापित करने व उसे चलाने के लिए ट्रस्ट और पट्टेदार के एटॉर्नी श्री आर.एन.सचदेव के बीच सहयोग समझौता किया गया था। समझौते के अनुसार, ट्रस्ट को पट्टेदार को भाग के स्वरूप अपनी कुल प्राप्तियों का 20 प्रतिशत देना था बशर्ते यह भाग न्यूनतम ₹2.40 लाख प्रतिवर्ष हो एवं किसी भी परिस्थितियों में उक्त परिक्षेत्र को किराए पर लिया गया नहीं माना जाएगा न ही पट्टेदार द्वारा कोई किराए का अधिकार जताया जाएगा। गठबंधन समझौता दर्शाता था कि ट्रस्ट ने नर्सिंग होम का प्रचालन 1 जनवरी 1983 से प्रारंभ कर दिया था। समझौता प्रारंभ में 39 माह की अवधि के लिए बनाया गया था जिसे आपसी सहमति से नवीकृत किया जा सकता था। उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल चलाने से मास्टर प्लान का उल्लंघन नहीं होता क्योंकि रिहायशी क्षेत्र में भी, जन सेवाओं को अनुमति प्राप्त थी। दिसंबर 1999 में, पट्टेदार ने पट्टा धारण हक को फ्री होल्ड में परिवर्तित कराने की याचिका दी। डीडीए ने (जून 2000) में पट्टेदार को परिक्षेत्र के दुरुपयोग के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया एवं पट्टेदार को, नोटिस जारी होने के 15 दिन के अंदर अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया वरना बिना सूचना दिए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उत्तर में, पट्टेदार ने (अगस्त 2000) कहा कि ट्रस्ट को सम्पत्ति किराए पर दी गई थी एवं उसका दुरुपयोग उनकी संज्ञान के बिना किया गया। पट्टेदार ने यह भी कहा कि सम्पत्ति माननीय न्यायालय द्वारा 5 जुलाई 2000 को खाली करा ली गयी थी और डीडीए से निरीक्षण करने का अनुरोध किया गया था।

जून 2000 के डीडीए द्वारा जारी किए गए पत्र के उत्तर में, पट्टेदार ने (नवंबर 2000) डीडीए को भी लिखा कि एक अस्पताल चलाने से मास्टर प्लान का उल्लंघन नहीं होता क्योंकि एक रिहायशी जोन में भी नर्सिंग होम/अस्पतालों को अनुमति दी गई थी।

<sup>13</sup> नर्सिंग होम हेतु अंतर्बदलीय प्रयोग

2005 में पट्टेदार ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की, जिसको माननीय कोर्ट ने अगस्त 2011 में इस कारण खारिज कर दिया कि याचिका में कोई योग्यता नहीं थी।

मई 2016 में जारी परिशोधित नीति के तहत, इस भूखंड के लिए दुरुपयोग दंड का आकलन करते हुए, डीडीए ने ₹6.24 लाख के दुरुपयोग दंड का आकलन किया (आकलन का ब्यौरा **अनुलग्नक-IX** में दिया गया है) इससे पूर्व, पट्टेदार ने उपरोक्त योजना की अधिसूचना के पश्चात अपने आप ₹10.99 लाख जमा करा दिए थे।

लेखापरीक्षा ने यह देखा कि यह आकलन, मई 2016 में अधिसूचित नीति के तहत वर्ग 5 को लगाकर किया गया था जो उन मामलों से संबद्ध था जहां अचल सम्पत्ति का किराएदार द्वारा दुरुपयोग बिना मालिक की मिलीभगत या जानकारी के किया गया था। लेकिन उक्त मामले पर वर्ग 5 को लगाना ठीक नहीं था, क्योंकि ट्रस्ट (किराएदार) के साथ किए गए समझौते में यह स्पष्ट रूप से व्यक्त था कि यह एक गठबंधन है, जिसमें से हुई आय पट्टेदार और उसके किराएदार के बीच साझा की जा रही थी। इसके अलावा, डीडीए ने आकलन के लिए उक्त क्षेत्र के केवल 25 प्रतिशत का विचार किया, इस आधार पर कि पट्टेदार द्वारा इस विषय पर विवाद था और अभ्यावेदन (दिसंबर 2004) किया गया था कि उक्त क्षेत्र का केवल भूतल ही नर्सिंग होम की तरह उपयोग हो रहा था। लेकिन, डीडीए द्वारा वर्ष 2000 में किए गए निरीक्षण में पाया गया कि समस्त परिक्षेत्र नर्सिंग होम चलाने के लिए उपयोग में लाया जा रहा था।

अतः यह देखा गया कि दुरुपयोग नीति की स्पष्टतया गलत व्याख्या की गई, न केवल गलत वर्ग लगाने में बल्कि दुरुपयोग का गलत क्षेत्र देने में, इस तथ्य के बावजूद कि पट्टेदार और किराएदार के बीच हुआ गठबंधन समझौता दस्तावेजों में उपलब्ध था एवं दुरुपयोग किए जा रहे समस्त परिक्षेत्र की स्वयं डीडीए द्वारा जांच एवं पुष्टि की गयी थी।

लेखापरीक्षा के अनुसार, इस मामले को परिशोधित नीति के वर्ग 2 के तहत देखा जाना चाहिए था जो उन मामलों से संबद्ध था जिनमें दुरुपयोग की प्रतिवेदन (रिपोर्ट) फाइल पर उपलब्ध थी एवं कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे एवं आबंटी को उल्लंघन को हटाने के बारे में सूचित कर दिया गया था एवं जांच के दौरान, डीडीए द्वारा उल्लंघन को हटाने की पुष्टि कर दी गयी थी। इस वर्ग के अनुसार, दुरुपयोग दंड उल्लंघन के पता लगाने की प्रथम तिथि से लेकर उल्लंघन हटाए जाने की तिथि तक लगाए जाने थे। वर्ग 2 के अंतर्गत इस प्रकार आंकलित किया गया दुरुपयोग शुल्क ₹73.31 लाख बनता था

और इसलिए डीडीए द्वारा वसूली योग्य बकाया राशि ₹62.32 लाख बनती थी (आंकलन का ब्यौरा अनुलग्नक-IX में दिया गया है)।

अतः नई नीति के तहत डीडीए द्वारा किये गए गलत आकलन ने उसे ₹62.32 लाख की वसूली योग्य राशि से वंचित कर दिया। यह मामला डीडीए के साथ प्रारंभ में अगस्त 2018 में उठाया गया, जिसमें पट्टेदार को दिए गए अनुचित लाभों को इंगित किया गया। अपने उत्तर में, डीडीए ने लेखापरीक्षा के दावे को स्वीकार किया (अक्टूबर 2018) एवं सूचित किया कि पट्टेदार से राशि वसूलने के लिए अब सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही थी। तत्पश्चात्, लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया कि डीडीए ने फरवरी 2019 और मार्च 2019 में वसूली के लिए पट्टेदार को नोटिस जारी किए। चूंकि यह मामला, अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान देखा गया, अतः इस तरह की अन्य अनियमितताओं की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः डीडीए अपने द्वारा आंकलित किए गए दुरुपयोग दंडों की सटीकता को सत्यापित करने के लिए, उपरोक्त नीति की अधिसूचना के बाद के दुरुपयोग दंड के सभी मामलों की जांच करे।

यह मामला मंत्रालय को नवंबर 2018 में संदर्भित किया गया था, उनका उत्तर अभी प्रतीक्षित था (सितंबर 2019)।

#### 4.10 लेखापरीक्षा के परामर्श पर वसूली

बोलीदाता ने निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य समाप्त नहीं किया था और निविदा शर्तों के अनुसार दण्ड का उत्तरदायी था तथापि डीडीए के द्वारा निष्पादन प्रतिभूति से सम्बंधित बैंक गारंटी को भुनाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर डीडीए द्वारा ₹141.24 लाख की वसूली की गई (₹85.60 लाख बैंक गारंटी के रूप में एवं ₹55.64 लाख ब्याज के रूप में)

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र में कॉमनवेल्थ गेम्स के पर्यटकों के आवास के लिए होटल प्लॉट<sup>14</sup> की नीलामी के लिए अक्टूबर 2008 में निविदा आमंत्रित की थी। यह कार्य मैसर्स सीता किरण इन प्राइवेट लिमिटेड को ₹17.12 करोड़ में सौंपा गया था।

आबंटन सह मांग पत्र 23 दिसम्बर 2008 को जारी किया गया था। निविदा दस्तावेज के पैरा 3.14 के आधार पर, होटल पूरा होने की तय अवधि आबंटन सह मांग पत्र के जारी होने की तिथि अर्थात् 22 दिसम्बर 2010 से 24 महीने थी। आगे, खरीददार को

<sup>14</sup> प्लॉट सं. ए-2, कम्युनिटी सेंटर, पीतमपुरा, रोड सं. 43, मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र फेज-II

हस्तांतरण दस्तावेज कार्यान्वयन के पहले निविदित राशि का पाँच प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति जमा करने की जरूरत थी, जो बैंक गारंटी के रूप में आबंटन सह मांग पत्र की तिथि से चार वर्षों तक वैध थी। तदनुसार, बोलीदाता द्वारा 7 अक्टूबर 2009 को डीडीए के पक्ष में ₹85.60 लाख की बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई। यह बैंक गारंटी 22 दिसम्बर 2012 तक वैध थी।

होटल के पूरा होने में देरी की स्थिति में निविदा की शर्तों में निर्दिष्ट किया गया था कि बैंक गारंटी राशि को होटल पूरा होने में हुई देरी की हद तक निविदा में निर्धारित किए गए कार्यक्रम के अनुसार भुनाया जाना था। इच्छुक भागीदार/खरीददार के द्वारा समाप्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की तिथि को समाप्ति की तिथि माना गया था। होटल के लिए पूर्णता सह अधिभोग प्रमाणपत्र 20 फरवरी 2018 को जारी किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि (जून 2016) यद्यपि बोलीदाता ने निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य समाप्त नहीं किया था और निविदा शर्तों के अनुसार दंड का उत्तरदायी था, तथापि डीडीए के द्वारा निष्पादन प्रतिभूति से संबंधित बैंक गारंटी को भुनाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा (जून 2016) इंगित किए जाने पर, दिसम्बर 2017 में डीडीए के द्वारा ₹141.24 लाख (₹85.60 लाख+₹55.64 लाख ब्याज के रूप में) वसूली की गई। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (मार्च 2018) ने कहा कि बैंक गारंटी का नवीनीकरण नहीं करना और देरी से भुनाना अनजाने में की गई गलती थी, इसके लिए जवाबदेही अलग से तय की जायेगी।

इस प्रकार लेखापरीक्षा के बताए जाने पर ₹141.24 लाख की वसूली डीडीए के द्वारा की गई।

#### 4.11 लेखापरीक्षा के परामर्श पर सुधार/परिशोधन

संविदागत मांग (सीडी) की वास्तविक खपत बिजली की आपूर्ति करने वाली कम्पनियों से ली गई सीडी की तुलना में लगातार कम थी। यद्यपि 100 किलोवाट (केडब्ल्यू) से अधिक के कनेक्शनों के लिए प्रारम्भिक ऊर्जा के प्रदान किए जाने की तिथि के दो वर्ष बाद संविदागत मांग को कम करने का प्रावधान था, फिर भी डीडीए द्वारा इसका लाभ तीन खेल परिसरों के सम्बंध में नहीं उठाया गया था परिणामस्वरूप ₹59 लाख की परिहार्य हानि हुई। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, तीनों खेल परिसरों के लिए संविदागत मांग घटा दी गई।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के तीन खेल परिसरों, नामतः रोहिणी खेल परिसर, मेजर ध्यान चन्द खेल परिसर, अशोक विहार एवं पूर्वी दिल्ली खेल परिसर, दिलशाद गार्डन की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि संविदागत माँग (सीडी) की वास्तविक खपत बिजली की आपूर्ति करने वाली कम्पनियों से ली गई सीडी की तुलना में लगातार कम थी। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) प्रदर्शन मानक-मीटरिंग और बिलिंग विनियमन 2002 के अनुसार 2002 से डीडीए को बिलिंग माँग<sup>15</sup> आधार पर स्थायी संविदागत माँग शुल्क का भुगतान करना था अर्थात् यदि वास्तविक उपभोग ली गई संविदागत माँग से कम था, तो भी स्थाई शुल्क का भुगतान पूर्ण संविदागत माँग हेतु किया जाना था। यद्यपि 100 किलो वाट (केडब्ल्यू) से अधिक के कनेक्शनों के लिए प्रारम्भिक उर्जा प्रदान किए जाने की तिथि के दो वर्ष बाद संविदागत माँग को कम करने का प्रावधान था, फिर भी डीडीए द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹59.00 लाख का परिहार्य नुकसान हुआ। विवरण निम्नानुसार है:

#### 4.11.1 रोहिणी खेल परिसर (आरएससी)

मैसर्स टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (मैसर्स टीपीडीडीएल) आरएससी को गैर-घरेलू (एचटी), आपूर्ति टाइप एचटी (11 केवी) की टैरिफ श्रेणी में 250 केडब्ल्यू के स्वीकृत लोड व 295 केवीए संविदागत माँग की बिजली की आपूर्ति प्रदान कर रही थी। कनेक्शन मई 2002 में सक्रिय किया गया था। जून 2004 से मार्च 2018 की अवधि के बिजली बिलों की नमूना जाँच ने दर्शाया कि 295 केवीए की संविदागत माँग के सापेक्ष, वास्तविकता में उपयोग की जाने वाली सीडी 155 केवीए से अधिक नहीं थी। इस प्रकार प्रत्येक महीने के दौरान कम से कम 140 केवीए की सीडी अप्रयुक्त रही तथा आरएससी ने अतिरिक्त सीडी को कम करने के लिए कोई भी कार्रवाई न करते हुए अप्रयुक्त सीडी हेतु परिहार्य स्थाई शुल्क का भुगतान करना जारी रखा। इस प्रकार डीडीए द्वारा सीडी को 140 केवीए कम नहीं कराने के कारण जून 2004 से मार्च 2018 तक ₹32 लाख का परिहार्य व्यय हुआ (विवरण अनुलग्नक-X के अनुसार)।

#### 4.11.2 मेजर ध्यान चंद खेल परिसर (एमडीसीएससी), अशोक विहार

मैसर्स टीपीडीडीएल ने एमडीसीएससी को भी गैर-घरेलू (एचटी), आपूर्ति टाइप एचटी (11 केवी) की टैरिफ श्रेणी में 270 केडब्ल्यू के स्वीकृत भार व 191 केवीए की

<sup>15</sup> बिलिंग के उद्देश्य से बिलिंग की माँग का मतलब इन सबमें से सबसे उच्च है; (i) अनुबंध की माँग (ii) बिलिंग चक्र के दौरान उपयोग किए गए मीटर द्वारा अधिकतम माँग सूचक (एमडीआई) और (iii) स्वीकृत भार जहाँ कभी अनुबंध की माँग, माँग आपूर्ति समझौते में उपबंधित नहीं की गई है।

संविदागत माँग की बिजली आपूर्ति की। कनेक्शन मई 2002 में सक्रिय किया गया था। अप्रैल 2010 से मार्च 2018 की अवधि के बिजली बिलों की समीक्षा ने दर्शाया कि एमडीसीएससी द्वारा ली गई 191 केवीए की संविदागत माँग (सीडी) के विपरीत, माँग का उपयोग वास्तविकता में 130 केवीए से अधिक नहीं था। इस प्रकार प्रति माह कम से कम 61 केवीए की सीडी अप्रयुक्त रही और एमडीसीएससी ने अतिरिक्त सीडी को कम करने के लिए कोई भी कार्रवाई, न करते हुए अप्रयुक्त माँग हेतु परिहार्य स्थाई शुल्क का भुगतान करना जारी रखा। इस प्रकार, डीडीए द्वारा सीडी को 61 केवीए नहीं घटाए जाने से अप्रैल 2010 से मार्च 2018 की अवधि के दौरान ₹आठ लाख का परिहार्य व्यय हुआ (विवरण **अनुलग्नक-X** के अनुसार)

#### 4.11.3 पूर्वी दिल्ली खेल परिसर (पीडीकेपी), दिलशाद गार्डन

मेसर्स बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड ने पीडीकेपी को आपूर्ति टाइप एचटी (11 केवी) की गैर-घरेलू टैरिफ श्रेणी में 235 केडब्ल्यू के भार तथा 276 केवीए की सीडी की बिजली आपूर्ति की। कनेक्शन जून 2002 में सक्रिय किया गया था। मई 2013 से मार्च 2018 की अवधि के बिजली बिलों की नमूना जाँच ने दर्शाया कि इस अवधि के दौरान 276 केवीए की सीडी के विपरीत माँग का उपयोग वास्तविकता में 102 केवीए से अधिक नहीं था। इस प्रकार कम से कम 174 केवीए की सीडी उक्त अवधि में अप्रयुक्त रही। इस प्रकार डीडीए द्वारा सीडी को 174 केवीए कम नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ₹19.00 लाख का परिहार्य भुगतान किया गया (विवरण **अनुलग्नक-X** के अनुसार)।

यदि उपर्युक्त उल्लिखित खेल परिसरों के प्रबंधन द्वारा उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्तर तक संविदागत माँग को कम करने हेतु समय पर कार्रवाई की गई होती, तो डीडीए द्वारा किये गए ₹59.00 लाख के अतिरिक्त व्यय को टाला जा सकता था।

इस मुद्दे को डीडीए को जुलाई 2018 में तथा फिर उसके बाद अक्टूबर 2018 में सूचित किया गया। डीडीए ने जवाब दिया (अगस्त 2018) कि डीडीए के लिए खेल परिसरों का बहुत महत्व था तथा बुनियादी ढांचे को किसी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, जहाँ अचानक उच्च भार की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए, उपर्युक्त सभी खेल परिसरों में संविदागत माँग को कम नहीं करने का विचार किया गया। डीडीए ने यह भी कहा कि वह संविदागत माँग को आवश्यकता के पर्याप्त स्तर तक कम कराने की उचित कार्रवाई प्रारम्भ कर रहा था।

मंत्रालय ने जवाब दिया (दिसंबर 2018) कि डीडीए को संविदागत माँग/बिजली के लोड तय करने हेतु और अधिक सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है ताकि अनावश्यक व्यय से बचा जा सके।

हालांकि, आरएससी, एमडीसीएससी तथा पीडीकेपी के सितंबर 2018 से आगे के बिजली बिलों की जांच ने दर्शाया कि तीनों खेल परिसरों की संविदागत माँग को 295 केवीए, 191 केवीए तथा 276 केवीए से घटा कर क्रमशः 162 केवीए, 150 केवीए तथा 110 केवीए कर दिया गया था, जो कि यह इंगित करता है कि डीडीए का जवाब उनके द्वारा शुरू की गई कार्रवाई के विपरीत था।

कम की गई संविदागत माँग ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि डीडीए के पास संविदागत माँग अतिरिक्त थी तथा डीडीए द्वारा संविदागत माँग को कम करने की कार्रवाई इस मुद्दे को लेखापरीक्षा द्वारा सूचित करने के बाद ही शुरू की गई थी। लेखापरीक्षा के कहने पर डीडीए द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई की सराहना करते हुए, इसी तरह की एक समीक्षा डीडीए को अपने अन्य प्रतिष्ठानों के संबंध में भी करने की आवश्यकता है।

#### 4.12 लेखापरीक्षा के परामर्श पर वसूली ₹4.49 करोड़

भारत सरकार ने असम सरकार को दो परियोजनाओं के लिए मार्च 2007/मार्च 2010 में ₹3.33 करोड़ की रकम दी। असम सरकार ने न तो परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया और न ही रकम वापिस की। लेखापरीक्षा द्वारा मुद्दे को उठाए जाने के बाद, भारत सरकार ने ₹6.76 करोड़ की वसूली योग्य राशि (व्याज समेत) का आकलन किया जिसमें से ₹4.49 करोड़ की वसूली कर ली गयी।

सामान्य वित्तीय नियमों 2005 के नियम 212<sup>16</sup> के अनुसार किसी संस्थान या संगठन को दी जाने वाली गैर आवर्ती अनुदानों के संदर्भ में अनुदानों के जिस प्रयोजन के लिए वे स्वीकृत की गई थीं हेतु वास्तविक उपयोग किए जाने का एक प्रमाणपत्र उस संस्थान या संगठन द्वारा वित्त वर्ष के अंत होने के 12 महीने के भीतर निवेदित कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जीएफआर 2005 का नियम 209 (6) (ix)<sup>17</sup> निर्दिष्ट करता है कि अनुदान की राशि देने से पहले, अनुदानाग्रही की कार्यकारी समिति के सदस्यों को निर्धारित फॉर्मेट में बाँड निष्पादित करने को कहा जाए। यदि अनुदानाग्रही इन शर्तों को पूरा नहीं करता या बाँड की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो अनुदान की पूरी राशि या

<sup>16</sup> जीएफआर 2017, नियम 238 (1)

<sup>17</sup> जीएफआर 2017, नियम 231 (2)

आंशिक भाग वसूल लिया जाए और उस पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज या बॉण्ड में निर्दिष्ट राशि भी वसूली जाए।

जुलाई 2009 में असम सरकार (राज्य सरकार) ने मोरानहाट, असम में शहरी गरीबों के लिए बहु-सेवी भवन के निर्माण के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भूतपूर्व 'आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय' जो अब 'आवासन एवं शहरी मामले मंत्रालय' है, को सिक्किम समेत उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 10 प्रतिशत एकमुश्त समूह फंड के तहत निवेदित किया। परियोजना का उद्देश्य योजनागत आधारिक संरचना का निर्माण कर और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विशेष संदर्भ में रोजगार बढ़ाकर, क्षेत्र के शहरी गरीबजन के जीवन स्तर का सुधार करना था। परियोजना के उद्देश्य थे:

(i) शहर के गरीबों जिसमें विक्रेता व दुकानदार भी शामिल हैं, को एक वैज्ञानिक रूप से योजनाबद्ध बाजार परिसर में दुकानें मुहैया कराने के लिए एक बहु-सेवी भवन का निर्माण; (ii) जनसामान्य के लिए अतिरिक्त रोजगार पैदा करना जिससे नगर का सामाजिक-आर्थिक और भौतिक विकास हो सके, एवं (iii) शहरी गरीब का वृत्तिक प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना का निर्माण करना।

मंत्रालय की केन्द्रीय संस्वीकृतिदाता समिति द्वारा अपनी 17 मार्च 2010 को हुई बैठक में ₹7.20 करोड़ की लागत पर परियोजना मंजूर कर दी गई। यह निर्णय लिया गया कि केन्द्र सरकार 90 प्रतिशत मुहैया करायेगी जबकि राज्य सरकार परियोजना का शेष 10 प्रतिशत उपलब्ध कराएगी। केन्द्र सरकार का हिस्सा 25:25:20:20 के अनुपात की चार किशतों में राज्य सरकार को दिया जाना था।

₹1.80 करोड़ की पहली किशत राज्य सरकार को 26 मार्च 2010 को दी गई। मोरानहाट टाऊन कमेटी, मोरानहाट, असम परियोजना की क्रियान्वयन एजेंसी थी और टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग निदेशालय, असम सरकार निगरानी एजेंसी थी। जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार निगरानी एजेंसी को हर किशत का उपयोगिता प्रमाणपत्र देना था एवं परियोजना के पूरा हो जाने पर पूरे अनुदान के लिए समेकित उपयोगिता प्रमाणपत्र भी देना था, और इसके अलावा, मंत्रालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट भी निवेदित करनी थी।

लेखापरीक्षा के दौरान दस्तावेजों की जाँच से उजागर हुआ कि मार्च 2010 में जारी की गई राशियों के संदर्भ में ना ही राज्य सरकार ने उपयोगिता प्रमाणपत्र निवेदित किया जो मार्च 2011 में देय हो गए थे और ना ही मंत्रालय ने जून 2015 तक उसे मांगा। मार्च 2016 में लेखापरीक्षा ने मंत्रालय द्वारा परिवीक्षण के अभाव पर टिप्पणी बनाई। जुलाई 2016 में, मंत्रालय ने राज्य सरकार को पहली किशत की पूरी रकम को ब्याज समेत

लौटा देने का अनुरोध किया। मंत्रालय द्वारा इस बाबत फरवरी 2017, जून 2017 और दिसम्बर 2017 को अनुस्मारक दिए गए।

इस बीच, असम सरकार ने (मार्च 2017 में) परिशोधित डीपीआर निवेदित किया चूंकि वो स्थल जो पूर्व में परियोजना के लिए उपलब्ध था, उसे विभिन्न सामाजिक संगठनों के दबाव में बच्चों के खेल मैदान में परिवर्तित कर दिया था। लेकिन, 1 अप्रैल 2017 से योजना को बंद किए जाने संबंधी अपने (17 मई 2017) निर्देशों की दृष्टि में मंत्रालय ने असम सरकार के प्रस्ताव से सहमति नहीं जतायी।

मंत्रालय ने (मई 2018) कहा कि निरंतर अनुस्मारकों के बावजूद, राज्य सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि, मंत्रालय ने असम सरकार को अन्य परियोजनाओं में जारी किए जाने वाली रकमों में से वसूली योग्य राशि को समायोजित करने का विकल्प उपयोग नहीं किया जैसा कि कुछ अन्य योजनाओं में किया जा रहा था (उदाहरणतः राष्ट्रीय हेरिटेज सिटी विकास एवं वृद्धि (एचआरआईडीएवाई) योजना जिसमें अव्ययित शेष बाढ़ की जारी की गई राशियों में समायोजित कर दिये गए थे)।

इस प्रकार, मंत्रालय के खराब पर्यवेक्षण के कारण, न केवल ₹1.80 करोड़ की रकम आठ वर्ष से अधिक के लिए अवरुद्ध रही बल्कि योजना के लक्ष्य और उद्देश्य भी अप्राप्त ही रहे। इसके अतिरिक्त, जीएफआर के प्रावधानों के तहत 10 प्रतिशत की दर से ब्याज भी वसूल किया जाना आवश्यक है।

इसी तरह के एक अन्य मामले में, ऑडिट ने पहले भी असम के जोरहाट में विक्रेताओं के पुनर्वास के लिए बहु उपयोगिता भवन के निर्माण की परियोजना के लिए ₹1.53 करोड़ के अवरोधन के मामले को इंगित किया था।

मंत्रालय ने आगे कहा (अप्रैल 2019) कि “बहुउपयोगिता भवन निर्माण परियोजना, शहरी इलाके मोरानहाट असम ₹1.80 करोड़ का अवरोधन” और “बहुउपयोगिता भवन निर्माण जोरहाट में विक्रेताओं के पुनर्वास के लिए ₹1.53 करोड़ का अवरोधन” हेतु फरवरी 2019 तक क्रमशः ₹1.60 करोड़ और ₹1.83 करोड़ के ब्याज सहित कुल ₹6.76 करोड़ की गणना की गई थी। इसमें से ₹4.49 करोड़ तीन परियोजनाओं के लिए मंत्रालय से अनुमोदित अगली किश्त की रकम से असम सरकार से समायोजित किया गया था और ₹2.27 करोड़ जल्द से जल्द वापस करने का राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। अतः मंत्रालय ने ऑडिट के कहने पर वसूली जाने योग्य राशि में से ₹4.49 करोड़ की अंश वसूली की एवं ₹2.27 करोड़ की राशि अभी भी वसूल की जानी थी।

## अध्याय V: विद्युत मंत्रालय

### 5.1 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा मानक और लेबलिंग योजना का कार्यान्वयन

#### 5.1.1 परिचय

##### 5.1.1.1 ऊर्जा दक्षता प्राप्त करने की आवश्यकता

ऊर्जा आर्थिक विकास के लिए मुख्य चालक है और आधुनिक अर्थव्यवस्था बनाए रखने हेतु अति-महत्वपूर्ण है। संधारणीय विकास के लिए अनुकूल स्रोतों से एक लम्बे समय तक ऊर्जा की उपलब्धता होनी चाहिये जो कि सुलभ और वातावरण के अनुकूल हो। ऊर्जा को दक्षता से उपयोग में लाने से प्राकृतिक संसाधन भविष्य के लिए संरक्षित रहेंगे व इसके अतिरिक्त वित्तीय तथा वातावरणीय लाभ भी होंगे। भारत सरकार (जीओआई) को ऊर्जा दक्षता और संरक्षण पर वैधानिक शक्ति प्रदान करने के लिए, तथा आत्म नियमन और बाजार सिद्धांतों पर जोर देते हुए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (ईसी अधिनियम) 2001 में लागू किया गया। इस संबंध में नीतियों और रणनीतियों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा (मार्च 2002) में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की स्थापना की गई। बीईई ने ऊर्जा संरक्षण हेतु छः प्रमुख कार्यक्रम विकसित किए जिसमें मानकीकरण और लेबलिंग एक है।

##### 5.1.1.2 मानक और लेबलिंग योजना की प्रमुख विशेषताएँ

मानक और लेबलिंग (एसएण्डएल) योजना विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा मई 2006 में शुरू की गई, और तदनुसार बीईई ने इस योजना को लागू किया और एसएण्डएल योजना के तहत विभिन्न 'उपस्कर तथा उपकरण (उत्पाद)' के मॉडलस को स्टार रेटिंग्स लेबल (एक से पांच, ऊर्जा दक्षता के बढ़ते हुए क्रम में) प्रदान करना शुरू किया। बीईई की स्टार रेटिंग्स लेबल उपभोक्ताओं को धन और पर्यावरण दोनों को संरक्षित करते हुए स्टार प्रमाणित उत्पादों को उपयोग में लाने हेतु प्रोत्साहित करने वाला विश्वसनीय सरकार समर्थित प्रतीक है।

शुरुआत में बीईई लेबलिंग योजना नये उत्पादों के लिए स्वैच्छिक<sup>1</sup> आधार पर शुरू करता है। जो एनजीओ/बीईई द्वारा किए गए अध्ययन तथा एमओपी की सहमति से किया

<sup>1</sup> स्वैच्छिक उत्पादों का चयन वर्तमान बाजार भागीदारी व ऊर्जा संरक्षण संभावना पर निर्भर करता है। स्वैच्छिक उत्पादों के निर्माताओं के पास उनके मॉडलों हेतु बीईई स्टार रेटिंग प्राप्त करने का विकल्प होता है।

जाता है। दो से तीन वर्ष बाद बीईई बाजार में हुए परिवर्तन, प्रौद्योगिकी सुधार और स्वैच्छिक से अनिवार्य<sup>2</sup> चरण की ओर जाने की संस्थागत आवश्यकताओं को परखने के लिए बाजार अध्ययन करता है। अगस्त, 2018 तक बीईई के पास एसएण्डएल योजना के अन्तर्गत 21 (10 अनिवार्य<sup>3</sup> और 11 स्वैच्छिक<sup>4</sup>) उत्पाद थे। इसी प्रकार की ऊर्जा दक्षता से संबंधित योजना यूएसए में 27 वर्ष से अधिक समय से 62 उत्पादों के लिए और ऑस्ट्रेलिया में छः वर्ष से अधिक समय से 25 उत्पादों के लिए लागू हैं।

### 5.1.1.3 बीईई का अधिदेश

इसी अधिनियम की धारा 13 के तहत बीईई के पास निम्न कार्य हैं:

- ✓ सरकार को ऊर्जा खपत मानदंड और स्टार लेबल के प्रदर्शन की विषयवस्तु और प्रकार के संबंध में सिफारिश करना।
- ✓ परीक्षण/प्रमाणन प्रक्रिया विकसित करना और प्रमाणन के लिए परीक्षण सुविधाओं को बढ़ावा देना।
- ✓ उत्पादों/मॉडलों की ऊर्जा खपत के लिए जाँच परीक्षण<sup>5</sup>
- ✓ एसएण्डएल योजना के अन्तर्गत दी गई सेवाओं हेतु पंजीकृत मॉडलों पर शुल्क लगाना।

### 5.1.1.4 लक्ष्य और निधिकरण

भारत सरकार ने 12वीं योजना अवधि (2012-13 से 2016-17) के लिए एसएण्डएल योजना के लिए ₹4.40 करोड़ (नवंबर 2012 से मार्च 2013) अनुदान जारी किया। फरवरी 2014 में, व्यय वित्त समिति<sup>6</sup> ने यह फैसला लिया कि सम्पूर्ण एसएण्डएल योजना का खर्च बीईई द्वारा पंजीकृत माडलों के उत्पादन पर लगाये गये शुल्क द्वारा

<sup>2</sup> अनिवार्य उत्पादों के लिए निर्माता अपने मॉडलों को खरीद हेतु बाजार में उतारने से पहले अपने मॉडलों हेतु, बीईई से स्टार रेटिंग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बाध्य हैं।

<sup>3</sup> (i) कमरा एयर कंडीशनर्स (एसीज़), (ii) बर्फ मुक्त रेफ्रिजरेटर्स (एफएफआर), (iii) ट्यूबूलर फ्लोरेसंट लैंप (टीएफएल), (iv) डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, (v) कमरा एयर कंडीशनर (कैसेट्स, फ्लोर स्टैंडिंग), (vi) डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर (डीसीआर), (vii) रंगीन टीवी, (viii) इलेक्ट्रिक गीज़र्स, (ix) वेरिएबल कैपेसिटी इन्वर्टर एयरकंडीशनर्स, तथा (x) एलईडी लैंप्स

<sup>4</sup> (i) इंडक्शन मोटर्स, (ii) पम्प सेट्स (iii) सीलिंग फैनस, (iv) एलपीजी - स्टोव्स, (v) वाशिंग मशीन, (vi) कंप्यूटर (नोटबुक/लेपटाप), (vii) बालॉस्ट (इलेक्ट्रॉनिक/चुंबकीय), (viii) कार्यालय उपकरण (प्रिंटर, कापियर, स्कैनर, एमएफडीज़), (ix) डीज़ल इंजन चालित मोनोसेट पंप्स, (x) सालिड स्टेट इन्वर्टर तथा (xi) डीजी सेट्स

<sup>5</sup> जाँच परीक्षण बीईई द्वारा (जिन माडलों हेतु उसने स्टार रेटिंग अनुमोदित की है) के बाजार से नमूने लेकर तथा एनएबीएल प्रमाणित प्रयोगशालाओं के माध्यम से उसकी ऊर्जा दक्षता निष्पादन का सत्यापन कर किया जाता है।

<sup>6</sup> व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) के अंतर्गत गठित।

वित्तपोषित किया जाएगा। जीओआई द्वारा (जुलाई 2014), 12वीं योजना अवधि में एसएण्डएल योजना को क्रियान्वित करने के लिए ₹120.00 करोड़ स्वीकृत किए गए। इस अवधि के दौरान ऊर्जा संरक्षण का लक्ष्य 13.95 बिलियन यूनिट (बीयू) था।

### 5.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र

यह लेखापरीक्षा यह जाँचने के उद्देश्य से की गई कि:

- ✓ ऊर्जा बचत के लक्ष्य, स्पष्ट, मात्रात्मक और हासिल किए गए थे;
- ✓ नियम, अधिनियम और प्रक्रियाएं पर्याप्त और अनुपालित थीं; और
- ✓ योजना को जारी रखने के लिए कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र पर्याप्त था।

लेखापरीक्षा ने मुख्यतः एसएण्डएल योजना की उन गतिविधियों की जाँच की जो 12वीं योजना के लिए बीईई द्वारा की गई।

### 5.1.3 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड (i) ईसी अधिनियम, 2001 (ii) केन्द्र सरकार द्वारा जारी नियम और अधिनियम (iii) उत्पाद सूचीपत्र (iv) एसएण्डएल योजना के लिए 12वीं योजना (v) बीईई का योजना दस्तावेज और संचालन मैनुअल (ओएम) (vi) उपलब्धियों का आकलन करने के लिए निर्धारित मानक/बेंचमार्क (vii) एसएण्डएल योजना के अन्तर्गत की गई रिपोर्टों/अध्ययनों, से लिए गए।

### 5.1.4 लेखापरीक्षा परिणाम

बीईई विभिन्न उत्पादों का अध्ययन करता है तथा ऊर्जा बचत की संभावना, खपत हुई ऊर्जा के योगदान तथा उच्च बाज़ार उपभोग संभावना के आधार पर उत्पाद का चयन करता है। यह अपनी तकनीकी समिति<sup>7</sup> के साथ परामर्श कर तथा उद्योग मानकों के समतुल्य प्रत्येक उत्पाद के लिए 'उत्पाद सूचीपत्र'<sup>8</sup> तैयार करती है। उत्पाद सूचीपत्रों में निर्माताओं द्वारा उनके मॉडलों के लिए बीईई स्टार लेबल प्राप्त करने हेतु पालन किए जाने योग्य ऊर्जा दक्षता मानकों और क्रियाविधियों हेतु विस्तृत शर्तें होती हैं। अनिवार्य

<sup>7</sup> तकनीकी समिति बीईई द्वारा उत्पादों के लिए ऊर्जा खपत मानकों के तय करने हेतु गठित की जाती है जिसमें विशेषज्ञ तथा हितधारक, उद्योग, उद्योग संघ, उपभोक्ता संगठन, शिक्षा वर्ग, एनजीओ, आरएण्डडी संस्थान, परीक्षण प्रयोगशालाओं, सरकारी संस्थाओं तथा विनियामक निकायों के प्रतिनिधि होते हैं।

<sup>8</sup> सूचीपत्र में ऊर्जा दक्षता मानकों व एसएण्डएल योजना के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के प्रति निर्माता के संदर्भ हेतु विस्तृत शर्तों का विवरण होता है।

उत्पादों के लिए, उत्पाद सूचीपत्र केंद्र सरकार द्वारा बीईई के साथ परामर्श कर विनियमों के रूप में अधिसूचित किए जाते हैं।

उपकरण/उत्पादों के निर्माता बीईई के साथ पंजीकरण कर योजना में भागीदारी कर सकते हैं। एसएण्डएल योजना के अंतर्गत किसी उत्पाद हेतु मानक की घोषणा के बाद, बीईई के पास पंजीकृत निर्माता एनएबीएल<sup>9</sup> प्रमाणित प्रयोगशालाओं से ऊर्जा दक्षता निष्पादन जाँच रिपोर्ट<sup>10</sup> तथा अन्य आवश्यक सूचना सहित अपने मॉडल के पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हैं। आवेदनों की जाँच के बाद, बीईई मॉडल पंजीकृत करता है और स्टार रेटिंग<sup>11</sup> की अनुमति प्रदान करता है। स्टार रेटिंग के अनुमोदन के बाद, अनुमति धारक विपणन के लिए अपने मॉडलों पर अनुमोदित स्टार रेटिड लेबल का उपयोग कर सकते हैं।

योजना के क्रियान्वयन तथा प्रवर्तन हेतु दैनिक गतिविधियों में मॉडलों के पंजीकरण हेतु आवेदनों की छानबीन, पंजीकृत मॉडलों के ऊर्जा दक्षता निष्पादन हेतु जाँच परीक्षण, विनियमों/उत्पाद सूचीपत्रों में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के साथ प्रयुक्त लेबलों का सत्यापन, स्टार लेबल्ड मॉडलों के उत्पादन पर लेबलिंग शुल्क का संग्रहण, अनुमति धारकों द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्पादन डाटा का सत्यापन तथा व्यतिक्रमी अनुमति धारकों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई शामिल हैं।

बीईई ने मॉडलों के पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों की छानबीन, मॉडलों के जाँच परीक्षण, लेबल सत्यापन तथा उत्पादन डाटा सत्यापन हेतु, 'निगरानी तथा मूल्यांकन हेतु स्वतंत्र एजेंसियों' (आईएएमईज़) के रूप में बाहरी एजेंसियाँ नियुक्त की। लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित पता चला:-

#### 5.1.4.1 अनुभवहीन आईएएमई की नियुक्ति

मॉडलों के पंजीकरण हेतु आवेदनों की छानबीन, स्टार लेबल वाले मॉडलों की जाँच परीक्षण, लेबल सत्यापन तथा उत्पाद डाटा सत्यापन के कार्यों हेतु विभिन्न एजेंसियाँ यथा राइट्स लिमिटेड, ऊर्जा दक्षता सेवाएँ लिमिटेड<sup>12</sup> (ईईएसएल) तथा सीपीआरआई<sup>13</sup>

<sup>9</sup> दिसंबर 2014 से परीक्षण एवं प्रमाणीकरण प्रयोगशालाओं हेतु राष्ट्रीय प्रमाणीकरण बोर्ड (एनएबीएल)

<sup>10</sup> अंदरूनी तथा तृतीय पक्ष प्रयोगशाला से।

<sup>11</sup> ऊर्जा संरक्षण निष्पादन के आधार पर प्रदान किया जाता है।

<sup>12</sup> ईईएसएल, एनटीपीसी, पीफसी, आरईसी व पीजीसीआईएल की संयुक्त उपक्रम कंपनी के रूप में एमओपी द्वारा बनाई गई है।

<sup>13</sup> केंद्रीय विद्युत् अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) क्योंकि जाँच परीक्षण करने में असफल रही।

(केवल जाँच परीक्षण हेतु) सितंबर 2007 से बीईई द्वारा आईएएमई के रूप में नियुक्त की गई।

दिसंबर 2009 में स्थापित ईईएसएल बीईई द्वारा मार्च 2010 में पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों की छानबीन, जाँच परीक्षण, लेबल सत्यापन तथा उत्पादन डाटा सत्यापन हेतु आईएएमई के रूप में नियुक्त की गई। लेखापरीक्षा ने देखा कि लेखापरीक्षा में जाँची गई अवधि के दौरान ईईएसएल ने केवल आवेदन छानबीन का कार्य किया और अन्य महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि जाँच परीक्षण, लेबल सत्यापन तथा उत्पादन डाटा सत्यापन संविदा के जारी रहने की अवधि अर्थात् नवंबर 2013 तक उनके द्वारा नहीं किए जा रहे थे। तत्पश्चात, संविदा के विस्तार के दौरान ईईएसएल को केवल पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों की छानबीन का कार्य ही सौंपा गया था। बीईई ने इन गतिविधियों हेतु ईईएसएल के साथ अनुवर्ती कार्रवाई दर्शाने वाले कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।

एमओपी/बीईई ने उत्तर दिया (जनवरी/मार्च 2019) कि उन्होंने 2010 में खुली बोलीकरण प्रक्रिया द्वारा आईएएमई नियुक्त करने का निर्णय लिया परंतु कोई एजेंसी तय नहीं की जा सकी। बीईई ने आगे कहा कि उन्होंने ईईएसएल को नियुक्त किया क्योंकि एमओपी ने बीईई हेतु निष्पादक एजेंसी के रूप में ईईएसएल स्थापित की थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बीईई ने आईएएमई हेतु 2010 में उनके द्वारा अपनाई बोलीकरण प्रक्रिया के कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए थे। बीईई ने ईईएसएल के कार्य की निगरानी नहीं की जिसके कारण ईईएसएल द्वारा लेबलों का गैर सत्यापन हुआ तथा जाँच परीक्षण कार्य अक्टूबर 2013 में सीपीआरआई को स्थानांतरित किया गया जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

#### 5.1.4.2 जाँच परीक्षण

उत्पादों की ऊर्जा दक्षता सत्यापित करने के लिए अनुमोदित मॉडलों का जाँच परीक्षण एसएण्डएल योजना के तहत बीईई की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है क्योंकि बीईई के स्टार लेबल वाले उत्पादों के लिए ग्राहक उच्च कीमत देते हैं। अगर मॉडल बीईई द्वारा विहित मानक ऊर्जा खपत मानकों के अनुकूल नहीं पाए जाते हैं, तो यह ग्राहकों के लिए नुकसानदायक होगा।

योजना दस्तावेज़ (मई 2006) में यह अनिवार्य है कि लेबल सत्यापन परीक्षण की पुनरावृत्ति उपकरण के प्रकार तथा परीक्षण में लगने वाले समय के आधार पर बीईई

द्वारा तय की जानी है। यह उपबंध 06 दिसंबर 2013 को संशोधित कर दिया गया, जिसमें अब बीईई को यादृच्छिक आधार पर नमूना चयन करने तथा परीक्षण जाँच हेतु बाजार से चयनित मॉडलों की खरीद करनी थी।

यदि मॉडल पहले जाँच परीक्षण में असफल रहता है, तो बीईई दूसरे जाँच परीक्षण हेतु इसी मॉडल के दो नमूने 15 दिन की अवधि में खरीदेगा। यदि नमूने बाजार में उपलब्ध नहीं हैं, तो लेबल का अनुमतिधारक एक महीने के भीतर नमूने उपलब्ध कराएगा, अन्यथा पहले नमूने के जाँच परीक्षण परिणाम उन पर अनिवार्य रूप से बाध्यकारी होंगे।

यदि कोई नमूना दूसरे जाँच परीक्षण में असफल हो जाता है, तो बीईई समस्त राज्य नियुक्त एजेंसियों (एसडीएज़) को सूचित करते हुए अनुमतिधारक को निर्देश देगा कि अनुमतिधारक दो महीने के भीतर लेबल पर स्टार रेटिंग स्तर को ठीक करेगा या कमियाँ दूर करेगा या बाजार से सारा माल हटा लेगा या विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित विवरण में बदलाव करेगा। दूसरे जाँच परीक्षण के असफल होने पर बीईई ग्राहकों के लाभ हेतु अनुमतिधारक का नाम, ब्रांड का नाम, मॉडल का नाम अथवा मॉडल संख्या, लोगों तथा अन्य विवरण का विस्तारपूर्वक मुद्रण करेगा तथा इसी अधिनियम की धारा 27 के तहत अनुमतिधारक और व्यापारी के विरुद्ध आगामी अधि-निर्णय कार्रवाई करेगा।

अनिवार्यताओं की तुलना में जाँच परीक्षण की समीक्षा से निम्नलिखित कमियाँ पता चली:

#### (i) नगण्य जाँच परीक्षण

जैसा पैरा 5.1.4.1 में चर्चा की गई है, ईईएसएल उन्हें दी गई जाँच परीक्षण में असफल रहा। मार्च 2018 तक एसएण्डएल योजना के तहत लाये गए 21 उत्पादों के प्रति बीईई ने केवल पाँच<sup>14</sup> उत्पादों के जाँच परीक्षण हेतु सीपीआरआई को नियुक्त किया (अक्टूबर 2013)। 2012-13 से 2017-18 के दौरान सीपीआरआई द्वारा किए गए जाँच परीक्षणों के संदर्भ में अनुमोदित मॉडल, जाँच परीक्षण हेतु चयनित, वास्तव में परीक्षित तथा जाँच परीक्षण में असफल मॉडलों का वर्ष वार विवरण तालिका 5.1 में दिया गया है।

<sup>14</sup> (i) बर्फ मुक्त रेफ्रिजरेटर (ii) टीएफएल, (iii) रूम एसी, (iv) डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर तथा (v) वितरण ट्रांसफर्मर

तालिका 5.1 : सीपीआरआई द्वारा जाँच परीक्षण का वर्ष वार विवरण

वर्ष	अनुमोदित मॉडल	चयनित मॉडल	जाँच परीक्षित मॉडल	प्रथम परीक्षण में असफल मॉडल	प्रथम नमूना असफल होने के मामले में, द्वितीय जाँच परीक्षण स्थिति				
					अनुपलब्ध नमूना	गैर जाँचे गए	जाँचे गए	असफल	प्रक्रियाधीन
(आँकड़े संख्या में)									
2012-13	3,675	0	0	0	0	0	0	0	0
2013-14	4,776	381	39	25	12	5	8	7	0
2014-15	7,073	0 <sup>15</sup>	0	0	0	0	0	0	0
2015-16	4,148		0	0	0	0	0	0	0
2016-17	5,299	0	0	0	0	0	0	0	0
2017-18	7,108	170	12	7	0	0	7	0	7
<b>कुल</b>	<b>32,079<sup>16</sup></b>	<b>551</b>	<b>51</b>	<b>32</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- (क) बीईई ने अनुमोदित मॉडलों के 1.72 प्रतिशत अनुमोदित मॉडलों का जाँच परीक्षण नियोजित किया और 2012-13 से 2017-18 के दौरान केवल 0.16 प्रतिशत का वास्तव में जाँच परीक्षण किया। इसके अलावा, 51 परीक्षित मॉडलों में से, 32 मॉडल (63 प्रतिशत) प्रथम जाँच परीक्षण में असफल रहे। 2013-14 के दौरान प्रथम जाँच परीक्षण में असफल 25 मॉडलों में से केवल आठ मॉडल (32 प्रतिशत) को द्वितीय जाँच परीक्षण हेतु लिया गया और सात मॉडल (88 प्रतिशत) इसमें पुनः असफल रहे।
- (ख) जाँच परीक्षण पंजीकरण के औसतन 465 दिनों के बाद किया गया और 2013-14 तथा 2017-18 के जाँच परीक्षण में अधिकांश मॉडल असफल रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप लंबे समय तक अपात्र मॉडलों का विपणन हुआ।
- (ग) 2013-14 के प्रथम जाँच परीक्षण में असफल हुए अधिकांश मॉडलों का द्वितीय जाँच परीक्षण नहीं किया गया। 2017-18 के प्रथम जाँच परीक्षण में असफल

<sup>15</sup> बीईई ने बताया कि वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लिए नमूना संग्रहण योजना बनाई गई थी, लेकिन अभिलेखों में इन नमूना संग्रहण योजनाओं की प्रतियाँ उपलब्ध नहीं थी। प्रबंधन ने भी यह सूचित किया कि वर्ष 2012-13 एवं 2016-17 के नमूना संग्रहण योजनाएं अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी।

<sup>16</sup> 32,079 मॉडल, 15,627 के अनिवार्य उत्पाद के मॉडल और 16,452 के ऐच्छिक उत्पाद के मॉडल।

सभी सात मॉडलों का प्रथम जाँच परीक्षण (जनवरी 2019 तक) से 307 दिनों से 383 दिनों के बाद भी द्वितीय जाँच परीक्षण नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप जाँच परीक्षण उसकी अंतिम परिणति तक नहीं ले जाया सका जिसने आवश्यक प्रवर्तन कार्रवाई, यदि कोई हो, को प्रभावित किया। बीईई द्वारा द्वितीय जाँच परीक्षण के संबंध में सीपीआरआई के साथ मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने की ओर इंगित करने वाला कोई प्रकरण अभिलेख में नहीं था। लेखापरीक्षा ने पाया कि आस्ट्रेलिया और यूएसए में इस प्रकार के विनियामक<sup>17</sup> छमाही/वार्षिक आधार पर जाँच परीक्षण करके रिपोर्ट मुद्रित करते हैं।

- (घ) 2013-14 के दौरान जाँच परीक्षण में असफल 24<sup>18</sup> मॉडलों के संदर्भ में, अनुमति धारकों ने पंजीकरण से लेकर दिसंबर 2015 तक ₹1464 करोड़<sup>19</sup> अनुमानित बाज़ार मूल्य पर इन मॉडलों के 3,92,751 कमरा एयर कंडीशनर (रूम एसीज़) तथा 1,47,485 बर्फ मुक्त फ्रिज (एफएफआरज़) अभिकल्पित बिजली बचत उपलब्ध किए बिना बेचे थे। इसी प्रकार 2017-18 के दौरान जाँच परीक्षण में असफल हुए तथा जनवरी 2019 तक द्वितीय जाँच परीक्षण के लिए चयनित न किए गए एफएफआरज़ तथा रूम एसीज़ के सात मॉडलों के संदर्भ में, अनुमति धारकों ने इन मॉडलों के पंजीकरण से लेकर दिसंबर 2018 तक 2,46,193 एफएफआरज़ और 23,752 रूम एसीज़ अभिकल्पित बिजली बचत प्राप्त किए बिना बेचे थे, जिनकी अनुमानित बाज़ार मूल्य राशि ₹744 करोड़<sup>20</sup> थी।
- (ङ) जाँच परीक्षण योजना (दिसंबर 2013 में संशोधित) तथा ओएम<sup>21</sup> में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई अनुमति धारक द्वितीय जाँच परीक्षण हेतु नमूना उपलब्ध नहीं कराता है, तो प्रथम जाँच परीक्षण के परिणाम अंतिम तथा बाध्यकारी होंगे। किंतु नमूने की अनुपलब्धता के कारण द्वितीय जाँच परीक्षण न किए जाने के मामले अर्थात् रूम एसी के 12 मॉडलों के मामलों में बीईई ने

<sup>17</sup> आस्ट्रेलियन सरकार के पर्यावरण व ऊर्जा विभाग के तहत ग्रीनहाउस व ऊर्जा मॉडल न्यूनतम मानक विनियामक तथा यूएसए में पर्यावरण संरक्षण एजेंसी।

<sup>18</sup> द्वितीय जाँच परीक्षण विफलता (सात मॉडल) के अनुपलब्ध मॉडल (12) तथा द्वितीय जाँच परीक्षण हेतु चयनित न किये गये मॉडल (5) को गणना में लेने के बाद 19 रूम एयर कंडीशनर्स तथा 5 एफएफआरज़।

<sup>19</sup> विफलता के समय वास्तविक मूल्य के आधार पर संगणित।

<sup>20</sup> विफलता के समय वास्तविक मूल्य के आधार पर संगणित।

<sup>21</sup> बीईई द्वारा मार्च 2015 में तैयार ओएम में एसएण्डएल योजना क्रियान्वित करने की विधि हैं।

अनुमतिधारकों को प्रथम जाँच परीक्षण के परिणाम स्वीकार करने का निर्देश नहीं दिया।

(च) ओएम ने प्रतिवर्ष प्रत्येक मॉडल के कम से कम एक नमूने का जाँच परीक्षण करना विहित किया था। किंतु बीईई ने अप्रैल 2015 से मार्च 2018 के दौरान पंजीकृत 16,557 मॉडलों में से केवल 12 का जाँच परीक्षण किया।

बीईई ने कहा (जनवरी 2019) कि केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में पहले नमूने के जाँच परीक्षण के परिणामों को बाध्यकारी बनाने का कोई प्रावधान नहीं था और आगे कहा कि वे भविष्य में यह प्रावधान जोड़ने पर विचार कर सकते हैं। एमओपी/बीईई ने कहा (मार्च 2019) कि एनएबीएल प्रमाणित प्रयोगशालाओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता न होने, बीईई में अपर्याप्त श्रमबल तथा बाज़ार में नमूनों की अनुपलब्धता के कारण केवल कुछ मॉडलों हेतु जाँच परीक्षण किया गया था।

लेखापरीक्षा प्रथम नमूने के जाँच परीक्षण के परिणामों को बाध्यकारी बनाने संबंधी विनियमों में बदलाव लाने के बीईई के आश्वासन की सरहाना करता है। किंतु अन्य उत्तर निम्नलिखित तथ्यों को देखते हुए स्वीकार्य नहीं है:

(क) बीईई ने एकमात्र जाँच परीक्षण के लिए खुली निविदा आधार पर समय-समय पर 4 से 10 एनएबीएल प्रमाणित प्रयोगशालाएँ निर्धारित की किंतु इन प्रयोगशालाओं का उपयोग नहीं किया (सीपीआरआई को छोड़कर)। यद्यपि सीपीआरआई के पास 300 एसीज़ तथा 160 रेफ्रिजरेटर्स (80 एफएफआरज़+80 डीसीआर) का परीक्षण करने की वार्षिक क्षमता है, किंतु 2013-14 तथा 2017-18 के दौरान केवल 28 एसी तथा 23 रेफ्रिजरेटर्स (22 एफएफआर + 1 डीसीआर) का जाँच परीक्षण किया गया। अतः जाँच परीक्षण की कम संख्या प्रयोगशालाओं की कमी के कारण नहीं थी।

(ख) बाजार में नमूनों की अनुपलब्धता एक गंभीर मामला है जिसका कार्यचालन मैनुअल के प्रावधानों के आलोक में अनुमतिधारकों के साथ समाधान किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार इसी अधिनियम में समय पर संशोधन हेतु अनुवर्ती कार्रवाई न करने के परिणामस्वरूप दूसरे परीक्षण का संचालन करने के लिए नमूने की अनुपस्थिति में उत्पाद के पहले परीक्षण के परिणामों को बाध्यकारी करने में विफलता हुई, जो उपभोक्ताओं को नुकसान पहुँचाते हुए अनुमतिधारकों के पक्ष में है। उत्पाद निर्माताओं के साथ मिली-भगत की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

## (ii) जाँच परीक्षण हेतु परिचालन मैनुअल में कमियाँ

लेखापरीक्षा ने पाया कि निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों का ओएम में समाधान नहीं किया गया था:

- क) स्टार रेटिंग हेतु प्रमाणपत्र जारी करने से पहले बीईई द्वारा मॉडलों का स्वतंत्र आपसी जाँच परीक्षण विहित नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश नमूने जाँच परीक्षण में असफल हो गए थे।

वास्तविकता में 2017-18 जाँच परीक्षण में असफल सभी सात मॉडल निर्माताओं की आंतरिक परीक्षण रिपोर्टों सहित पंजीकृत किए गए थे। परंतु बीईई ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की और उत्पादों के पंजीकरण के लिए आंतरिक परीक्षण रिपोर्ट स्वीकार करना जारी रखा। इसी प्रकार की समस्या का सामना करने वाले यूएसए जैसे देशों में 2011 से लेबलिंग से पूर्व उत्पादों का तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणीकरण लागू किया गया है।

- ख) ओएम में जाँच परीक्षण हेतु भौगोलिक विस्तार सहित प्रतीकात्मक नमूना चयन की प्रक्रिया परिभाषित नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप, पर्याप्त नमूना चयनित नहीं किया गया और सीपीआरआई, बेंगलुरु ने सारे नमूने केवल दक्षिण क्षेत्र के दो शहरों अर्थात चैन्नई और बेंगलुरु से ही प्राप्त किए।

एमओपी/बीईई ने उत्तर दिया (मार्च 2019) कि वे मॉडलों के पंजीकरण से पहले मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से परीक्षण रिपोर्ट माँगते हैं और सीपीआरआई के पास देश में जाँच परीक्षण संस्थाओं की सीमित भौगोलिक उपस्थिति है।

उत्तर को निम्नलिखित तथ्यों के सापेक्ष देखा जाना है कि:

- क) ओएम/विनियम में निहित प्रावधान में उत्पाद के पंजीकरण के समय केवल तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त पंजीकरण के बाद जाँच परीक्षण नगण्य था और जहाँ पर यह किया गया, वहाँ यह पंजीकरण के औसतन 465 दिनों बाद किया गया। इसके कारण लंबी अवधि तक अयोग्य मॉडलों का विपणन किया गया।
- ख) बीईई ने देशभर में जाँच परीक्षण हेतु स्थापित 4 से 10 पंजीकृत मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में से केवल सीपीआरआई, बेंगलुरु की ही सेवाओं का उपयोग किया।

### 5.1.4.3 प्रयोगशाला क्षमता निर्माण हेतु अपर्याप्त प्रयास

ईसी अधिनियम के तहत बीईई के पास प्रमाणीकरण और जाँच परीक्षण हेतु परीक्षण सुविधाओं को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी है।

11वीं योजना अवधि के लिए एमओपी ने (मार्च 2011) प्रयोगशाला क्षमता निर्माण के लिए ₹26 करोड़ का व्यय अनुमोदित किया। बीईई ने क्षमता निर्माण हेतु सरकारी प्रयोगशालाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए (अक्टूबर 2011)। कुल मिलाकर, 15 उत्पादों<sup>22</sup> हेतु 10 प्रयोगशालाओं से 26 प्रस्ताव प्राप्त किए गए। बीईई ने केवल तीन<sup>23</sup> प्रयोगशालाओं के लिए आठ उत्पादों<sup>24</sup> (एक अनिवार्य - टीएफएल + सात स्वैच्छिक उत्पाद) को ₹10.74 करोड़ की अनुदान राशि जारी की और इन प्रयोगशालाओं ने ₹10.45 करोड़ की अनुदान राशि उपयोग की। बीईई ने मुख्यतः अनिवार्य उत्पादों का परीक्षण करने वाली अन्य प्रयोगशालाओं का वित्तपोषण नहीं किया।

11वीं योजना हेतु प्रयोगशाला क्षमता निर्माण के लिए उपलब्ध निधि का पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रयोगशाला क्षमता निर्माण हेतु ₹10.45 करोड़ की अनुदान राशि जारी होने के बावजूद बीईई ने उपरोक्त तीन प्रयोगशालाओं (रेफ्रिजरेटर हेतु सीपीआरआई को छोड़कर) का उपयोग नहीं किया।

12वीं योजना अवधि (2012-13 से 2016-17) हेतु, एमओपी ने ₹16 करोड़ की व्यय अनुमोदित किया लेकिन बीईई ने 2015-16 से 2017-18 तक 1,19,005 यूनिट (एयर कंडीशनर्स कैसेट्स/फ्लोर स्टैंडिंग) तथा 28,38,508 यूनिट (इंवर्टर एयर कंडीशनर्स) के उत्पादन तथा विपणन की मात्रा वाले तथा इन उत्पादों से ऊर्जा बचत<sup>25</sup> के रूप में 770.74 एमयूज का दावा करने वाले दो उत्पादों<sup>26</sup> हेतु प्रमाणित प्रयोगशालाएँ न होने के बावजूद भी आवश्यक प्रयोगशालाएँ विकसित करने के लिए निधि का उपयोग नहीं किया।

बीईई ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि नई सुविधाओं के सृजन तथा सरकारी प्रयोगशालाओं में पहले से विद्यमान सुविधाओं में संवर्धन में तकनीक तथा आधार

<sup>22</sup> इंडक्शन मोटर, वितरण ट्रांसफार्मर, सीलिंग फैन, यूपीएस, इन्वर्टर, एलईडी, बैटरी, रूम एसी, रंगीन टीवी, पंप सेट, एलपीजी स्टोव, टीएफएल, रेफ्रिजरेटर, सीएफएल तथा स्टेबिलाइज़र्स

<sup>23</sup> (i) सीपीआरआई, बंगलौर (₹8.53 करोड़), (ii) सीईसी आईआईटी मद्रास (₹0.82 करोड़) तथा (iii) एनएसआईसी, चैन्नई (₹1.27 करोड़)

<sup>24</sup> (i) इंडक्शन मोटर, (ii) यूपीएस, (iii) सीलिंग फैन, (iv) एलईडी, (v) टीएफएल, (vi) रेफ्रिजरेटर, (vii) इन्वर्टर तथा (viii) पम्प सेट

<sup>25</sup> एसीज़ हेतु ऊर्जा बचत (एमयू):  $[(\text{बेस विद्युत खपत}-\text{वास्तविक विद्युत खपत}) \times \text{उत्पादन}] / 10^9$

<sup>26</sup> इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स तथा रूम एयर कंडीशनर्स कैसेट्स, फ्लोर स्टैंडिंग।

संरचना संबंधी कारणों से लंबा प्रतीक्षा काल था। बीईई ने आगे कहा कि उन्होंने पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से सरकारी वित्तपोषण सहयोग के माध्यम से क्षमता संवर्धन हेतु निजी प्रयोगशालाओं के विकल्प पर गौर नहीं किया। बीईई द्वारा निधियों के अनुपयोग को स्वीकार करते हुए, एमओपी ने बीईई के विचारों का समर्थन किया (मार्च 2019)।

बीईई का उत्तर अनुदानों द्वारा उत्पन्न क्षमता के अनुपयोग के संबंध में मौन है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने नगण्य जाँच परीक्षण का कारण परीक्षण प्रयोगशालाओं की अपर्याप्तता बताया है।

#### 5.1.4.4 लेबल सत्यापन

ओएम के अनुसार बीईई को यह जाँचने की अनिवार्यता है कि क्या अनिवार्य योजना के तहत आने वाले सभी उत्पादों के मामले में सभी मॉडल बीईई के साथ पंजीकृत हैं, सभी पंजीकृत मॉडल बीईई का स्टार लेबल दर्शाते हैं, स्वैच्छिक योजना के तहत आने वाले उत्पादों के मामले में स्टार लेबल वाले सभी मॉडल पंजीकृत हैं, उत्पादों पर नकली लेबल नहीं प्रयोग किए जा रहे हैं तथा उत्पाद सूचीपत्र/विनियम की आवश्यकतानुसार उत्पादों पर बीईई स्टार लेबल दर्शाए जा रहे हैं। ये सभी पहलू लेबलों के दुरुपयोग के प्रति ग्राहकों को सुरक्षित रखने या/तथा एसएण्डएल योजना के तहत ऊर्जा बचत सुनिश्चित करने की ओर निर्देशित हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एसएण्डएल योजना के कार्यान्वयन तथा निगरानी में उसकी महत्ता के बावजूद लेबल सत्यापन की प्रक्रिया बीईई/आईएएमई द्वारा नहीं की गई।

बीईई ने उत्तर दिया (जनवरी/मार्च 2019) कि लेबल सत्यापन सीमित रूप से जाँच परीक्षण का भाग था तथा जाँच परीक्षण की प्रक्रिया में लेबल विवरण परीक्षण जाँच के परिणामों के साथ सत्यापित किए जाते हैं। बीईई ने आगे कहा कि जाँच परीक्षण तथा लेबल सत्यापन की प्रक्रिया को सुनियोजित करने की आवश्यकता थी जिसके लिए प्रमाणीकरण निकायों हेतु राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड (एनएबीसीबी) के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एमओपी ने इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की।

बीईई का उत्तर निम्नलिखित तथ्यों के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं है:

- संविदा के तहत, ईईएसएल को लेबल सत्यापन हेतु नमूना योजना बीईई को उपलब्ध करानी थी और लेबल सत्यापन कार्य के लिए त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत

करनी थी। इसलिए लेबल सत्यापन एक अति महत्वपूर्ण गतिविधि थी जिसे जाँच परीक्षण से स्वतंत्र रूप से संचालित किया जाना था।

- सीपीआरआई को कार्य आदेश (अक्टूबर 2013) में केवल दो चरणों अर्थात् प्रथम जाँच परीक्षण और प्रथम जाँच परीक्षण में विफलता पर द्वितीय जाँच परीक्षण का ही उल्लेख किया गया था और उस कार्य आदेश के तहत कोई लेबल सत्यापन कार्य नहीं सौंपा गया था।
- बीईई द्वारा जाँच परीक्षण नगण्य और प्रभावहीन था (पैरा 5.1.4.2 देखें)
- आस्ट्रेलिया में बाज़ार निगरानी/लेबल सत्यापन नियमित रूप से किए जाते हैं और उनपर रिपोर्ट वार्षिक आधार पर जारी की जाती है जिसमें नमूना चयन विवरण तथा आकार के अलावा अपंजीकृत मॉडलों के विपणन, तिथि बाह्य मॉडलों का विपणन, गैर लेबल वाले मॉडलों का विपणन, गलत/अस्पष्ट लेबल वाले मॉडलों का विपणन इत्यादि कमियाँ उजागर की जाती हैं।

#### 5.1.4.5 स्टार लेबल पर क्यूआर कोड न लगाया जाना और लेबलिंग शुल्क की कम वसूली

बाज़ार में प्रयुक्त लेबलों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक उपकरण पर त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड प्रयोग किया जाता है, ताकि ग्राहक को फोन का प्रयोग कर स्कैनिंग या टेक्स्ट संदेश के माध्यम से पंजीकृत उपकरण डाटाबेस से सुविधापूर्वक किसी उपकरण पर चिपकाए गए स्टार लेबल में दर्शाए तकनीकी विशिष्टताओं का विवरण निकालने और उसे सत्यापित करने में सक्षम बनाकर स्टार लेबलों का दुरुपयोग समाप्त किया जा सके। यह प्रणाली 1 जून 2016 से चीन में लागू की जा चुकी है।

बीईई ने (दिसंबर 2010) में बाज़ार में अयोग्य मॉडलों की खरीद न होना सुनिश्चित करने के लिए तथा बीईई डाटाबेस से सीधे लेबल विवरणों का सत्यापन करने हेतु ग्राहकों को सक्षम बनाने के लिए क्यूआर कोड<sup>27</sup> तकनीक का कार्यान्वयन शुरू किया। यह बीईई को डाटा सत्यापन हेतु उत्पाद बिक्री का विवरण प्राप्त करने में भी सहायक होगा। किंतु आठ वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी, स्टार लेबलों पर क्यूआर कोड क्रियान्वित किया जाना बाकी है।

---

<sup>27</sup> यह एक स्वचालित पहचान व डाटा संग्रहण तकनीक है जिसे मानवीय हस्तक्षेप के बिना सामग्री की पहचान करने में प्रयोग किया जाता है।

क्यूआर कोड प्रणाली के क्रियान्वयन में विलंब के कारण, बीईई अनुमतिधारकों द्वारा स्टार लेबलों के प्रयोग हेतु जमा कराए गए शुल्क के साथ उत्पादन डाटा का त्वरित मिलान नहीं कर सका। इसके परिणामस्वरूप ₹11.83 करोड़ की लेबलिंग शुल्क राशि की भी कम वसूली हुई है, जैसा कि तालिका 5.2 में विवरण दिया गया है।

**तालिका 5.2: बकाया तथा वसूले गए लेबलिंग शुल्क का वर्षवार विवरण**

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	वार्षिक उत्पादन डाटा के आधार पर वसूली योग्य शुल्क	बीईई द्वारा वास्तव में वसूला गया शुल्क	कमी(-)/अतिरिक्त(+) वसूली
2012-13	22.10	15.98	(-) 6.12
2013-14	21.41	21.68	(+) 0.27
2014-15	25.67	23.14	(-) 2.53
2015-16	29.63	25.96	(-) 3.67
2016-17	32.36	32.58	(+) 0.22
<b>कुल</b>	<b>131.17</b>	<b>119.34</b>	<b>(-) 11.83</b>

एमओपी/बीईई ने उत्तर दिया (जनवरी/मार्च 2019) कि उन्होंने लेबलों पर क्यूआर कोड हेतु एक अध्ययन करवाया था (फरवरी 2018) तथा तब से अभी तक क्यूआर कोड कार्यान्वयन एजेंसियों से रूचि की सहमति आमंत्रित की गई थी। विसंगतियाँ, यदि कोई हों, की पहचान करने के लिए हस्तचालित समायोजन प्रगति पर था और अनुमतिधारकों से लेखापरीक्षित दस्तावेज़ न प्राप्त होने के कारण प्राप्त लेबलिंग शुल्क का सत्यापन विलंबित हो गया था।

उत्तर यह पुष्टि करता है कि बीईई ने अब तक क्यूआर कोड प्रणाली का कार्यान्वयन नहीं किया था और अब तक उत्पादन डाटा के साथ लेबलिंग शुल्क भुगतानों का मिलान भी नहीं किया था, यद्यपि यह एसएण्डएल योजना हेतु वित्तपोषण का एकमात्र स्रोत था।

#### 5.1.4.6 ऊर्जा बचतों की रिपोर्टिंग

13.95 बीयू के लक्ष्य के प्रति, 12वीं योजना अवधि के दौरान बीईई ने 70 बीयू ऊर्जा बचत रिपोर्ट की (लक्ष्य की गणना अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थी)। बचत को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना है कि ऊर्जा दक्षता मानकों का अनुपालन कुल पंजीकृत मॉडलों की संख्या के मात्र 0.16 प्रतिशत हेतु ही बीईई द्वारा जाँच परीक्षित किया गया था और अधिकांश मॉडल जाँच परीक्षण में असफल हो गए थे। इसके अलावा, बचत राशि पिछले

वर्ष में विद्यमान दक्षता मानकों के स्थान पर उत्पादों के बाजार में लाने के समय विहित स्टार -1 उत्पादों की मानक ऊर्जा खपत के संदर्भ में संगणित की गई थी।

एक जाँच परीक्षण के रूप में लेखापरीक्षा ने पाँच वर्षों अर्थात् 2012 से 2017 में कुल ऊर्जा बचत का लगभग 55 प्रतिशत योगदान करने वाले तीन उपस्करों (कैसेट तथा फ्लोर स्टैंडिंग सहित रूम एसी, डीसीआर तथा एफएफआर) के संदर्भ में बीईई द्वारा की गई ऊर्जा बचत गणना की तुलना में उपरोक्त सिध्दांत के अनुसार ऊर्जा बचत संगणना की और पाया कि बीईई ने इन तीन उपस्करों के लिए 23,624.96 मिलियन यूनिट (61.50 प्रतिशत के बराबर) अतिरेक<sup>28</sup> ऊर्जा बचत की गणना की थी।

एमओपी/बीईई ने उत्तर दिया (मार्च 2019) कि मूलभूत मूल्य में सुधार बाजार परिदृश्य में उन्नयन दर्शाता है जो कि उत्पादकों द्वारा नयी तकनीक लाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के कारण हुआ है। बीईई ने आगे यह भी कहा कि उसने लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ नोट कर ली हैं और वह इस पर प्रबंधन सलाहकार समिति के विचार प्राप्त करेगी।

लेखापरीक्षा इस मामले पर दिए गए आश्वासन की सरहाना करता है।

### 5.1.5 निष्कर्ष

एसएण्डएल योजना ऊर्जा के दक्ष उपयोग तथा खपत हेतु शुरू की गई योजना है। 2006 में एसएण्डएल योजना शुरू करने के 12 वर्ष से अधिक बीत जाने के बावजूद, बीईई द्वारा आवश्यक जाँच तथा निवारक उपाय स्थापित किए जाने बाकी हैं।

जाँच परीक्षण, जो कि एसएण्डएल योजना की प्रभावकारिता हेतु अति महत्वपूर्ण है, वह नगण्य, अपूर्ण तथा प्रभावहीन रही है। प्रयोगशाला क्षमता निर्माण को नजरअंदाज़ किया गया, हालांकि इसके लिए 11वीं तथा 12वीं योजना अवधि में निधियाँ चिन्हित की गई थीं। जाँच परीक्षा गतिविधि के लिए विशेषरूप से पंजीकृत प्रयोगशालाओं का इष्टतम उपयोग नहीं किया गया। लेबल सत्यापन गतिविधि बिल्कुल नहीं की गई थी, हालांकि यह स्टार लेबलों के दुरुपयोग से ग्राहकों को सुरक्षित रखने में अति महत्वपूर्ण था। सही लेबलिंग शुल्क इत्यादि के संग्रहण हेतु क्यूआर कोड तंत्र को व्यवस्थित किया जाना बाकी है।

<sup>28</sup> (i) रूम एसी की अतिरिक्त ऊर्जा बचत (एमयू):  $\{[(\text{स्टार 1 मॉडल की बेस विद्युत खपत-संगत स्टार मॉडल की बेस विद्युत खपत}) - (\text{वास्तविक विद्युत खपत})] * \text{उत्पादन} * 1200\} / 10^9$   
(ii) डीसीआर व एफएफआर की अतिरिक्त ऊर्जा बचत (एमयू):  $\{[(\text{स्टार 1 मॉडल की बेस विद्युत खपत-संगत स्टार मॉडल की बेस विद्युत खपत}) - (\text{वास्तविक विद्युत खपत})] * \text{उत्पादन}\} / 10^6$

#### 5.1.6 अनुशंसाएँ

- पंजीकरण के समय स्टार लेबल की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए अनुमोदित प्रयोगशालाओं से तृतीय पक्ष सत्यापन करवाने पर विचार किया जाए।
- जाँच परीक्षण तथा लेबल सत्यापन में पर्याप्त गति लाई जाए, इन्हें समय पर पूरा किया जाए तथा रिपोर्ट बीईई के बेबसाईट पर प्रकाशित की जाएँ।
- प्रयोगशाला क्षमता निर्माण और उन्नयन को आवश्यक महत्व प्रदान किया जाए ताकि जाँच परीक्षण हेतु पर्याप्त विश्वसनीय प्रयोगशालाएँ उपलब्ध हों।
- निगरानी तथा जाँच परीक्षण, लेबल सत्यापन इत्यादि के लिए मॉडलों के चयन के संबंध में आंतरिक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु तंत्र का गठन व कार्यान्वयन किया जाए, ताकि योजना के लक्ष्यों की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके।

## अध्याय VI: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

### 6.1 निरीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्रों की स्थापना के लिए योजना

उपकरण आपूर्तिकर्ता को अंतिम रूप देने में देरी, खराब नियोजन और अप्रभावी निगरानी के कारण ग्यारहवीं योजना के दौरान योजनाबद्ध आईएण्डसी केंद्रों का अभी तक (सितंबर 2019) पूर्ण होने में देरी/गैर-संचालन हुआ। इस प्रकार, योजना को लागू करने का उद्देश्य अर्थात् प्रभावी वाहन निरीक्षण प्रणाली का कार्यान्वयन, सड़क की स्थिति में सुधार और बाकी राज्यों में इस तरह के मॉडल आईएण्डसी केंद्रों को दोहराना अभी तक पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका है।

6.1.1 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच/मंत्रालय) ने, प्रयोग में लाये जाने वाले पुराने वाहनों के खराब रख-रखाव और सर्विसिंग के कारण, जो न केवल पर्यावरण के लिये नुकसानदायक है, बल्कि सड़क पर सुरक्षा के लिये भी खतरा है, ₹280 करोड़ के अनुमानित प्रावधान से स्वचालित निरीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्रों (आईएण्डसी केन्द्र) की स्थापना की एक योजना परिकल्पित (अगस्त 2009) की। इसी क्रम में, मंत्रालय द्वारा नौ राज्यों<sup>1</sup> में प्रायोगिक आधार पर, राष्ट्रीय स्वचालित परीक्षण और शोध एवं विकास संरचनागत परियोजना (एनएटीआरआईपी) द्वारा किये गये अध्ययन पर आधारित, आईएण्डसी केन्द्र स्थापित करने की योजना शुरू की गई (XI (एफवाई) योजना/अगस्त 2009)।

इन आईएण्डसी केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य साफ पर्यावरण को बढ़ाने के अतिरिक्त, प्रयोग होने वाले वाहनों की सुरक्षा तथा बचाव सुनिश्चित करना था। आदर्श आईएण्डसी केन्द्र में वाहनों की सड़क पात्रता की वैज्ञानिक जाँच को दिखाना था और वर्तमान में चल रही मैनुअल मूल्यांकन विधियों को हटाकर स्वचालित परीक्षण सुविधाओं से युक्त करना था। राज्यों को, शहर विशेष में वाहन संख्या पर आधारित, ऐसे आदर्श आईएण्डसी केन्द्रों की स्वयं/निजी भागीदारों के साथ प्रतिकृति तैयार करनी थी।

मंत्रालय ने भारतीय मोटर वाहन अनुसंधान एसोसिएशन (एआरएआई), पुणे को आईएण्डसी केन्द्रों में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए तकनीकी सलाहकार नियुक्त करने का निर्णय लिया (अगस्त 2009), जिसमें वास्तु/डिजाइन अवधारणायें,

<sup>1</sup> राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। राज्य सरकार द्वारा भूमि विकास की अतिरिक्त लागत को न वहन करने के कारण हिमाचल प्रदेश में आईएण्डसी केन्द्र को निरस्त (जुलाई 2014) कर दिया गया था।

निविदा दस्तावेज, उपकरणों की खरीद, स्थापना और चालित करना एवं केन्द्र का प्रचालन शामिल था। मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों (सीएमवीआर), 1989 में कुछ विधायी बदलाव लाने का भी प्रस्ताव दिया, क्योंकि सीएमवीआर 1998 के नियम 62 में दिये गये उपयुक्तता परीक्षण के समय जाँचे जाने वाले मानकों की सूची को, सुरक्षा संबंधित ज्यादा मदों और वाहन निरीक्षण केन्द्र में स्वचालित परीक्षण उपकरण का प्रयोग करते हुए नियमित जाँचों की आवश्यकता वाले पर्यावरणीय मानकों को शामिल करने के लिये, संशोधित करने की आवश्यकता थी। यह भी विचार किया गया कि प्रत्येक आईएण्डसी केन्द्र प्रतिवर्ष ₹4.03 करोड़ का राजस्व उत्पादित करेगा।

संबंधित राज्य सरकारें नये केन्द्र की स्थापना के लिये भूमि (प्रत्येक केन्द्र के लिये तीन एकड़) और अन्य ढाँचागत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये उत्तरदायी थीं। मंत्रालय ने राज्यों में योजना का कार्यान्वयन भारतीय मोटरवाहन निर्माता सोसाईटी (एसआईएम), अंतर्राष्ट्रीय मोटर वाहन प्रौद्योगिकी केन्द्र (आईसीएटी) और भारत की मोटर वाहन रिसर्च एसोसिएशन (एआरएआई) से करवाने का निर्णय लिया और आईएण्डसी केन्द्र परियोजना क्रियाकलाप शुरू होने से 12 महीनों के भीतर प्रचालित होने थे। मंत्रालय ने (सितम्बर 2010 से नवम्बर 2014) आईएण्डसी केन्द्रों की स्थापना करने के लिए ₹14.40 करोड़<sup>2</sup> (कर रहित) की अनुमानित लागत से प्रत्येक चार लेन वाले केन्द्रों के लिये संबंधित राज्य सरकारों को प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृतियां (ए/ए एवं एफ/एस) प्रदान की, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को छोड़कर जिसके लिये क्रमशः ₹12.62 करोड़ और ₹14.74 करोड़, की ए/ए एवं एफ/एस प्रदान की गई। परियोजना स्वीकृतियों का ब्यौरा नीचे तालिका 6.1 में दिया गया है:

तालिका 6.1: स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	केन्द्र और राज्य का स्थान	एजेन्सी का नाम	सिविल निर्माण के लिये स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	प्रचालन शुरू होने की तिथि
1.	लखनऊ, उत्तरप्रदेश	आईसीएटी मानेसर	5.80	8.40	जनवरी 2016	केन्द्र उपकरण लगाने के लिये तैयार है।

<sup>2</sup> उपकरण, उपयोगिताएं और साफ्टवेयर सम्मिलित है (₹5.30 करोड़), सिविल निर्माण (₹5.80 करोड़), परिचालन एवं रखरखाव (₹2.65 करोड़) परियोजना प्रबन्धन शुल्क और गैराज लेखापरीक्षण (₹0.65 करोड़) = ₹14.40 करोड़

2.	नासिक, महाराष्ट्र	एआरएआई पुणे	5.80	6.08	जनवरी 2013	अक्टूबर 2015
3.	रेलमगरा, राजस्थान	एआरएआई पुणे	5.80	5.65	मार्च 2013	अभी शुरू होना है।
4.	सूरत, गुजरात	एआरएआई पुणे	5.80	4.90	मार्च 2014	मई 2017
5.	नेलामंगला, कर्नाटक	एआरएआई पुणे	5.80	5.55	जनवरी 2013	अक्टूबर 2016
6.	झुलझुली, दिल्ली	आईसीएटी मानेसर	5.80	5.60	मई 2013	जुलाई 2016
7.	मल्कापुर, तेलंगाना	एआरएआई पुणे	5.80	5.35	अगस्त 2013	केन्द्र उपकरण लगाने के लिये तैयार है।
8.	छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश	एसआईएम	8.50	10.20	मई 2012	फरवरी 2016
9.	रोहतक, हरियाणा <sup>3</sup>	आईसीएटी मानेसर	5.80	5.70	-	अगस्त 2016
	<b>कुल</b>		<b>54.90</b>	<b>57.43</b>		

मंत्रालय ने नौ राज्यों में इन परियोजनाओं के लिये ₹94.52 करोड़ की राशि जारी की, जिसमें ₹57.43 करोड़ सिविल निर्माण, ₹3.20 करोड़ परियोजना प्रबंधन शुल्क, ₹7.59 करोड़ उपयोगिताओं और करों के लिये तथा ₹26.10 करोड़ उपकरण के लिए शामिल थे। आईएण्डसी केन्द्रों के लिये कार्यान्वयन एजेन्सियाँ जैसे कि एसआईएम, आईसीएटी और एआरएआई नामांकन के आधार पर चयनित की गई थीं और कार्य का आबंटन राज्यों की जनसांख्यिकी स्थिति, केन्द्रों को स्थापित करने की विशेषज्ञता और योग्यता के आधार पर किया गया।

#### 6.1.2 लेखापरीक्षा में पाया गया कि :-

- (i) प्रारंभ में (सितम्बर 2010) यह निर्णय लिया गया कि परियोजनाओं की प्रत्येक कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा उपकरण खरीदे जायेंगे। हालाँकि, निविदा निरस्त कर दी गई क्योंकि यह जीएफआर के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी और यह निर्णय लिया गया (दिसम्बर 2010) कि सभी आईएण्डसी केन्द्रों के लिये उपकरण एकल निविदा

<sup>3</sup> हरियाणा के अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किये गये।

के अन्तर्गत खरीदे जायेंगे। हांलांकि मंत्रालय ने उपकरण की विशिष्टताओं को अंतिम रूप देने में समय लेने के कारण निविदा देने में दो साल (नवम्बर 2012) का समय लिया। निविदा को अंतिम रूप दिया गया और 7 अगस्त 2013 को अधिनिर्णय पत्र जारी किया गया। इस प्रकार, निविदा को अंतिम रूप देने में तीन वर्षों से ज्यादा की देरी हुई।

- (ii) परियोजना के पूर्ण/चालू करने के बाद, केन्द्र को दो साल तक उपकरण आपूर्तिकर्ता द्वारा परिचालित करना था, उसके बाद आईएण्डसी केन्द्रों को राज्य सरकारों को हस्तांतरित करना था। इस प्रकार, ऐसा विचार करना आवश्यक था कि राज्य सरकारें परियोजना के प्रगति के निरीक्षण में सक्रिय रूप से शामिल रहे। इस उद्देश्य के लिए, मंत्रालय ने परियोजनाओं के लिये पूंजी जारी करने से पहले राज्य सरकारों और कार्यान्वयन एजेन्सियों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता जापन (एमओयू) किया। यद्यपि, मध्यप्रदेश के मामले में एमओयू जनवरी 2017 में हस्ताक्षरित हुए अर्थात् परियोजना के पूर्ण (मार्च 2016) होने के बाद हुआ। इसके अलावा मध्यप्रदेश के मामले में, मंत्रालय द्वारा भूमि विकास की लागत ₹20 लाख की धनराशि योजना दिशा-निर्देशों की अवहेलना करके जारी की गई।
- (iii) लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि परियोजना दिशा-निर्देशों में स्वीकृति पत्रों में त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों के प्रावधान के अतिरिक्त कोई निर्धारित निगरानी तंत्र नहीं था। तथापि, यह पाया गया कि एसआईएम, जिसने दिसम्बर 2010 से अप्रैल 2012 तक आईएण्डसी केन्द्र छिंदवाडा, मध्यप्रदेश के लिए पाँच त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये, के अतिरिक्त किसी अन्य कार्यान्वयन एजेन्सी ने मंत्रालय को प्रगति की निगरानी हेतु त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए। इसके अतिरिक्त, न तो प्रशासनिक अनुमोदन में और न ही किसी संस्वीकृतियों में सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के नियम 212 के अन्तर्गत उपयोग प्रमाणपत्रों (यूसी) के प्रस्तुतीकरण के अनिवार्य प्रावधान का वर्णन था।
- (iv) यह पाया गया कि देरी का मुख्य कारण कार्यान्वयन और प्रचालन एजेन्सी में अपर्याप्त संवीक्षण/तालमेल था। सिविल कार्य और उपकरण की आपूर्ति एक दूसरे पर निर्भर थी क्योंकि उपकरण की तकनीकी विशिष्टियाँ और सही आयामों का ब्यौरा और पिट्स की विशेषतायें उपकरण आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित की जाती थी। उपकरण लगाने के लिए इन केन्द्रों पर आवश्यक जगह की उपलब्धता, श्रमशक्ति और ढाँचे को सुनिश्चित किये बिना खरीदे गये, जिसके परिणामस्वरूप देरी हुई।

(v) इसके अतिरिक्त व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, ने XI योजना से XII योजना में चालू योजनाओं को अनवरत करने के लिए दिशानिर्देश (दिसम्बर 2011) निर्धारित किए थे। इनमें यह उल्लेख किया गया था कि XII योजना में परियोजना को चालू रखने से पहले, इस परियोजना को XI योजना के निष्पादन के संदर्भ में मूल्यांकित किया जाना था। हालांकि तकनीकी सलाहकार केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सीआईआरटी), पुणे द्वारा मंत्रालय को XI योजना के दौरान परियोजना के निष्पादन से संबंधित मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी (सितम्बर 2017) जिसमें निम्नलिखित मुख्य कमियाँ पाई गई :-

- प्रत्येक एजेन्सी का कार्य क्षेत्र स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं था। दिशानिर्देशों के अनुसार, शेड निर्माण का लेआउट कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराया जाना था और उपकरण आधार का लेआउट प्रचालन एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराया जाना था। दोनों एजेन्सियों के बीच तालमेल की कमी के कारण सिविल कार्य में देरी हुई।
- परियोजना के शुरुआती चरण में आरटीओ कर्मचारियों को बहुत कम शामिल करने के कारण, वे जांच के तरीकों से भली भांति परिचित नहीं थे और उन्हें जाँच में प्रयोग करने वाले उपकरणों का कम ज्ञान था। दिशानिर्देशों में आरटीओ अधिकारियों के विशिष्ट प्रशिक्षण और उनकी योग्यता निर्माण के लिये कोई उल्लेख नहीं था, जिससे परियोजना को सौंपने के बाद केन्द्र के सतत परिचालन को सुनिश्चित किया जा सके।
- परियोजना में प्रक्रिया को सौंपने और लेने से संबंधित शर्तों के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं था।
- यद्यपि कुछ केन्द्र दिये गये समयानुसार स्थापित किये गये, यातायात विभाग ने जांच के लिये वाहन उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक कदम उठाने में देरी की। इसलिये, कुछ केन्द्रों का प्रभावी उपयोग नहीं हो सका।

(vi) नवम्बर 2018 तक, तीन केन्द्रों (तेलंगाना, राजस्थान एवं उत्तरप्रदेश) में उपकरण स्थापित/शुरू नहीं किये गये थे जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रों के परिचालन में विलम्ब हुआ। छः केन्द्र (कर्नाटक, दिल्ली, मध्यप्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र) 26 से 54 महीनों के विलम्ब के बाद, मार्च 2018 को परिचालन के लिए तैयार थे। लेखापरीक्षा नमूना जाँच में वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध वाहनों की संख्या का निरीक्षण किया गया तथा प्रत्येक केंद्र पर निम्नलिखित वाहनों की संख्या का उल्लेख किया

गया और राजस्व की राशि अर्जित की गई जैसा कि नीचे तालिका 6.2 में दिखाया गया है:

तालिका 6.2: आईएंडसी केन्द्रों पर वाहनों के निरीक्षण की संख्या और अर्जित राजस्व

क्रम सं.	आईएंडसी केन्द्र	वार्षिक लक्ष्य (वाहनों की संख्या)	उपलब्धि (वाहनों की संख्या जिनका निरीक्षण किया गया)	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)	अवधि	टिप्पणी
1.	झुलझुली दिल्ली	तय नहीं	36,560	प्रदाय नहीं किया गया	01 अप्रैल 2017 से 31 अक्टूबर 2019	योजना के दस्तावेजों के अनुसार प्रत्येक वर्ष 1.25 लाख वाहनों का निरीक्षण करने के लिए केन्द्र बनाये गये थे। हालांकि, स्थापित क्षमता के सापेक्ष 36,560 वाहनों (11.31% प्रतिवर्ष के आधार पर) का ही निरीक्षण किया गया।
2.	नेलामांगला, कर्नाटक	तय नहीं	11,440	प्रदाय नहीं किया गया	01 अक्टूबर 2016 से 28 फरवरी 2019	केन्द्र आज की तारीख में सेवा में नहीं है। फरवरी 2020 में संचालन फिर से शुरू करने के लिए निविदा प्रक्रिया में है। परिचालन अवधि के दौरान भी 1.25 लाख वाहन प्रति वर्ष संस्थापित क्षमता का केवल 3.79% (प्रतिवर्ष के आधार पर) का ही
			कुछ नहीं		01 मार्च 2019 से 31 अक्टूबर 2019	

						उपयोग किया गया। इसलिए केन्द्र ज्यादातर निष्क्रिय रहा।
3.	रोहतक, हरियाणा	1.25 लाख से 1.50 लाख	33,664	प्रदाय नहीं किया गया।	1 अप्रैल 2017 से 31 अक्टूबर 2019	संस्थापित क्षमता के सापेक्ष केवल 33,664 वाहनों (10.41% प्रतिवर्ष के आधार पर) का निरीक्षण किया गया था।
4.	सूरत, गुजरात	36,000	3,835	28.42	06 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2018	राज्य द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 34% उपयोग एवं 9.85% (प्रतिवर्ष के आधार पर) उपयोग यदि प्रतिवर्ष 1.25 लाख वाहनों की स्थापित क्षमता को माना जाता है।
			13,487	99.45	01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019	
			8,186	58.29	1 अप्रैल 2019 से 31 अक्टूबर 2019	
5.	छिंदवाडा, मध्यप्रदेश	तय नहीं	कुछ नहीं	-	2016-17	हांलाकि केंद्र 30 जनवरी 2016 को शुरू हुआ, इनमें से केवल 10 वाहनों का निरीक्षण किया गया। जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र व्यावहारिक रूप से निष्क्रिय रहा और निवेश निष्फल रहा।
			10	0.09	2017-18	
			कुछ नहीं	-	2018-19	
			कुछ नहीं	-	1 अप्रैल 2019 से 31 अक्टूबर 2019	
6.	नासिक, महाराष्ट्र	तय नहीं	14,342	69.39	14 अक्टूबर 2015 से 31 मार्च 2016	प्रतिवर्ष लगभग 1.25 लाख वाहनों की स्थापित क्षमता के सापेक्ष कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया
			24,934	139.63	1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017	

			32,330	240.26	1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018	गया और केवल 1,20,488 वाहनों (23.80% प्रतिवर्ष के आधार पर) का निरीक्षण किया गया।
			30,667	234.79	1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019	
			18,215	139.15	1 अप्रैल 2019 से 31 अक्टूबर 2019	
7.	लखनऊ, उत्तरप्रदेश	अभी तक प्रचालन में नहीं।				
8.	रेलमगरा, राजस्थान					
9.	मलकापुर, तेलंगाणा					

(vii) उपरोक्त तालिका 6.2 से देखा जा सकता है कि निरीक्षण किए जाने वाले वाहनों की संख्या का वार्षिक लक्ष्य आईएण्डसी रोहतक, हरियाणा और सूरत, गुजरात को छोड़कर किसी भी केंद्र में तय नहीं किया गया था। छः केंद्र जो प्रचालित थे, उनमें से वास्तव में निरीक्षण किए गए और प्रमाणित वाहनों की कुल संख्या प्रति केंद्र की 1.25-1.35 लाख वाहनों की संस्थापित क्षमता से बहुत कम थी, जैसा कि योजना दिशानिर्देशों में परिकल्पित है। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त अवधि के लिए सूरत गुजरात, छिंदवाड़ा-मध्य प्रदेश और नासिक-महाराष्ट्र द्वारा राजस्व के लिए दी गई जानकारी से संकेत मिलता है कि इन केंद्रों द्वारा क्रमशः ₹1.86 करोड़, ₹0.09 लाख, ₹8.23 करोड़ ही अर्जित किए थे, जो योजना दिशानिर्देशों में परिकल्पित प्रति वर्ष प्रति केन्द्र ₹4.03 करोड़ के अनुमानित राजस्व से बहुत कम था।

यह स्पष्ट है कि प्रत्येक केंद्र की क्षमता अत्यधिक कम है और तदनुसार प्रत्येक केंद्र के लिए वार्षिक अनुमानित राजस्व की तुलना में अर्जित राजस्व बहुत पीछे है।

(viii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 56 में स्वचालित परीक्षण स्टेशनों में वाहनों के अनिवार्य परीक्षण के संबंध में आवश्यक संशोधन को अगस्त 2019 के दौरान अधिसूचित किया गया। यह संशोधन जिस तारीख से प्रभावी होगा, उसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। जैसा कि स्वचालित आईएण्डसी केंद्रों की संस्थापना के लिए पायलट प्रोजेक्ट तीन राज्यों में पूरा होना बाकी है और इस योजना को अभी तक राज्यों द्वारा स्वयं/निजी भागीदारों के माध्यम से लागू करना

बाकी है, जैसा कि परिकल्पित है पूरे देश में इसका तत्काल कार्यान्वयन अनिश्चित है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2018/अगस्त 2019) में कहा कि:

- प्रारम्भ में कार्यदायी संस्थाओं को उपकरण खरीदने के लिए कहा गया था। बाद में, उपकरण खरीद के लिए एकल निविदा प्रारम्भ करना तय किया गया। इसके अतिरिक्त, उपकरण की विशिष्टताओं को अंतिम रूप देना बड़ी चुनौती थी। आगे, मंत्रालय ने निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान दाखिल किए गये न्यायिक मामले एवं उपकरण प्रदाता को अंतिम रूप दिए जाने को विलम्ब का कारण बताया;
- हालांकि निष्पादन एजेंसी ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, लेकिन मंत्रालय समय-समय पर मंत्रालय में आयोजित बैठक में केंद्रों की प्रगति की समीक्षा करता रहा है। राज्य सरकार से प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही भुगतान स्वीकृत किए गए थे।
- उपयोगिता प्रमाणपत्रों के मुद्दे पर, मंत्रालय ने कहा कि यद्यपि संस्वीकृति आदेश में उपयोगिता प्रमाणपत्रों को भेजने के बारे में उल्लेख नहीं किया गया था, मंत्रालय ने गुजरात के मामले को छोड़कर उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्राप्त किए बिना निधि निर्गत नहीं की।
- मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा प्रमुख/अधिनियम की धारा 56 में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।
- यद्यपि सभी आईएण्डसी केंद्रों पर उपकरणों की आपूर्ति के लिए लेटर ऑफ अवार्ड 7 अगस्त 2013 को जारी किया गया था, लेकिन सुपुर्दगी आदेश अलग समय पर दिया गया।
- मंत्रालय ने 12वीं योजना के आईएण्डसी केंद्र के निविदा दस्तावेज में सीआईआरटी की अनुशंसाओं को शामिल किया है।

मंत्रालय का उत्तर निम्नलिखित के प्रकाश में देखा जा सकता है:

- मंत्रालय की ओर से निविदा के प्रकाशन के समय पहले विशिष्टताओं को अंतिम रूप देना और तत्पश्चात् कार्यदायी संस्थाओं को संस्वीकृतियाँ निर्गत करना विवेकपूर्ण था। वर्णित न्यायिक मामला वर्ष 2013 के प्रारम्भ में दाखिल किया गया था और मई

2013 में निस्तारित कर दिया गया था। तथापि, परियोजनाओं के लिए संस्वीकृतियाँ सितम्बर 2010 से निर्गत हो रही थीं।

- मंत्रालय का जवाब योजना के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में ₹20 लाख के भूमि विकास लागत के वित्तपोषण पर मौन था।
- तकनीकी विशिष्टताओं, स्थान की उपलब्धता और आवश्यक बुनियादी ढाँचे का पता लगाए बिना उपकरण की आपूर्ति के लिए पत्र जारी किया गया था।
- हालांकि मोटर वाहन अधिनियम में अगस्त 2019 के दौरान संशोधन किया गया है, फिर भी संशोधनों को प्रभावी बनाने की अधिसूचना अभी तक प्रभावी नहीं की गई है (सितंबर 2019)।
- हालांकि, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आईएण्डसी केंद्रों के लिए मंत्रालय द्वारा सुधारात्मक उपाय किए गए हैं, फिर भी 11वीं पंचवर्षीय योजना के तीन केंद्र अभी तक निष्क्रिय हैं (सितंबर 2019)।

### 6.1.3 निष्कर्ष

वाहन के बेड़े की स्थिति में सुधार के लिए वाहन निरीक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम एक प्रभावी उपकरण था। हालांकि, उपकरण आपूर्तिकर्ता को अंतिम रूप देने में देरी, खराब नियोजन और अप्रभावी निगरानी के कारण 11वीं योजना के दौरान से अभी (सितंबर 2019) तक आईएण्डसी केंद्रों की योजना (अगस्त 2009) में देरी/क्रियान्वयन नहीं हुआ। परिणामस्वरूप, योजना को लागू करने का उद्देश्य यानी एक प्रभावी वाहन निरीक्षण प्रणाली का कार्यान्वयन, सड़क की स्थिति में सुधार तथा बाकी राज्यों में भी इस तरह के मॉडल आईएण्डसी केंद्रों को दोहराना अभी तक पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया गया है।

### 6.1.4 अनुशंसाएँ

- तीन अपूर्ण केंद्रों (लखनऊ-उत्तर प्रदेश, रेलमगरा-राजस्थान और मल्कापुर- तेलंगाना) को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए, ताकि आगे अधिक समय और अधिक लागत और योजना के लाभों के स्थगन से बचा जा सके।
- वाहनों के परीक्षण तथा प्रमाणीकरण के लिए उपयोगकर्ता शुल्क की दरों को प्रभावी करने के लिए मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन के लिए दिनांक जब से मोटर वाहन

अधिनियम की धारा 56 में संशोधन प्रभावी होगा को तुरंत अधिसूचित किया जाना चाहिए।

- योजना के लाभों का अनुकूलन करने और प्रत्येक केंद्र के लिए राजस्व लक्ष्य को पूरा करने के लिए परिचालन केंद्रों की क्षमता का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए।

## अध्याय VII: पोत परिवहन मंत्रालय

### चेन्नई पत्तन न्यास

#### 7.1 चेन्नई पत्तन न्यास में पोर्ट ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम (पीओएमएस) का कार्यान्वयन

हालांकि पीओएमएस के कार्यान्वयन का उद्देश्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं को एकीकृत करना और पीसीएस के साथ संदेशों का आदान-प्रदान करना था, फिर भी यह प्रणाली अपने संपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। कार्यान्वयन में देरी के अलावा, डेटाबेस निर्मित करने और उपयोगकर्ता का विवरण तैयार करने में कमियां थीं, जिससे प्रणाली पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं थी। पत्तन के पास आईटी सुरक्षा नीति नहीं थी और उसने अपने आईटी के बुनियादी ढांचे की तीसरे पक्ष से लेखापरीक्षा नहीं कराई थी। पत्तन को अभी तक व्यापार निरंतरता योजना तैयार करनी है।

##### 7.1.1 भूमिका

पोत परिवहन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत चेन्नई पत्तन न्यास (पत्तन), ने पहले से ही सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) टीम द्वारा विकसित आंतरिक मॉड्यूल का उपयोग करके पोत प्रबंधन, कार्गो प्रबंधन, रेलवे प्रबंधन और बिलिंग प्रबंधन जैसे कई मुख्य कार्यों को कम्प्यूटरीकृत कर लिया था। व्यापक आईसीटी आवश्यकताओं को विकसित करने तथा भारतीय पत्तन संघ (आईपीए) द्वारा स्थापित पत्तन समुदाय प्रणाली (पीसीएस) के साथ व्यापार से संबंधित दस्तावेजों, सूचनाओं और कार्यों के इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह को एकीकृत करने तथा संरक्षित करने के लिए पत्तन ने विचार किया (2009)।

पत्तन ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के साथ नेशनल इंफार्मेशन सेंटर द्वारा विकसित एंटरप्राइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पोर्ट ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम (पीओएमएस) को अपनाने का फैसला किया, जो पहले से ही हल्दिया, कोलकाता और एन्नोर पत्तनों में उपयोग में था। यह भी निर्णय लिया गया कि चेन्नई पत्तन के लिए विकसित और अनुकूलित किए जाने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एनआईसी और पत्तन का संयुक्त स्वामित्व होगा। पत्तन और इसके हितधार के बीच प्रभावी रूप से पत्तन की व्यावसायिक प्रक्रियाओं को एकीकृत करने और पीसीएस संदेशों के आदान-प्रदान के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पीएमओएस को लागू करने के लिए पत्तन, एनआईसी

और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक (एनआईसी की एक सहायक कंपनी) द्वारा एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया। एमओयू के नियमों और शर्तों के अनुसार:

- पोत और कार्गो परिचालन प्रबंधन प्रणालियों को बेहतर कार्यप्रणालियों के द्वारा पीसीएस के साथ एकीकृत किया जाना था,
- प्रणाली विभिन्न बर्थों की सभी बिल योग्य गतिविधियों को अधिकार में लेगी और स्वचालित रूप से बिलों को उत्पन्न करेगी,
- पत्तन में दरों के पैमाने को सभी टैरिफ और बिलिंग उद्देश्यों के लिए पीओएमएस में लागू किया जाएगा, और
- प्रणाली प्रबंधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापक रिपोर्टिंग सुविधाएं प्रदान करेगी।

#### 7.1.2 चेन्नई पत्तन न्यास में पोर्ट ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम

पीओएमएस के विकास और कार्यान्वयन के भाग के रूप में, पत्तन ने ₹96.80 लाख की राशि खर्च की थी। पीओएमएस को पोत परिवहन अभिकर्ताओं के बर्थिंग अनुरोध, अभिकर्ताओं द्वारा अग्रिम भुगतान किए गए, पोत की बुनियादी जानकारी जैसे कि आईएमओ संख्या, जीआरटी आदि पीसीएस से मिली। पीओएमएस मूलरूप से एक लेन-देन रिकॉर्डिंग प्रणाली है, जिसमें पोत के प्रबंधन, कार्गो प्रबंधन और जहाजी कुली संचालन जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, ताकि पत्तन उपयोगकर्ताओं आदि को बिल उत्पन्न करने और भुगतान की सुविधा मिले। उक्त विभागों के समस्त कार्यप्रवाह को पीओएमएस में स्वचालित नहीं किया गया था और लेन-देन का प्रमाणीकरण प्रणाली से बाहर किया जाता था। पत्तन ने पीओएमएस को परिचालन संबंधी गतिविधियों के साथ-साथ राजस्व संबंधी कार्यों की देखभाल के लिए एक आवश्यक प्रणाली के रूप में पाया। पीओएमएस में नौ मॉड्यूल हैं, जिनमें पांच कार्यत्मक मॉड्यूल (कार्गो, राजस्व, रेलवे, जहाजीकुली और पोतप्रबंधन) और चार तकनीकी मॉड्यूल (बैंक एडमिन, ईडीआई एडमिन, मास एडमिन और पीसीएस एडमिन) शामिल हैं।

### 7.1.3 लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रणाली के कार्यान्वयन, डेटा बेस के अभिकल्पन, प्रयोक्ता विवरण, व्यवसाय के नियमों की मैपिंग आदि में खामियां थीं, जैसा कि आगामी पैराग्राफ में विस्तृत वर्णन किया गया है।

#### 7.1.3.1 आईटी सुरक्षा नीति और व्यावसायिक निरंतरता योजना की अनुपस्थिति

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी (2006) दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी संगठनों को आईटी सुरक्षा नीति विकसित करनी थी और आईटी अवसंरचना की तीसरे पक्ष द्वारा लेखापरीक्षा करवानी थी। हालांकि, यह देखा गया कि पत्तन ने आईटी सुरक्षा नीति विकसित नहीं की थी और आईटी अवसंरचना की तीसरे पक्ष द्वारा लेखापरीक्षा नहीं करवाई थी। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि पत्तन को अभी तक आपदा की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई के निर्धारण हेतु एक व्यापार निरंतरता योजना तैयार करनी थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूचना प्रसंस्करण क्षमता जल्द से जल्द पुनः स्थापित हो जाए।

मंत्रालय/पत्तन ने उत्तर दिया कि तीसरे पक्ष द्वारा आईटी अवसंरचना लेखापरीक्षा के संचालन के साथ आईटी नीति और आईटी सुरक्षा नीति के निर्धारण के लिए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से सीईआरटी-इन के सूचीबद्ध लेखापरीक्षकों से विक्रेता की नियुक्ति के लिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है।

#### 7.1.3.2 पीओएमएस परियोजना को पूरा करने में मुद्दे

एमओयू के अनुसार, परियोजना को एमओयू (जून 2011) पर हस्ताक्षर करने के एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाना था, जिसके बाद छः महीने की वारंटी अवधि थी। उपयोगकर्ता विभागों द्वारा सशर्त स्वीकृति प्राप्त होने पर सात मॉड्यूल को पूरा करने के साथ परियोजना को सितंबर 2013 में पूरा घोषित किया गया था। इसके अलावा, शेष दो मॉड्यूल यानी रेलवे और कार्गो मॉड्यूल फरवरी 2014 से चालू किए गए। एनआईसी/एनआईसीएसआई के साथ पहली एएमसी 1 अप्रैल 2014 से ₹43.46 लाख के वार्षिक मूल्य के साथ शुरू हुई। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- सितंबर 2013 में परियोजना के पूरा घोषित होने पर सभी पीओएमएस मॉड्यूल चालू नहीं थे।

- परियोजना पूरी होने की घोषणा करने से पहले उपयोगकर्ता विभागों की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।
- परियोजना संबंधित सभी प्रपत्र को अभी भी पत्तन (मार्च 2019) को नहीं सौंपा गया था।
- परियोजना के पूरा होने की तारीख से छः महीने की मुफ्त वारंटी अवधि का लाभ फरवरी 2014 में दो मॉड्यूल के देरी से पूरा होने के कारण नहीं लिया जा सका, क्योंकि वारंटी एएमसी की अवधि में सम्मिलित हो गई थी।

मंत्रालय/पत्तन ने स्वीकार किया कि सभी मॉड्यूल उस समय चालू नहीं थे जब इसे गो-लाइव घोषित किया गया था और यह भी स्वीकार किया कि तकनीकी वास्तुकला, बैकअप और पुराने दस्तावेज नहीं सौंपे गए थे क्योंकि अभी तक पूरे ढांचे का अनुरक्षण एनआईसी द्वारा किया जा रहा है। हालांकि यह कहा गया था कि उपयोगकर्ता स्वीकृति पर विचार नहीं किया गया था क्योंकि यह एक अनुकूलित उत्पाद था। यह जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रेलवे और कार्गो मॉड्यूल केवल फरवरी 2014 से ही चालू हुए थे और एमओयू में विशेष रूप से उपयोगकर्ता की स्वीकृति और परियोजना संबंधित सभी प्रपत्र को सौंपने के लिए प्रावधान किया गया था।

### 7.1.3.3 डेटाबेस कॉलम में डिज़ाइन की कमियाँ

पर्याप्त इनपुट नियंत्रण रखने के लिए, डेटा बेस संरचना में प्रत्येक कॉलम को विशिष्ट डेटा प्रकार (कैरेक्टर, न्यूमेरिक, तिथि आदि), लंबाई और नलेबिलिटी उपयोग करके डिज़ाइन किया गया था। पीओएमएस डेटाबेस की 'इंफार्मेशन स्कीमा' के तहत एक तालिका 'कॉलम' की जांच से निम्नलिखित कमियाँ सामने आईं:

- डेटा संरचना में एक कॉलम का कॉलम गुणधर्म "इज\_नलेबल" परिभाषित करता है कि क्या कोई विशेष कॉलम खाली छोड़ा जा सकता है या नहीं। इसे 'हां' या 'नहीं' के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। हालांकि, यह देखा गया कि 357 मामलों में समान कॉलम\_नेम के लिए नलेबिलिटी कारक को 'हां' और 'नहीं' दोनों के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसमें कार्गो कोड, कार्गो विवरण, कार्गो वजन, कंटेनर संख्या, कंटेनर प्रकार आदि जैसे कुछ महत्वपूर्ण कॉलम\_नेम शामिल हैं।
- यदि डेटा टाइप को कैरेक्टर के रूप में परिभाषित किया गया है तो कॉलम का कॉलम गुणधर्म यानी "कैरेक्टर\_मैग्जीम\_लेंथ" वर्ण की अधिकतम लंबाई को परिभाषित करता है। यह देखा गया कि उक्त पैरामीटर को दो से नौ मान प्रकारों के लिए 165 विशिष्ट कॉलम नामों में अलग-अलग परिभाषित किया गया था। उक्त

कमियोंवाले कॉलमों को महत्वपूर्ण फील्ड जैसे कंटेनर टाइप, कंटेनर संख्या, कंटेनरकोड, आदि को रखने के लिए बनाया गया था।

- "डाटा\_टाईप" कॉलम गुणधर्म कैरेक्टर, न्यूमेरिक, तिथि आदि के रूप में दर्ज किए जाने वाले डेटा के प्रकार को परिभाषित करता है। यह देखा गया कि 30 उदाहरणों में एक ही कॉलम को विभिन्न डेटा टाइपों के साथ परिभाषित किया गया था, एक कैरेक्टर के रूप में और दूसरा न्यूमेरिक के रूप में।
- कॉलमों में समाविष्ट डेटा में कंटेनर कोड, कंटेनर टाइप इत्यादि महत्वपूर्ण डेटा सम्मिलित है जिसका पत्तन के दैनिक परिचालनों से सीधा संबंध है। पीओएमएस द्वारा अभिग्रहण किया गया डेटा असुरक्षित है और इसकी विश्वसनीयता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इसके द्वारा गलत/अधूरे एमओईएस प्रतिवेदनों के उत्पन्न होने की संभावना भी है।
- यह भी देखा गया कि कंटेनर ट्रैफिक डेटा जैसा कि तालिका वोयेज\_कार्गो\_ओपीएन में दर्ज किया गया था, 2014-15 से 2016-17<sup>1</sup> की अवधि के दौरान वार्षिक प्रतिवेदन में दर्शाए गए डेटा के साथ मेल नहीं खा रहा था। आगे यह पाया गया कि पीओएमएस डेटा निजी प्रचालकों द्वारा उपलब्ध करवाए गए अनन्तिम डेटा पर आधारित अभिग्रहण था जिस कारण इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता।

मंत्रालय/पत्तन ने उत्तर दिया कि एनआईसी कोलकाता के साथ मुद्दों को उठाया गया था।

#### 7.1.3.4 उपयोगकर्ता प्रोफाइल में कमियाँ

पीओएमएस के लिए प्रभावी इनपुट नियंत्रण आवश्यक थे जो केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं को लॉग इन करने की अनुमति देते और पर्याप्त लेखापरीक्षा ट्रेल भी प्रदान करते। उपयोगकर्ताओं को सौंपे गए विशेषाधिकारों के साथ उपयोगकर्ता प्रोफाइल के लिए लॉग रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने एमएस एडमिन 'स्कीमा' मास्टर तालिका के तहत 'एमएस\_यूजर' में दर्ज की गई 513 उपयोगकर्ता आईडी की समीक्षा की, और पाया कि

<sup>1</sup> वित्त वर्ष 2017-18 के आँकड़े उपलब्ध नहीं थे।

- पीओएमएस में निष्क्रिय उपयोगकर्ताओं को स्वचालित रूप से निष्क्रिय करने की प्रणाली नहीं थी। उपयोगकर्ताओं के इस्तीफे, सेवानिवृत्ति, मृत्यु आदि जैसी घटनाओं को उनकी आईडी की तत्काल निष्क्रियता के लिए दर्ज किया जाना चाहिए।
- 50 उपयोगकर्ता कोड में लॉगइन टाइमस्टैप खाली था, जो यह दर्शाता था कि उन्होंने अपने सृजन के बाद से सिस्टम में कभी लॉगइन नहीं किया है। कई उपयोगकर्ता कोड 6 महीने से अधिक समय तक लॉग इन नहीं किए गए थे और कुछ सृजन के समय केवल एक बार लॉगइन हुए थे। ऐसे उदाहरण थे जिनमें 2013, 2014, 2015, 2016 और 2017 (सितंबर तक) के बाद क्रमशः 25, 56, 64, 54 और 63 उपयोगकर्ता कोडप्रणाली में लॉगइन नहीं किए गए थे।
- नौ उपयोगकर्ता कोड के मामले में उनकी सेवानिवृत्ति के बाद लॉगइन ट्रेल था। इनमें से, लेखापरीक्षा ने पाया कि दो उपयोगकर्ता कोड क्रमशः 38 और 8 पोतकॉल रिकॉर्ड बनाने के लिए उपयोग किए गए थे। 88 उपयोगकर्ता कोड के मामले में 'एंटीबाई' कॉलम खाली छोड़ दिया गया था। अतः यूजर आईडी के निर्माता की पहचान सुनिश्चित नहीं की जा सकी।
- प्रणाली में स्वचालित नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी पासवर्ड नीति आवश्यक थी। ताकि पीओएमएस के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए आवधिक परिवर्तनों को लागू किया जाए। ऐसे उदाहरण थे जिनमें 399 उपयोगकर्ताओं ने अपने प्रारंभिक पासवर्ड कभी नहीं बदले थे।
- सिस्टम में बनाए गए पीओएमएस के उपयोगकर्ताओं की तुलना में समुद्री और यातायात विभागों के कर्मचारी डेटा की जांच करने पर, यह देखा गया कि उपयोगकर्ता डेटा में पत्तन के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल नहीं थे। इससे संकेत मिला कि प्रणाली का प्रबंधन पत्तन के वरिष्ठ अधिकारियों, जिनसे लेन-देन को अधिकृत/अनुमोदित करने की अपेक्षा थी, के बिना केवल मध्य या निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा था।

उपयोगकर्ता प्रोफाइल में उपरोक्त कमियों ने प्रवेश नियन्त्रकों को असुरक्षित बना दिया और जिसका परिणाम बिना किसी लेखापरीक्षा ट्रेल के प्रणाली का अनाधिकृत उपयोग और मजबूत एमआईएस प्रणाली का अभाव हो सकता है।

मंत्रालय/पत्तन ने सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए सहमति व्यक्त करते हुए कहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों के लिए उपयोगकर्ता आईडी बनाई जाएगी।

### 7.1.3.5 दोषपूर्ण पोत विवरणिका

एक पूर्ण और अद्यतित पोत विवरणिका को बनाए रखना आवश्यक था क्योंकि यह पोत से संबंधित शुल्कों जैसे कि पत्तन की बकाया राशि, बर्थ किराया, पायलटेज आदि पर प्रभाव डालता है। पीओएमएस की शुरुआत से 31 मार्च 2018 तक वीएमएसएडमिन स्कीमा के अंतर्गत 11,604 यात्रा अभिलेखों से युक्त 'वॉयज' तालिका की जाँच में लेखापरीक्षा ने पाया कि:

सकल पंजीकृत टन भार (जीआरटी) एक जहाज के समग्र आकार का माप था और लघुकृत सकल पंजीकृत टन भार (आरजीआरटी) जीआरटी से बलास्ट क्षमता को हटाने के बाद का माप था। पोत से संबंधित शुल्क जैसे कि पत्तन बकाया, बर्थ किराया, पायलटेज, आदि, जीआरटी या आरजीआरटी जैसा कि मामला हो, के प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है। हालांकि, डेटा की जांच से ज्ञात हुआ कि इन मापदंडों का गलत तरीके से मिलान किया गया था और मैनुअल जाँच के अलावा डेटा सटीकता की जांच करने के लिए कोई स्वचालित प्रणाली नहीं थी। ऐसे उदाहरण पाए गए जिनमें 2,943 जहाजों में से दो का कई जीआरटी मूल्यों से मिलान किया गया था।

मंत्रालय/पत्तन ने कहा कि विभिन्न पत्तन शुल्कों की गणना के लिए पीसीएस डेटा पर भरोसा किया गया था और टन भार मूल्यों की चूक के मामले में मैनुअल सुधार किया गया था।

उत्तर ने लेखापरीक्षा अवलोकन की पुष्टि की कि पत्तन शुल्कों की जांच करने के लिए सिस्टम स्वचालित नहीं था और इसमें मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता थी।

### 7.1.3.6 जहां कोई अलग बलास्ट नहीं है वहाँ जीआरटी का गलत लघुकरण

पोतों के सकल पंजीकृत टन भार (जीआरटी) के आधार पर पत्तन बकाया एकत्रित किए गए थे। दरों के अनुमोदित पैमाने के अनुसार, अलग बलास्ट वाले तेल टैंकरों के मामले में, पत्तन बकाया लगाने के उद्देश्य हेतु लघुकृत सकल टन भार (आरजीआरटी) को इसके सकल टन भार के रूप में लिया जाएगा।

यह देखा गया कि पोत तालिका में कॉलम एसबीटी\_वाईएन कोइस जानकारी को दर्ज करने के लिए कि क्या किसी विशेष पोत में अलग बलास्ट था या नहीं और हां या नहीं 'रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया था। तालिका में 6,334 अभिलेखों में से, कॉलम 'एसबीटी\_वाईएन' में 2,172 अद्वितीय अभिलेखों में 'एन' के रूप में दर्ज किया गया था, जो यह इंगित करता है कि पोतों में अलग बलास्ट नहीं था और जाँच करने पर यह ज्ञात

हुआ कि आरजीआरटी को 2,172 मामलों में से 36 में कॉलम 'जीआरटी\_रेड' के तहत दर्ज किया गया था, जिसने उन्हें कम पत्तन देयों के योग्य बनाया। ऐसी गलत प्रविष्टियों को रोकने के लिए सिस्टम में पर्याप्त नियंत्रण नहीं थे।

मंत्रालय/पत्तन ने स्वीकार किया कि वह अलग बलास्ट मूल्य को रिकॉर्ड करने के लिए कॉलम का उपयोग नहीं कर रहा था और अगर पीसीएस संदेश में जीआरटी और आरजीआरटी दोनों के लिए टैंकर पोतों के लिए समान या अलग मूल्य था, तो सिस्टम ने आरजीआरटी के आधार पर प्रभारों की गणना की। इस प्रकार "एसबीटी\_वाईएन" में संग्रहीत मूल्य की पत्तन बकायों की गणना के साथ कोई प्रासंगिकता नहीं थी। यदि पोत का बलास्ट मूल्य अलग था, तो पत्तन उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के आधार पर, आरजीआरटी को एनआईसी द्वारा समुद्री स्टाफ से इसे प्राप्त करने के बाद अद्यतित किया गया था। अंतिम बिल को प्रस्तुत करते समय, यह मैनुअल रूप से सुनिश्चित किया जाता है कि आरजीआरटी रियायत केवल पात्र पोतों को दी जाए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पोतों की मूलभूत विशेषताओं जैसे कि जीआरटी/आरजीआरटी मान, अलग बलास्ट, आदि के साथ पोत विवरणिका के लिए एक स्थायी मास्टर डेटा बेस पीसीएस के डेटा की सटीकता को सत्यापित करने के लिए नहीं बनाया गया और इसमें मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी।

### 7.1.3.7 पत्तन उपयोगकर्ताओं के डेटा का अपर्याप्त विवरण

पत्तन उपयोगकर्ताओं के लिए ग्राहक पंजीकरण प्रारूप के अनुसार, स्टीमर एजेंटों, क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंटों, कार्गो हैंडलिंग एजेंटों, आदि को पते, पैन, संपर्क नंबर/ईमेल, बैंक खाता संख्या आदि जैसे बुनियादी विवरण प्रस्तुत करके पत्तन के साथ पंजीकरण करना आवश्यक था। पक्षों के साथवित्तीय लेन-देन बैंक निधि अंतरण के माध्यम से किया जा रहा था। एमएएस एडमिन और आरईवी एडमिन स्कीमा के तहत तालिकाओं जहां उपयोगकर्ता विवरणों के मास्टर डेटा को दर्ज किया गया था, की जांच पर निम्नलिखित मुद्दों को देखा गया था:

- 1,128 मामलों में से 659 में पैन डेटा को दर्ज नहीं किया गया था।
- 379 मामलों में पत्तन उपयोगकर्ताओं का पता और 706 मामलों में टेलीफोन/फैक्स नंबर और ईमेल आईडी दर्ज नहीं किया गया था।

पत्तन/मंत्रालय ने सभी पत्तन उपयोगकर्ताओं के लिए केवाईसी मानदंडों का अद्यतन करना स्वीकार किया।

### 7.1.3.8 कच्चे तेल के लिए घाट भाड़ा दर की मैपिंग में कमी-सीपीसीएल

पत्तन के माध्यम से चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) द्वारा कच्चे तेल के आयात के लिए लागू घाट भाड़ा दर को तीस वर्षों की वैधता अवधि के लिए उनके बीच एक एमओयू (मई 2003) द्वारा विनियमित किया गया था। एमओयू के अनुसार, पिछले वर्ष के लिए शहरी गैर-मैनुअल कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में परिवर्तन के अनुसार घाट भाड़े में वार्षिक संशोधन किया जाना था और संशोधित दरों को हर साल पहली अप्रैल से प्रभावी किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रत्येक वर्ष की दरों में संशोधन को उस वर्ष के मूल्य सूचकांक के जारी होने के आधार पर दो से तीन महीने की देरी के साथ अनुमोदित किया गया था। 'आरईवी एडमिन' स्कीमा के अंतर्गत पीओएमएस तालिका 'आरईवी डाटा\_सीआरजीडब्ल्यूएचआरएफ' की जांच करने पर, यह देखा गया कि पीओएमएस में दरों में संशोधन पहली अप्रैल से प्रभावी नहीं किये गए थे और इसके स्थान पर उस महीने से प्रभावी किये गये थे जब संशोधित दर को ईडीपी अनुभाग को सूचित किया गया था। समझौते के अनुसार घाट भाड़ा दरों में परिवर्तन करने में देरी के कारण, राजस्व संग्रह में देरी हुई और इसे मैनुअल रूप से किया गया।

मंत्रालय/पत्तन ने स्वीकार किया कि संशोधित घाट भाड़ा दरों की विलंबित मैपिंग के मामले में प्रणाली में दरों की अतीत काल गणना के लिए सिस्टम में सुविधा नहीं थी, वसूली मैनुअल रूप से की जाती है।

पत्तन को व्यापार नियम का ध्यान रखने और मैनुअल हस्तक्षेप को कम करने के लिए प्रणाली को मजबूत बनाना चाहिए।

### 7.1.3.9 बिलिंग में नियंत्रण मुद्दे

पत्तन के विभिन्न मुख्य प्रचालनों नामतः, समुद्री, कार्गो, जहाजी कुली आदि के लिए बिलिंग प्रक्रिया पीओएमएस के बिलिंग मॉड्यूल में पूरी की जाती है। एक बार प्रणाली में उत्पन्न बिल, उनकी स्थिति को लम्बित दर्शाते हुए 'एन' के रूप में प्रतिबिम्बित होते हैं। प्रणाली में इस प्रकार से उत्पन्न बिलों को वित्तीय लेखांकन में पोस्ट करने के उद्देश्य से आगे बढ़ाया जाता है। बिलों की प्रक्रिया के पश्चात, जब बिलों की पोस्टिंग होती है और यह लेखों में विचार के लिए स्थानान्तरित होते हैं तो इन बिलों की स्थिति 'एन' से 'वाई' में परिवर्तित हो जाती है। यदि बिल रद्द हो जाते हैं, तो उनकी स्थिति 'सी' में परिवर्तित हो जाती है।

बिलिंग डेटा को रेव\_बिल\_हेडर की तालिका में दर्ज किया जाता है, जहां अंतिम बिलों की स्थिति कॉलम 'बिल\_फ्रीज\_वाईएन' के तहत 'वाई', 'एन' या 'सी' के रूप में वर्गीकृत की जाती है, जो क्रमशः बिल पोस्ट किया, बिल लंबित और बिल को रद्द करने का संकेत देते थे। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- (i) पीओएमएस की स्थापना के बाद की अवधि के दौरान उत्पन्न 1,07,688 अंतिम/अनुपूरक बिलों में से विभिन्न विभागों के 1,376 रिकॉर्ड वित्तीय लेखांकन में पोस्ट नहीं किए गए और लंबित दिख रहे थे।
- (ii) पत्तन के बिल उत्पन्नकर्ता विभागों द्वारा प्रणाली में बिलों को पोस्ट करने में देरी हुई। ऐसे मामले भी पाए गए जहाँ 2013-14 से बिल लम्बित थे।
- (iii) कॉलम 'बिल\_टिप्पणी' के तहत कुल ₹4.37 करोड़ की राशि के 168 बिल बिना किसी कारण लिखे रद्द कर दिए गए क्योंकि यह खाली था।
- (iv) 1,193 मामलों में रद्द करने के लिए दिए गए कारण सटीकता के अभाव में अस्पष्ट थे जिसके कारण बिलों को रद्द कर दिया गया था। वहाँ बिल रद्द किए जाने के मापदंडों/तत्वों के संदर्भ में मात्रा, बिल की जाने वाली पार्टी, लागू दर आदि के संबंध में बिलों को रद्द होने के कारणों की कोडिंग के लिए कोई अंतर्निहित प्रणाली नहीं थी ताकि उचित लेखापरीक्षा पथन दिया जा सके।

मंत्रालय/पत्तन ने उत्तर दिया कि वे ईडीआई और गैर ईडीआई मोड के माध्यम से राजस्व संग्रहित कर रहे थे और नियमित आधार पर बिल भेजने और बिलों की पोस्टिंग के लिए कार्रवाई करने के लिए सहमत हुए। इसके अलावा, पत्तन/मंत्रालय ने बिलों को रद्द करने की प्रणाली में कमी को स्वीकार किया और मान्य कारणों को शामिल करने का आश्वासन दिया।

पीओएमएस के माध्यम से बिल निपटान लंबित होने के कारण राजस्व का लेखा-जोखा प्रभावित हुआ। चूंकि राजस्व बिल उत्पन्न होने के बाद स्वचालित रूप से एकत्र किया गया था, राजस्व का लेखा-जोखा भी समवर्ती होना चाहिए था। सिस्टम में यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण होने चाहिए थे कि सही वित्तीय स्थिति को प्रतिबिंबित करने के लिए बिलों को तुरंत पोस्ट किया जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बिलों को उचित प्रामाणिकता के साथ नियंत्रित वातावरण में ही रद्द किया जा रहा था।

### 7.1.3.10 मुख्य-लाइन कंटेनर रियायत के लिए व्यावसायिक नियमों को दर्ज न किया जाना

विपणन पहलों के भाग के रूप में, पत्तन 2013 से ही पोत से संबंधित शुल्कों (पत्तन बकाया, बर्थ भाड़े, पाइलटेज, आदि) और घाट भाड़ा की मुख्यधारा कंटेनर/कार्गो पोतों में रियायतें दे रहा था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इन रियायतों के लिए गणना मैनुअल रूप से पीओएमएस के दायरे से बाहर की जा रही थी, जबकि रियायत की राशि की गणना करने हेतु मापदंड जैसे पोत के सकल पंजीकृत टन भार, यात्रा की संख्या आदि पीओएमएस में मौजूद हैं। इन रियायतों का अंत में प्रतिदेय के रूप में पक्षों को भुगतान किया जा रहा था।

‘रिफंड\_नोट तालिका’ की जाँच में पाया गया कि 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए मैनुअल हस्तक्षेप के माध्यम से ₹112 करोड़ प्रतिदेय के रूप में वापस किए गए थे।

पत्तन/मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि पीओएमएस के माध्यम से मरीन अंतिम बिल में रियायत देने के लिए कार्रवाई की गई है।

हालांकि, तथ्य यह है कि पोत संबंधी प्रभारों पर रियायत का पत्तन के राजस्व पर सीधा प्रभाव है और रियायत देने हेतु त्रुटिरहित और पारदर्शी प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए पोत/समुद्री यात्रा की विशिष्ट आईडी से जोड़कर पीओएमएस के कार्यान्वयन के समय इसे स्वचालित किया जाना चाहिए था।

### 7.1.4 निष्कर्ष

हालांकि पीओएमएस के कार्यान्वयन का उद्देश्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं को एकीकृत करना और पीसीएस के साथ संदेशों का आदान-प्रदान करना था, परंतु यह प्रणाली अपने संपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। कार्यान्वयन में देरी के अलावा, डेटाबेस निर्मित करने और उपयोगकर्ता का विवरण तैयार करने में कमियां थीं, जिससे प्रणाली पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं थी।

पत्तन के पास आईटी सुरक्षा नीति नहीं थी और उसने अपने आईटी के बुनियादी ढांचे की तीसरे पक्ष से लेखापरीक्षा नहीं कराई थी। पत्तन को अभी तक एक व्यापार निरंतरता योजना तैयार करनी है।

### 7.1.5 अनुशासण

- पत्तन को आईटी नीति और आईटी सुरक्षा नीति को विकसित करना चाहिए और बनाए रखना चाहिए।
- डेटा बेस संरचना को इसकी विशिष्टता को बनाए रखने के लिए मजबूत बनाया जाना चाहिए। प्रभावी उपयोगकर्ता प्रबंधन और पासवर्ड नीति तैयार करके पर्याप्त पहुंच नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए।
- पोत और पत्तन उपयोगकर्ता विवरण के मास्टर डेटा बेस को पीसीएस के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों से सत्यापित करने के लिए बनाया जाना चाहिए और समय-समय पर अद्यतन किया जाना चाहिए।
- मैनुअल हस्तक्षेप को समाप्त करके सभी परिचालन गतिविधियों की बिलिंग में पूर्ण-स्वचालन को लाया जाना चाहिए। कंटेनर पोत रियायतों के व्यापार नियमों को प्रणाली में जोड़ा जाना चाहिए।

### विशाखापत्तनम पत्तन न्यास

## 7.2 रियायतग्राहियों से कम निष्पादन के कारण परिनिर्धारित नुकसान की वसूली ना होना

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास तीन रियायतग्राहियों को दी गई परियोजनाओं का मूल्यांकन करने में विफल रहा तथा आदर्श रियायत करार के प्रावधानों के अनुरूप निष्पादन में कमी के कारण परिनिर्धारित नुकसान का परिकलन भी नहीं किया। परिणामस्वरूप, रियायतग्राहियों से ₹25.30 करोड़ के परिनिर्धारित नुकसान की वसूली लंबित थी।

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) ने विशाखापत्तनम पत्तन पर अभिकल्प, निर्माण, वित्तीय, संचालन तथा स्थानांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर, कार्गो बर्थ के विकास हेतु तीन निजी पार्टियों (रियायतग्राहियों) के साथ रियायत करार (जून 2010 से अगस्त 2010 तक) किये, जिसका विवरण तालिका 7.1 में दिया गया है:

तालिका 7.1: वीपीटी द्वारा किए गए रियायत करारों के विवरण

परियोजना का नाम	रियायतग्राही का नाम	रियायतकरार पर हस्ताक्षर की तिथि	संभाल क्षमता (मिलियन मीट्रिक टन में)	व्यावसायिक संचालन के प्रारंभ की तिथि
विशाखापत्तनम पत्तन के बाहरी बंदरगाह में कोयला संभाल सुविधाओं का मशीनीकरण तथा सामान्य कार्गो बर्थ (जीसीबी) का उन्नयन	विजाग जनरल कार्गो बर्थ प्राइवेट लिमिटेड (वीजीसीबीपीएल)	10.06.2010	10.18	08.04.2013
विशाखापत्तनम पत्तन के आंतरिक बंदरगाह की उत्तरी भुजा में वेस्ट क्वे-6 (डब्ल्यू क्यू-6) बर्थ का विकास	वेस्ट क्वे मल्टीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (डब्ल्यू क्यूएमपीएल)	31.07.2010	2.08	13.07.2015
विशाखापत्तनम पत्तन के आंतरिक बंदरगाह की उत्तरी भुजा में ईस्ट क्वे-10 (ईक्यू-10) बर्थ का विकास	एवीआर ईफ्रा प्राइवेट लिमिटेड (एवीआरआईपी एल)	16.08.2010	1.85	25.07.2017

पूर्व पोत, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय के अधीन पोत परिवहन विभाग ने प्रमुख पत्तनों की निजी परियोजनाओं के लिए आदर्श रियायत करार (एमसीए) निर्धारित किया (जनवरी 2008)। 'निष्पादन में कमी पर देयता' पर एमसीए के अनुच्छेद-7 के खंड 7.3 के अनुसार इस अनुबंध के प्रावधानों या अन्यथा के अधीन यदि रियायतग्राही द्वारा जमा कराई गई रिपोर्ट की जांच से यदि रियायतकर्ता प्राधिकारी यह पाता है कि परियोजना/परियोजना सुविधाएँ तथा सेवाएँ निष्पादन मानक का अनुसरण नहीं करते या निष्पादन मानक में कमी हो तो रियायतकर्ता प्राधिकारी अनुबंध के परिशिष्ट 15 के अनुसरण में परिनिर्धारित नुकसान का आकलन करेगा जो कि रियायतग्राही द्वारा देय होगा। इसके अलावा, रियायतग्राही के निष्पादन का मूल्यांकन करने हेतु, एमसीए तीन निष्पादन मानकों के लिए सांकेतिक मानदंड प्रदान करता है जैसे कि (i) ग्रास बर्थ

आऊटपुट<sup>2</sup> (ii) ट्रांजिट स्टोरेज इवेल टाइम<sup>3</sup> तथा (iii) प्राप्ति/वितरण संचालन हेतु टर्न अराउंड टाइम<sup>4</sup>

लेखापरीक्षा ने वीपीटी द्वारा रियायतग्राहियों के साथ किए गए तीन रियायत करारों (सीए) के प्रावधानों की समीक्षा की तथा पाया कि यद्यपि डब्ल्यूक्यूएमपीएल के साथ किए गए सीए में एमसीए में वर्णित तीन निष्पादन मानक शामिल थे, ट्रांजिट स्टोरेज इवेल टाइम के संबंध में सांकेतिक मानदंड छोड़ दिए गए थे। इसी प्रकार, उक्त वर्णित तीनों मानदंडों में से प्राप्ति/वितरण संचालन हेतु टर्न अराउंड टाइम को क्रमशः जीसीबी तथा ईक्यू-10 के लिए वीजीसीबीपीएल तथा एवीआरआईपीएल के साथ किए गए सीए में छोड़ दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- (i) वीपीटी परियोजना के निष्पादन के मूल्यांकन की महीने-वार जानकारी एकत्र करने में विफल रहा था। इस प्रकार, न तो परियोजनाओं के निष्पादन का मूल्यांकन किया गया था और न ही रियायतग्राहियों से कम निष्पादन हेतु परिनिर्धारित नुकसान लिया गया था।
- (ii) वीपीटी को वीजीसीबीपीएल के साथ किए गए सीए के संबंध में परियोजनाओं के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मापदंड के नहीं होने का पता (जून 2015) चल गया था। तथापि, इसने सीए में संशोधन हेतु कोई कदम नहीं उठाया था।
- (iii) छूटे हुए निष्पादन मानकों के मामले में निष्पादन मापदंडों के मूल्यांकन के संबंध में सलाहकार सेवाओं हेतु वीपीटी द्वारा नियुक्त इंडियन पोर्ट एसोसिएशन ने सलाह दी (मार्च 2018) कि परिनिर्धारित नुकसान की गणना हेतु टर्नअराउण्ड टाइम के मानदंड पर विचार नहीं किया जाए क्योंकि यह सीए में निर्धारित नहीं था। यह भी सलाह दी गई कि सीए में उपलब्ध ग्रास बर्थ आउटपुट एवं ट्रांजिट स्टोरेज इवेल टाइम के प्रतिशत के रूप में निष्पादन में समग्र कमी की गणना की जानी चाहिए। हालांकि वीपीटी ने निष्पादन मानकों की प्राप्ति में कमी के लिए परिनिर्धारित नुकसान वसूली करने के लिए उपलब्ध निष्पादन मापदंडों के साथ परियोजना के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

---

<sup>2</sup> ग्रास बर्थ आऊटपुट की गणना जहाज से कुल कार्गो के संभलाई का (या तो लोड/अनलोड) का महीने के दौरान जहाज द्वारा टर्मिनल पर लिए गए समय अर्थात् बर्थ पर कार्य दिवसों की संख्या से विभाजित करके की जाती है।

<sup>3</sup> थोक कार्गो के लिए ट्रांजिट स्टोरेज इवेल समय की गणना पत्तन से प्रति दिन कार्गो के औसत निपटान से विभाजित एक महीने में कार्गो जहाजों के औसत पार्सल आकार के आधे के रूप में की जाती है।

<sup>4</sup> एक महीने में कार्गो की लोडिंग/अनलोडिंग के लिए लिया गया समय जिसे लगाए गए ट्रक/ट्रेलर/रेक्स की संख्या से, विभाजित किया गया, जैसा भी मामला हो, प्राप्ति/वितरण कार्यों के लिए टर्न अराउण्ड समय है।

वीपीटी द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार, लेखापरीक्षा ने ग्रेस वर्थ आऊटपुट के आधार पर परियोजनाओं के निष्पादन का मूल्यांकन किया तथा जीसीबी, डब्ल्यूक्यू-6 तथा ईक्यू-10 बर्थ के संदर्भ में वर्ष 2013-14 से 2017-18 के लिए तीन रियायतग्राहियों पर ₹21.67 करोड़ का जुर्माना परिकलित किया (अनुलग्नक-XI)।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए वीपीटी/मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2018/अप्रैल 2019) कि इसने ₹25.30 करोड़<sup>5</sup> के परिनिर्धारित नुकसान के भुगतान हेतु दो रियायतग्राहियों (अर्थात् वीजीसीबीपीएल तथा डब्ल्यूक्यूएमपीएल) को नवंबर 2018, दिसंबर 2018 माह में तथा एक रियायतग्राही (अर्थात् एवीआरआईपीएल) को फरवरी 2019 माह में मांग नोटिस भेजा था। इसने यह भी कहा कि वीपीटी ने निष्पादन मानकों का मूल्यांकन किया तथा परिनिर्धारित नुकसान परिकलित किया तथा वह इसे बिना किसी बैकलॉग के वसूल करने की प्रक्रिया में था।

केवल लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर (जून 2018), वीपीटी ने निष्पादन मानकों का मूल्यांकन तथा परिनिर्धारित नुकसान की गणना शुरू (नवंबर/दिसंबर 2018/फरवरी 2019) की। यदि वीपीटी ने आवधिक आधार पर निष्पादन मानकों का मूल्यांकन तथा निष्पादन मानकों में कमी के लिए परिनिर्धारित नुकसान एमसीए के परिशिष्ट-15 तथा अनुच्छेद-7 के खंड 7.3 के अनुसार किया होता तो इसने परिनिर्धारित नुकसान वसूल कर लिया होता। वीपीटी के ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹25.30 करोड़ के परिनिर्धारित नुकसान की वसूली नहीं हुई।

### 7.3 रियायत करारों में दण्डात्मक खंड सम्मिलित न करने के कारण राजस्व का नुकसान

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास ने रियायतग्राहियों द्वारा न्यूनतम गारंटीत कार्गो प्राप्त न करने पर जुर्माना लगाने के लिए दो परियोजनाओं के रियायत करारों में सुरक्षा खंड, सम्मिलित नहीं किया जिसके कारण ₹4.18 करोड़, के राजस्व का नुकसान हुआ।

विशाखापत्तनम पत्तन के आंतरिक बंदरगाह के उत्तरी आर्म के पश्चिमी क्वे-6 (डब्ल्यूक्यू-6) बर्थ तथा पूर्वी क्वे-10 (ईक्यू-10) बर्थ के विकास कार्य प्रदान करने के लिये विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) ने क्रमशः पश्चिमी क्वे मल्टी पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (डब्ल्यूक्यूएमपीएल) तथा एवीआर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, (एवीआरआईपीएल) के

<sup>5</sup> वीजीसीबीपीएल: ₹22.47 करोड़ + डब्ल्यूक्यूएमपीएल: ₹2.65 करोड़ + एवीआरआईपीएल: ₹0.18 करोड़ = ₹25.30 करोड़

साथ रियायती करार किए (जुलाई/अगस्त 2010)। डब्ल्यूक्यू- 6 तथा ईक्यू- 10 बर्थों की संभाल क्षमता क्रमशः 2.08 मिलियन टन (एमटी) और 1.85 एमटी थी और इन के वाणिज्यिक संचालन क्रमशः 13 जुलाई 2015 एवं 25 जुलाई 2017 से प्रारम्भ हुए।

रियायती करारों के अनुच्छेद 7.1(a)(xii) के अनुसार, रियायतग्राही ने रियायत देने वाले प्राधिकारी को परिशिष्ट 14 (न्यूनतम गारंटीत कार्गो) में वर्णित स्तरों के अनुसार वार्षिक कार्गो संभाल की बिना शर्त गारंटी दी थी और यह स्वीकार किया था कि करार में वर्णित प्रावधान को छोड़कर इस संदर्भ में उसकी गारंटी में किसी भी तरह की छूट का वह हकदार नहीं होगा। करारों के परिशिष्ट-14 के अनुसार, न्यूनतम गारंटीत कार्गो को तालिका 7.2 में दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित किया गया था:

**तालिका 7.2: डब्ल्यूक्यू- 6 और ईक्यू-10 बर्थों के लिए न्यूनतम गारंटीत कार्गो**

डब्ल्यूक्यू-6			ईक्यू-10		
अवधि *	न्यूनतम गारंटीत कार्गो		अवधि *	न्यूनतम गारंटीत कार्गो	
1 से 3 वर्ष	2.08 एमटी का 25 प्रतिशत	0.52 एमटी	1 से 3 वर्ष	1.85 एमटी का 25 प्रतिशत	0.46 एमटी
4 से 5 वर्ष	2.08 एमटी का 40 प्रतिशत	0.83 एमटी	4 से 5 वर्ष	1.85 एमटी का 40 प्रतिशत	0.74 एमटी
5 वर्षों से अधिक	2.08 एमटी का 60 प्रतिशत	1.25 एमटी	5 वर्षों से अधिक	1.85 एमटी का 60 प्रतिशत	1.11 एमटी

\* अवधि वाणिज्यिक संचालनों की तिथि से ली गई है

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरोक्त रियायती करारों में वीपीटी ने कोई दण्डात्मक खंड सम्मिलित नहीं किया जिसमें यह उल्लिखित हो कि यदि न्यूनतम गारंटीत कार्गो प्राप्त नहीं होता है तो आय (रॉयल्टी) में कमी की वसूली रियायतग्राही से की जायेगी। यह भी पाया गया कि ऐसा खंड कंटेनर टर्मिनल की स्थापना का कार्य प्रदान करते समय विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ किए गए (सितम्बर 2002) अनुज्ञप्ति करार में सम्मिलित किया गया था। चूंकि, डब्ल्यूक्यू-6 और ईक्यू-10 बर्थों के लिये रियायती करार उपरोक्त अनुज्ञप्ति करार की तिथि के बाद किए गए थे, अतः अपने वित्तीय हितों के बचाव के लिए पत्तन न्यास के लिए रियायती करारों में ऐसा खंड सम्मिलित करना अनिवार्य था। यदि डब्ल्यूक्यू-6 और ईक्यू-10 परियोजनाओं के लिए रियायती करारों में दण्डात्मक खंड को सम्मिलित किया गया होता तो न्यूनतम गारंटीत

कार्गो प्राप्त न करने के लिए वीपीटी रियायतग्राहियों पर ₹4.18 करोड़ का जुर्माना लगा सकती थी, जैसा कि **अनुलग्नक-XII** में दर्शाया गया है।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2018) कि मानक आदर्श रियायती करार (एमसीए) के अनुसार, रियायतग्राही द्वारा न्यूनतम गारंटीत कार्गो (एमजीसी) की प्राप्ति में कमी आने पर जुर्माना लगाए जाने का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं था। यह भी कहा गया कि करार खत्म करने के लिए एमसीए में एक खंड था यदि रियायतग्राही लगातार तीन वर्षों तक न्यूनतम गारंटीत कार्गो प्राप्त करने में असफल रहता है।

प्रबन्धन के उत्तर को दोहराते हुए, मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2019) कि हालांकि मेसर्स विशाखा कंटेनर प्राइवेट लिमिटेड के सन्दर्भ में करार के अनुसार एमजीसी प्राप्त करने में कमी आने पर बीओटी परियोजना में दण्डात्मक खंड विद्यमान है किन्तु पीपीपी परियोजनाओं के सन्दर्भ में रियायती करारों के अनुसार एमजीसी प्राप्त करने में आई कमी पर निष्पादन मानकों में आई कमी के लिए परिनिर्धारित नुकसान लगाते हुए अन्यथा कार्रवाई की जाती है।

प्रबन्धन/मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रियायती करारों में वर्णित था कि रियायतग्राही को परिशिष्ट 14 (अर्थात् न्यूनतम गारंटीत कार्गो) में वर्णित वार्षिक कार्गो संभाल की मात्रा की बिना शर्त गारंटी वीपीटी को देना आवश्यक था तथा इस सन्दर्भ में रियायतग्राही अपने द्वारा दी गई गारंटी में किसी भी तरह की छूट का हकदार नहीं था। इससे यह स्पष्ट है कि यदि रियायतग्राही द्वारा संभाला जा रहा कार्गो एमजीसी से कम था तो रियायतग्राही को एमजीसी तक की रायल्टी का भुगतान करना था। इसके अतिरिक्त, परिनिर्धारित नुकसान को लगाना वर्णित मानकों के सन्दर्भ में रियायतग्राही के निष्पादन पर आधारित था जब कि एमजीसी खंड रियायतग्राही से न्यूनतम गारंटीत राजस्व सुनिश्चित करता है। इसप्रकार, दोनों खंड अलग हैं और दोनों को एक दूसरे से जोड़ा नहीं जा सकता है। यह वीपीटी के हित में था कि अपने वित्तीय हितों के बचाव के लिए वह एमसीए में वर्णित खंडों के अतिरिक्त सुरक्षा खंड को सम्मिलित करे। यहाँ यह वर्णन करना आवश्यक है कि मारमुगाओ पत्तन न्यास ने एक खंड सम्मिलित किया (22 सितम्बर 2009) जिसमें अपने हितों के बचाव के लिए एमजीसी अथवा रियायतग्राही द्वारा संभाले जा रहे वास्तविक कार्गो में से जो अधिक हो उस पर राँयल्टी का भुगतान करना वर्णित था। हालांकि, वीपीटी अपने रियायती करारों में ऐसा सुरक्षा खंड सम्मिलित करने में असफल रहा।

इस प्रकार, एमजीसी अथवा रियायतग्राही द्वारा संभाले जा रहे वास्तविक कार्गो में से जो अधिक हो उस पर रॉयल्टी के भुगतान के लिए डब्ल्यूक्यू-6 तथा ईक्यू-10 बर्थों के रियायती करारों में उचित दण्डात्मक खंड को सम्मिलित न करने के कारण, एमजीसी प्राप्तन करने की स्थिति में वीपीटी रियायतग्राहियों से ₹4.18 करोड़ की रायल्टी का दावा नहीं कर पाया और उतनी धनराशि का नुकसान उठाना पड़ा।

### भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम्

#### 7.4 योजना प्रबंधन परामर्श शुल्क पर परिहार्य व्यय

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम् ने उस कार्य के संदर्भ में एनबीसीसी लिमिटेड को योजना प्रबंधन परामर्श शुल्क की मंजूरी दी जो वास्तव में पूरा ही नहीं हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप ₹3.97 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

योजना प्रबंधन परामर्श के आधार पर ₹66.08 करोड़ की कुल अनुमानित लागत पर विशाखापत्तनम् में नये परिसर में विभिन्न भवनों के निर्माण के लिए भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आईएमयू) ने नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया (नवम्बर 2013)। तत्पश्चात, आईएमयू ने ₹4.24 करोड़ की लागत की चारदीवारी के निर्माण का कार्य भी एनबीसीसी को प्रदान किया (अगस्त 2014)। एमओयू के अनुसार, मुख्य परिसर भवन का निर्माण एमओयू की तिथि से 24 महीनों के अंदर (अर्थात् नवम्बर 2015 तक) संपूर्ण करना निर्धारित था।

एमओयू के खंड 20.2 के अनुरूप आईएमयू (नवंबर 2013) ने ₹16.52 करोड़ की प्रारंभिक जमा राशि को जारी किया जोकि अनुमोदित लागत ₹66.08 करोड़ का 25 प्रतिशत है। तत्पश्चात, आईएमयू (जनवरी 2015) ने ₹10.54 करोड़ की राशि का अग्रिम भुगतान (जिसमें चारदीवारी के निर्माण के लिए ₹1.52 करोड़ शामिल है) किया जिससे एनबीसीसी को कुल ₹27.06 करोड़ का अग्रिम भुगतान प्राप्त हो गया। समाप्ति की निर्धारित तिथि पर (अर्थात् नवम्बर 2015), एनबीसीसी द्वारा वास्तव में चारदीवारी का केवल 45 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया जिसका मूल्य ₹1.71 करोड़ था, जबकि आईएमयू के मुख्य परिसर भवन का निर्माण अभी प्रारंभ होना था। खराब निष्पादन के कारण, आईएमयू (दिसंबर 2015) ने एनबीसीसी के साथ एमओयू समाप्त कर दिया तथा मुख्य परिसर भवन के निर्माण और चारदीवारी (अहाता) के बचे हुए कार्य के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ नए एमओयू पर हस्ताक्षर (दिसंबर 2015) किया। आईएमयू द्वारा जारी समाप्ति पत्र के अनुसार समाप्ति का आधार, अन्य बातों के

साथ-साथ, यह था कि (क) आईएमयू ने निर्माण के लिए सभी आवश्यक मंजूरियाँ प्राप्त की थी, जबकि एमओयू के अनुसार यह एनबीसीसी की जिम्मेदारी थी, व (ख) एनबीसीसी आईएमयू को किसी तृतीय पक्ष द्वारा निरीक्षित संरचनात्मक आरेखण, निर्माण आरेखण व विस्तृत आरेखण तथा अग्निशमन अनुमोदन प्रस्तुत करने में विफल रहा।

आईएमयू (अक्टूबर 2016) ने अब तक जमा की गई राशि ₹27.06 करोड़ में से उपरोक्त कार्यों पर एनबीसीसी के द्वारा खर्च किये गये ₹5.95 करोड़ की कटौती के बाद ₹21.11 करोड़ की वापसी के लिए एनबीसीसी के साथ एक समायोजन करार किया। समायोजन के कारण कटौती हेतु अनुमत किये गए व्यय में ₹3.79 करोड़ का परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) शुल्क शामिल था जो कि मुख्य परिसर भवनों तथा चार दीवारी के निर्माण कार्य के लिए क्रमशः ₹49.97 करोड़ और ₹4.24 करोड़ के प्रदत्त संविदा मूल्य का सात प्रतिशत था तथा पीएमसी शुल्क पर ₹0.33 करोड़ का सेवा कर सम्मिलित था। तदनुसार, एनबीसीसी (नवंबर 2016) ने ₹21.11 करोड़ आईएमयू को वापस कर दिए।

एमओयू के खंड 20.1 के अनुसार एनबीसीसी को पीएमसी शुल्क वास्तव में कार्य की अंतिम लागत का सात प्रतिशत तथा सेवा कर जो लागू हो देय था। यह देखा गया कि वास्तव में निष्पादित कार्य के मूल्य का संदर्भ लिए बिना अनुबंधित मूल्य के सात प्रतिशत पर पीएमसी शुल्क का भुगतान करने का प्रबंधन का निर्णय एमओयू के पूर्वोक्त खंड के अनुरूप नहीं था और विश्वविद्यालय के वित्तीय हितों के खिलाफ भी था। पीएमसी शुल्क का पूरा भुगतान करने का निर्णय इसलिए भी न्यायसंगत नहीं था क्योंकि आईएमयू ने स्वयं ही समाप्ति पत्र में एनबीसीसी की ओर से की गई स्पष्ट खामियों को उजागर किया था। चूंकि कुल किये गए कार्य का मूल्य केवल ₹1.82 करोड़<sup>6</sup> था, आईएमयू को समायोजन प्रक्रिया के दौरान ₹4.12 करोड़ के सहमति देने के बदले पीएमसी शुल्क केवल ₹0.15 करोड़ अदा करने की सहमति देनी चाहिए थी। इस प्रकार, एनबीसीसी के साथ हुआ समायोजन करार दोषपूर्ण था और इसके परिणामस्वरूप ₹3.97 करोड़<sup>7</sup> का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

<sup>6</sup> समाचार पत्रों में निविदा एनआईटी के प्रकाशन में ₹0.11 करोड़ तथा निर्माण कार्य में ₹1.71 करोड़ शामिल हैं।

<sup>7</sup>

वास्तविक कार्य के लिए पीएमसी शुल्क = ₹1.82 करोड़ * 7 प्रतिशत	₹0.13 करोड़
पीएमसी पर सेवाकर @ 15 प्रतिशत	₹0.02 करोड़
<b>कुल</b>	<b>₹0.15 करोड़</b>
वास्तविक भुगतान (₹3.79 करोड़ + ₹0.33 करोड़ सेवा शुल्क)	₹4.12 करोड़
<b>घटा देय</b>	<b>₹0.15 करोड़</b>
परिहार्य अतिरिक्त भुगतान	₹3.97 करोड़

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2019) कि एनबीसीसी के साथ आपसी सहमति तथा मैत्रीपूर्ण निपटान करके आईएमयू ने परियोजना के समापन के लिए सीपीडब्ल्यूडी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया तथा वह समापन के समीप था। आईएमयू ने एनबीसीसी के साथ लंबी कानूनी लड़ाई को भी टाल दिया जिसकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर लागत बहुत अधिक होती।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं, एनबीसीसी के साथ अनुबंध की समाप्ति पर आईएमयू, विशाखापत्तनम ने वास्तविक रूप से निष्पादित कार्य के मूल्य के अनुसार वास्तविक देय पीएमसी शुल्क ₹0.15 करोड़ के बदले ₹4.12 करोड़ पीएमसी शुल्क समायोजित किया। इस कारण से, आईएमयू तथा एनबीसीसी के बीच आपसी निपटारा आईएमयू के वित्तीय हित के विरुद्ध था तथा इसके परिणामस्वरूप ₹3.97 करोड़ का अतिरिक्त खर्च हुआ।

इस प्रकार आईएमयू तथा एनबीसीसी के बीच दोषपूर्ण निपटान समझौते के कारण वास्तविक कार्य समाप्त नहीं होने पर भी एनबीसीसी को पीएमसी शुल्क दिया गया, परिणामस्वरूप ₹3.97 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त खर्च हुआ।

इस मामले को मार्च 2019 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका जवाब अभी तक प्रतीक्षित था (अप्रैल 2019)।

### पारादीप पत्तन न्यास

#### 7.5 अपर्याप्त प्रतिभूतिकरण के परिणामस्वरूप ₹6.25 करोड़ की परिहार्य हानि

पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ने घाट शुल्कों पर सेवा कर लागू एवं वसूली नहीं की थी जोकि न्यूनतम गारंटी टन की कमी और अनुबंध पर जुर्माने के बराबर थी। नतीजतन, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट को ₹6.25 करोड़ के सेवा कर के भुगतान और उस पर जुर्माने का नुकसान उठाना पड़ा।

पारादीप पोर्ट ट्रस्ट (पीपीटी) ने कुछ श्रेणियों के सामानों के आयात के लिए प्राथमिक लंगरगाह सुविधा प्रदान की, जिसमें ऐसे माल को ले जाने वाले जहाजों को अन्य आने वाले जहाजों पर लंगरगाह की प्राथमिकता होगी। उपरोक्त सुविधाओं (न्यूनतम गारंटी टन, एमजीटी प्रदाता) में प्रतिभागियों को प्रतिवर्ष एक मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) की सीमा तक यातायात के एमजीटी के संचालन की आवश्यकता होगी। पीपीटी ने प्रति

वर्गमीटर प्रतिवर्ष के आधार पर प्रत्येक भूखंड के लिए निर्दिष्ट मात्रा के बराबर कार्गो के एमजीटी से संचालन की शर्त के साथ सूखे थोक आयातित कार्गो के भंडारण के लिए एक भूखंड भी आबंटित किया। एमजीटी प्रदाताओं और आबंटियों (लाभार्थियों) दोनों को एमजीटी मात्रा के लिए घाट शुल्क के बराबर बैंक गारंटी (बीजी) जमा करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एमजीटी प्रदाताओं और साथ ही आबंटियों दोनों के द्वारा एमजीटी की शर्तों को पूरा नहीं करने के मामले देखे गए तथा पीपीटी ने बदले में बीजी को भुनाकर एमजीटी की मात्रा में कमी के बराबर घाट शुल्क वसूल किया। सेवाकर अधिनियम (वित्त अधिनियम 1994) की धारा 66 ई(ई) के अनुसार, घाट शुल्क की मात्रा में इस प्रकार की कमी के कारण लगे घाट शुल्क पर सेवाकर को आकर्षित करती है। हालांकि, पीपीटी ने सेवाकर प्राधिकरण को जमा कराने के लिए बीजी भुनाते समय, एमजीटी प्रदाताओं/आबंटियों से कम मात्रा के घाट शुल्क पर सेवाकर की वसूली पर विचार नहीं किया।

एमजीटी की मात्रा में कमी के कारण लाभार्थियों से वसूल किये गये गए घाट शुल्क पर सेवा कर का भुगतान नहीं करने के कारण वर्ष 2014-15 के लिए सेवा कर प्राधिकरण द्वारा ब्याज और जुर्माने के साथ ₹5.00 करोड़ के सेवा कर (उपकर सहित) का भुगतान करने के लिए मांग नोटिस दिया (अगस्त 2016)।

इस तर्क के साथ कि इन वसूली पर सेवा कर लागू नहीं होता है, पीपीटी मांगी गई राशि का भुगतान करने पर सहमत नहीं हुआ तथा मामले को कार्यालय प्रधान आयुक्त, जीएसटी, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, भुवनेश्वर में भेज दिया। कार्यालय प्रधान आयुक्त जीएसटी, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, भुवनेश्वर ने, हालांकि अपील को ठुकरा दिया और आदेश दिया (अक्टूबर 2017) कि ₹5.00 करोड़ का सेवा कर लागू होने वाले ब्याज और जुर्माने के साथ भुगतान किया जाए। पीपीटी ने तदनुसार ₹6.25 करोड़ का भुगतान (नवम्बर 2017) सेवा कर हेतु (₹5.00 करोड़) एवं जुर्माना (₹1.25 करोड़) हेतु किया।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि पीपीटी ने 2015-16 के बाद भी एमजीटी की मात्रा में कमी के लिए घाट शुल्क पर सेवा कर की वसूली नहीं की, जब कि लाभार्थियों द्वारा एमजीटी की शर्तों को पूरा न करने के लिए बीजी को भुनाने के उदाहरण थे क्योंकि बीजी केवल घाट शुल्क के लिए थी। इसलिए, पीपीटी को 2015-16 के बाद की अवधि के लिए एमजीटी मात्रा की कमी पर घाट शुल्क के सम्बन्ध में सेवा कर आदि के

भुगतान के लिए वित्तीय दायित्व वहन करना पड़ेगा क्योंकि यह लाभार्थियों से वसूल नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2018) कि लाभार्थियों से सेवा कर की वसूली की कोई संभावना नहीं थी और आगे कहा कि पीपीटी ने (अप्रैल 2018) एमजीटी मात्रा के घाट शुल्क पर लागू माल और सेवा कर (जीएसटी) को अप्रैल 2018 से एमजीटी प्रदाताओं/आबंटियों से बीजी एकत्रित करते समय शामिल करने का निर्णय लिया।

प्रबंधन ने आगे कहा कि पीपीटी ने सेवा कर भुगतान के सापेक्ष एमजीटी मात्रा में कमी से पर्याप्त आय अर्जित की। प्रबंधन यदि सेवा कर अधिनियम (वित्त अधिनियम 1994) की धारा 66 ई(ई) के साथ पुष्टि में एमजीटी प्रदाताओं/आबंटियों से बीजी को लेते समय एमजीटी मात्रा में घाट शुल्क पर सेवा कर शामिल कर लेता तो पीपीटी की आय में ₹6.25 करोड़ की वृद्धि हुई होती।

मंत्रालय ने स्वीकार करते हुए कहा कि लाभार्थियों से सेवा कर की वसूली की कोई संभावना नहीं थी (फरवरी 2019), जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, भुवनेश्वर के प्रधान आयुक्त के आदेश के खिलाफ मामला नवंबर 2018 में अपीलीय न्यायाधिकरण को भेजा गया।

हालांकि, तथ्य यह है कि सेवा कर अधिनियम (वित्त अधिनियम 1994) की धारा 66 ई (ई) के अनुसार एमजीटी की कमी की मात्रा पर सेवा कर लागू था और अन्य बंदरगाहों<sup>8</sup> पर इसका पालन हो रहा है। इसके अतिरिक्त, अपील को आदेश की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष रखा जाना था। हालांकि, उपरोक्त आवश्यक अवधि की समाप्ति से नौ महीने बाद अपील की गई थी। अतः कर प्राधिकरण को भुगतान की गई सेवा कर की वापसी की संभावना दूरस्थ थी।

इस प्रकार, पीपीटी द्वारा अपर्याप्त प्रतिभूतिकरण के परिणामस्वरूप ₹6.25 करोड़ का नुकसान हुआ।

---

<sup>8</sup> कोलकाता पत्तन न्यास, चेन्नई पत्तन न्यास, कोचिन पत्तन न्यास, वीओसी पत्तन न्यास, नव मंगलूर पत्तन न्यास, दीनदयाल पत्तन न्यास।

### वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास

#### 7.6 बोलाई पुल टग को किराए पर लेने के कारण परिहार्य व्यय

वी. ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट तूतीकोरिन ने निविदा प्रक्रिया में अनियमितता के कारण बोलाई पुल टग को किराए पर लेने के लिए ₹3.49 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

वी. ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट (पोर्ट) ने चार वर्षों के लिए, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता था 50 टन या उससे अधिक बोलाई पुल टग (बीपीटी) को किराये पर लेने के लिए निविदाएँ आमंत्रित (जनवरी 2013) की। निविदा के नियम व शर्तों के अन्तर्गत निविदाकार को वर्तमान मालिक से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' (एनओसी) जमा कराना था कि उद्धृत टग निविदाकार के अनुरोध प्राप्त होने से पंद्रह दिनों के भीतर मुक्त कर दिया जाएगा।

तीन फर्मों अर्थात् मैसर्स औशन स्पार्कल लिमिटेड (ओएसएल), हैदराबाद, पोलस्टार मैरीटाईम लिमिटेड (पीएमएल), मुंबई तथा मैसर्स टेग ऑफशोर लिमिटेड, मुंबई (टीओएल) ने (मार्च 2013) में आवेदन किया। पोर्ट की टेंडर कमेटी (टीसी) ने दो प्रस्तावों (ओएसएल और पीएमएल) को पूर्व-अर्हता प्रदान की और टीओएल के प्रस्ताव की एनओसी को सशर्त मानते हुए अयोग्य (मई 2013) घोषित किया।

टीओएल ने पोर्ट द्वारा अपने प्रस्ताव को अयोग्य घोषित करने के खिलाफ पोर्ट और शिपिंग मंत्रालय (मंत्रालय) को आवेदन पेश (6 मई 2013) किया। मंत्रालय (31 मई 2013) ने कहा कि टीओएल की बोली को खारिज करने के लिए कोई आधार नहीं था और टीओएल को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाए। हालांकि, पोर्ट ने इसको नहीं मानते हुए और टीओएल की कीमत बोली खोलने के लिए ओएसएल (एल1 बोलीदाता) की सहमति मांगी। ओएसएल सहमत नहीं हुआ और पोर्ट ने निविदा रद्द (जुलाई 2013) कर दी तथा अगस्त 2013 में पुनः टेंडर जारी किया गया। जवाब में, पोर्ट को एक मात्र बोली ओएसएल से मिली और पोर्ट ने ओएसएल को ₹1,94,400 प्रति दिन का अनुबंध दिया जो कि ओएसएल द्वारा उद्धृत पिछली दर की तुलना में ₹21,330 प्रति दिन अधिक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पोर्ट ने टीओएल के प्रस्ताव पर विचार इस दलील से नहीं किया था कि टीओएल द्वारा प्रस्तुत एनओसी सशर्त<sup>9</sup> थी, जबकि इसने पीएमएल की एनओसी स्वीकार की जबकि यह भी निरपेक्ष<sup>10</sup> नहीं थी। इसके अलावा, मंत्रालय की राय के खिलाफ, पोर्ट ने अनुचित तरीके से टीओएल की कीमत बोली खोलने के लिए ओएसएल की सहमति मांगी, यद्यपि निविदा दस्तावेज में ऐसा कोई खंड नहीं था।

पोर्ट ने उत्तर दिया (जुलाई 2018) कि टीओएल द्वारा प्रस्तुत एनओसी को अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि यह सशर्त था तथा मंत्रालय के निर्देशों, कानूनी राय और निविदा प्रक्रिया पर विचार करने के बाद मौजूदा प्रचलनों के अनुसार प्रारंभिक निविदा को रद्द किया गया। इसके अलावा, अन्य दो बोलीदाताओं की मूल्य बोलियाँ पहले से ही खुली हुई थी, टीओएल की मूल्य बोली खोलने हेतु एल-1 बोलीदाता की सहमति कानूनी राय के अनुसार ली गई थी। पोर्ट ने आगे जवाब दिया (जुलाई 2019) कि इसने ओएसएल द्वारा उद्धृत दर को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि यह अन्य पोर्ट अर्थात् न्यू मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट के लिए उद्धृत अनुमानित दर<sup>11</sup> से कम थी। अतः इससे पोर्ट को ₹10,840 प्रतिदिन का लाभ था। मंत्रालय ने पोर्ट के विचारों का समर्थन (दिसंबर 2018/ जुलाई 2019) किया।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं हो सकता क्योंकि पोर्ट ने एनओसी को सशर्त मानने की दलील पर टीओएल की पेशकश पर विचार नहीं किया, जबकि मंत्रालय ने बाद में स्पष्ट रूप से कहा कि टीओएल ने एक वैध एनओसी प्रस्तुत की थी। उपलब्ध रिकॉर्ड से यह भी पता चला कि पोर्ट ने एक ही कानूनी फर्म से एक ही तिथि में दो अलग-अलग कानूनी राय प्राप्त की थी, जिसके अन्तर्गत मत था (i) टीओएल की मूल्य बोली खोलने तथा परियोजना में देरी से बचने के लिए एल-1 बोलीदाता (ओएसएल) को सूचित करना और (ii) नए सिरे से निविदा आमंत्रित करना। हालांकि, टीओएल की कीमत बोली खोलने के लिए दोनों राय में से किसी में भी एल-1 बोलीदाता (ओएसएल) की सहमति लेने की आवश्यकता का संकेत नहीं दिया गया। इसके अलावा, अगर एनओसी पर कोई विवाद था, तो पोर्ट को अन्य बोलीदाताओं की मूल्य बोलियों को खोलने से पहले मंत्रालय का

<sup>9</sup> टीओएल के टग के मौजूदा भाड़ेदार जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) द्वारा जारी की गई एनओसी के अनुसार "अनुबंध के अनुसार आपके सभी दायित्वों और शर्तों के बाद संतोषजनक समापन के अधीन अनुबंध की अवधि समाप्त होने अर्थात् 18 मई 2013 के बाद टग वियुक्त किया जाएगा" पढ़ा जाए।

<sup>10</sup> पीएमएल द्वारा पेश किए गए टग के मौजूदा हायरर द्वारा जारी की गई एनओसी के अनुसार, "हमारे चार्टर पार्टी के नियमों एवं शर्तों के अधीन हमारे टग बोट स्वित्जर सूरत को पोल स्टार मैरीटाईम लिमिटेड द्वारा वीओसी पोर्ट ट्रस्ट को निविदा हेतु पेश किए जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है" पढ़ा जाए।

<sup>11</sup> ₹2,05,240 प्रतिदिन प्रति बोलाई पुल टग

स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था। इसके अतिरिक्त पोर्ट का लाभ कमाने का कथन भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह एक बाद का विचार है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि पोर्ट ने अपनी निविदा प्रक्रिया पर अक्टूबर 2013 में ही अंतिम निर्णय कर लिया था जबकि अन्य पोर्ट द्वारा उद्घृत दर अप्रैल 2014 की थी।

इस प्रकार बिना किसी उचित आधार के पोर्ट द्वारा पहली निविदा को रद्द करने से अक्टूबर 2013 से मार्च 2018 तक की अवधि के दौरान प्रतिदिन ₹21,330 दर के अनुसार कुल ₹3.49 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। पोर्ट को इसलिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी कार्य, जो कि निविदा प्रक्रिया के तहत आबंटित किए जाते हैं, अत्यंत सावधानी तथा तय निविदा प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए करें ताकि भविष्य में ऐसी किसी समान अनियमितता की संभावना को निराकृत किया जा सकें।

## अध्याय VIII: पर्यटन मंत्रालय

### 8.1 लेखापरीक्षा के परामर्श पर वसूली

लेखापरीक्षा के इंगित करने पर सामान्य वित्तीय नियम के प्रावधानों के अनुसार एक संस्था के निर्माण के लिए जारी धनराशि, जिसे बचत बैंक खाते के माध्यम से उपयोग में लाया गया था, पर इंडियन कलिनरी इंस्टिट्यूट, तिरुपति द्वारा अर्जित ब्याज वसूल किया गया तथा सरकारी खाते में जमा किया गया।

पर्यटन मंत्रालय (मंत्रालय) ने वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान इंडियन कलिनरी इंस्टिट्यूट (आईसीआई), तिरुपति को जो कि मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है, नोएडा, यूपी में एक शाखा खोलने के लिए ₹91.59 करोड़ का सहायता अनुदान जारी किया। इस संस्थान का निर्माण एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड जिसे पूर्व में नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) के नाम से जाना जाता था के द्वारा निष्पादित किया गया और इस संस्थान का उद्घाटन अप्रैल 2018 में किया गया। मंत्रालय द्वारा आईसीआई को जारी की गई धनराशि तथा आईसीआई द्वारा एनबीसीसी को ट्रांसफर की गई धनराशि के बीच समय का अंतर था। ऐसी अवधि के दौरान बैंक खाते में धनराशि बनी रही। सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 230(8) के अनुसार, सभी ब्याज अथवा सहायता अनुदान पर प्राप्त अन्य आय भारत की संचित निधि में प्रेषित होनी चाहिए और इसे भविष्य में जारी होने के खिलाफ समायोजित नहीं किया जाना चाहिए। आईसीआई ने ब्याज राशि को भारत की संचित निधि में जमा नहीं किया था और जब पहली बार इस मामले को मंत्रालय (मई 2018) के पास भेजा गया, कहा कि (जून 2018) यह फंड चालू खाते में रखा गया था और इस पर ब्याज अर्जित नहीं किया गया था। यह बैंक प्रमाण-पत्र के विपरीत था जिसने खाते को बचत बैंक खाते के रूप में दिखाया था। पुनः इस मामले को मंत्रालय के पास (जून 2018) भेजा गया, जिसमें यह स्पष्ट था कि वास्तव में यह बचत बैंक खाता था और ₹2.86 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया था। मंत्रालय द्वारा (जून 2018) भविष्य में जारी सहायता अनुदान के खिलाफ ब्याज राशि को समाजोजित करने पर सहमति व्यक्त की गई। लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि यह नियमों के अनुरूप नहीं

था। उसके बाद, मंत्रालय ने आईसीआई के साथ ब्याज की वसूली के मामले को आगे बढ़ाया और सूचित (सितम्बर 2018 तथा मार्च 2019) किया कि जुलाई 2018 में ₹2.86 करोड़ की धनराशि भारत सरकार के खाते में आईसीआई के द्वारा जमा करा दी गई।

इस प्रकार ₹2.86 करोड़ की धनराशि लेखापरीक्षा के आपत्ति पर भारत सरकार के खाते में लाई जा सकी।

## 8.2 वैट-वापसी के लिए दावा नहीं करना

भारतीय पर्यटन कार्यालय, पेरिस द्वारा कर वापसी का दावा करने के लिए अभिकरण की नियुक्ति में विलम्ब के कारण अप्रैल 2016 से मार्च 2018 के दौरान €112,590 (₹83.32 लाख) की राशि का वैट वापसी का दावा नहीं कर सकी।

विदेशों में स्थित भारतीय पर्यटन कार्यालयों (आईटीओ) को संबंधित देशों के कानूनों के अनुसार, विभिन्न व्यय पर भुगतान किये गये मूल्य वर्धित कर (वैट) की वापसी का हक है। आईटीओ पेरिस (फ्रांस, स्वीटजरलैंड, स्पेन और पुर्तगाल पर क्षेत्राधिकार) के अभिलेखों के लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि अप्रैल 2016 से मार्च 2018 की अवधि के लिए वैट की वापसी के लिए दावा नहीं किया गया था। किसी भी कैलण्डर वर्ष के लिए वापसी का दावा त्रैमासिक आधार पर विलम्बतः अगले वर्ष के 30 जून तक किया जा सकता है लेकिन वर्णित अवधि के लिए दावा नहीं किया गया क्योंकि वैट वापसी के लिए दावा करने हेतु नियोजित अभिकरण के साथ करार मई 2016 में समाप्त हो गया था तथा नवीनीकरण/नई नियुक्त जून 2018 तक नहीं हो पाई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जब आईटीओ पेरिस ने (अप्रैल से जून 2016) पर्यटन मंत्रालय (मंत्रालय) को विद्यमान अभिकरण के साथ करार के नवीनीकरण हेतु निवेदन किया था, मंत्रालय ने सलाह (जुलाई 2016) दी कि आईटीओ, अभिकरण की सेवाएं लेना बन्द कर दे तथा वापसी का दावा स्वयं करें। जब यह स्पष्ट हो गया कि आईटीओ, पेरिस के पास स्वतः कर वापसी का दावा करने के लिए साधन नहीं है, मंत्रालय ने आईटीओ को एक अभिकरण की नियुक्ति के लिए निविदाएँ आमंत्रित करने का निर्देश (फरवरी 2017) दिया। आईटीओ, पेरिस को चार अभिकरणों से निविदाएँ प्राप्त हुईं तथा उनको मंत्रालय

को अग्रसारित (मई 2017) किया लेकिन नियुक्ति पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका तथा €71,811 (₹53.14 लाख) की राशि की वापसी का दावा नहीं किया जा सका।

एक अभिकरण की नियुक्ति के लिए समय पर निर्णय लेने में असफलता को लेखापरीक्षा द्वारा (मार्च 2018) इंगित किया गया था। उसके उपरान्त आईटीओ ने पुनः (मई 2018) नौ अभिकरणों से निविदाएँ आमंत्रित की, मात्र एक अभिकरण (पुराना अभिकरण जिसकी सेवाएँ जुलाई 2016 में बन्द कर दी गई थी) से प्रत्युत्तर प्राप्त किया तथा जून 2018 में मंत्रालय के अनुमोदन से इसकी नियुक्ति की गई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कर वापसी के दावे के लिए एक अभिकरण की नियुक्ति में विलम्ब के कारण, जैसा कि ऊपर वर्णित है, उस वैट की राशि, जिसकी वापसी का दावा आईटीओ नहीं कर पाया, की गणना €112,590 (₹83.32 लाख) है।

मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2018) कि आईटीओ पेरिस को वैट वापसी का दावा स्वतः करने के लिए सलाह (जुलाई 2016) दी गई थी क्योंकि अभिकरण को बहुत अधिक कमीशन का भुगतान किया जा रहा था। अभिकरण के गैर-अंतिमकरण के संबंध में, मंत्रालय ने कहा कि आईटीओ पेरिस द्वारा अग्रसारित प्रारम्भिक प्रस्ताव में अभिकरण द्वारा प्रभारित किये जाने वाले शुल्क/कमीशन का उल्लेख नहीं था तथा इसलिए आवश्यक सूचना के अभाव के कारण अंतिम चयन नहीं किया जा सका। मंत्रालय ने यह भी कहा कि एक अभिकरण की नियुक्ति जून 2018 में कर दी गई है तथा पेरिस में भारतीय दूतावास के हस्तक्षेप के माध्यम से गैर-दावित वैट की वसूली की संभावनाओं की तलाश की जा रही है।

यह उत्तर इस तथ्य के सापेक्ष में देखा जाना चाहिए कि यद्यपि लागत को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने आईटीओ को वैट की वापसी स्वतः करने के लिए सुझाव दिया था, मंत्रालय यह सुनिश्चित नहीं कर पाया, कि क्या ऐसा करना आईटीओ, पेरिस के लिए व्यवहारिक था। फलतः कार्य को बाह्य स्रोत को देना पड़ा था तथा दावा इस दौरान समयातीत हो गया था। यह उल्लेख भी प्रासंगिक है कि अन्य आईटीओ (आईटीओ टोकियो) के द्वारा वैट वापसी के दावे की प्रणाली की अपर्याप्तता को लेखापरीक्षा द्वारा

2016 की संघ सरकार (सिविल) अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 11 के अध्याय XVIII, पैरा 18.1 में इंगित किया गया था। लेकिन आईटीओ द्वारा कर वापसी का दावा करने में प्रणालीय दुर्बलताओं को ठीक करने हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाए गए जिसके कारण परिहार्य वित्तीय नुकसान हुआ।

**वेंकटेश मोहन**

(वेंकटेश मोहन)

उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

तथा अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

नई दिल्ली

दिनांक : 14 फरवरी 2020

प्रतिहस्ताक्षरित



(राजीव महर्षि)

नई दिल्ली

दिनांक : 14 फरवरी 2020

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट  
एवं  
अनुलग्नक

**परिशिष्ट-1**  
(पैरा 1.1 में संदर्भित)  
**आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय/विभाग**

क्रम सं	आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय
1.	रसायन और उर्वरक
2.	कोयला
3.	वाणिज्य और उद्योग
4.	कॉरपोरेट कार्य
5.	नागर विमानन
6.	भारी उद्योग एवं लोक उद्यम
7.	आवासन और शहरी कार्य
8.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
9.	खान
10.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस
11.	विद्युत
12.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग
13.	पोत परिवहन
14.	इस्पात
15.	वस्त्र
16.	पर्यटन
	<b>वित्त मंत्रालय के विभाग</b>
1.	निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
2.	आर्थिक कार्य विभाग
3.	वित्तीय सेवाएं विभाग

**परिशिष्ट-II**  
(पैरा 1.5 में संदर्भित)  
**बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र**

(₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जो अनुदान से संबंधित है (मार्च 2017 तक)	मार्च 2017 तक जारी अनुदानों के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) जो 31 मार्च 2018 तक देय थे	
		यूसी की संख्या	राशि
भारी उद्योग विभाग	2003-04	01	20.00
	2013-14	01	743.00
	2015-16	03	873.87
	2016-17	17	5,873.09
	<b>कुल</b>	<b>22</b>	<b>7,509.96</b>
लोक उद्यम विभाग	2012-13	05	27.00
	2013-14	07	62.93
	2014-15	03	16.95
	2015-16	39	356.21
	2016-17	01	10.00
	<b>कुल</b>	<b>55</b>	<b>473.09</b>
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	2006-07 से 2011-12	103	688.39
	2012-13	19	703.36
	2013-14	42	914.27
	2014-15	50	378.01
	2015-16	86	1,133.44
	2016-17	23	3,605.30
	<b>कुल</b>	<b>323</b>	<b>7,422.77</b>
औषध विभाग	2009-10 से 2011-12	06	1,330.30
	2013-14	02	10.10
	2014-15	01	684.00
	2015-16	05	1,724.10
	2016-17	03	510.00
	<b>कुल</b>	<b>17</b>	<b>4,258.50</b>
रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	2009-10	02	04.00
	2011-12	02	04.00
	2014-15	02	755.00
	2015-16	03	192.00
	2016-17	11	1,623.00
	<b>कुल</b>	<b>20</b>	<b>2,578.00</b>
खान मंत्रालय	2015-16	02	30.59
	2016-17	05	150.37
	<b>कुल</b>	<b>07</b>	<b>180.96</b>

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	2004-05	2	1.25
	2005-06	1	0.89
	2006-07	5	1.25
	2007-08	7	3.08
	2008-09	8	5.25
	<b>कुल</b>	<b>23</b>	<b>11.72</b>
इस्पात मंत्रालय	2013-14	1	73.90
	2015-16	2	304.49
	2016-17	8	358.88
	<b>कुल</b>	<b>11</b>	<b>737.27</b>
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	1985-86 से 2011-12	216	26,530.87
	2012-13	13	3,180.41
	2013-14	37	9,264.71
	2014-15	144	2,40,501.38
	2015-16	190	2,90,935.90
	2016-17	752	11,95,236.48
	<b>कुल</b>	<b>1,352</b>	<b>17,65,649.75</b>
वस्त्र मंत्रालय	1978-79 से 2011-12	1,432	6,553.40
	2012-13	454	1,946.93
	2013-14	406	831.44
	2014-15	553	6,165.40
	2015-16	1420	1,43,378.99
	2016-17	1268	1,29,395.17
	<b>कुल</b>	<b>5,533</b>	<b>2,88,271.33</b>
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय	2007-08	02	0.59
	2009-10	03	0.79
	2010-11	02	0.35
	2015-16	01	77.99
	2016-17	01	123.53
	<b>कुल</b>	<b>09</b>	<b>203.25</b>
पोत परिवहन मंत्रालय	2015-16	17	8,679.00
	2016-17	15	5,493.00
	<b>कुल</b>	<b>32</b>	<b>14,172.00</b>
पर्यटन मंत्रालय	2013-14	03	83.00
	2014-15	03	1068.00
	2015-16	10	3079.00
	2016-17	31	25975.00
	<b>कुल</b>	<b>47</b>	<b>30,205.00</b>

2020 की प्रतिवेदन सं. 3

वाणिज्य विभाग	2008-09	01	20.29
	2012-13	06	5,005.04
	2014-15	01	950.00
	2015-16	07	2,524.00
	2016-17	13	3,920.71
	<b>कुल</b>	<b>28</b>	<b>12,420.04</b>
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	2012-13	01	4.40
	2013-14	01	0.04
	2014-15	03	34.05
	2015-16	11	74.29
	2016-17	14	4.97
	<b>कुल</b>	<b>30</b>	<b>117.75</b>
<b>कुल योग</b>		<b>7,509</b>	<b>21,34,211.39</b>

## परिशिष्ट-III

(पैरा 1.6 में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची, जिन्होंने तीन महीने से अधिक के विलम्ब के बाद लेखे प्रस्तुत किये

क्रम सं.	स्वायत्त निकायों के नाम	लेखों के प्रस्तुत करने की तिथि	महीनों में देरी
1.	केंद्रीय रेशम बोर्ड, हैदराबाद	14.11.2017	4
2.	कॉफी बोर्ड, हैदराबाद	6.10.2017	3
3.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	3.4.2018	9
4.	संयुक्त विद्युतीय नियामक आयोग, गुडगांव, हरियाणा	15.12.2017	5
5.	स्ट्रेस्ट एसेट्स स्टेबलाइजेशन फण्ड, मुम्बई	लेखा प्राप्त नहीं हुए	
6.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	3.10.2017	3
7.	भारतीय सड़क कांग्रेस, नई दिल्ली	लेखा प्राप्त नहीं हुए	
8.	वस्त्र समिति, मुम्बई	15.1.2018	6
9.	कोयला खदान भविष्य निधि संगठन, कोलकाता	28.11.2017	4
10.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, गुवाहटी	16.5.2018	10
11.	भारतीय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	26.10.2017	3

परिशिष्ट-IV  
(पैरा 1.7 में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जिनके संदर्भ में वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लेखापरीक्षित लेखों को संसद के समक्ष 31 अगस्त 2018 तक प्रस्तुत नहीं किया गया था

क्रम सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	मंत्रालय का नाम
<b>वर्ष 2012-13 के लिए</b>		
1.	टैरिफ सलाहकार समिति, मुम्बई	वित्त
<b>वर्ष 2013-14 के लिए</b>		
2.	स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टेबलाइजेशन फंड, मुम्बई	वित्त
3.	टैरिफ सलाहकार समिति, मुम्बई	
<b>वर्ष 2014-15 के लिए</b>		
4.	स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टेबलाइजेशन फंड, मुम्बई	वित्त
5.	टैरिफ सलाहकार समिति, मुम्बई	
<b>वर्ष 2015-16 के लिए</b>		
6.	कोयला खदान भविष्य निधि संगठन, धनबाद	कोयला
7.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	वित्त
<b>वर्ष 2016-17 के लिए</b>		
8.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	रसायन एवं उर्वरक
9.	राष्ट्रीय जूट बोर्ड, कोलकाता	वस्त्र
10.	कोयला खदान भविष्य निधि संगठन, धनबाद	कोयला
11.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी	रसायन और उर्वरक

**परिशिष्ट-V**  
(पैरा 1.7 में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों द्वारा वर्ष 2012-13 से 2016-17 के लिए संसद में लेखापरीक्षित लेखों को प्रस्तुत करने में देरी

क्रम सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	मंत्रालय का नाम	महीनों में देरी
<b>वर्ष 2012-13 के लिए</b>			
1.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	रसायन और उर्वरक	16
<b>वर्ष 2013-14 के लिए</b>			
2.	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई	पोत परिवहन	19
3.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हाजीपुर, बिहार,	रसायन और उर्वरक	43
4.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद		7
5.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली		19
<b>वर्ष 2014-15 के लिए</b>			
6.	डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फण्ड, नई दिल्ली	वाणिज्य और उद्योग	11
7.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हाजीपुर, बिहार	रसायन और उर्वरक	31
8.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद		14
9.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली		18
<b>वर्ष 2015-16 के लिए</b>			
10.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	वाणिज्य और उद्योग	11
11.	विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली	नागर विमानन	12
12.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी	रसायन और उर्वरक	15

13.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हाजीपुर, बिहार		19
14.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद		12
<b>वर्ष 2016-17 के लिए</b>			
15.	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई	पोत परिवहन	7
16.	संयुक्त विद्युत नियामक आयोग गुड़गांव, हरियाणा	विद्युत	7
17.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद	रसायन और उर्वरक	2
18.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण	नागर विमानन	7
19.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	वाणिज्य और उद्योग	3
20.	राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट, नई दिल्ली	वाणिज्य और उद्योग	3
21.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	वस्त्र	2
22.	वस्त्र समिति, मुम्बई	वस्त्र	7
23.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली	रसायन और उर्वरक	2
24.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, नई दिल्ली	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	3
25.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता	रसायन और उर्वरक	2
26.	पेन्शन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	वित्त	7 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> पीएफआरडीए के लेखे जुलाई 2018 में केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए गए।

**परिशिष्ट-VI**  
**(पैरा 1.8 में संदर्भित)**

**केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ**

**1. कोचीन पत्तन न्यास**

**1.1 वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान (अनु. VIII): ₹733.59 करोड़**

वर्ष 2017-18 के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वर्तमान कर्मचारियों एवं पेन्शन भोगियों के पेंशन एवं उपदान योगदान पर देयताएँ ₹2274.39 करोड़ परिकलित की गई थी जिसके लिए पेंशन एवं उपदान निधि में निवेश ₹139.30 करोड़ था जिसमें ₹2135.09 करोड़ की कमी थी। परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं तथा प्रावधानों में ₹2135.09 करोड़ की न्यूनोक्ति तथा तदनुसार वर्ष के लिए ₹2135.09 करोड़ के लाभ की अत्युक्ति हुई।

**1.2 सम्पदा किराया: ₹105.45 करोड़**

उपरोक्त में मैसर्स लूलू कन्वेन्शन तथा एग्जीबिशन सेन्टर (प्रा.) लिमिटेड, बोलगट्टी से प्राप्त ₹7.20 करोड़ की धनराशि विरोध के अन्तर्गत अतिरिक्त पट्टा किराये के रूप में शामिल है। परिणामस्वरूप आय के साथ-साथ लाभ में भी ₹7.20 करोड़ की अत्युक्ति तथा इतनी ही धनराशि के अग्रिमों में न्यूनोक्ति हुई।

**2. चेन्नई पत्तन न्यास**

**2.1 वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान: ₹787.39 करोड़ (अनुसूची XII)**

(क) उपरोक्त में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) को ड्रेजर कावेरी के ड्राई डॉक मरम्मतों का ₹2.59 करोड़ का देय मूल्य सम्मिलित नहीं है जो कि 2013 में पूरा हो गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं एवं प्रावधानों में ₹2.59 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई तथा लाभ में ₹2.59 करोड़ की अत्युक्ति हुई। चूंकि ड्रेजर कावेरी के ड्राई डॉक मरम्मत का कार्य कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है, अतः पत्तन द्वारा ₹2.59 करोड़ की देयता को मान्यता देनी चाहिए। पोर्ट को मैसर्स भारतीय नौवहन निगम से प्राप्त/प्राप्य राशि को आय के रूप में मान्य करना चाहिए तथा प्राप्य भाग को वर्तमान परिसंपत्ति शीर्ष में मान्य करना चाहिए।

(ख) एलआईसी द्वारा किये गये बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च 2018 को वर्तमान कर्मचारियों एवं वर्तमान पेंशनभोगियों के लिए पेंशन, उपदान एवं अवकाश नकदीकरण पर देयताएँ ₹5275.02 करोड़ परिकलित की गई। पोर्ट ने पेंशन, उपदान एवं अवकाश नकदीकरण निधि हेतु ₹3537.56 करोड़ का प्रावधान किया था। इसके

परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं एवं प्रावधानों तथा व्यय में ₹1737.46 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। फलस्वरूप, लाभ में इतनी ही धनराशि की अत्युक्ति हुई।

(ग) भारत सरकार ने 29.03.2018 को उपदान का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018 अधिसूचित किया तथा कर्मचारियों को देय उपदान की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी। ₹20 लाख तक बढ़ी हुई सीमा के अनुसार उपदान हेतु देयताओं का प्रावधान लेखों में करना चाहिए था। हालांकि, पत्तन ने ना तो वर्ष 2017-18 के लेखों में इसका प्रावधान किया और न ही लेखों पर टिप्पणी में इसे प्रदर्शित किया। पत्तन को उपदान की बढ़ी हुई सीमा के कारण उत्पन्न हुई अतिरिक्त देयता की धनराशि को सुनिश्चित करना चाहिए तथा लेखों में उपयुक्त प्रावधान करना चाहिए।

2.2 वर्ष 2017-18 के दौरान ₹215.58 करोड़ की राशि पेंशन निधि (₹208.08 करोड़) तथा उपदान निधि (₹7.50 करोड़) में स्थानांतरित की गई। यह राशि लाभ एवं हानि लेखों पर प्रभारित नहीं की गई परन्तु रेखा के नीचे ब्रुक की गई जिसके परिणामस्वरूप लाभ में ₹215.58 करोड़ की अत्युक्ति हुई। इसी प्रकार की टिप्पणी वर्ष 2016-17 के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में जारी की गई थी। हालांकि, पत्तन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

### 3. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

#### 3.1 वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण एवं अग्रिम

अप्रैल 2018 में हुए सीफूड एक्सपो ग्लोबल ब्रूसेल्स में भागीदारी शुल्क पर हुए प्रीपेड व्यय की बुकिंग को अग्रिम के स्थान पर वर्तमान वर्ष का व्यय दिखाने के कारण उपरोक्त में ₹2.51 करोड़ न्यूनोक्ति हुई। इसके परिणामस्वरूप इतनी ही राशि से 'व्यय के आय पर आधिक्य' में अत्युक्ति हुई।

#### 3.2 व्यय-स्थापना व्यय

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए देयताएँ होने के कारण इसमें ₹160.38 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। प्राधिकारी ने इस देयता को आय एवं व्यय लेखा के माध्यम से प्रसाधित करने के स्थान पर इसे तुलन पत्र में 'विविध व्यय' में डेबिट कर इसे 'वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान' में दर्शाया है। इसके परिणामस्वरूप 'स्थापना व्ययों' 'आय पर व्यय के आधिक्य' में ₹160.38 करोड़ की न्यूनोक्ति तथा इतनी ही धनराशि से 'विविध व्यय' में अत्युक्ति हुई।

#### 4. न्यू मेंगलोर पत्तन न्यास

##### 4.1 स्थायी/पूँजी परिसंपत्तियां (अनुसूची 2) वर्ष के दौरान वृद्धि: ₹160.10 करोड़

उपरोक्त में वर्तमान परिसंपत्तियों में किए गए आशोधन/वृद्धि/प्रतिस्थापन पर ₹1.32 करोड़ की लागत शामिल है। उपरोक्त लागत पृथक परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत की गई थी तथा मूल्यहास को मूल परिसंपत्ति के शेष जीवनकाल पर प्रभारित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा मूल्यहास में न्यूनोक्ति तथा निवल परिसंपत्ति मूल्य में अत्युक्ति के प्रभाव का परिमाणन नहीं कर सकी क्योंकि मूल परिसंपत्तियां, जिसमें वृद्धि/परिवर्तन किये गये थे, के शेष जीवन काल का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

##### 4.2 दीर्घ कालीन निवेश : ₹1574.42 करोड़

एक फिक्सड डिपोजिट की परिपक्वता के लिए गलत तरीके से दो बार प्रविष्टि करने के परिणामस्वरूप दीर्घ कालीन निवेश (₹99.99 लाख), प्रोद्भूत ब्याज (₹0.22 लाख) में न्यूनोक्ति तथा विकास के लिए रिजर्व/ऋण के पुर्नभुगतान (₹6.94 लाख), टीडीएस (₹0.72 लाख) तथा प्राप्य (₹106.44 लाख) में अत्युक्ति हुई।

##### 4.3 ऋण एवं अग्रिम-अनुसूची 6

###### (i) आपूर्ति और सेवाओं के लिए जमा राशि-भण्डार: ₹2.32 करोड़

उपरोक्त 31 अगस्त 2018 को अन्तिम शेष ₹2.32 करोड़ दिखाता है जबकि भण्डार लेखापरीक्षा अनुभाग लेजर (जीएलसी-841 उचंत लेखा) शून्य शेष दिखाता है। विवरणों के अभाव में लेखापरीक्षा शेष धनराशि की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकी।

##### 4.4 लाभ एवं हानि लेखे: वित्त एवं विविध व्यय (अनुसूची 18)

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार आवश्यक राशि से अधिक की देयता की बुकिंग करने के परिणामस्वरूप, अवकाश नकदीकरण निधि में ₹8.14 करोड़ की अत्युक्ति, वित्त एवं विविध व्यय में ₹4.02 करोड़ की अत्युक्ति हुई तथा वित्त एवं विविध आय में ₹4.12 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई जिसके कारण लाभ में ₹8.14 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।

#### 5. वी.ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास

##### 5.1 वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण एवं अग्रिम: ₹835.32 करोड़

उपरोक्त में ₹129.51 करोड़ के फुटकर देनदार शामिल हैं जिनके लिए पत्तन ने ना तो वसूली की सम्भावना का विश्लेषण किया ना ही अप्राप्य ऋण के लिए प्रावधान किया तथा शेषों की पुष्टि भी प्राप्त नहीं की।

## 5.2 स्थायी पूंजी परिसंपत्ति-निवल ब्लाक: ₹1467.45 करोड़

उपरोक्त में 1042.32 एकड़ की भूमि, जिसे पोर्ट ने अपनी भूमि के रूप में चिन्हित किया था, का मूल्य शामिल नहीं है जो इसके स्वामित्व में आने वाली 2808.41 एकड़ भूमि के अतिरिक्त था। इस प्रकार, तुलन पत्र में दर्शाए गए स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य ने वास्तविक दशा को प्रदर्शित नहीं किया।

## 6. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आईएमयू)

### 6.1 परिसंपत्ति: स्थायी परिसंपत्ति - भूमि: फ्री होल्ड: ₹36.38 करोड़ (अनुसूची 8)

उपरोक्त में मेसर्स एसआरसी कान्ट्रेक्टर्स को भुगतान में विलम्ब के कारण ब्याज तथा मूल मध्यस्थता अधिकरण के प्रभार के रूप में प्रतिपूर्ति के तौर पर भुगतान की गई ₹2.86 करोड़ की राशि शामिल है जो कि पूंजीकृत नहीं की जानी चाहिए क्योंकि यह परिसंपत्ति को प्रयोग में लाये जाने के लिए सीधे तौर पर प्रयुक्त लागत नहीं थी।

इसके परिणामस्वरूप स्थायी परिसंपत्तियों तथा आय पर व्यय के आधिक्य में ₹2.86 करोड़ की अत्युक्ति हुई।

### 6.2 कोष/पूंजी निधि तथा देयताएं

#### उद्दिष्ट/अक्षय निधि: ₹184.38 करोड़ (अनुसूची 3)

इसमें केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लिए समान लेखा प्रारूप के अनुसार पोत परिवहन मंत्रालय से आईएमयू के गैर आवर्ती व्ययों के लिए प्राप्त निधि में से ₹5.84 करोड़ की शेष राशि शामिल नहीं है।

इसके परिणामस्वरूप उद्दिष्ट/अक्षय निधि में न्यूनोक्ति तथा वर्तमान देयता में ₹5.84 करोड़ की अत्युक्ति हुई।

## 7. विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम्

### 7.1 सामान्य रिजर्व निधि का निवेश: ₹78.80 करोड़

वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताये जाने के बावजूद विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास (वीपीटी) ने सेतु समुद्रम निगम लिमिटेड (एसएससीएल), चेन्नई में किये गये ₹30.00 करोड़ के निवेश के मूल्य की हानि को ज्ञात नहीं किया और न ही उसका प्रावधान किया जबकि एसएससीएल परियोजना का कार्य 2009 से ही बंद था। यह लेखाकरण मानक 13-निवेशों का लेखांकन के प्रावधानों के विपरीत था।

## 7.2 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान: ₹2,150.09 करोड़

### उपदान निधि:(-)₹4.02 करोड़

भारत सरकार ने पत्तन के साथ अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए उपदान की तत्कालीन ₹10 लाख की सीमा को राजपत्र अधिसूचना दिनांक 29 मार्च 2018 (उपदान भुगतान संशोधन अधिनियम, 2018) के माध्यम से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दिया था। इसी अनुसार बढ़ी हुई ₹20 लाख की सीमा को ध्यान में रखते हुए पत्तनों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए 2017-18 की लेखा बहियों में प्रावधान करना था। हालांकि, वीपीटी ने 31 मार्च 2018 को ₹10 लाख पर देय उपदान के आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए बीमांकिक मूल्यांकन करवाया। वीपीटी ने न तो बढ़ी हुई ₹20 लाख की सीमा के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन प्राप्त किया और न ही उनके अनुसार देयता का प्रावधान किया।

## 8. कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी)

**8.1** पूंजीगत रिजर्व में केओपीटी द्वारा किराये की अनुसूची के अनुसार किरायेदारों से अनाधिकृत कब्जे के कारण वसूले गए ₹245.77 करोड़ (₹53.43 करोड़, ₹68.75 करोड़, ₹68.62 करोड़ तथा ₹54.97 करोड़ क्रमश 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 से संबंधित) प्रतिपूर्ति प्रभार शामिल हैं। राशि को मेसने लाभ (पूंजी प्राप्ति) मानते हुए सीधे पूंजी रिजर्व में स्थानान्तरित कर दिया गया है। हालांकि, प्रतिपूर्ति प्रभार वृहत पत्तनों के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण (टीएएमपी) द्वारा अधिसूचित किराए की अनुसूची के अनुसार किए जाते हैं और इसलिए इन्हें पूंजीगत प्राप्ति नहीं माना जा सकता है।

इस प्रकार प्रतिपूर्ति प्रभारों का पूंजी प्राप्ति के रूप में लेखाकरण के परिणामस्वरूप वर्ष में पूंजीगत रिजर्व तथा घाटे में ₹245.77 करोड़ की अत्युक्ति हुई जिसमें पूर्व अवधि के ₹190.80 करोड़ सम्मिलित हैं।

**8.2** पोर्ट की वित्तीय रिपोर्टिंग के सामान्य ढांचे के अनुसार अप्राप्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए और फुटकर देनदारों से घटाया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि फुटकर देनदारों में छः वर्ष से अधिक समय से बकाया ₹210.14 करोड़ सम्मिलित हैं जिसका विवरण निम्न है:

क्रम.सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
1.	मैरीन बकाया	15.47
2.	कार्गो प्रभार और पोत प्रभार	18.87
3.	विद्युत प्रभार	5.57
4.	पक्षों से एस्टेट किराया	97.32

5.	संचित मुआवजा प्रभार	9.36
6.	एकीकृत फाइबर और रसायन लिमिटेड	0.98
7.	सरकारी पक्ष	30.99
8.	निजी पक्ष	29.29
9.	असमंजित पीओएल अग्रिम लेखा सीएमएम	2.29
<b>कुल</b>		<b>210.14</b>

इस बकाया राशि की वसुली की संभावना बहुत नगण्य है। इसलिए इसका प्रावधान किया जाना चाहिए था। इनका प्रावधान न करने के कारण फुटकर देनदारों में ₹210.14 करोड़ की अत्युक्ति के साथ ही घाटे में ₹210.14 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। इस पर 2014-15 से एसएआर में टिप्पणी शामिल की जा रही है लेकिन कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

**8.3** 4579 वर्तमान कर्मचारियों की संख्या के लिए पेंशन देयता हेतु दिनांक 31.03.2018 के बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार तथा 5305 वर्तमान कर्मचारियों के लिए उपदान हेतु दिनांक 31.03.2018 के बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार देयताएँ क्रमशः ₹3982.18 करोड़ तथा ₹392.19 करोड़ थी (कुल ₹4,374.37 करोड़) जिसके लिए कुल ₹2,279.74 करोड़ उपलब्ध थे। यद्यपि इस पहलू का खुलासा लेखों पर टिप्पणी (क्रम सं.13) में किया गया है, फिर भी ₹2,094.63 करोड़ की राशि की कमी का प्रावधान लेखों में नहीं किया गया। परिणामस्वरूप प्रावधानों और घाटे में ₹2,094.63 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। इसी तरह की टिप्पणी एसएआर में 2013-14 से शामिल की जा रही है, लेकिन कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

## 9. पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी)

**9.1** 10 एमडब्ल्यू सोलर पावर प्लांट की पूर्ति, स्थापना, प्रारम्भ और परिचालन रखरखाव पर ₹1.39 करोड़ के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी (पीएमसी) सेवा शुल्क जारी पूँजी कार्य में शामिल है। परियोजना को गैर-नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार द्वारा अपर्याप्त प्रगति के कारण समाप्त (मई 2018) कर दिया गया था। इसलिए जारी पूँजी कार्य के रूप में लेखांकन के स्थान पर राजस्व पर प्रभारित किया जाना चाहिए था। इसके प्रभारित नहीं होने के परिणामस्वरूप जारी पूँजी कार्य में ₹1.39 करोड़ की अत्युक्ति के साथ ही व्यय में ₹1.39 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। इसी के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान निवल अधिशेष में भी ₹1.39 करोड़ की अत्युक्ति हुई।

**9.2** निवेश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ पारादीप पोर्ट रोड कं. लि. (पीपीआरसीएल) एक विशेष प्रयोजन माध्यम में इक्विटी शेयरों का ₹40 करोड़ का निवेश शामिल है। पीपीआरसीएल का निवल मूल्य पूरी तरह घट चुका है और 31.03.2016 को यह

(-)₹495.52 करोड़ था। इसलिए, लेखाकरण मानक 13 के तहत दीर्घावधि निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप निवेश में ₹40 करोड़ की अत्युक्ति एवं कर से पहले निवल अधिशेष में ₹40 करोड़ की अत्युक्ति हुई। वर्ष 2015-16 से पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इसी तरह की टिप्पणी शामिल थी, लेकिन कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

**9.3** एलआईसी द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशन भोगियों दोनों के लिए कुल पेंशन देयता ₹451.73 करोड़ थी। तथापि, पत्तन न्यास ने पेंशन निधि हेतु केवल ₹335.18 करोड़ का ही भुगतान किया। इस प्रकार बीमांकिक मूल्यांकन और उपलब्ध धन के बीच अंतर की देयता का प्रावधान न करने के कारण प्रावधानों के साथ-साथ वित्त एवं विविध व्यय में ₹116.55 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। इसी के परिणामस्वरूप निवल अधिशेष में भी ₹116.55 करोड़ की अत्युक्ति हुई।

## 10. कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड (सीडीएलबी)

**10.1** 31 मार्च 2018 को सीडीएलबी की अधिवर्षिता पेंशन के लिए देयता को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा परिकल्पित ₹745.10 करोड़ के स्थान पर ₹859.39 करोड़ दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं और प्रावधानों में तथा आय पर व्यय की अधिकता में ₹114.29 करोड़ की अत्युक्ति हुई।

**10.2** वर्तमान देयताओं और प्रावधानों में सीडीएलबी के अवशोषित अधिकारियों/कर्मचारियों (24 संख्या) के लिए कोलकात्ता पत्तन न्यास (केओपीटी) को देय ₹4.85 करोड़ की राशि आनुपातिक पेंशन के रूप में शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप स्थापना व्यय-पेंशन योगदान के साथ वर्तमान देयताओं तथा प्रावधानों में ₹4.85 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।

## 11. राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी)

**11.1** नोएडा में पट्टे की भूमि में ₹1.68 करोड़ की राशि शामिल थी जो कि वर्ष 1995-96 के दौरान देरी से भुगतान के लिए दंडात्मक ब्याज शुल्क से संबंधित थी। यह एक राजस्व मद था लेकिन त्रुटिवश स्थायी संपत्तियों में बुक कर दिया गया था। इसके अलावा, 1997-98 से ₹0.36 करोड़ की राशि परिशोधन के रूप में प्रभारित की गई थी। इसके परिणामस्वरूप नोएडा के पट्टे की भूमि में अत्युक्ति और पूर्व अवधि व्यय में ₹1.68 करोड़ की न्यूनोक्ति के साथ-साथ परिशोधन में अत्युक्ति एवं जूट बोर्ड निधि में ₹0.36 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। इसके परिणामस्वरूप व्यय पर आय की अधिकता में ₹1.68 करोड़ की भी अत्युक्ति हुई।

## 12. टी बोर्ड

### 12.1 टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण: ₹3.54 करोड़

1993 से 1995 की अवधि के दौरान टी बोर्ड द्वारा ₹5.99 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के स्वीकृति पत्र संख्या क्रमशः 48021/2/93-प्लांट ए दिनांक 16.08.1993, टी-39012/93-प्लांट ए दिनांक 26.04.1994, टी-39012/1/93-प्लांट ए दिनांक 04 जून 1994, टी-39012/1/93-प्लांट ए दिनांक 30 मार्च 1995 तथा फैक्स दिनांक 28 अप्रैल 1995 और 25 अक्टूबर 1995 द्वारा टी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीटीसीआई) को दिया गया। इस ब्याज मुक्त ऋण के सापेक्ष में, टीटीसीआई ने टी बोर्ड को दिनांक 02 जून 1994 को ₹0.25 करोड़ की धनराशि वापस की जिससे ₹5.74 करोड़ शेष रह गए। टीटीसीआई को भुगतान किए गए उपरोक्त ब्याज मुक्त ऋण में से टी बोर्ड को भारत सरकार से ₹3.54 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ जो कि टीटीसीआई को भुगतान करने के लिए था। इसके पश्चात्, दिनांक 24 जून 2002 के समापन आदेश के अनुसार टीटीसीआई का परिसमापन हो गया तथा टी बोर्ड ₹5.74 करोड़ का उपरोक्त ऋण प्राप्त नहीं कर सका। 2012-13 के दौरान, टी बोर्ड ने टीटीसीआई को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण की ₹2.20 करोड़ (₹5.74 करोड़ - ₹3.54 करोड़) की शेष धनराशि को सरकार को देय ऋण में से समायोजित किया। अतः टी बोर्ड ने टीटीसीआईको ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी गई ₹5.74 करोड़ की कुल धनराशि सरकार से प्राप्त/समायोजित की। हालांकि, ₹3.54 करोड़ को तुलन पत्र के परिसंपत्तिपक्ष में "टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण" के रूप में दिखाया गया था। इसी प्रकार, अन्य देयताओं में टीटीसीआई के लिए सरकार को देय, के रूप में ₹3.54 करोड़ भी शामिल है। चूँकि टीटीसीआई लंबे समय से अस्तित्व में नहीं है तथा टी बोर्ड ने सरकार द्वारा टीटीसीआई को दिये गए ऋण की कुल राशि समायोजित/प्राप्त कर ली है; ₹3.54 करोड़ को तुलन पत्र के परिसंपत्ति पक्ष में "टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण" के रूप में दिखाना गलत है तथा इसे "टीटीसीआई के लिए सरकार को देय" हेतु ₹3.54 करोड़ की देयता से समायोजित किया जाना चाहिए। उपरोक्त के समायोजित नहीं होने के परिणामस्वरूप "टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण" हेतु परिसंपत्तियों में ₹3.54 करोड़ की अत्युक्ति हुई तथा उसी धनराशि से "अन्य देयताओं" में अत्युक्ति हुई।

### 12.2 अनुसंधान और विकास योजना

#### पूँजी डब्ल्यूआईपी: ₹5.59 करोड़

उपरोक्त शीर्ष में पालमपुर में कार्यालय सह-आवासीय भवन के निर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी को दी गई ₹2.27 करोड़ की राशि शामिल है। अभिलेखों की जाँच ने दर्शाया कि कार्य पूरा हो गया था और कब्जा लेने के बाद कार्यालय को नये भवन में 05 दिसम्बर 2015 को स्थानांतरित कर दिया गया। चूँकि टी बोर्ड ने कब्जा लिया और नये भवन का प्रयोग कर रहा

है, भवन की लागत को पूँजीकृत और मूल्य हास (05 दिसम्बर 2015 से 31 मार्च 2018 तक) खातों में प्रभारित किया जाना चाहिए था। उपरोक्त भवन को पूँजीकृत नहीं किए जाने के कारण "पूँजी डब्ल्यूआईपी" में ₹2.27 करोड़ की अत्युक्ति हुई; 'स्थायी परिसंपत्ति' के भवन में ₹1.78 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई तथा "मूल्यहास" में ₹0.49 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। परिणामस्वरूप, आय पर व्यय के आधिक्य में भी ₹0.49 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।

### 13. जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी)

#### 13.1 नकद एवं बैंक शेष (बैंकों के साथ टीडीआर सहित): ₹4672.13 करोड़

उपरोक्त में सावधि जमा (फरवरी 2014 में जमा) की शेष राशि के रूप में ₹67.59 करोड़ की राशि तथा उस पर 31 मार्च 2018 तक ₹38.98 करोड़ का प्रोद्भूत ब्याज सम्मिलित है जिसकी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) से प्राप्ति की जानी है। चूँकि मामला सीबीआई कोर्ट में लंबित है और जेएनपीटी के पास ₹67.59 करोड़ की सावधि जमा प्राप्ति/मियादी जमा प्राप्ति नहीं थी, उसे ₹67.59 करोड़ के संदिग्ध निवेश और ₹38.98 करोड़ के प्रोद्भूत ब्याज का प्रावधान करना चाहिए था। संदिग्ध निवेश के लिए प्रावधान न करने के कारण लाभ में ₹106.57 करोड़ की अत्युक्ति हुई तथा परिणामतः नकद और बैंक शेष में ₹67.59 करोड़ और निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज में ₹38.98 करोड़ की अत्युक्ति हुई। यह मुद्दा 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उठाया गया था, हालांकि, अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

#### 13.2 फुटकर देनदार: ₹790.50 करोड़

13.2.1 उपरोक्त में 2005 से 2008 की अवधि के भूमि किराए (₹3.02 करोड़) और उस पर दण्डात्मक ब्याज (2013 तक दावित ₹2.38 करोड़) की ₹5.40 करोड़ की धनराशि शामिल है जो कि सीमा शुल्क विभाग से बकाया है। चूँकि, जेएनपीटी और सीमा शुल्क विभाग के बीच कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ था और विभाग ने दावे पर आपत्ति की है, बकाया की वसूली निश्चित नहीं है और इसलिए उनके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था। इसका प्रावधान न किये जाने के परिणामस्वरूप फुटकर देनदारों और लाभ में ₹5.40 करोड़ की अत्युक्ति हुई।

13.2.2 उपरोक्त में पत्तन द्वारा सीआईएसएफ कार्यालय द्वारा सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की लागत के लिए मेसर्स एनएसआईसीटी (बीओटी परिचालक) से किए गए अतिरिक्त दावे के रूप में ₹20.67 करोड़ की राशि शामिल है।

इसके कारण फुटकर देनदारों और लाभ में इतनी ही राशि की अत्युक्ति हुई।

#### 14. मुंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी)

##### 14.1 नकद में या अन्य प्रकार में या प्राप्त किये जाने वाले मूल्य में वसूली करने योग्य अग्रिम: ₹756.04 करोड़

उपरोक्त में पेंशन निधि न्यास लेखा (₹135.38 करोड़) और उपदान निधि न्यास लेखा (₹9.73 करोड़) को देय धनराशि के रूप में ₹145.11 करोड़ का क्रेडिट शेष शामिल है और इसलिए इन्हें वर्तमान देयता के तहत दर्शाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों में न्यूनोक्ति तथा वर्तमान संपत्तियों में ₹145.11 करोड़ की समतुल्य न्यूनोक्ति हुई।

##### 14.2 निवल घाटा: ₹370.93 करोड़

लेखाकरण मानक 22 (आय पर करों के लिए लेखांकन) के अनुसार, आस्थगित कर परिसंपत्ति (डीटीए) को केवल वहीं मान्यता दी जानी चाहिए जहाँ उचित निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय की उपलब्धता होगी जिसके सापेक्ष कर वसूला जा सकता है। मानक में यह भी प्रावधान है कि निश्चितता के उचित स्तर को सामान्य रूप से उद्यम के पिछले अभिलेखों की जांच करके और भविष्य के लिए मुनाफे का यथार्थवादी आकलन करके प्राप्त किया जायेगा। पिछले तथा भविष्य के लिए अनुमानित वित्तीय विवरणियों के विश्लेषण में निश्चितता का उचित स्तर प्रदान नहीं करता है कि भविष्य में कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके सापेक्ष आस्थगित कर परिसंपत्ति वसूली जा सकती है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 2012-13 से 2017-18 के दौरान एमबीपीटी को नुकसान हुए। इसके अलावा, एमबीपीटी ने ₹2692.56 करोड़ की बीमाकिंक देयता के लिए प्रावधान नहीं किया है। उपरोक्त को देखते हुए, डीटीए की मान्यता सही नहीं है। निवल घाटे में ₹432.52 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई जिसमें कि 2017-18 के दौरान पत्तन द्वारा मान्यता प्राप्त डीटीए के ₹45.60 करोड़ तथा पहले के वर्षों से संबंधित ₹386.92 करोड़ शामिल है। इसके परिणामस्वरूप डीटीए में ₹432.52 करोड़ की अत्युक्ति और नुकसान में ₹432.52 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।

#### 15. मोरमुगांव पत्तन न्यास (एमपीटी)

##### 15.1 जारी पूँजीगत कार्य: ₹105.82 करोड़ (अनुसूची-2)

इसमें वर्ष 2016-17 के दौरान एप्रोच चैनल को गहरा करने के लिए ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किये गए बिल के ₹25.34 करोड़ शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप जारी पूँजीगत कार्य और पूँजीगत व्यय की देयताओं में ₹25.34 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।

## 15.2 वर्तमान देयताएँ: ₹976.26 करोड़

जून 2007 से मार्च 2018 की अवधि के लिए सीआईएसएफ की तैनाती पर विलंबित भुगतान पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा ब्याज के रूप में ₹16.89 करोड़ का बिल तथा अक्टूबर 2009 से दिसंबर 2017 तक एसडब्ल्यूआरएल और एमपीटी के संयुक्त निरीक्षण के आधार पर एसडब्ल्यूआरएल द्वारा कमियों/क्षतिपूर्ति और मरम्मत के लिए ₹14.12 करोड़ का बिल प्रस्तुत किया गया जो कि उपरोक्त में शामिल नहीं है।

इसके परिणामस्वरूप ₹31.01 करोड़ की देयताओं में न्यूनोक्ति तथा अधिशेष में अत्युक्ति हुई।

## 16. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

### 16.1 जारी पूँजीगत कार्य: ₹84.71 करोड़

अ) इंटरप्राइज सेबी पोर्टल परियोजना के लिए टेक महिंद्रा को दिए गए अनुबंध के तहत प्रशिक्षण के लिए ₹0.50 करोड़, उपरोक्त में शामिल नहीं है। बोर्ड ने टीडीएस काटने के बाद ₹0.45 करोड़ का प्रावधान सृजित किया।

इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों (जारी पूँजीगत कार्य) में ₹0.50 करोड़ की न्यूनोक्ति और व्यय पर आय में अधिक्य में ₹0.50 करोड़ (टीडीएस सहित) की न्यूनोक्ति हुई।

ब) उपरोक्त में पहले के वर्षों में दिए गए कार्य आदेशों के विरुद्ध ₹0.39 करोड़ से अधिक का प्रावधान शामिल है। ठेकेदार को पूर्ण और अंतिम भुगतान, अनुबंध को बंद/वापस लेने आदि के कारण अतिरिक्त प्रावधानों को वापस लिए जाने की जरूरत थी।

इसका परिणाम यह हुआ कि अचल संपत्तियों (जारी पूँजीगत कार्य) में अत्युक्ति और वर्तमान देयता तथा प्रावधानों की ₹0.39 करोड़ की अत्युक्ति हुई।

### 16.2 अनुसूची बैंको के चालू/बचत खातों में नकद शेष: ₹83.45 लाख

(i) एनआरओ दिल्ली (आईसीआईसीआई खाता संख्या 000701263308) के बैंक समाधान विवरण में बैंक बुक के अनुसार शेष राशि ₹35.67 लाख दर्शाया गया जबकि पुस्तकों में इसे ₹36.53 लाख लिया गया। इस प्रकार ₹0.86 लाख का अंतर था जो कि बिना मिलान के ही रह गए थे।

(ii) अनुसूचित बैंको के चालू/बचत खातों में नकद शेष में निम्नलिखित को शामिल किया गया:

(अ) दिसंबर 2016 के बाद से धनराशि ₹15 लाख का चैक जारी किया गया परंतु निपटान नहीं किया गया।

(ब) अप्रैल 2013 के बाद से ₹5.89 लाख का चैक बैंको द्वारा जमा किए गए परंतु सेबी द्वारा अपने खाते में नहीं शामिल किया गया।

(स) अप्रैल 2016 के बाद से ₹16.09 लाख का चैक जमा किया गया परंतु निपटान नहीं किया गया।

(द) अप्रैल 2017 के बाद से शुल्क बैंक द्वारा डेबिट किया गया लेकिन धनराशि ₹14.64 लाख सेबी के द्वारा अपने खाते में शामिल नहीं किया गया।

लेखा समाधान के अभाव में, चालू/बचत खातों में अनुसूचीत बैंकों के साथ नकद शेष की सत्यता का लेखापरीक्षा साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है।

## 17. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)

### 17.1 अक्षय निधि: ₹503.42 करोड़

i) उपरोक्त में आयोग द्वारा अपने फील्ड कार्यालयों, वित्तपोषित संस्थानों और नोडल बैंकों को अग्रदाय खादी अनुदान अग्रिमों को ₹14.20 करोड़ का संग्रह (1964 से आगे) जो कि 31 मार्च 2018 को खातों की किताबों में असमायोजित/अनुपयोगी/बिना-मिलान के सम्मिलित है। लेखापरीक्षा जानकारी के अभाव में, जैसे कि प्राप्तियाँ/प्रतिपूर्ति बिल/वाउचर, 'अक्षयनिधि' के शेष जो कि ₹14.20 करोड़ के अग्रदाय अग्रिमों के पुनर्प्राप्ति तथा सटीकता को सत्यापित करने में असमर्थ है। यह टिप्पणी 2011-12 के बाद से एसएआर में जारी की गई है और केवीआईसी द्वारा इतने लम्बे समय तक लंबितता होने के बावजूद शेष अग्रिम को समायोजित/मिलान करना अभी बाकी है।

ii) आयोग फील्ड कार्यालयों, कार्यक्रम निदेशालयों, खादी संस्थाओं तथा ग्रामोद्योग संस्थाओं इत्यादि से ₹1613.30 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) प्राप्त नहीं कर सका। ₹1613.30 करोड़ में से, ₹506.72 करोड़ (31.41 प्रतिशत) वर्ष 2011-12 से तथा शेष ₹1106.58 करोड़ वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक से संबंधित है। इस प्रकार, जीएफआर 2017 के जीएफआर 238 (1) के साथ जीएफआर 238 (10) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया। लेखापरीक्षा लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र की निगरानी करने के लिए उचित तंत्र के अभाव में दर्ज व्यय की सत्यता को प्रमाणित करने में असमर्थ है।

## 17.2 वर्तमान देयताएँ और प्रावधान: ₹31.71 करोड़

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों का एक समान प्रारूप (अनुच्छेद 12.1 तथा 12.2) तथा लेखा मानक 15 के तहत बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति लाभों जैसे कि ग्रेच्युटि, पेंशन और अवकाश नकदीकरण देयता के प्रावधानों को शामिल नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं तथा प्रावधानों में प्रावधान नहीं किया जाने के स्तर तक न्यूनोक्ति हुई।

## 17.3 अचल संपत्तियाँ: ₹18.08 करोड़

### भूमि तथा भवन: ₹42.49 करोड़

उपरोक्त में सेन्ट्रल बी रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (सीबीआरटीआई), पुणे में भूमि खरीद की कीमत ₹7.81 करोड़ शामिल है। केवीआईसी ने इस भूमि में ₹0.03 करोड़ में अवशेष पट्टे का अधिकार प्राप्त किया था। परन्तु, भूमि के पुनःमूल्यांकन (दिसंबर 2013) के आधार पर भूमि ₹7.81 करोड़ की दिखायी गयी है जो कि केवीआईसी के लेखाकरण नीति के ऐतिहासिक लागत पद्धति का उल्लंघन है। इसके परिणामस्वरूप ₹7.78 करोड़ (₹7.81 करोड़ - ₹0.03 करोड़) तक अचल संपत्ति (भूमि एवं भवन) के सकल ब्लाक की अत्युक्ति तथा समान राशि से आय पर अतिरिक्त व्यय की न्यूनोक्ति हुई। अचल संपत्ति के मूल्यांकन के लिए लेखाकरण नीति के अप्रकटन से संबंधित मुद्दे को 2016-17 के दौरान उठाया गया था तथा प्रबंधन द्वारा खातों का एक समान प्रारूप के पालन का आश्वासन दिए जाने के बावजूद कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए।

## 17.4 बैंक क्रेडिट का सहायता संघ (सीबीसी): ₹473.66 करोड़

इसमें संस्थाओं/राज्य केवीआई बोर्ड (₹473.66 करोड़) से प्राप्य सीबीसी कर्ज तथा सीबीसी/एसबीआई (₹249 करोड़-अनुसूची 4) को देय कर्ज का अंतर ₹224.66 करोड़ शामिल है। केवीआईसी ने बैंकों के सहायता संघ द्वारा उपरोक्त संस्थाओं को कर्ज की व्यवस्था (1995-96) की। संस्थाओं/राज्य केवीआई बोर्ड से कर्ज की वसूली बेहद दयनीय है जिसके कारण एक बहुत बड़ी रकम की वसूली नहीं हो पाई थी। चूककर्ता की प्रास्थिति से बचने के लिए, केवीआईसी ने अंतर राशि ₹224.66 करोड़ का (जो 1995-96 से जमा हुआ है) एक समयावधि में बैंकों को पुर्न भुगतान कर दिया तथा संस्थाओं/राज्य केवीआई बोर्ड से प्राप्त नहीं किया। चूंकि ₹224.66 करोड़ की अंतर राशि संदेहास्पद थी, इसलिए संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व का निर्माण न होने के परिणामस्वरूप संस्थाओं/केवीआई बोर्ड से वसूल किए जाने वाले सीबीसी कर्ज में अत्युक्ति हुई तथा उस स्तर तक संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व में न्यूनोक्ति हुई।

## 18. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, (एनआईएफटी), नई दिल्ली

### 18.1 देनदारियाँ

#### रिजर्व एवं सरप्लस (अनुसूची-2) - पूँजीगत रिजर्व

सरकारी अनुदान: वर्ष के दौरान पूँजीगत अनुदान: ₹65.30 करोड़

उपरोक्त में वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त एवं जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन (जेएडंके एसआईडीसीओ) को एनआईएफटी का स्थायी परिसर (कैंपस) श्रीनगर में बनाने हेतु दिए गए ₹11.85 करोड़ शामिल नहीं है। जेएडंके एसआईडीसीओ को यह राशि मुख्यालय द्वारा, जेएडंके परिसर के अपनी पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टि दर्ज करने की सूचना के साथ दी गई थी। परंतु जेएडंके परिसर की आवश्यक प्रविष्टियाँ को पास करने में विफल रहने के कारण यह राशि संस्था की पुस्तकों में 31 मार्च 2018 तक दर्ज (बुक) नहीं की जा सकी।

इसके परिणामस्वरूप वर्ष भर में पूँजीगत अनुदान में ₹11.85 करोड़ की न्यूनोक्ति एवं तदनुसार जारी पूँजीगत कार्य को उसी मात्रा में कम आंका गया है।

### 18.2 पूँजी, रिजर्व: सरकारी अनुदान - वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया: ₹60.83 करोड़

संस्थान ने ₹33.81 करोड़ (केंद्र सरकार से 30 करोड़ एवं राज्य सरकार से ₹3.81 करोड़) का अनुदान वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त किया है। परंतु इस वर्ष के दौरान प्राप्त उपरोक्त अनुदान ₹33.81 करोड़ के बदले खाता बुक में गलती से ₹60.83 करोड़, मुख्य कार्यालय एवं बहुत से अन्य परिसरों के बीच होने वाले अंतर समायोजन अंतरण के कारण अंकित हो गया है। जिसके परिणामस्वरूप संस्था के वित्तीय विवरणों में प्राप्त अनुदान तथा समायोजन एवं अंतरण (अनुसूची-2) में अत्युक्ति के अलावा प्राप्त अनुदान की एक गलत तस्वीर पेश की गई।

### 18.3 वर्तमान देनदारियाँ तथा प्रावधान: ₹239.60 करोड़

#### भवन के लिए डब्ल्यूआईपी प्रावधान: ₹15.42 करोड़

उपरोक्त में दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी) को दिल्ली परिसर में बनने वाले नये भवन हेतु 31 मार्च 2018 को देय ₹3.00 करोड़ शामिल नहीं है। डीएसआईआईडीसी के दिनांक 28.02.2018 के पत्र में ₹12.06 करोड़ की मांग की गई थी जिसके लिए एनआईएफटी एचओ (17 मई 2018) ने ₹3.00 करोड़ डीएसआईआईडीसी को भुगतान के लिए स्वीकृत किया था। इसी प्रकार, लेखा पुस्तकों में ₹3.00 करोड़ की देनदारी वर्ष 2017-18 के लिए बनाई जानी चाहिए थी। इसके

परिणामस्वरूप ₹3.00 करोड़ से बनने वाली डब्ल्यूआईपी भवन के लिए अंकित प्रावधान में न्यूनोक्ति हुई एवं जारी पूँजीगत कार्य (भवन) को समान राशि में परिणामिक न्यूनोक्ति हुई।

#### 18.4 पूँजीगत जारी कार्य (भवन) : ₹278.87 करोड़

i) उपरोक्त में दिल्ली केंद्र एवं कार्यालय में बनने वाले गर्ल्स हॉस्टल और किचन ब्लॉक भवन की कीमत तथा जोधपुर में बनने वाले हॉस्टल की कीमत ₹58.29 करोड़ शामिल है जिसका कार्य पूर्ण कराकर उन्हें अपने-अपने केंद्रों द्वारा क्रमशः जुलाई 2015 तथा अक्टूबर 2017 में अधिग्रहण किया गया था। इनके अपूँजीकरण के परिणामस्वरूप जारी पूँजी कार्य को ₹58.29 करोड़ तक बढ़ा चढ़ाकर अंकित किया गया है एवं अचल संपत्ति (भवन) को ₹55.79 करोड़ (₹2.50 करोड़ का मूल्यहास प्रदान कर) कमतर बताया गया है। इसके परिणामस्वरूप आस्थगित राजस्व आय एवं साल में आरोपित मूल्यहास प्रत्येक की ₹2.50 करोड़ से न्यूनोक्ति हुई।

(ii) उपरोक्त में एसआईडीसीओ को जेएंडके परिसर के श्रीनगर में चल रहे एनआईएफटी परिसर के निर्माण हेतु दिए गए ₹8.00 करोड़ का मोबीलाईजेशन अग्रिम भी शामिल है। जम्मू एवं कश्मीर एसआईडीसीओ ने उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) ₹37.75 करोड़ का पेश किया था जिसमें ₹8.00 करोड़ का मोबीलाईजेशन अग्रिम शामिल था। इस प्रकार, जारी पूँजीगत कार्य की वैल्यू संस्था द्वारा अंकित ₹37.75 करोड़ के बदले ₹29.75 करोड़ (₹37.75 करोड़-₹8.00 करोड़) होनी चाहिए थी, चूँकि, एनआईएफटी ने ₹37.20 करोड़ प्रदान किए हैं, अतः शेष ₹7.45 करोड़ (₹37.20 करोड़ - ₹29.75 करोड़) को ठेकेदार को दिए जाने वाले अग्रिम के तौर पर दिखाया जाना चाहिए था। जारी पूँजीगत कार्य को ₹8.00 करोड़ का अधिक दिखाए जाने के परिणामस्वरूप वर्तमान संपत्ति, कर्ज और अग्रिमों में ₹7.45 करोड़ की न्यूनोक्ति तथा पूँजीकृत अनुदान में ₹0.55 करोड़ की अत्युक्ति हुई।

#### 18.5 पूर्व अवधि आय: ₹173.07 करोड़

उपरोक्त में ₹196.71 करोड़ (चालू वर्ष के दौरान ₹26.89 करोड़ तथा पूर्व अवधि के कारण ₹169.82 करोड़) की धनराशि सम्मिलित है जिसे लेखाकरण मानक (एएस)-12 सरकारी अनुदानों के लिये लेखाकरण के कार्यान्वयन के कारण अस्थगित मूल्यहास के रूप में आय एवं व्यय खाते में बुक किया गया। एएस 12 को कार्यान्वित न किए जाने के मामले को एनआईएफटी के वार्षिक लेखों पर वर्ष 2012-13, 2013-14, 2015-16, 2016-17 के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा वर्ष 2014-15 के प्रबन्धन पत्र के माध्यम से उठाया गया था। वर्ष 2017-18 के दौरान संस्थान ने एएस-12 को कार्यान्वित किया तथा केंद्रीय/राज्य सरकार अनुदानों एवं स्व-निधियों से सृजित परिसंपत्तियों का द्विभाजन किया और तदनुसार ₹196.71 करोड़ तत्समान पूँजीगत अनुदान से आय में बुक किया जैसा कि ऊपर बताया गया

है। संस्थान सरकारी अनुदान को ₹720.67 करोड़ तक पूँजीगत किया तथापि, सरकारी अनुदानों से सृजित तत्समान निवल परिसंपत्तियों को ₹650.26 करोड़ प्रदर्शित किया गया जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2018 को खाता बही में पूँजीकृत किए गए पूँजी अनुदान तथा उससे सृजित निवल परिसंपत्तियों के मध्य ₹70.41 करोड़ का अंतर आया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सरकारी अनुदानों तथा स्व-निधियों से सृजित परिसंपत्तियों का सही द्विभाजन संस्थान द्वारा नहीं किया गया है।

## 19. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी)

### 19.1 अचल परिसंपत्तियाँ

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (लेखा और अभिलेखों की वार्षिक विवरणी) नियम 2017 की अनुसूची एच (अचल परिसंपत्तियाँ) को संदर्भ में लाएं जिसमें यह वर्णित है कि मूल्यहास सीधी रेखा विधि के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 में निर्धारित दरों पर लगाया जाएगा। पीएनजीआरबी ने वर्ष 2017-18 के दौरान अपनी अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास लगाने के लिए इसका अनुपालन किया। चूँकि कम्पनी अधिनियम 1956, कम्पनी अधिनियम 2013 के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है, अतः पीएनजीआरबी को कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में वर्णित उपयोगी समय के अनुसार मूल्यहास का परिकलन करना चाहिए था।

## 20. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)

20.1 सीसीआई निधि में कार्यालय के लिए जगह प्राप्त करने हेतु सहायता अनुदान द्वारा सृजित मियादी जमा पर वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त की गई ₹0.30 करोड़ की धनराशि सम्मिलित थी। सीसीआई ने इस धनराशि को कार्यालय के लिए जगह प्राप्त करने हेतु सहायता अनुदान में जमा कराने के स्थान पर वर्ष 2016-17 में आय एवं व्यय खाते के माध्यम से निधि में जमा करा दिया। इसके परिणामस्वरूप निधि एवं अधिशेष में ₹0.30 करोड़ की अत्युक्ति तथा कार्यालय के लिये जगह प्राप्त करने हेतु सहायता अनुदान में इतनी ही धनराशि की न्यूनोक्ति हुई।

20.2 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (लेखा की वार्षिक विवरणी का प्रपत्र) नियम 2009 के नियम 3 के अनुसार परियोजनाओं को प्रारम्भ करने की पूँजी लागत का योगदान जैसी प्रकृति के सरकारी अनुदानों/ सब्सिडी को पूँजीगत रिजर्व माना जाता है। नियम 3 में यह भी वर्णित है कि प्राप्त की गई विशिष्ट स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदानों को संबंधित परिसंपत्तियों की लागत में कटौती करके प्रदर्शित किया जाता है। तथापि, सीसीआई की लेखाकरण नीति सं.5 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (लेखा की वार्षिक विवरणी का प्रपत्र) नियम, 2009 के अनुसार लेखाकरण नीतियों का वर्णन नहीं था। इस मामले को वर्ष

2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी उठाया गया था तथापि अभी तक कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

## 21. विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए)

वर्ष 2016-17 तक एवं मार्च 2018 माह की अवधि के लिये एईआरए द्वारा भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के कर्मियों से ली गई सेवाओं पर हुए ₹8.27 करोड़ के स्थापना व्ययों (वेतन, मजदूरी तथा अन्य हित) तथा अक्टूबर 2009 से मार्च 2018 की अवधि के एयर इंडिया को देय ₹0.18 करोड़ के बकाया किराए की देयताओं का प्रावधान न करने के कारण चालू देयताओं और प्रावधानों में ₹8.45 करोड़ की न्यूनोक्ति की गई। इसके परिणामस्वरूप घाटे में ₹8.45 करोड़ की न्यूनोक्ति की गई।

## 22. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी)

22.1 एनसीआरपीबी अपने प्राप्त एवं भुगतान खाते तथा आय व व्यय खाते से संबंधित अनुसूचियों को लेखाकरण नीति 1(सी) के अनुपालन में पूंजी एवं राजस्व में द्विभाजन कर रहा है। यह वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखे के समान प्रारूप के अनुरूप नहीं थी।

22.2 लेखांकन नीति सं.3 में वर्णित है कि सभी व्ययों, कर्मचारियों के व्यक्तिगत दावों/भुगतान को छोड़कर जो कि नकद आधार पर लिए जाते हैं, को प्रोद्घवन आधार पर चिन्हित किया जाता है। उपरोक्त लेखांकन नीति लेखांकन की प्रोद्घवन संकल्पना तथा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखे के समान प्रारूप के अनुरूप नहीं है।

## 23. कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए)

23.1 लेखांकन नीति 11 'रिजर्व एण्ड सरप्लस' में वर्णित है कि "गेहूं विकास निधि- (डब्ल्यूडीएफ) तथा गैर-बासमति विकास निधि (एनबीडीएफ) निर्यातकों से प्राप्त की जाने वाली धनराशि है और उन्हें विशेष रिजर्व के रूप में दिखाया गया है, जिन्हें वापस करना होता है। इन निधियों से सृजित स्थायी जमा पर अर्जित किये जाने वाले ब्याज को संबंधित निधियों में स्थानान्तरित किया जाता है।"

उपरोक्त नीति के विरोधाभास में डब्ल्यूडीएफ तथा एनबीडीएफ को उद्दिष्ट/अक्षय निधि प्रदर्शित किया गया था। इसके अतिरिक्त जैसा कि प्रबन्धन द्वारा लेखापरीक्षा को सूचित किया गया, डब्ल्यूडीएफ व एनबीडीएफ की धनराशि निर्यातकों को वापस नहीं की जानी थी। इस प्रकार उपरोक्त लेखांकन नीति द्वारा एपीईडीए के कार्यों का सही व उचित प्रदर्शन नहीं किया गया। इस बिन्दु को वर्ष 2016-17 में भी उठाया गया था। तथापि, प्रबन्धन द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

## 24. राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास बुनियादी ढांचा परियोजना कार्यान्वयन सोसाईटी (एनएटीआईएस)

24.1 जनवरी 2016 से मार्च 2017 की अवधि के एनएटीआईएस के कर्मचारियों के वेतन के बकायों (भविष्य निधि में नियोक्ता के अंश को सम्मिलित करते हुए) के कारण चालू देयताओं और प्रावधानों में ₹1.28 करोड़ की न्यूनोक्ति की गई। वित्त मंत्रालय के कार्यालय जापन दिनांक 13 जनवरी 2017 जिससे, केन्द्र सरकार द्वारा पोषित/नियंत्रित स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को सीसीएस (आरपी) नियमों, 2016 के अनुसार, संशोधित वेतन मान दिया जाना वर्णित था तथा एनएटीआईएस द्वारा प्रस्तुत किए गए वेतन के बकायों के अभिकलन को वित्त मंत्रालय के दिनांक 16 मई 2017 के अनुमोदन के बावजूद इन्हें एनएटीआईएस की बहियों में वर्णित नहीं किया गया जबकि लेखे मार्च 2018 में अनुमोदित किए गए थे। इसके कारण परियोजना परिसंपत्तियों में भी ₹1.28 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।

24.2 आईसीएटी की विविध आय एवं आय पर व्यय की अधिकता में अत्युक्ति हुई तथा तीन वर्ष से अधिक समय से बही में बकाया उपभोक्ता खाते में अदावी क्रेडिट शेष, अदावी प्रतिपूर्ति जमा और अन्य अदावी धनराशि को बढ़े खातों में डालने के कारण अदावी निधि रिजर्व में ₹0.55 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। दिनांक 03 फरवरी 2011 के प्रबन्धन के निर्णय के अनुसार इस धन राशि की अदावी निधि रिजर्व के रूप में बुकिंग की जानी चाहिए थी जिसे निम्न स्थितियों में ही उपयोग/समायोजित किया जाना था;

- ग्राहक शेष एवं जमा का बढ़े खाते में डाला गया अशोध्य ऋण;
- उत्तरवर्ती उपभोक्ता दावा जिसे इस निधि में क्रेडिट किया गया था;
- जनहित में की गई विभिन्न कार्रवाई;

## 25. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी)

### 25.1 तुलन पत्र

#### चालू देयताएं एवं प्रावधान

उपरोक्त में सीईआरसी को आबंटित की गई अतिरिक्त जगह के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) द्वारा की गई मांग के लिए ₹2.62 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित नहीं है। इसके परिणामस्वरूप फुटकर लेनदारों की और उसी धनराशि से आय पर व्यय की अधिकता की न्यूनोक्ति हुई।

## 26. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), नई दिल्ली

### 26.1 राज्य विकास एजेन्सियों (एसडीए) द्वारा यूसी को जमा न कराना

बीईई ने “ऊर्जा के दक्षतापूर्वक प्रयोग व उसके संरक्षण पर एसडीए को सुदृढ़ बनाने की योजना” के अन्तर्गत एसडीए को वित्तीय सहायता प्रदान की है। वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान प्रदान की गई वर्ष-वार वित्तीय सहायता व उससे संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) इस प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष	प्रदान की गई वित्तीय सहायता (₹ लाख में)	प्राप्त किये गये उपयोगिता प्रमाणपत्र (₹ लाख में)	प्राप्त नहीं किए गए उपयोगिता प्रमाणपत्र (₹ लाख में)	प्राप्त किए गए उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्रतिशत
2013-14	2096.9	1278.7	818.2	60.98
2014-15	810.2	784.9	25.3	96.88
2015-16	930.5	732.3	198.2	78.70
2016-17	2436.0	1169.3	1266.7	48.00
2017-18	2261.0	186.80	2074.2	8.26
<b>योग</b>	<b>8534.6</b>	<b>4152</b>	<b>4382.6</b>	<b>48.65</b>

उपरोक्त तालिका में यह देखा जाता है कि सम्बन्धित एसडीए (यों) ने ₹43.83 करोड़ (अर्थात् प्रदान की गई वित्तीय सहायता का 51.35 प्रतिशत) की वित्तीय सहायता के सन्दर्भ में उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं किए हैं लेकिन यह तथ्य लेखाओं में वर्णित नहीं है यद्यपि बीईई ने इन्हें अनुदान के उपयोग के रूप में लेखांकित किया है।

## 27. राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई)

### 27.1 तुलनपत्र

समग्रनिधि: ₹260.39 करोड़

समग्र/पूँजीनिधि में अग्रणीत किया गया घाटा: (-)₹7.19 करोड़

समग्र निधि में ₹1.66 करोड़ के पूर्व अवधि व्यय, ₹0.41 करोड़ की पूर्व अवधि आय तथा ₹0.21 करोड़ के टीडीएस अन्तरण सम्मिलित है। लेखे के प्रारूप के अनुसार ऐसे आय और व्ययों को आय एवं व्यय खाते के माध्यम से प्रदर्शित किया जाना चाहिये। तथापि, इन आयों/व्ययों को सीधे समग्र निधि में ले जाया गया है। परिणामस्वरूप, वर्ष के घाटे में ₹1.46 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई है।

## 27.2 आय एवं व्यय खाता

वर्ष का घाटा: (-) ₹7.19 करोड़

चालू देयताएं एवं प्रावधान: ₹16.32 करोड़

उपरोक्त में सम्मिलित नहीं है:

- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को 2016-17 तथा 2017-18 के लिये देय लेखापरीक्षा शुल्क
- वर्ष 2017-18 हेतु ₹0.02 करोड़ के संपत्ति कर के लिए प्रावधान (एनपीटीआई, बदरपुर इकाई)

परिणामस्वरूप 'प्रावधानों' में तथा आय एवं व्यय खाता/समग्र निधि के घाटे में न्यूनोक्ति हुई।

## 27.3 प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

बैंक जमा और ऋण व अग्रिम आदि पर अर्जित किए गए ₹6.05 करोड़ के ब्याज को आय एवं व्यय खाते में दर्शाया गया तथा उसी धनराशि को प्राप्ति एवं भुगतान लेखे में भी दर्शाया गया था। प्राप्ति एवं भुगतान लेखे में दर्शाया गया अर्जित ब्याज गलत है जबतक कि प्रोद्भूत ब्याज को समायोजित नहीं किया जाता है।

**परिशिष्ट-VII**  
(पैरा 1.8(क) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जहाँ वर्ष 2017-18 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई

क्रम सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
2.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
3.	कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता
4.	कोलकाता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता
5.	दीनदयाल पत्तन न्यास, मुम्बई
6.	निर्यात निरीक्षण एजेंसी (उपलेखापरीक्षा), मुम्बई
7.	स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची
8.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली
9.	टी बोर्ड ऑफ इंडिया, कोलकाता
10.	तंबाकू बोर्ड, गुंटूर

परिशिष्ट-VIII

(पैरा 1.8(ख) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जहाँ (वर्ष 2017-18 के दौरान) अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया

क्रम सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली
2.	कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता
3.	पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप
4.	मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई
5.	निर्यात निरीक्षण एजेंसी (उपलेखापरीक्षा), मुम्बई
6.	तेल उद्योग विकास बोर्ड, मुम्बई
7.	चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई
8.	न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, मंगलोर
9.	स्पाइस बोर्ड, कोच्ची
10.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
11.	टी बोर्ड ऑफ इंडिया, कोलकाता

## परिशिष्ट-IX

(पैरा 1.8 (ग) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जहाँ वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन (वर्ष 2017-18 के दौरान) नहीं किया गया था

क्रम सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली
2.	कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता
3.	पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप
4.	स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची
5.	टी बोर्ड, कोलकाता

परिशिष्ट-X

(पैरा 1.8 (घ) में संदर्भित)

स्वायत्त निकाय जो वसूली/नकद आधार पर अनुदान के लिए लेखांकन कर रहे हैं

क्रम सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई
2.	चेन्नई पत्तन न्यास,चेन्नई
3.	न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, मंगलोर
4.	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचिन

## परिशिष्ट-XI

(पैरा 1.8 (इ) में संदर्भित)

स्वायत्त निकाय जिन्होंने बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का लेखांकन नहीं किया

क्रम सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता
2.	पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप
3.	कोलकाता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता
4.	राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, कोलकाता
5.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई
6.	चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई
7.	कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन
8.	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई
9.	रबड बोर्ड, चेन्नई
10.	स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची
11.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, चेन्नई
12.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता

परिशिष्ट-XII

(पैरा 1.8 (छ) में संदर्भित)

स्वायत्त निकाय जिन्होंने लेखापरीक्षा के परिणाम स्वरूप अपने खातों को संशोधन किया

क्रम सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	विशाखापट्टनम पत्तन न्यास, विशाखापट्टनम
2.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद
3.	वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास, तूतीकोरिन
4.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, चेन्नई
5.	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद

## परिशिष्ट-XIII

(पैरा 1.9 में संदर्भित)

30 नवम्बर 2018 तक बकाया अनुवर्ती कार्रवाई टिप्पणी की स्थिति

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के अंत तक की रिपोर्ट	मंत्रालय और स्वायत्त निकाय		
			देय	प्राप्त नहीं हुआ	पत्राचार के अंतर्गत
1.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	मार्च 2015 2016 की रिपोर्ट संख्या 11	1	-	1
2.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	मार्च 2016 2017 की रिपोर्ट संख्या 12	1	-	1
3.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	मार्च 2017 2018 की रिपोर्ट संख्या 4	1	-	1
4.	उर्जा मंत्रालय	मार्च 2017 2018 की रिपोर्ट संख्या 4	1	-	1
5.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	मार्च 2017 2018 की रिपोर्ट संख्या 4	1	-	1
6.	पोत परिवहन मंत्रालय	मार्च 2017 2018 की रिपोर्ट संख्या 4	1	-	1
<b>कुल</b>			<b>6</b>	<b>-</b>	<b>6</b>

अनुलग्नक-1

(पैरा 2.1.1में संदर्भित)

2007-08 से 2017-18 तक संस्वीकृत अनुदान, निर्गत तथा प्रत्येक नाइपर द्वारा व्यय दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ लाख में)

नाइपर का नाम	वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
अहमदाबाद	संस्वीकृत	200	250	300	278	300	500	679	450	1776	1813	2296
	निर्गत	200	250	300	278	300	500	679	450	1776	1813	2296
	व्यय	100	295	322	288	312	434	456	519	1884	1938	2169
गुवाहटी	संस्वीकृत	0	100	1065	100	0	522	288	391	2100	2627	5200
	निर्गत	0	100	1065	100	0	522	288	391	2100	2627	5200
	व्यय	0	77	158	179	277	1061	373	418	2067	2668	4582
हाजीपुर	संस्वीकृत	0	0	0	0	0	45	370	400	600	600	600
	निर्गत	220	275	715	100	0	45	350	400	600	500	500
	व्यय	140	312	221	240	256	260	403	416	503	511	515
हैदराबाद	संस्वीकृत	350	2218	508	585	810	2030	2300	1417	3500	3500	3000
	निर्गत	350	2218	508	585	810	2030	2300	1417	3500	3500	3000
	व्यय	130	2215	473	584	735	2082	2245	1539	3511	3564	2730
कोलकाता	संस्वीकृत	200	148	300	160	350	450	500	450	630	800	1150
	निर्गत	150	150	348	160	309	175	441	438	630	800	1150
	व्यय	107	205	308	282	246	278	315	354	525	614	1125
मोहाली	संस्वीकृत	एनए	1739	2123	2064	2477	2282	1920	2087	2748	2748	2831
	निर्गत	एनए	1739	2123	2064	2477	2282	1920	2087	2748	2748	2831
	व्यय	एनए	1979	2668	2447	2883	3010	3353	3113	4089	3952	3913
रायबरेली	संस्वीकृत	0	0	0	0	650	450	450	445	700	700	850
	निर्गत	0	250	280	428	300	350	450	445	550	625	950
	व्यय	0	194	399	348	360	375	320	395	590	525	897
कुल योग	संस्वीकृत	750	4455	4296	3179	4587	6279	6507	5640	12054	12788	15927
	निर्गत	920	4982	5339	3707	4196	5904	6428	5628	11904	12613	15927
	व्यय	477	5277	4549	4368	5069	7500	7465	6754	13169	13772	15931

## अनुलग्नक-II

(पैरा 4.1.6.1 (ग) में संदर्भित)

परियोजनाओं के संदर्भ में दी गई वित्तीय सहायता जिसके लिए एसआरपी का गठन नहीं किया गया।

(रु करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की अनुमानित लागत	संस्वीकृत ऋण	वित्तीय वर्ष में वित्तरित राशि
1.	हरियाणा (एसआरपी अभी तक लंबित)	2012-13	10	869.53	623.36	335.73
2.		2013-14	-	-	-	353.44
3.		2014-15	-	-	-	186.97
4.		2015-16	10	1607.49	1238.97	165.14
5.		2016-17	-	-	-	521.65
<b>योग (i)</b>						<b>1562.93</b>
6.	राजस्थान	2012-13				61.75
7.	(एसआरपी) 10	2013-14	5	278.27	208.7	2.00
8.	नवम्बर 2015	2014-15				1.69
9.	को प्रकाशित	2015-16				0
10.		2016-17				0
<b>योग (ii)</b>						<b>65.44</b>
11.	जीएनसीटीडी	2012-13				0
12.	(जिसमें	2013-14	1	101.65	76.24	0
13.	एसआरपी तैयार	2014-15				20.00
14.	नहीं किया गया	2015-16				0
15.	है)	2016-17				0
<b>योग (iii)</b>						<b>20.00</b>
<b>कुल योग (i+ii+iii)</b>						<b>1648.37</b>

**अनुलग्नक-III**  
**{अनुच्छेद 4.1.6.1 (ज) में संदर्भित}**  
**लेखापरीक्षा परिणाम का ब्यौरा**

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कर्ज सहयोग/अनमोदित दिनांक	जारी कर्ज/दिनांक	कर्ज की प्रतिबंध व शर्तें	लेखापरीक्षा अवलोकन	मंत्रालय/बोर्ड का जवाब (जनवरी 2018/नवंबर 2017)	लेखापरीक्षा की अतिरिक्त टिप्पणी
<b>कर्ज स्वीकृति पत्र के प्रतिबंध व शर्तों को पूर्ण किये विना कर्ज को जारी करना</b>							
1.	जिला मेवात, हरियाणा में शैक्षणिक अस्पताल संग चिकित्सा कालेज के निर्माण की परियोजना	₹239.18 करोड़/09 जून 2009	₹113.33 करोड़/18 नवंबर 2010	योजनाओं के निर्माण, भूमि उपयोग परिवर्तन बजट स्वीकृति पत्र, पर्यावरण अनुमति इत्यादि के अधीन कर्ज स्वीकृत किया गया।	लेखापरीक्षा ने बोर्ड अधिकारियों द्वारा की गई साइट यात्रा (नवंबर 2010) के समय पर लेखापरीक्षा ने यह अवलोकन किया गया कि पर्यावरण अनुमति व भूमि उपयोग के परिवर्तन आदि अवलंबित थे। फिर भी बोर्ड अधिकारियों ने (18 नवंबर 2010) को राज्य सरकार को 113.33 करोड़ रुपये के कर्ज जारी किए। परियोजना 21 मई 2015 को पूरी हुई और अब प्रचालित है।	बोर्ड/मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि बोर्ड द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि अंतिम कर्ज की किश्त को जारी करने से पहले कर्ज सहयोग के सभी प्रतिबंध व शर्तों का मिलान किया जाएगा। फिर भी परियोजना की जरूरत के अनुसार परियोजना की निर्विघ्न कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एंजेसी को सुचारु सहयोग दिया जाएगा।	बोर्ड व मंत्रालय का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि बोर्ड ने कर्ज की किश्त के आवंटन से पहले, स्वीकृति पत्र के प्रतिबंध व शर्तों का मिलान सुनिश्चित नहीं किया।

2.	उत्तर प्रदेश में हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण (एचपीडीए) द्वारा हापुड़ में आनंद विहार आवासीय गृह योजना	₹133.80 करोड़	₹50करोड़ (अगस्त 2008 व मार्च 2009 के दौरान ₹37.50 करोड़ व ₹12.50 करोड़ की क्रमशः दो किश्ते जारी की गई)	पीएसएमजी ने कहा कि आवासीय योजना के लिए पानी आपूर्ति, जल निकास इत्यादि का मूलभूत ढाँचा सुनिश्चित समापन व लक्ष्य के समकालिक व समापन के साथ होना चाहिए।	लेखापरीक्षा ने देखा कि एचपीडीए ने एसटीपी का निर्माण नहीं किया और एचपीडीए ने सुझाव दिया कि आनंद विहार आवासीय योजना के स्त्राव को पश्चिमी छोर की तरफ बहने वाले बड़े नाले से जोड़ दिया जाएगा। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के खिलाफ था, जिसमें कहा गया था कि किसी भी घरेलू और औद्योगिक कचरे के शोधन से पहले भूमि या जल निकायों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अतः ऋण की संवितरण और उपयोग के समय बोर्ड द्वारा पीएसएमजी के निर्देशों का पालन नहीं किया गया।	बोर्ड ने कहा कि बोर्ड (30 दिसंबर 2015) ने एचडीपीए से निवेदन किया है कि परियोजना क्षेत्र में जल निकास की उपचार के संबंध में तुरंत कार्रवाई करें और एसटीपी के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता पर शुरू करें।	बोर्ड का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि डीपीआर के अनुसार उसमें एसटीपी के निर्माण के लिए एक प्रावधान था और पीएसएमजी ने अपने 40वें मीटिंग में एसटीपी के निर्माण पर भी जोर दिया, फिर भी परियोजना के समापन के तीन साल बाद भी एसटीपी का निर्माण नहीं हो पाया। परन्तु बोर्ड द्वारा इस मुद्दे को आईए के साथ दिसम्बर 2015 से नहीं उठाया गया।
----	--	---------------	--	--	---	--	--

आईए को भूमि की अनुपलब्धता के बावजूद भी कर्ज का अनुदान							
3.	राजस्थान में अलवर जल आपूर्ति सुधार परियोजना	₹131.14 करोड़/19 नवंबर 2013	₹51 करोड़/30 सितंबर 2016	--	<p>बोर्ड ने (30 सितंबर 2016) को बोर्ड के अधिकारियों के भौतिक व वित्तीय सत्यापन के स्वरूप (23 सितंबर 2016) ₹43.72 करोड़ की लोन की द्वितीय किश्त जारी कर दी। लेखापरीक्षा ने देखा कि (30 मार्च 2017) कि पीएचडी अलवर नगर के अधीन छः स्थानों पर निर्माण कार्य आरंभ करने में सक्षम नहीं था जहाँ कि भूमि अभी भी यूआईटी द्वारा पीएचडी, राजस्थान को स्थानांतरित नहीं हुई। वास्तव में, ऋण जारी करने से पहले, बोर्ड ने आईए के अधिकार क्षेत्र में अपेक्षित भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित नहीं किया। परियोजना के भौतिक सत्यापन के दौरान भी, बोर्ड</p>	<p>बोर्ड ने अपने जवाब में कहा कि इस परियोजना में एक सरकारी संस्था से दूसरी में भूमि का हस्तांतरण शामिल था। आईए ने पुष्टि की कि जल्दी ही बचे हुए दो स्थलों को भी निपटाए जाने की आशा है।</p>	<p>बोर्ड और मंत्रालय का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि अनुमोदन के पाँच वर्ष के बीत जाने के बावजूद भी, अपेक्षित भूमि आईए के अधिपत्य में नहीं है। परियोजना अभी भी उन्नति पर है (जून 2019)</p>

					यह आकलन और सुनिश्चित करने में असमर्थ था कि भूमि आईए के कब्जे में है।		
4.	हरियाणा में नलहार चिकित्सा कॉलेज तथा नुह टाऊन के लिए जल आपूर्ति योजना	₹79.21 करोड़/04 अगस्त 2011	₹90.13 करोड़/30 सितम्बर 2016 तक	भूमि हरियाणा सरकार के कब्जे में होनी चाहिए और वैधानिक मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए	लेखापरीक्षा ने यह देखा की बोर्ड ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि क्या ₹90.13 करोड़ का ऋण किस्त जारी करने से पहले भूमि कार्यान्वयन एजेंसी के कब्जे में थी। असल में 02 फरवरी 2017 तक, 20 एकड़ की अपेक्षित भूमि में से केवल 14.50 एकड़ का अधिग्रहण किया गया था। हालांकि अपेक्षित अनुमोदन लंबित थे, बोर्ड ने (30 सितंबर 2016) बोर्ड के अधिकारियों द्वारा आयोजित भौतिक और वित्तीय सत्यापन की सिफारिश (23 सितंबर 2016) पर ₹22 करोड़ की तीसरी किस्त जारी की	बोर्ड ने अपने पहले उत्तर में कहा था (अक्टूबर 2017) कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में देरी उप परियोजना के भूमि अधिग्रहण के लिए नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम (एलएए) 2013 के आवेदन पर अस्पष्टता के कारण हुई।	बोर्ड का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2011 में ऋण अगस्त 2014 में पूरा किया जाने के लिए, इस शर्त के साथ दिया गया था कि भूमि कब्जे में थी, इसके बाद किस्तों को भूमि के कब्जे को सुनिश्चित किए बिना जारी किया गया। परियोजना अभी भी प्रगति पर है (जून 2019)

वित्तीय हितों की रक्षा के लिए समझौते/प्रासंगिक खंडों का अभाव							
5.	हरियाणा राज्य में रेवाड़ी कोट कासिम रोड़ एनएच-8 तक, शांजहांपुर, रेवाड़ी नरनाल रोड 6 किमी. तक (एसएच 26) रेवाड़ी मोहिंदर नगर रोड़, रेवाड़ी दादरी रोड़ प्रस्तावित बाई पास तक चार लेन बनाने के माध्यम से सुधार	₹79.55 करोड़/नवंबर 2008	₹67.55 करोड़/3 जुलाई 2009	परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तिथि नवंबर 2010 थी।	बोर्ड द्वारा वितरित ऋण परियोजना की प्रगति से जुड़ा नहीं था तथा परियोजना में देरी के लिए कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं था। परियोजना के पूरा होने में पाँच साल की देरी थी। परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तिथि नवंबर 2010 थी तथा परियोजना के पूरा होने की वास्तविक तिथि 10 फरवरी 2016 थी। परियोजना को पूरा करने में भारी देरी के बावजूद बोर्ड ने (31 मार्च	मंत्रालय/बोर्ड ने यह जवाब दिया कि मंजूरी पत्र में जुर्माना लगाने का कोई प्रावधान नहीं था क्योंकि परियोजनाएं जोकि बोर्ड द्वारा वित्तपोषित हैं वह जनकल्याण उन्मुख हैं। परियोजना के दौरान होने वाली देरी कुछ व्यावहारिक मुद्दों के कारण होती है जो कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न हो सकती है।	मंत्रालय तथा बोर्ड का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोर्ड ने अपने पहले जवाब में पुष्टि की कि कार्यान्वयन एजेंसी के अनुबंध के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करके कार्य का निष्पादन रोक दिया, जिसके कारण काम में देरी हुई। परियोजना को पूरा करने में भारी देरी के बावजूद बोर्ड ने (31 मार्च 2016) को ₹4.22 करोड़ की अंतिम किस्त जारी की।

					2016) में ₹4.22 करोड़ की अंतिम किस्त जारी की।		
6.	सराय काले खाँ तथा आनंद विहार पर मल्टी मोडल ट्रांजिट सेंटर (एमएमटीसी) परियोजनाएँ	--	₹69.96 लाख प्रतिबद्धता शुल्क के रूप में/31 जनवरी 2013	परिवहन विभाग, दिल्ली के अनुरोध पर सराय काले खाँ तथा आनंद विहार पर मल्टी मोडल ट्रांजिट सेंटर परियोजनाएं। इन परियोजनाओं को विभिन्न संबंधित प्राधिकारियों द्वारा भूमि उपयोग में परिवर्तन	एडीबी की शर्तों के अनुसार, प्रतिबद्धता शुल्क असंवितरित ऋण राशि पर लगाया जाता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रतिबद्धता शुल्क के भुगतान के बारे में बोर्ड ने जीएनसीटीडी के साथ कोई समझौता नहीं किया था, जिसके फलस्वरूप, जीएनसीटीडी के परिवहन विभाग की गैर स्टार्टर परियोजनाओं के कारण जीएनसीटीडी की ओर से, बोर्ड ने	मंत्रालय/बोर्ड ने अपने जवाब में यह कहा कि मामला विचाराधीन है और नियमित अनुवर्ती कार्यवाही चल रही है ताकि जीएनसीटीडी से उक्त प्रतिबद्धता शुल्क की वसूली सुनिश्चित हो सके।	मंत्रालय तथा बोर्ड का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पाँच साल से अधिक का समय बीतने के बावजूद, बोर्ड जीएनसीटीडी से बकाया राशि वसूलने में असमर्थ था। बोर्ड का जवाब निर्माण योजना की भूमि के उपयोग के परिवर्तन और मंजूरी सुनिश्चित किए बिना ऋण के अनुमोदन पर मौन था।

				और भवन योजनाओं की मंजूरी के बिना बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।	(31 जनवरी 2013) ₹69.96 लाख का प्रतिबद्धता शुल्क भुगतान किया।		
<b>आरपी 2021 के किसी भी तत्व के तहत परियोजना का वित्तपोषण शामिल नहीं होना</b>							
7.	कड़कड़ूमा औद्योगिक क्षेत्र, शाहदरा दक्षिण, एनसीटीडी में बहुमंजलीय कार्यालय इमारत का निर्माण	₹76.24 करोड़/30 दिसंबर 2013	₹20 करोड़/02 सितंबर 2014	परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तिथि सितंबर 2016 थी।	लेखापरीक्षा ने पाया की अप्रैल 2017 तक उक्त कार्य को ना तो आबंटित किया गया ना ही शुरू किया गया। कार्य को अक्टूबर 2017 में आबंटित किया गया। एक नागरिक एजेंसी के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए धन आरपी 2021	मंत्रालय/बोर्ड ने अपने जवाब में कहा कि परियोजना पर निम्नलिखित आधार पर वित्तीय सहायता के लिए विचार किया गया है:- 1. शहर के केन्द्रीय व्यापार जिले में प्रस्तावित पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के	मंत्रालय तथा बोर्ड का जवाब स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि कार्यालय निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना आर.पी. 2021 के किसी भी तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। परियोजना अभी भी जारी है। (जून 2019)

				के विभिन्न तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है।	कार्यालय परिसर के निर्माण की साइट एमपीडी-2021 के शहरी क्षेत्र के भीतर आती है। 2. एनसीआरपीवी अधिनियम 7(ई) तथा 8 (ई) के अनुसार बोर्ड एनसीआर और सीएमए में बुनियादी ढाँचा विकास परियोजनाओं के लिए घटक राज्यों और उनकी कार्यान्वयन एंजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।	
--	--	--	--	---	---	--

**अनुलग्नक -IV**  
(पैरा 4.2.3 में संदर्भित)

अतिरिक्त मदों की विवरणी जो कि मुख्य समझौते में शामिल नहीं की गई

क्रम संख्या	प्रस्तुत अतिरिक्त मदों का ब्योरा	प्रस्तुत मात्रा	दर्शाई गई दर	अदा की गई मात्रा (₹ लाख में)	सीपीडब्लूडी द्वारा दिए गए तर्क	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1.	प्लस्टर वाली दिवार की सतह पर सफेद सीमेंट मिली पुट्टी जिसकी औसत मोटाई 1 मि.मी हो, मुहैया व प्रयोग कराना ताकि सतह समतल व एक समान पूरी हो।	74,872.99 वर्ग मीटर	86.20 प्रति वर्ग मीटर	64.54	सभी मकानों की आंतरिक दीवारों व छतों की तह में सीमेंट मिली पुट्टी लगाना, आवश्यक है और यह ग्राहक विभाग की तरफ से भी जरूरी बताया गया है।	मुख्य रूप से 184 आवासीय मकानों के निर्माण का यह कार्य था और सफेद सीमेंट की पुट्टी ऐसे कार्य में मूलभूत आवश्यकता थी। सीपीडब्लूडी ने विस्तृत आकलन व एनआईटी स्वीकृत करने के समय में इस बात को महत्व नहीं दिया और इस कार्य को एक अतिरिक्त मद के बतौर पूर्ण किया।

2.	सभी फर्श सतहों पर विभिन्न व्यासों के पाइपों को लगाने की आवश्यकता व प्रभारी के निर्देशानुसार मूठ कटिंग मशीन व औजारों का प्रयोग करते हुए आरसीसी दीवारों, फर्श व छतों की पट्टिया पर कोर कटिंग देना। (अ) स्थल की आवश्यकतानुसार व्यास व गहराई का 100 से 150 मिमी.	1065 मी.	1017.09 प्रति मीटर	10.83	इस मद को तकनीकी रूप से दीवारों में छेद/आरसीसी स्लैब आदि के आवश्यक माना जाता है।	इस तरह के मद को शामिल न करना यह दर्शाता है कि परियोजना की आवश्यकता के पूर्ण संज्ञान के साथ विस्तृत आंकलन तैयार नहीं किया गया था।
3.	खिड़कियों में आवश्यक पैटर्न के फ्रेम के अनुरूप एमएस गिल गढ़ना और लगाना, साथ ही स्वीकृत स्टील प्राइमर के साथ एमएस फ्लैट्स स्क्वायर या राउंड बार सहित।	44,424.91 किलो ग्राम	115.25 प्रति किलो ग्राम	51.20	सभी बकाया मदों के आकलन में जो कार्य समापन के लिए स्थल पर कार्यान्वयन के लिए जरूरी थे, इस मद को भी लिया गया लेकिन हर फर्श पर ढाँचे की आवश्यकता होने के कारण दूसरी एजेसियों से	विस्तृत आकलन/ एनआईटी की स्वीकृति के समय सभी जरूरी मदों पर विचार नहीं किया गया और सीपीडब्लूडी द्वारा इस मद को ध्यान नहीं दिया गया। यदि इस मद को विस्तृत आकलन/ एनआईटी में शामिल किया गया होता तो बाजार भाव

					इस मद को कार्यान्वित करना यह बहुत ही मुश्किल है	अदायगी से बचा जा सकता था।
4.	सामने की दीवार पर बिना प्लास्टिक कठोर पीवीसी रेनवाटर पाइप जो आईएस 13592 टाइप (ए) के समरूप है का देना व लगाना और जिसमें 10 मि.मी. के ऊष्मा प्रसार के लिए जगह छोड़कर सील रिंग जो आईएस: 5382 के समरूप है, जोड़ना शामिल है (ए) सिंगल सॉकेट पाइप 75 मि.मी. ब्यास	787.28 मीटर	141.25 प्रति मीटर	1.11	एडीजी सीपीडब्लूडी के स्थल निरीक्षण के दौरान ये बात रखी गई कि पानी निकासी के लिए बालकनी में 75 मि.मी. ब्यास के पीवीसी पाइप लगाए जाए। इस प्रकार समझौते में इसका कोई प्रावधान नहीं है। अतः यह अतिरिक्त मद के रूप में किया गया।	लेखापरीक्षा का यह मत है कि बालकनी से पानी निकास करवाना, निर्माण का एक मूलभूत व आवश्यक मद है, जो सीपीडब्लूडी ने विस्तृत आंकलन बनवाते समय नहीं देखा।
5.	प्रभारी के निर्देशानुसार कील आदि के साथ शीशे के पल्ले 4 मि.मी. मोटे फ्लोर ग्लास का मुहैया कराना व लगाना।	364.51 वर्ग मी.	655.91 प्रति वर्ग मीटर	2.39	सभी ब्लकों में कूलर व एसी के प्रावधान के लिए खिड़कियों के खोलने में मद की जरूरत है। मद को समझौते में नहीं लिया गया अतः अतिरिक्त माना जाए।	यह प्रावधान खिड़की का अभिन्न हिस्सा था और सीपीडब्लूडी ने चूक कर दी, परिणामस्वरूप अतिरिक्त मद में लिया गया।

6.	बाहरी दिवारों के प्लस्तर के लिए जमीन सतह से 10 मी. से अधिक की ऊँचाई के ऊपर प्रत्येक 3 मी. या उससे ऊपर की अतिरिक्त ऊँचाई	10,041.52 वर्ग मीटर	39.11 प्रति वर्ग मीटर	3.93	लिफ्ट शाफ्ट के प्लस्तर के लिए मद की आवश्यकता थी परंतु मद समझौते के अन्तर्गत नहीं लिया गया।	लिफ्ट शाफ्ट में प्लस्तर आवश्यक था किंतु सीपीडब्लूडी द्वारा चूक गया।
<b>कुल</b>				<b>(₹134.00 लाख अथवा ₹1.34 करोड़</b>		

## अनुलग्नक-V

(पैरा 4.4 में संदर्भित)

अप्रैल 2007 से मार्च 2018 की अवधि के दौरान परिहार्य व्यय

क्रम स.	विवरण	मिंटो रोड मुद्रणालय	मायापुरी मुद्रणालय
1.	ली गई अनुबंधित मांग	1000 केवीए	802 केवीए
2.	आवश्यक अधिकतम अनुबंधित मांग	350 केवीए	400 केवीए
3.	शेष अप्रयुक्त अनुबंधित मांग	650 केवीए	402 केवीए
4.	दर प्रति केवीए: (i) अप्रैल 2007 से अगस्त 2011 (53 महीने) (ii) सितंबर 2011 से अगस्त 2017 (72 महीने) (iii) सितंबर 2017 से मार्च 2018 (7 महीने)	₹150/केवीए ₹125/केवीए ₹130/केवीए	₹150/केवीए ₹125/केवीए ₹130/केवीए
5.	परिहार्य नकद हानि: (i) ₹150 x 53 महीने x 650 केवीए = ₹51,67,500 (ii) ₹125 x 72 महीने x 650 केवीए = ₹58,50,000 (iii) ₹130 x 07 महीने x 650 केवीए = ₹5,91,500  (i) ₹150 x 53 महीने x 402 केवीए = ₹31,95,900 (ii) ₹125 x 72 महीने x 402 केवीए = ₹36,18,000 (iii) ₹130 x 07 महीने x 402 केवीए = ₹3,65,820	₹1,166,09,000	₹71,79,720
	<b>कुल</b>	<b>₹1,87,88,720</b>	

कुल परिहार्य नकद हानि ₹1,87,88,720 अथवा ₹1.88 करोड़

## अनुलग्नक-VI

(पैरा 4.5.1 में संदर्भित)

2014-15 की समाप्ति पर बकाया मुद्रण प्रभारों तथा उनके सापेक्ष में 2015-16 तथा 2016-17 में वसूली का वर्ष-वार विवरण दर्शाने वाली विवरणी

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	वर्ष	वर्ष 2014-15 के अंत में बकाया शेष	2016-17 के अंत में बकाया शेष	2014-15 के अंत में बकाया देय, जो 2015-16 एवं 2016-17 में प्राप्त हुए	2017-18 के अंत में बकाया शेष
1.	1976-77 से 1989-90	2,05,41,981	2,05,41,981	0	2,05,41,981
2.	1990-91	2,53,789	2,53,789	0	2,53,789
3.	1991-92	17,02,646	17,02,646	0	17,02,646
4.	1992-93	31,28,706	31,28,706	0	31,28,706
5.	1993-94	28,48,869	28,48,869	0	28,48,869
6.	1994-95	11,06,703	11,06,703	0	11,06,703
7.	1995-96	7,50,990	7,50,990	0	7,50,990
8.	1996-97	35,58,056	35,58,056	0	35,58,056
9.	1997-98	61,01,292	61,01,292	0	60,97,578
10.	1998-99	35,78,687	35,78,687	0	35,78,687
11.	1999-2000	39,58,765	39,58,765	0	39,58,765
12.	2000-01	59,29,416	59,29,416	0	59,29,416
13.	2001-02	1,75,49,573	1,75,47,024	2,549	1,75,47,024
14.	2002-03	61,10,899	61,10,899	0	61,10,899
15.	2003-04	42,66,431	42,66,431	0	42,66,431
16.	2004-05	34,28,078	34,20,459	7,619	32,75,184
17.	2005-06	62,13,323	51,22,280	10,91,043	51,22,280
18.	2006-07	67,47,091	60,22,476	7,24,615	60,22,476
19.	2007-08	1,10,81,761	1,06,98,249	3,83,512	1,06,98,249
20.	2008-09	1,01,53,758	94,61,610	6,92,148	94,61,610
21.	2009-10	60,12,478	59,25,065	87,413	58,72,418
22.	2010-11	30,91,945	29,50,703	1,41,242	29,50,703
23.	2011-12	1,05,33,280	1,00,90,849	4,42,431	1,00,38,516

2020 की प्रतिवेदन सं. 3

24.	2012-13	1,67,78,741	1,66,43,740	1,35,001	1,66,43,740
25.	2013-14	30,25,22,050	6,92,86,112	23,32,35,938	5,26,33,972
26.	2014-15	44,06,02,993	28,70,17,969	15,35,85,024	14,93,59,963
27.	2015-16	लागू नहीं	28,49,04,111	लागू नहीं	28,29,45,798
28.	2016-17	लागू नहीं	17,25,33,917	लागू नहीं	10,32,56,708
29.	2017-18	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	20,77,54,368
	<b>कुल</b>	<b>89,85,52,301</b>	<b>96,54,61,794</b>		<b>94,74,16,525</b>

## अनुलग्नक-VII

(पैरा 4.5.4 में संदर्भित)

2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के अंत में मुद्रण प्रभारों की बकाया वसूलियों का संगठन-वार विवरण

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग या संगठन का नाम जिनसे मुद्रण प्रभार की वसूली की जानी थी	31.03.15 को बकाया शेष	31.03.16 को बकाया शेष	31.03.17 को बकाया शेष	31.03.18 को बकाया शेष
1.	कृषि	1,49,73,144	1,41,76,098	1,49,13,262	1,59,28,472
2.	परमाणु ऊर्जा	0	0	1,04,017	1,16,757
3.	आयुष	0	0	2,76,093	3,36,479
4.	बीएसएनएल	9,41,030	9,41,030	9,84,115	9,84,115
5.	भारतीय मानक ब्यूरो	63,653	63,653	1,40,176	3,20,283
6.	कैबिनेट सचिवालय	1,55,973	3,09,660	1,90,510	2,24,388
7.	रसायन एवं उर्वरक	1,27,149	3,26,585	7,15,801	11,94,951
8.	नागर विमानन	3,59,521	4,56,888	7,20,239	11,07,972
9.	नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले एवं लोक वितरण	2,350	2,350	2,350	2,350
10.	कोयला एवं खान	1,60,860	2,19,637	3,29,156	11,67,712
11.	वाणिज्य एवं उद्योग	56,94,913	39,42,732	65,92,100	1,51,73,061
12.	संचार एवं	56,83,488	47,99,327	55,73,767	58,82,281

2020 की प्रतिवेदन सं. 3

	सूचना प्रौद्योगिकी				
13.	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	2,06,857	3,16,539	5,28,097	15,49,958
14.	कॉरपोरेट मामले	69,916	1,35,623	6,68,126	30,72,706
15.	संस्कृति	2,04,868	1,05,434	5,31,737	8,08,541
16.	रक्षा	9,65,18,835	11,30,40,549	10,99,18,995	12,29,87,466
17.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास	0	0	1,30,034	1,30,034
18.	पेय जल एवं स्वच्छता	1,19,151	51,375	2,41,353	2,25,486
19.	पृथ्वी विज्ञान	0	0	1,06,821	1,14,405
20.	भारत का चुनाव आयोग	0	0	2,23,901	9,78,659
21.	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी	0	0	1,38,904	1,38,904
22.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	32,62,638	36,80,918	1,15,10,214	1,79,47,550
23.	विदेश मंत्रालय	4,03,201	4,84,182	6,90,093	13,17,816
24.	परिवार न्यायालय	0	0	2,12,013	2,12,013
25.	वित्त	1,15,74,211	1,18,01,048	2,40,49,758	3,23,33,270
26.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	50,282	50,282	50,282	50,282
27.	खाद्य एवं उपभोक्ता मामले	3,099	3,099	3,099	3,099
28.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	7,16,070	5,53,550	3,20,230	2,28,712

29.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	97,02,560	1,01,66,604	1,77,64,191	1,92,64,668
30.	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम	6,20,493	7,10,357	9,49,422	8,66,381
31.	गृह मंत्रालय	2,22,66,147	2,08,58,350	2,76,92,755	6,88,37,457
32.	आवासन एवं शहरी गरीबी उन्मूलन	0	0	96,349	10,96,415
33.	मानव संसाधन विकास	3,30,98,623	3,40,68,467	3,57,80,279	4,23,27,406
34.	उद्योग	25,129	25,129	25,129	25,129
35.	सूचना एवं प्रसारण	3,60,631	2,93,630	4,95,931	3,31,589
36.	श्रम	13,767	13,767	13,767	13,767
37.	श्रम एवं रोजगार	10,64,340	3,91,180	11,60,188	38,19,631
38.	न्याय एवं विधि	24,64,568	26,97,006	24,89,190	30,50,178
39.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	57,191	1,59,015	1,90,448	8,75,757
40.	खान	1,00,72,833	13,35,514	7,13,538	6,76,029
41.	अल्पसंख्यक मंत्रालय	0	0	2,56,871	2,88,725
42.	एनसीटीडी (दिल्ली गजट)	48,49,926	12,54,733	66,66,003	56,15,753
43.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1,78,29,259	1,52,45,679	4,65,76,176	4,44,92,266
44.	नवीन और नवीकरणीय उर्जा	0	96,875	1,16,528	1,20,054
45.	गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	5,05,937	5,05,937	5,05,937	5,05,937
46.	प्रवासी भारतीय मामले	37,640	0	0	0

2020 की प्रतिवेदन सं. 3

47.	संसदीय मामले	6,838	6,838	66,986	1,47,651
48.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन	53,49,542	53,99,685	48,19,733	59,28,094
49.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	4,67,322	5,44,418	52,90,414	87,81,359
50.	योजना (नीति) आयोग	1,31,078	1,31,078	97,112	97,112
51.	विद्युत	55,055	93,004	3,44,824	6,34,433
52.	राष्ट्रपति का सचिवालय	0	0	10,578	73,655
53.	पंचायती राज	0	0	44,711	44,711
54.	रेलवे	35,81,191	30,76,957	1,39,12,197	1,01,14,163
55.	ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार	19,857	19,857	19,857	19,857
56.	ग्रामीण विकास	25,72,111	25,04,016	27,83,615	28,85,702
57.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3,53,036	3,53,036	5,64,374	3,67,938
58.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	16,20,202	15,46,164	3,04,43,406	5,53,50,287
59.	पोत परिवहन	0	0	5,53,258	8,33,109
60.	कौशल विकास एवं उद्यमिता	0	84,650	3,25,366	3,52,875
61.	लघु उद्योग	27,203	27,203	27,203	27,203
62.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	3,35,654	59,517	7,30,659	10,94,250
63.	अंतरिक्ष	0	0	1,27,775	1,39,151
64.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन	16,83,750	14,66,555	12,12,790	11,36,600
65.	इस्पात एवं खान	87,396	29,935	78,970	1,38,080
66.	आपूर्ति एवं पुनर्वास	28,143	28,143	28,143	28,143

67.	सर्वोच्च न्यायालय	0	0	7,052	19,393
68.	भूतल परिवहन	2,940	2,940	2,940	2,940
69.	वस्त्र	1,75,414	2,12,677	67,8,354	9,01,669
70.	तीस हजारी न्यायालय	4,20,275	3,83,511	42,84,942	25,26,533
71.	पर्यटन एवं संस्कृति	2,63,075	2,63,075	4,45,015	3,65,503
72.	आदिवासी मामले	2,73,723	4,48,870	4,26,774	4,26,774
73.	शहरी विकास (प्रकाशन नियंत्रक)	62,65,78,838	67,25,31,722	56,44,59,943	42,49,12,399
74.	संघ लोक सेवा आयोग	35,15,311	12,18,368	30,59,142	30,59,142
75.	शहरी विकास	60,50,286	66,88,856	75,47,442	79,54,677
76.	जल संसाधन	1,72,408	1,89,945	5,94,309	8,16,670
77.	कल्याण	2,45,563	2,45,563	2,45,563	2,45,563
78.	महिला एवं बाल विकास	2,64,011	59,805	6,07,457	7,26,874
79.	युवा मामले एवं खेल	11,826	1,99,477	2,62,945	5,19,151
	<b>कुल योग</b>	<b>89,85,52,301</b>	<b>94,10,98,667</b>	<b>96,54,61,794</b>	<b>94,74,16,525</b>

**अनुलग्नक-VIII**  
(पैरा 4.5.4 में संदर्भित)  
जीएनसीटीडी से बकाया मुद्रण प्रभारों का वर्ष-वार विवरण

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	वर्ष	एनसीटीडी (दिल्ली गजट)	एनसीटीडी
1.	1976-77 से 1989-90	0	31,20,469
2.	1990-91 से 1999-2000	4,26,036	13,48,110
3.	2000-01 से 2009-10	3,89,725	55,86,130
4.	2010-11	10,473	0
5.	2011-12	0	3,09,256
6.	2012-13	11,024	0
7.	2013-14	0	9,57,877
8.	2014-15	0	5,11,299
9.	2015-16	0	2,85,221
10.	2016-17	13,24,280	78,04,035
11.	2017-18	34,54,215	2,45,69,869
	<b>31 मार्च 2018 को कुल देय</b>	<b>56,15,753</b>	<b>4,44,92,266</b>

## अनुलग्नक-IX

(पैरा 4.9 में संदर्भित)

## लेखापरीक्षा और डीडीए द्वारा दुरुपयोग प्रभार की गणना

ब्योरा	नीति के अनुसार फार्मुला	अभियुक्तियाँ
डीडीए के रिकार्ड में उपलब्ध ₹6.24 लाख की गणना	<p>आधारभूत दर X दुरुपयोग तहत कुल क्षेत्र वर्ग मीटर में X समय कारक X ऐतिहासिक कारक</p> <p>₹11,200 X 181.86 वर्ग मीटर 1.5 X 0.5 = ₹15,27,624</p> <p>1 जनवरी 1983 से 31 दिसम्बर 1989 (72 माह)</p> <p>दुरुपयोग प्रभार = ₹15,27,624/210 X 72 = ₹5,23,757 ----- (i)</p> <p>1 जनवरी 1990 से 5 जुलाई 2000 (138 माह)</p> <p>दुरुपयोग प्रभार = ₹15,27,624/210 X 138 = ₹10,03,867 ----- (ii)</p> <p>(ii) का 10% = ₹1,00,387 ----- (iii)</p> <p>कुल दुरुपयोग प्रभार = (i) + (iii) = <b>₹6,24,144</b></p>	<p>कुल दुरुपयोग क्षेत्र 727.42 वर्ग मीटर का 25% लिया गया यह मानते हुए कि दुरुपयोग क्षेत्र नियम-III के अन्तर्गत विवादित था।</p> <p>1 जनवरी 1990 से 5 जुलाई 2000 की अवधि के लिए दुरुपयोग प्रभार कुल राशि का 10% गणना किया गया दुरुपयोग नीति के क्लॉज 5 के आधार पर जोकि बताता है कि जहाँ सम्पत्ति बिना मालिक के जानकारी या सुविधा के बिना किरायेदार द्वारा दुरुपयोग किया गया तथा मालिक ने निष्कासन के लिए मुकदमा दायर किया हो जिसमें कि सम्पत्ति का दुरुपयोग होना निष्कासन का एक आधार हो वहाँ दुरुपयोग प्रभार 10% लगाया जाना चाहिए।</p>
लेखापरीक्षा द्वारा गणना	<p>आधारभूत दर X दुरुपयोग तहत कुल क्षेत्र वर्ग मीटर में X समय करक X ऐतिहासिक कारक</p> <p>₹11,200 X 872.80 वर्ग मीटर X 1.5 X 0.5 अर्थात् <b>₹73,31,520</b></p> <p><b>घटाव:</b> भुगतान की गई राशि (₹10,00,000 + ₹99,728) = <b>₹10,99,728</b></p> <p>दुरुपयोग प्रभार = <b>₹62,31,729</b></p>	<p>डीडीए द्वारा अनुमोदित कुल दुरुपयोग 872.20 वर्ग मीटर क्षेत्र था।</p>

### 2020 की प्रतिवेदन सं. 3

1. आधारभूत दर नीति के तहत दिया गया था और दक्षिणी दिल्ली के क्षेत्रों के लिए आधारभूत दर ₹11,200 था।
2. नीति में समय कारक शून्य से पांच वर्ष के लिए एक, पांच से 10 वर्ष के लिए 1.25 और 10 वर्ष से ज्यादा के लिए 1.5 था।
3. नीति में दिए गए ऐतिहासिक कारक निम्नलिखित था:

दुरुपयोग की अवधि (वर्ष में)	ऐतिहासिक कारक
1.4.1985 से पहले	0.25
1.4.1985 से 31.3.1995 तक	0.50
1.4.1995 से 31.3.2005 तक	0.75
1.4.2005 से अभी तक	1

नीति में यह भी वर्णित था कि उपरोक्त वर्णित अवधियों में यदि दुरुपयोग का समय एक से अधिक अवधियों के अंतर्गत आता है तो मामले में समयावधि का कारक जिसमें दुरुपयोग की अवधि ज्यादा बड़ी होगी वही लिया जाएगा।

## अनुलग्नक -X

(पैरा 4.11 में संदर्भित)

तीन खेल परिसरों में प्रति केवीए लागू दर, ली गई संविदागत माँग, इष्टतम आवश्यक संविदागत माँग, अप्रयुक्त शेष संविदागत माँग के विवरण

(केवीए में संविदागत माँग)

क्रम सं.	विवरण	रोहिणी खेल परिसर	मेजर ध्यान चंद खेल परिसर	पूर्वी दिल्ली खेल परिसर
1.	ली गई संविदागत माँग	295	191	276
2.	इष्टतम आवश्यक संविदागत माँग	155	130	102
3.	अप्रयुक्त शेष संविदागत माँग	140	61	174

## परिहार्य व्यय का अभिकलन

क्रम सं.	अवधि	अवधि के लिए लागू प्रति केवीए दर (₹ में)	इस अवधि के महीने	अधिक केवीए	धनराशि (₹ में)
<b>रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (आरएससी)</b>					
1.	जून 2004 से सितंबर 2011	150	88	140	18,48,000
2.	अक्टूबर 2011 से अगस्त 2017	125	71	140	12,42,500
3.	सितंबर 2017 से मार्च 2018	130	07	140	1,27,400
<b>कुल</b>					<b>32,17,900</b>
<b>मेजर ध्यान चंद खेल परिसर (एमडीसीएससी)</b>					
4.	अप्रैल 2010 से सितंबर 2011	150	18	61	1,64,700
5.	अक्टूबर 2011 से अगस्त 2017	125	71	61	5,41,375
6.	सितंबर 2017 से मार्च 2018	130	07	61	55,510
<b>कुल</b>					<b>7,61,585</b>
<b>पूर्व दिल्ली खेल परिसर (पीडीकेपी)</b>					
7.	जनवरी 2011 से सितंबर 2011	150	09	174	23,49,00
8.	अक्टूबर 2011 से अगस्त 2017	125	71	174	15,44,250
9.	सितंबर 2017 से मार्च 2018	130	07	174	1,58,340
<b>कुल</b>					<b>19,37,490</b>
<b>कुल योग</b>					<b>59,16,975</b>

## अनुलग्नक-XI

(पैरा 7.2 में संदर्भित)

ग़ोस बर्थ आउटपुट के संदर्भ में कम निष्पादन के लिए रियायतग्राहियों से वसूल किया जाने वाला परिनिर्धारित नुकसान

अवधि	परिनिर्धारित नुकसान (₹)
<b>जीसीबी बर्थ</b>	
अप्रैल 2013 से जून 2013	1,18,54,221
जुलाई 2013 से सितंबर 2013	95,96,540
अक्टूबर 2013 से दिसंबर 2013	46,33,997
जनवरी 2014 से मार्च 2014	0
अप्रैल 2014 से जून 2014	1,20,41,891
जुलाई 2014 से सितंबर 2014	1,86,40,592
अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014	1,35,17,866
जनवरी 2015 से मार्च 2015	1,17,82,822
अप्रैल 2015 से जून 2015	2,12,86,968
जुलाई 2015 से सितंबर 2015	1,15,33,352
अक्टूबर 2015 से दिसंबर 2015	82,34,467
जनवरी 2016 से मार्च 2016	62,56,357
अप्रैल 2016 से जून 2016	49,32,617
जुलाई 2016 से सितंबर 2016	1,18,13,360
अक्टूबर 2016 से दिसंबर 2016	22,27,030
जनवरी 2017 से मार्च 2017	14,40,287
अप्रैल 2017 से जून 2017	55,13,905
जुलाई 2017 से सितंबर 2017	55,53,804
अक्टूबर 2017 से दिसंबर 2017	1,81,72,647
जनवरी 2018 से मार्च 2018	2,06,17,362
<b>कुल जीसीबी बर्थ के लिए (ए)</b>	<b>19,96,50,085</b>
<b>डब्ल्यूक्यू-6 बर्थ</b>	
जनवरी 2016 से मार्च 2016	19,52,392
अप्रैल 2016 से जून 2016	14,00,833
जुलाई 2016 से सितंबर 2016	15,12,593
अक्टूबर 2016 से दिसंबर 2016	12,03,846
जनवरी 2017 से मार्च 2017	1,34,198

अप्रैल 2017 से जून 2017	9,91,689
जुलाई 2017 से सितंबर 2017	31,90,658
अक्टूबर 2017 से दिसंबर 2017	42,66,733
जनवरी 2018 से मार्च 2018	17,86,740
<b>कुल डब्ल्यूक्यू-6 बर्थ के लिए (बी)</b>	<b>1,64,39,682</b>
<b>ईक्यू-10 बर्थ</b>	
जनवरी 2017 से मार्च 2017	97,975
अप्रैल 2017 से जून 2017	1,30,341
जुलाई 2017 से सितंबर 2017	2,58,514
अक्टूबर 2017 से दिसंबर 2017	94,603
जनवरी 2018 से मार्च 2018	37,454
<b>कुल ईक्यू-10 बर्थ के लिए (सी)</b>	<b>6,18,887</b>
<b>कुल योग (ए+बी+सी)</b>	<b>21,67,08,654</b>

**नोट:** निर्धारित नुकसान की गणना एमसीए के परिशिष्ट 15 के प्रावधानों के अनुसार की गई है, जिसके अनुसार रियायतग्राही द्वारा औसत निष्पादन में प्रत्येक 10 प्रतिशत की कमी हेतु संबंधित तिमाही के सकल राजस्व का एक प्रतिशत निर्धारित नुकसान देय होगा।

अनुलग्नक-XII  
(पैरा 7.3 में संदर्भित)

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास द्वारा रियायती करारों में दण्डात्मक धारा सम्मिलित न करने के कारण हुए राजस्व के नुकसान को दर्शाती विवरणी

वाणिज्यिक परिचालनों के प्रारम्भ की तिथि	अवधि	न्यूनतम गारंटीत कार्गो (एमजीसी) (टन में)	संभाला गया कार्गो (टन में)	एमजीसी प्राप्त करने में कमी (टन में)	अर्जित रॉयल्टी (₹)	दर प्रति टन (₹)	राजस्व की हानि (₹ करोड में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(4)	(8) = (5)x(7)
<b>डब्ल्यूक्यू-6 बर्थ</b>							
जुलाई 2015	अगस्त 2015 से जुलाई 2016	5,20,000	2,22,929	2,97,071	2,73,46,303	122.67	3.64
	अगस्त 2016 से जुलाई 2017	5,20,000	5,11,014	8,986	4,87,82,343	95.46	0.08
<b>कुल (ए)</b>							<b>3.72</b>
<b>ईक्यू-10 बर्थ</b>							
जुलाई 2017	जुलाई 2017 से जून 2018	4,60,000	2,29,690	2,30,310	46,27,875	20.15	0.46
<b>कुल (बी)</b>							<b>0.46</b>

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)